Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक २ | चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ६६ वां दिवस | संख्या २६

शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई–उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, अकाल सहायता, कृषि राजस्व, सा. निर्माण, पशुपालन, पंचायत, गृह, यातायात, खाद्य व सहकारी विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधा

773. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में आजन्म विकलित अङ्ग व्यक्तियों को तथा बाद में अंग भंग होने वाले व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान कराये जाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां तो किन किन सूरतों में इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है ?

(2) क्या विकलित अंग व्यक्तियों की सहायता हेतु सरकार के पास कोई योजना है ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां । राजस्थान में केवल सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज चिकित्सालय, जयपुर में, घुटने से नीचे के बनावटी अङ्ग लगाए जाने की सुविधा उपलब्ध है । घुटने के नीचे के कृत्रिम अङ्ग लगवाने वाले व्यक्तियों को उक्त अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग में जांच के लिए जाना पड़ता है । जहां उक्त सुविधा प्रदान की जाती है ।

(2) जी नहीं । अन्य कोई योजना नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : या तो कोई आजन्म विकलित है या जनम के बाद विकलित हुआ है तो उसको कृत्रिम अङ्ग प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं । जो सुविधा प्रदान की जाती है वे भी केवल घुटने के नीचे के अंग की उसका मेडिकल रिइम्बर्समेंट हो सकता है । जनता का कोई भी आदमी आकर सुविधा अनुसार दिखाकर अङ्ग ले सकता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मन्त्री महोदय बताएंगे कि गत वर्ष कितने व्यक्तियों को इस प्रकार के कृत्रिम अङ्ग प्रदान किये गए, राज्य सरकार द्वारा ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हो सकता है गिनती के लिए अलग से प्रश्न है, आपके पास तैयारी न हो लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन वर्षों में किसी व्यक्ति को ऐसे अङ्ग प्रदान किए गये हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां । मैंने आपसे कहा न कि अङ्ग प्रदान किए जा रहे हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : निःशुल्क ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, उनकी कीमत ली जाती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह समझा जाय कि राज्य सरकार की ओर से अङ्ग देने के लिए....

श्रीमती सुमित्रा : निःशुल्क व्यवस्था नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा ।

ग्राम कोटड़ा में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सड़क व तालाबों का निर्माण

774. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा सु.) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर की तहसील गोगुन्दा में कोटड़ा में अकाल सहायता कार्य वर्ष 1966–67 में सड़क व तालाब के निर्माण कार्यों के रूप में कौन कौन से क्या क्या करवाए गये ? और इन कार्यों पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इन कार्यों के सम्बन्ध में मजदूरों की फर्जी हाजरी करने की शिकायतें की गई हैं और मामले पकड़े गये हैं ? यदि हां तो इनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या कोटड़ा से गोगुन्दा तक सड़क निर्माण कार्य करवाया गया था ? यदि हां तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उपमन्त्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(8) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

Page No.3

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : प्रश्न दो के जवाब में आपने बताया कि प्रश्न ही नहीं उठता। मैं बताना चाहता हूं कि कोटडा से गोगुन्दा जाने वाली सड़क में घोटाला हुआ है और आप कहते है कि प्रश्न ही नहीं उठता ?

श्री गंगाराम चौधरी : वहां 11 मील का काम सहायता विभाग की ओर से करवाया गया, उस सम्बन्ध में आपने जैसे पूछा वैसे कोई भी शिकायत नहीं है। जांच की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा: मैने विकास अधिकारी कोटड़ा को लिखकर भेजा है और मैं वहां गया था तब देखा था काफी मजदूरों की हाजरी में घोटाला हुआ है आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : हो सकता है कि आपकी शिकायत कोटड़ा से गोगुन्दा की सड़क के लिए हो जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से काम किया गया था, उस सम्बन्ध में तो जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन अकाल सहायता विभाग की तरफ से जो 11 मील का काम किया गया था उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

अंगूरों की खेती

775. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अंगूरों की खेती को राज्य सरकार बढ़ावा देकर आगे की ओर बढ़ाना चाहती है ?

(2) अभी कितने एकड़ में अंगूरों की खेती हो रही है और आगे के पांच वर्षों में कितने एकड़ और बढ़ने की सम्भावना है ?

(3) जब पैदावार बढ़ जायगी तब की सरकार की योजना और नीति क्या है ? बूवरी स्थापित की जायेगी या नहीं ?

उप मंत्री कृषि (श्री हरीसिंह): (1) जी हां ?

(2) वर्तमान में 239 एकड़ भूमि में अंगूरों की खेती हो रही है। आगे पांच वर्षों में 500 एकड़ अतिरिक्त भूमि में अंगूरों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) इस लक्षित भूमि की पैदावार की राज्य में ही खपत हो सकती है। अथवा पास के राज्यों को भेजी जा सकती है अतः बूवरी की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्ड़ावत : क्या यह सही है कि अपने यहां कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण अंगूरों की खेती जो बढ़ जायगी उसकी क्या व्यवस्था करेंगे। जैसे हैदराबाद की स्थिति हो रही हैं अंगूर बढ़ने की वजह से वैसी स्थिति होने पर यहां क्या किया जायगा ?

श्री हरीसिंह : अभी तक तो 239 एकड़ अतिरिक्त भूमि में ही अंगूरों की खेती

(श्री हरीसिंह)

के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं और 5 वर्षों के अन्दर 500 एकड़ अतिरिक्त भूमि में अंगूरों की खेती की जायगी। अगर कह रही हैं कि अधिक होंगे तो क्या करेंगे, अभी तो अधिक हो जाने की स्थिति नहीं है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी हो सकती है राज्य सरकार की मनाही नहीं है अगर रेसिन बनाना चाहते हैं।

श्री श्रवणलाल : इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : इसको आगे बढ़ाने के लिए किसानों को क्या सुविधायें दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मेघराज पंवार।

चूरू कस्बे के आसपास की बंजड़ भूमि का अलाटमेंट

776 **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या बीकानेर स्टेट के वक्त में चूरू कस्बे के आसपास की करीब दस, ग्यारह हजार बीघा बंजड़ कृषि भूमि कुछ लोगों को एक अवधि के अंदर उपजाऊ कृषि योग्य बनाने हेतु एलाट की गई थी ? यदि हां तो कब कब और किस किस व्यक्ति को कितनी भूमि किस शर्त पर दी गई ? खसरेवार मय नाम एलाटी के सूची सदन की मेज पर रखवाने की कृपा करें।

(2) क्या एलाटीज ने शर्त पूरी कर दी है ? यदि हां तो कब शर्त पूरी हुई और नहीं तो सरकार के अब तक चुप रहने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ एलाटीज ने अपने नाम की भूमि को दूसरों के नाम पर हस्तांतरित कर दिया है ?

(4) इस भूमि के उपयोग के संबंध में सरकार की अब क्या नीति है ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) हां। बीकानेर स्टेट के वक्त में निम्न 3 सेठों को निम्न प्रकार से जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए व गऊओं के चरने का प्रबन्ध करने के लिए कुल सात हजार सात सौ चौदह बीघा चौदह बिस्वा भूमि इसी शर्त पर दी गई थी कि जमीन का मालकाना हक सरकार का रहेगा और सेठ लोग अपने खर्चे पर इस जमीन को उपजाऊ व चरागाह के काबिल बनायेंगे।

(i) बीड़ पीथाना उतरादा की तरफ सेठ रुक्मा नन्द राधाकृष्ण 3343) बीघा।

(ii) बीड़ आथूना सेठ मदन गोपाल बागला 2140।) बिस्वा।

(iii) बीड़ डाबला श्री खेमराज श्री कृष्णदास 2231।)4 बिस्वा।

यह भूमि 1928-29 में स्टेट द्वारा दी गई थी।

Page No.5

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) सफेद भूमि पर तीनों ही बीड़ों में फाग, ज.टी व झाड़ियां लगाई गई और प्राकृतिक रूप से घास का भी उत्पादन हुआ।

(3) जी हां। चूरू की पिंजरा पोल को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(4) इस भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही जेरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

गवर्नमेंट अस्पताल, बाड़मेर का बजट

777. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर गवर्नमेंट अस्पताल का वार्षिक बजट कितने रुपयों का स्वीकृत है और वास्तविक आवश्यक खर्चा कितना है ?

(2) उक्त अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले मरीजों की निर्धारित संख्या कितनी है और इस वर्ष कितने भर्ती हुए हैं। आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल के स्टाफ को वर्दियां और मरीजों के पलंग के लिए चद्दरें कई आवश्यक दवाइयां एवं बेन्डेज के लिए पट्टियां तक उपलब्ध नहीं कराई जाती क्योंकि बजट में प्रावधान कम है ?

(4) क्या सरकार अस्पताल की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) (1) बाड़मेर अस्पताल का सन् 1967-68 का स्वीकृत बजट 28780.00 और वास्तविक खर्चा रु० 34681.29 है।

(2) बाड़मेर अस्पताल में भरती किए जाने वाले मरीजों के लिए 50 शैयाओं का प्रावधान है। सन् 1967 में 1331 मरीज भरती किए गए थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। आवश्यकतानुसार बजट में प्रावधान रखने का विचार है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या इन शैयाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जायगा ?

श्रीमती सुमित्रा : बेड्स बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या आप महसूस नहीं करती कि बाड़मेर नगर में डी.एम.एच. ओ० का कार्यालय स्थापित किया जाय ?

श्रीमती सुमित्रा : इसका डी०एम०एच० ओ० के कार्यालय से कोई संबंध नहीं है। यह अलग प्रश्न है।

प्रश्न संख्या, 778

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिद्दी चन्द पालीवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.6

श्री रघुनाथ विश्नोई।

कांकरेज नस्ल की मवेशी

779. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पिछले साल अकाल होने से तहसील सांचोर की कांकरेज नसल की कितनी मवेशी सांचोर के बाहर कहां कहां गई ?

(2) बाहर गई हुई मवेशी में से कितनी मर गई एवं कितनी वापस लौटी ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस नस्ल की मवेशी को बचाने के लिये पिछले अकाल वर्ष में पशुपालन विभाग द्वारा कोई प्रयत्न नही किये गये ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो क्या क्या किये गये ?

(4) सांचोरी कांकरेज नसल की मवेशी के विकास के लिये विभाग द्वारा अब तक क्या क्या किया गया है ? इस नस्ल का केटल ब्रीडिंग फार्म अब तक क्यो नहीं खोला गया ? अब कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप मंत्री पशुपालन (श्री हरीसिंह) : (1) गत वर्ष अकाल के कारण सांचोर तहसील से 1,13,287 गायें बैल व बछड़े जोधपुर, पाली, सिरोही आदि जिलों में से होते हुये गुजरात प्रदेश को गये।

(2) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) अकाल के समय में पशु सुरक्षा का कार्य पशुपालन विभाग का न होकर अकाल राहत विभाग का होता है। पशुपालन विभाग की क्रियायें केवल पशुओं के इलाज एवं उनकी नस्ल को उन्नत करने सम्बन्धी कार्यो तक ही सीमित है। अकाल राहत विभाग द्वारा अकाल की परिस्थिति एव पशु धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सस्ते चारे की समुचित व्यवस्था कराई गई एव लगभग समस्त अभावग्रस्त जिलों में सस्ते चारे की दुकानें खोली गई।

(4) सांचोरी एवं कांकरेज नस्ल के विकास हेतु पशुपालन विभाग द्वारा जालौर जिले में 6 पशु चिकित्सालय तथा 3 उन्नत डिस्पेन्सरियां स्थापित की गई हैं। सन् 1965 के अन्त तक 151 कांकरेज नस्ल के सांड इस नस्ल को सुधारने हेतु पंचायत समितियों के माध्यम से वितरित किये गये। धनाभाव के कारण कांकरेज नस्ल के लिये ब्रीडिंग फार्म अब तक अलग नहीं खोला जा सका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह इतनी बड़ी इम्पार्टेन्ट ब्रीड है, उस बारे में अकाल के समय के आंकड़े आपके पास नहीं है। 20 वर्षों में अकाल पड़ा है, उसके बारे में कोई सूचना ही इकट्ठी नहीं की गई।

श्री हरीसिंह : क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने निवेदन किया कि कुल कितनी मवेशी निष्कासित हुई, इसके तो आपने आंकड़े दे दिये किन्तु कितनी मर गई इसके आंकड़े नहीं दिये। पशु पालन विभाग कितनी मवेशी मर जाय, इसका पता लगाये यह सम्भव नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस नस्ल के बारे में कहना है कि इसका ह्रास हुआ है। पशु पालन विभाग का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उसके आंकड़े रखे। यह जरूरी नहीं है क्या ? क्या यह सत्य है कि आपने पशु पालन विभाग के जो यह सांचोरी नस्ल की जो ब्रीड है गुजरात में हजारों की संख्या में मवेशी जाते हैं और वहां हजारों की संख्या में मवेशी मर गये। यह राजस्थान की एक स्पेशल टाईप की ब्रीड है जो पहाड़ी क्षेत्र में जिन्दा नहीं रह सकती है-अकाल वर्ष में। इसके लिये कुछ नही कर सकते हैं क्या ?

श्री हरीसिंह : इसके लिये आपके क्या सुझाव हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव नहीं दिये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व रियासतों में जो मवेशी इधर उधर जाते थे-माइग्रेट होते थे, उनके आने जाने का रिकार्ड मेन्टेन करते थे तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार का कोई रेकार्ड मेन्टेन करने का विचार रखती है ?

श्री हरीसिंह : अकाल विभाग है वह चारे की व्यवस्था करता है। पशु पालन विभाग ने माईग्रेट होने के आंकड़े दे दिये हैं। यह अलग से बात है, मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख 13 हजार 287 मवेशी एक ही वर्ष में बाहर गये बताये हैं। करीब हर साल इतनी ही संख्या में मवेशी बाहर चले जाते हैं। यह गम्भीर विषय है और आपके पास आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है।

मंत्री पशुपालन (श्री शोभाराम) : माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि पहले की रियासतों में इस प्रकार के आंकड़े रखते थे। इसकी जिम्मेदारी रेवेन्यू विभाग की है या पशु पालन विभाग की है, इसके सम्बन्ध में विचार करके यह निर्णय कि जो मवेशी माईग्रेट होते हैं इसके बारे में विशेष ध्यान रखते हुए आंकड़े रखने की व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किन किन जिलों में मवेशी गये। मवेशियों के प्रोटेक्शन के लिये दूसरे जिलों में क्या सुविधा प्रदान की जाय। ऐसा एक आफिसर क्यों नहीं मुकर्रर किया जाता है ?

श्री शोभाराम : जैसे उपमंत्री जी ने बताया कि अकाल के टाईम पर यह जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है कि अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं तो उसके चारे आदि की व्यवस्था वह करें। पशु पालन विभाग तो उनके रोग इत्यादि का उपचार हो, यह व्यवस्था करता है। अब क्या प्रापर कोर्डिनेशन है, यह देखने की बात हैं। इसके लिये हम राजस्व विभाग से मिल कर आपस में तय कर लेंगे कि अभाव ग्रस्त क्षेत्र में राजस्व विभाग किस प्रकार कार्य करता हैं, उनसे बात चीत करने के बाद कुछ कमी होगी और कोई जिम्मेदारी होगी, उसकी देख रेख

Page No.8

(श्री शोभाराम)

में कर ली जायगी चाहे वह राजस्व विभाग करें या पशु पालन विभाग करें। यह बैठकर तय कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भलीभांति मालूम है कि गुजरात ने चारा तक नहीं आने दिया, वहां से हजारों की संख्या में मवेशी यहां आते हैं तो आपको कोई योजना स्टेट लेवल पर बनानी चाहिये कि ऐसे वक्त पर अकाल के समय में क्या करना चाहिये, इस पर आप कोई योजना क्यों नहीं सोचते हैं ?

श्री शोभाराम : अब तक जो राजस्व विभाग है (बीच में एक माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्था किये जाने पर) मैं अर्ज कर रहा हू कुछ जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। कुछ कार्य ऐसे हैं जो वे नहीं ले सके हैं, कुछ अधिक कार्य भी लिये हैं। अगर वे कोई कार्य नहीं लेते हैं तो यह पशु पालन विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। इस पर पशु पालन विभाग विचार करेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये ब्रीडिंग फार्म क्यों नहीं बनाया गया। यह बहुत बढ़िया नस्ल की गायें हैं और इस प्रकार ये सारी गायें खतम हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, ब्रीडिंग फार्म की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

श्री शोभाराम : इस बारे में विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा।

प्रश्न संख्या 780

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

जोधपुर में राजनैतिक पीड़ित द्वारा भूख हड़ताल।

781. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :– (1) क्या यह सही है कि जोधपुर में श्री जेठाराम रांकावत जो स्वतंत्रता संग्राम का पुराना राजनैतिक पीड़ित है उसने नगर सुधार न्यास व पुलिस विभाग के अधिकारियों के जुल्मों के विरुद्ध भूख हड़ताल की थी ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी और उसका क्या नतीजा रहा ?

उपमंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : (1) श्री रांकावत ने जोधपुर नगर विकास न्यास व पुलिस के खिलाफ जातिवाद भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाते हुये असंतुष्ट होकर दिनांक 16-11-67 से भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी।

(2) दिनांक 20-11-67 को श्री रांकावत के खिलाफ एक मुकदमा हस्व दफा 309 आई० पी० सी० दर्ज किया गया व बाद तफतीश दिनांक 25-11-67 को पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया। यह मुकदमा दिनांक 27-11-67 को विथड्रा किया जा चुका है।

श्री शकर लाल : यह जो मुकदमा विथड्रा किया गया तो जो श्री जेठाराम रांकावत ने भूख हड़ताल की और जिन मुद्दो को लेकर की क्या वह सही थे ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने दो मुद्दे लेकर भूख हड़ताल की थी। श्री किशनराम की मृत्यु हुई, उस सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये थी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। दूसरा यू. आई. टी. के अलाटमेंट के बारे में की गई थी, उसका हमसे ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बाद में स्वयं ने हड़ताल तोड़ दी। और उन्होंने यह कहा कि मेरे खिलाफ जो केसेज है उनको विथड्रा कर लिये जांय।

श्री शकर लाल : जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा बनाया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री खेत सिंह : यह तो अलग से प्रश्न है लेकिन मैं आपको बता दू कि उनके चालान पेश किये जाने के आदेश हो चुके है।

श्री शकर लाल : चालान पेश होने के बाद क्या उनको सस्पेन्ड किया जायगा या नहीं ?

श्री खेत सिंह : सस्पेन्ड किया जायगा या नहीं यह अगल से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री केसरी सिंह।

देवली बूंदी सड़क पर रोड़वेज बस दुर्घटना में हानि।

782. **श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रोड़वेज की बस नं. आर. जे. एल. 7214 दिनांक 27-6-67 को देवली-बूंदी सड़क पर चतरगंज ग्राम जिला बूंदी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ?

(2) दुर्घटना किन कारणों से हुई, और बस का चालक कौन था ?

(3) इस बस में कितनी सवारियां थी ? क्या सवारियों के चोट आई थी ?

(4) बस को कितना नुकसान हुआ और क्या बस का बीमा हो रहा है ?

उप मंत्री यातायात (श्री शिवचरण सिंह) :—

(1) दिनांक 27-6-67 को देवली बूंदी रोड पर चतरगज के पास निगम की बस नं. 7274 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।

(2) दुर्घटना चालक द्वारा गाड़ी को बैल से बचाते समय पेड़ से टकराने के कारण हुई। गाड़ी के चालक का नाम श्री बरिना है।

(3) इस बस में 54 सवारियां थी। किसी भी सवारी के गंभीर चोट नहीं आई। बस के शीशे टूटने के कारण कुछ सवारियों के मामूली चोट आई और उनकी प्राथमिक चिकित्सा कर दी गई।

Page No.10

(श्री शिवचरणसिंह)

(4) बस का नुकसान अभी नहीं आंका गया है क्योंकि बस अभी पुलिस हिरासत में है। निगम की बसों को अनिवार्य रूप से बीमा राज्य सरकार द्वारा मुक्त रखा गया है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बस को हिरासत में लेने का क्या कारण बताया आपने ?

श्री शिवचरणसिंह : दुर्घटना हुई इसलिए।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : उसको थाना हिन्डोली में कितने रोज तक रखा गया और उसका क्या कारण था ? क्या यह सही है कि चालक शराब के नशे में था और गाड़ी चला रहा था इसलिए रखा या और किसी दफे के अन्दर रखा ?

श्री शिवचरणसिंह : मैंने अर्ज किया कि एक्सीडेन्ट हुआ, इसलिए थाने में जाना जरूरी ही था।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या इसका केस पुलिस में रजिस्टर हुआ है ?

श्री शिवचरणसिंह : जरूर हुआ होगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कौन से दफे में?

श्री शिवचरणसिंह : यह दूसरा प्रश्न है। ऐक्सीडन्ट का जो दफा होता है उसी में किया होगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही है कि यदि उसका इन्शोरेन्स किया हुआ होता, तो सारा जो नुकसान हुआ वह राज्य सरकार पर नहीं पड़ कर इन्शोरेन्स कम्पनी पर पड़ता ?

श्री शिवचरणसिंह : ऐसा है कार्पोरेशन की बसेज कम्पलसरी इन्शोरेन्स से एग्जेम्पटेड हैं। इनके लिये दूसरी योजना है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : एग्जेम्पशन तो है, मगर क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती की एग्जेम्पशन से राज्य सरकार को नुकसान होता है ?

श्री शिवचरणसिंह : जब एन्शोरेन्स करते ही नहीं, तो फायदे और नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : जब आप आम जनता को इन्शोरेन्स के लिए बाध्य करते हैं और उनका कम्पलसरी कराना पड़ता है, तो आप को भी कराना चाहिये। आपको तो मिसाल पेश करनी चाहिए। जब राज्य सरकार इस तरह व्यवसाय की तरह बसें चलाती है तो आपको भी इन्शोरेन्स कराना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न। नेक्स्ट, श्री गोरधन सोनी।

श्री कल्लाणमल : क्या यह सही है कि शराब पीने वाले ड्राइवरों को सरकार नौकरी में रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह एक्सीडेन्ट इसलिए हुआ कि ड्राइवर रांग साइड पर गाड़ी चला रहा था ?

श्री शिवचरणसिंह : मैंने बताया न कि बैल को बचाना चाहता था, तो गाड़ी जाकर पेड़ से टकराई इसलिये एक्सीडेन्ट हुआ ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर बैल को मारने से ५0 आदमियों की जिन्दगी बच सकती थी, तो क्या बैल को मारना उचित नहीं था ? बैल क्या आदमियों से ज्यादा है ?

श्री शिवचरणसिंह : यह प्रश्न नहीं है। उसने बैल से बचकर गाड़ी चलाना चाहा, तो पेड़ से टक्कर हो गई ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कांग्रेस में बैल को आदमी से ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए बचाया ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नेक्स्ट ।

डेगाना क्षेत्र में चीनी व राशन के वितरण की व्यवस्था

783. **श्री गोवर्धन सोनी** (मेड़ता) (श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) द्वारा पूछा गया) :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना क्षेत्र की जनता को चीनी व राशन का अनाज दो वर्ष से उचित ढंग से वितरित नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि डेगाना क्षेत्र में एक एक रिटेलर को 5,5 व 6,6 पंचायतों के गांव में वितरक मुकर्रर कर रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वितरण रजिस्टर चैक नहीं किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि डेगाना क्षेत्र की जनता ने व मैंने जिलाधीश को पत्रों द्वारा व स्वंय मिलकर डेगाना में वितरण के लिए मिले माल में होने वाली गड़बड़ी बाबत अवगत किया व उसे दूर करने का आग्रह किया किन्तु जिलाधीश ने पत्रों का उत्तर नहीं दिया न आजतक उन्होंने कोई जांच ही कराई ?

(5) क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी नहीं । डेगाना क्षेत्र की जनता को चीनी समय पर दी जाती है । डेगाना क्षेत्र में राशन वितरित नहीं किया जाता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । रजिस्टर चैक किये गए हैं ।

(4) यह सही है कि माननीय सदस्य ने एकाध बार डेगाना में चीनी के वितरण में देरी और खाद्यान्नों का वितरण न होने की जिलाधीश से चर्चा की थी । उन्हें यह बता दिया गया था कि चीनी के वितरण में देरी

Page No.12

(श्री रामदेवसिंह)

का कारण मिलों से माल न आने व खाद्यान्नों का वितरण व्यवस्था जिला मुख्यालय पर व 50,000 की जनसंख्या के शहर में ही है। इस बात की जिलाधीश द्वारा लिखित सूचना दिनांक 22.8. 67 को दी गई है।

(5) जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवण लाल।

जिला सवाई माधोपुर के हैड कान्सटेबिलों की एप्रूव्ड लिस्ट

784. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन, सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि सन 1967 में जिला सवाई माधोपुर के हैड कान्सटेबिलों की एप्रूव्ड लिस्ट में बोर्ड द्वारा 33 व्यक्तियों को पास किया था? यदि हां, तो किसको? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा पास किये हुए व्यक्तियों में से 15 को लिया गया है? यदि हां, तो किस किस को लिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमन्त्री, गृह (श्री खेतसिंह); (1) जिला सवाई माधोपुर में सन 1967 में हैड कान्सटेबिल्स की कोई एप्रूव्ड लिस्ट नहीं बनायी गई।

(2) पिछली एप्रूव्ड लिस्ट मई, 1966 में बनी थी, जिसके आधार पर 15 कान्सटेबिलों को अगस्त 1966 में हैड कान्सटेबिल के पद पर प्रमोट किया था। प्रमोट किए गये व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिए)

श्री श्रवणलाल : 1967 में कोई एप्रूव्ड लिस्ट नहीं बनाई? केवल 1966 में ही बनाई?

श्री खेतसिंह : जी हां। 1966 में ही एप्रूव्ड लिस्ट बनाई थी, उसके बाद 1967 में कोई लिस्ट नहीं बनाई। जो पुरानी लिस्ट बनी हुई थी उसी के आधार पर जो वेकेन्सीज थीं वे सीनियोरिटी के आधार पर भरी गई।

श्री श्रवणलाल : जब 1966 में लिस्ट बनाई थी तो 33 आदमी पास किये थे?

श्री खेतसिंह : जी हां, 33 ही पास किये थे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रवणलाल : जब 33 पास हुए थे तो केवल 15 को ही क्यों प्रमोट किया?

श्री खेतसिंह : 33 नहीं, 36 पास हुए थे लेकिन वैकेन्सीज केवल 15 थीं, इसलिए 15 को ही प्रमोशन दिया जा सका।

Page No.13

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री विजयसिंह ।

श्री श्रवणलाल : जो आदमी 36 में से बच गये, उनको कब तक प्रमोट कर दिया जायेगा ।

श्री खेतसिंह : उसके लिए एस. पी. को कह दिया गया है ज्यों ही वैकेन्सीज होंगी, एप्रूव्ड लिस्ट फिर तैयार करके प्रमोशन दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री विजयसिंह ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि इन 15 में जो प्रमोट किये गए हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कम सर्विस वाले थे और जो रह गए हैं उनमें ज्यादा सर्विस वाले थे ?

श्री खेतसिंह : यह तो आप स्पेसीफिक केस बतलायेंगे तो जांच कराई जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री विजयसिंह ।

डीडवाना मकराना व परबतसर किशनगढ़ छोटी रेलवे लाइन

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :- क्या राज्य सरकार डीडवाना से मकराना व परबतसर से किशनगढ़ तक रेलवे लाइन जोड़ी जाने के लिए भारत सरकार को लिखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उपमन्त्री, यतायात (शिवचरण सिंह) जी हां ।

श्री विजयसिंह (मकराना) धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द ।

ग्राम पड़िहारा में चीनी का वितरण

786. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित पड़िहारा में चीनी का वितरण बन्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? और कब से ?

उप मन्त्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के लिए कुछ समय और चाहिए, इसलिए इसको स्थगित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री मनोहरसिंह मेहता ।

बड़ल्यास बरूदनी के बीच बेडच नदी का खुर्रा न बंधने से परेशानी

787. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बड़ल्यास बरूदनी के बीच बड़ेचनदी का खुर्रा (काजवे) न बंधने से जनता को भारी तकलीफ है ?

(2) क्या सरकार इस खुर्रे को जनता द्वारा दस हजार का नकद सहयोग देने पर बंधवाने की व्यवस्था कर सकती है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(3) क्या यह सही है कि इस पर खुर्रे के न बंधने से हजारों लोगों को छः छः महीनों तक भारी तकलीफ होती है और बसें भी नहीं चलती ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) नदी पार करने में कठिनाई स्वाभाविक है ।

(2) अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, छः महीनों तक रास्ता बन्द हो जाता है । औरतों को पोतरे बांधकर बच्चों को लेकर नदी पार करनी पड़ती है । वहां से सैकड़ों आदमी आते जाते रहते हैं, हम कहते हैं कि चौथाई हिस्सा खर्च देने को भी तैयार हैं, आप वहां खुर्रा बंधवाइए । वहां के लोग बहुत संकट में हैं, माननीय मन्त्री महोदय कोई आश्वासन दे दें तो बहुत अच्छा ।

श्री माधोसिंह : डेढ़ लाख रूपये का यह काम है, उसमें आपके दस हजार देने से क्या होगा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : 25 हजार दे देंगे लेकिन आप बनवाइए तो सही । ऐसे कितने आदमी होंगे जो इस तरह से देने को तैयार हैं ? वहां की पब्लिक 25 हजार देने को तैयार है । आप कभी वहां पधारें चौमासे में, तो आपको भी तुम्बा बांध तैरना पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : तब तो खुर्रा जरूर बनेगा ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इनको तुम्बा बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी । ये तो स्वयं ही फ्लोट करेंगे ।

श्री माधोसिंह : यह पी. डब्ल्. डी. की सड़क नहीं है, पंचायत समिति की होगी, आप उनसे कहिए ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पंचायत समिति तो अगर सारी ही बिक जाये तो भी डेढ़ लाख नहीं इकठ्ठा कर सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मनोहरसिंह मेहता, : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही तकलीफ है लोगों को 25 हजार हम देने को तैयार हैं । आपही इन्हें फर्मा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा । हम 25 हजार देने को तैयार हैं ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : आपने इतने जोश के साथ इसके लिए कहा है तो हम इसकी कद्र करते हैं । हम देखेंगे कि क्या मुमकिन हो सकता है और हम कुछ कर सकते हैं या नहीं ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह तो कोई आश्वासन नहीं है । बड़ा वेग आश्वासन है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वेग आश्वासन भी बहुत है । मुझे उस पर विश्वास है ।

प्रश्न संख्या 786

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया ।

एक सदस्य : प्रश्न संख्या 789

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़ियां ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : मोयोरिटी पेश नहीं हुई हैं । नेक्स्ट !

भाखरा एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में जागीरदारों को भूमि का अलाटमेन्ट

790. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (खण्डार सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील सरदार शहर के शिमला गांव में किन किन जागीरदारों को खुद काश्त हेतु भाखरा या राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि मिली है और कितनी कितनी?

(2) क्या इन व्यक्तियों के पास अन्य काश्त की भूमि नहीं हैं ?

(3) क्या ये संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम काश्त की भूमि शिमला में है?

(4) कब तक की दर्खास्तों पर जागीरदारों को खुद काश्त के लिए भूमि दी जाती है तथा इनकी ओर से कब दर्खास्तें दी गई?

(5) क्या यह सही है कि विभिन्न नामों से गलत आधारों पर न हरी भूमि प्राप्त की गई है ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम) : (1) राजस्थान नहरी क्षेत्र में शिमला के निम्न भूतपूर्व जागीरदारों को उनके नाम के आगे अंकित भूमि आवंटन की गई है ।

(1) श्री उम्मेदसिंह 50 बीघा, श्री जुगल सिंह 20 बीघा, श्री अमरसिंह 20 बीघा, श्री रतन सिंह 20 बीघा, श्री सुगनसिंह 20 बीघा, श्री शिवसिंह 20 बीघा ।

(2) भूमिहीन होने की सिफारिश आने पर ही खुद काश्त भूमि दी जाती हैं ।

(3) जी नहीं, इस ग्राम के उक्त भूतपूर्व जागीरदारों को खुद काश्त भूमि आवंटन की गई है उनके कब्जे में अन्य भूमि होने की सूचना इस विभाग को नहीं है ।

(4) 31-8-58 अथवा जागीर पुर्नग्रहण की तारीख से 3 माह की अवधि में । श्री उम्मेदसिंह का प्रार्थना पत्र 24-2-58 को एवं शेष 31-12-55 को प्राप्त हुए ।

(5) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दौलतराम सारण : ये संयुक्त परिवार के सदस्य है । इनके परिवार के पास सैकड़ों बीघा जमीन है । इसके बाद भी भूमि हीन मान कर खुद काश्त में जमीन दे दी गई ?

Page No.16

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कलक्टर ने जांच करके रिपोर्ट की है कि अलग अलग परिवारों के लोग हैं ये और उनके पास भूमि नहीं हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सत्य है कि बीकानेर के भूतपूर्व जागीरदारों को राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि नहीं दी गई है।

श्री गंगाराम : जिन जिन ने दर्खास्त दी होगीं। उनको दी गई होगी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपने राजस्थान भर में दी, पर बीकानेर के भूतपूर्व जागीरदारों को दर्खास्त देने के बाद भी नहीं दी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : समय पर दर्खास्त नहीं दी होगी।

श्री मदनसिंह दांता : आपने लिस्ट दी उसमें जिन जिन जागीरदारों को भूमि दी गई भूमिहीन होने की वजह से, अगर उनके पास पहले की भूमि मिल जावे तो क्या बाकी दी गई भूमि वापिस ली जावेगी ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह कानूनी प्रश्न है। इसके बारे में कार्यवाही की जा सकती है कि ले सकते हैं या नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को सूची दी गई हैं वह खाली दी गई है।

(तारांकित प्रश्नों की सूची वाली प्रति आसन को दिखाई गई)

बीकानेर देहली रेलवे लाइन के बीच पारण द्वारों के बन्द करने से जनता को परेशानी।

791. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चुरु जिले में बीकानेर-देहली रेलवे लाइन पर जिस समय यह रेलवे लाइन बनी थी (बीकानेर स्टेट रेलवे) तब से पारण द्वारा (फाटक आम रास्ता) चार चार स्लीपर रेलवे द्वारा लगा कर बनाए हुये थे जो जनता के आवागमन की सुविधा के लिये थे?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे सब पारण द्वार रेलवे विभाग द्वारा लगभग चार पांच वर्ष पूर्व यकायक खाइयां लगा कर बन्द कर दिये गये जिससे ग्राम जनता के आवागमन का माध्यम बिलकुल रुक गया।

(3) क्या यह भी सही हैं कि जन सामान्य की उक्त कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ व जिला परिषद चुरु द्वारा इस कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री, तथा यातायात सचिव को कई बार लिखा गया ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि रेलवे ने ऐसे रास्तों को डी श्रेणी के रास्ते मान कर बन्द किये हैं जिन पर बैलगाड़ी गाड़ी मोटर आदि नहीं चल सकें जबकि ये रास्ते डी श्रेणी के कभी नही रहे हैं, व हर प्रकार

Page No.17

(श्री दौलतराम सारण)

की गाड़ियां आदि के लिये सदैव खुले रहे हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ ने ऐसे तमाम बन्द पारण द्वारा की सूची भी राज्य सरकार को पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि उत्तर रेलवे के साथ राजस्थान सरकार का यह निर्णय है कि ऐसे रास्तों के लिए राजस्थान सरकार अपनी राय देगी तथा जिन रास्तों की सूची राजस्थान सरकार पेश करेगी वे ही रास्ते उत्तर रेलवे खोलेगी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त रास्तों की सूची उत्तर रेलवे को प्रस्तुत कर दी है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(7) क्या राज्य सरकार रेलवे लाइन के दोनों ओर बसने वाले गांवों और कस्बों के निवासियों के आवागमन यातायात में आने वाले प्रतिदिन की इस गम्भीर कठिनाई को महसूस कर इसका निवारण करना उचित समझती है ? यदि हां तो कब तक और किस प्रकार ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(8) क्या यह भी सही है कि ऐसे अधिकांश रास्ते एक गांव से दूसरे गांव जाने के, जलाशयों पर जाने के, खेत खलियानों पर जाने के लिए हैं जो समय समय पर हुई पैमायशों में राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ते दर्ज हैं, परन्तु जहां रेलवे लाइन क्रासिंग होती है वहां पर ऐसे रास्तों की परिभाषा जाने कुछ भी हो बन्द कर दिये गये हैं ?

(9) चूरू से लेकर बीलासर स्टेशन तक की कितनी दूरी है और इस दूरी पर कितने रास्ते रेलवे द्वारा खोले हुए हैं ? ऐसे रास्तों की संख्या जो रेलवे यार्डों से बाहर खुले हुए हैं. प्रत्येक रास्ते की दूरी सहित बतलाई जाय ।

उपमन्त्री पी. डब्लू. डी. (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (1) इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं हैं।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं हैं।

(4) यह रेल्वे विभाग से सम्बन्धित है।

(5) इस विभाग को ऐसी सूची कब भिजवाई गई है जानकारी नहीं हैं ।

(6) निर्णय की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(7) यह रेल्वे विभाग से सम्बन्धित है ।

(8) यह विभाग को जानकारी नहीं है।

(9) चूरू से बीलासर की दूरी 145 किलोमीटर है शेष जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : यह इतना गम्भीर मसला है । इसको यह विभाग इस तरह से लेता है ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिह :

उदयपुर पुलिस लाइन में देशी बन्दूकों की नीलामी

792. **श्री भैरोंसिह शेखावत** (किशन पोल, जयपुर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर पुलिस लाइन में जमा देशी बन्दूकों की सन् 1954 में नीलामी की गई थी? यदि हां, तो यह नीलामी किस दर से कितने रुपयों में किस के नाम पर हुई ?

(2) क्या यह सही है कि बिडर ने पूरा माल नहीं उठाया इस कारण 1958 में शेष माल की फिर नीलामी की गई? यदि हां, तो यह बोली किसके नाम पर किस दर से मन्जूर हुई?

(3) क्या यह सही है कि यही माल बिना नीलामी के श्री छगनलाल नागदा को सन् 66 में दिया गया ? यदि हां, तो क्यों, किसके द्वारा और किस मूल्य पर ?

उपमंत्री गृह (श्री खेतसिंह) (1) जी हां। उदयपुर पुलिस लाइन में जमा 260 देशी (पत्थर कला) बन्दूकें नवम्बर सन् 1955 में सेलटेक्स के अतिरिक्त रुपया 19 प्रति बन्दूक की दर से श्री छगनलाल नागदा निवासी उदयपुर के नाम पर नीलाम में छूट की गई थीं।

(2) जी हां। बिडर श्री छगनलाल द्वारा 65 बन्दूकों की रकम जमा कराने से उनको 65 बन्दूकें दे दी गईं। शेष 195 बन्दूकों की कीमत जमा नहीं कराने से उसे डिलीवरी नहीं दी गई और यह 195 बन्दूकें 19-5-58 को दुबारा नीलाम की गईं जिसकी आखरी बोली श्री फखरुद्दीन बोहरा, निवासी उदयपुर की प्रति बन्दूक रुपया 10 और 13 आने (अलावा सेल टैक्स) की थी लेकिन उसने चौथान की रकम जमा नहीं कराई। केवल रुपया 200) अरनेस्ट मनी जमा कराई थी जो डिलीवरी न लेने से जब्त कर दी गई।

(3) दिनांक 16-2-63 को कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें जिला मजिस्ट्रेट डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस व एस. पी उदयपुर उसके सदस्य थे। उसमें श्री छगनलाल व फखरुद्दीन के नाम से नीलामी की कार्यवाही कैंसिल कर दी गई। श्री छगनलाल ने उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत की जिस पर यह निर्णय लिया गया कि बन्दूकें जो अब तक नहीं बेची गई थीं वे श्री छगनलाल को इसकी बोली पर दे दी जावे।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि छगनलाल ने अर्नेस्ट मनी जमा कराई और फखरुद्दीन ने भी ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिह : 55 की नीलाम के अनुसार छगनलाल ने पूरा माल नहीं उठाया तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त क्यों नहीं की गई ?

श्री खेतसिंह : दूसरी बार कमेटी बैठी उसमें अर्नेस्ट मनी जब्त करली गई।

Page No.19

श्री भैरोंसिह : मैं 55 की बात कर रहा हूं। कमेटी बैठी 66 में। 11 वर्ष बाद कमेटी ने निर्णय लिया कि अर्नेस्ट मनी जब्त की जावे।

श्री खेतसिह : अर्नेस्ट मनी लौटाई नहीं गई थी।

श्री भैरोंसिह : मैं पूछना चाहता हूं कि जो रूल्स हैं जिनके अनुसार बिडर अगर अपना माल नहीं उठाता है या बैक आउट कर जाता है, बिड से तो अर्नेस्ट मनी फोरफिट कर ली जाती है। तो उस समय यह फोरफिट क्यों नहीं की गई ?

श्री खेतसिह : इसकी मैं सूचना अभी नहीं दे सकता। मेरे पास यह नहीं है। पर यह है कि उसकी अर्नेस्ट मनी जमा हुई थी।

श्री भैरोंसिह : 66 में दुबारा इस छगनलाल को बन्दूकें दिये जाने का निर्णय लिया गया तो उस समय मार्केट प्राईस क्या थी ?

श्री खेतसिह : प्राईस नहीं बतला सकते। यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह : अलग से नहीं, जिस कमेटी ने इस बोली वाले को देने का निर्णय लिया क्या मार्केट प्राइस को असेस कर के लिया था कि 55 में जो कीमतें थीं आज मार्केट में वे कीमतें घट गई हैं इस कारण इससे अधिक रुपया नहीं आ सकता और इस आधार पर निर्णय लिया गया था ?

श्री खेतसिंह : यह तो देख लिया था जब फखरूद्दीन की 10 रुपया 13 आने की ही बिड दी। इसलिये आप खुद ही सोच लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यह 58 की बात थी, आज 66 में ऑक्सन क्यों करवाया ?

श्री खेतसिंह : ऑक्सन से खास प्रयोजन हासिल नहीं होना था। 19) से ज्यादा गुंजाइश नहीं देखी और इसी पर राज सरकार ने तय किया।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये तो पूछा है कि राज सरकार ने या कमेटी ने 19) से ज्यादा इनकी कीमत नहीं आवेगी इस बात को असेस कर के और मार्केट प्राईस को भी जान कर निर्णय लिया है न ?

श्री खेतसिंह : यह निर्णय पर पहुंचे कि ज्यादा कीमतें देने वाला कोई नहीं है तभी 19 में दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि छगनलाल नागदा वाले को दी जावे इस प्रकार की रिकमण्डेशन कमेटी ने नहीं की थी। गवर्नमेन्ट को डाईरेक्ट एप्रोच किया था ?

श्री खेतसिंह : कमेटी ने तो कहा था अर्नेस्ट मनी जब्त की जावे इसके बाद राज सरकार ने सारे केस को देखा और निर्णय लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आर्म्स एक्ट के मातहत राज सरकार को इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि बिना कमेटी के वह वेपन्स डिस्पोज आफ कर सके।

Page No.20

श्री खेत सिंह : यह तो कानूनी प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आपको भी मालूम होना चाहिये। आप कह दीजिये कि हां या नहीं।

श्री खेतसिंह : राज सरकार को अधिकार है।

श्री भैरों सिंह : पर आर्म्स एक्ट में नहीं है। जितने भी वेपन्स डिस्पोज आफ करने हों कमेटी के मार्फत ही किये जा सकते हैं।

श्री खेतसिंह : ये तो राज सरकार को इनहेरेन्ट पावर हैं। अपील में तय कर सकती है।

श्री खेतसिंह : क्या यह सही है कि 55 का मसला है और आपको एप्लीकेशन दी गई 66 में और आपने उसको 15 दिन में डिस्पोज आफ कर दिया। इस बात की जांच क्यों नहीं की गई कि अपील करने का रिवीजन करने का अधिकार नहीं है। फिर किस प्रकार से उसको इन्टरटेन किया गया और किस प्रकार उसको वेपन दिये गये ?

श्री खेतसिंह : यह तो आपको ज्यादा जानकारी है। मेरे पास....

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री भैरोंसिंह : अगला प्रश्न नहीं साहब ! एक सामान्य काम है कि किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अपील करना चाहें तो कहीं न कहीं समय को अवधि निर्धारित होती है। यहां 56 का मामला है और 66 के अन्दर अपील की जाती है और गवर्नमेंट 'विद इन 8 डेज' उस एप्लीकेशन के ऊपर डिस्पोजल कर देती है। कमेटी की राय नहीं मानते हैं। आखिर मसला क्या है ? किस प्रकार से व्यक्ति को वेपन्स दिये गये कमेटी की राय के विरुद्ध और 10 साल बाद किस तरह से उसकी एप्लीकेशन एन्टरटेन की है।

(विराम)

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपको जानकारी नहीं है तो क्या आप मक्खियां मारते है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

गृहमन्त्री श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कमेटी का सवाल है आर्म्स एक्ट के तहत उसके आर्डर्स की अपील प्रोवाईडेड है। कमेटी इन्सटीट्यूटेड है और गवर्नमेन्ट को उसमें इनहेरेन्ट पावर्स हैं। कहीं इनजस्टिस मालूम पड़े तो ईन्टरफियर करके फैसला गवर्नमेंट कर सकती है। रहा सवाल लिमिटेशन का तो उसमें अपील के लिये लिमिट प्रेस्काइब्ड है जहां तक कमेटी के डिसीजन है उसके लिये कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मान भी लिया जाये कि लिमिटेशन है तो गवर्नमेंट को या अपीलेट आथोरिटी को राइट्स हैं कि अगर कोई रीजन्स गवर्नमेंट के सेटिसफेक्शन के लिये बताये कि जिससे लिमिटेशन के बाद एप्लीकेशन दी है तो उसकी लिमिट को वेव किया जा सकता है और लिमिटेशन के बाहर भी दरखास्त दी जा सकती है। इस मामले का सन 65 में फैसला किया गया तो उन सब मामलों पर गौर किया

गया था। लिमिटेशन के ऊपर भी गौर किया गया था, डिलीवरी नहीं ली उसके कारणों पर भी गौर किया गया था, उसके पास लाइसेन्स नहीं था उसके ऊपर भी गौर किया गया था और तमाम मसलों पर गौर करके सन् 65 की मार्च में डिसीजन लिया गया था और जिस कीमत पर नीलाम की गई है उसी कीमत पर इसको दे दिया था।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने आर्डर्स इश्यू किये उस समय मार्केट प्राईस काफी सूट-अप हो गई थी और यह सब माल बम्बई में बिका और 136 रुपये में एक एक बन्दूक बेची गई।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि दुबारा नीलाम की गई तो 19 के बजाय 10 रुपये आये।

श्री भैरोंसिंह : यह मसला 56 का है और 65 में डिसीजन हुआ। माननीय मन्त्री महोदय 65 और 56 में कोई अन्तर मानकर नहीं चल रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन दो व्यक्तियों के बिड्स आपने सेंक्शन किये हैं वह दोनों आर्म्स एक्ट के अन्दर लाईसेन्स होल्डर्स थे ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। वैसे लाइसेन्स होल्डर्स तो थे ही।

श्री भैरोंसिंह : दोनों थे ?

श्री खेतसिंह : छगनलाल तो था लेकिन फकरूद्दीन का पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों थे क्या ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया है कि छगनलाल लाइसेन्स होल्डर था........

श्री भैरोंसिंह : जिस समय पहली बिडको स्वीकार किया गया उस समय छगनलाल लाइसेन्स होल्डर नहीं था?

श्री खेतसिंह : उस समय नहीं था लेकिन बाद में हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जो व्यक्ति लाइसेन्स होल्डर नहीं था और जिसके नाम पर बिड सेंक्शन किया गया उसी को रिन्यूअल करके क्या सरकार ने आर्म्स एक्ट की अवहेलना नहीं की है ?

श्री खेतसिंह : अवहेलना का प्रश्न कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मदनसिंह दाता : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आर्म्स एक्ट के तहत की बात है यह कोई मूंगफली का तेल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह : देने वाले और लेने वाले दोनों दोषी हैं आर्म्स एक्ट के तहत !

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री सूवालाल।

इस पर सुझाव दे दिये गये हैं और जो तथ्य हैं वह सदन के सामने आ गये।

श्री मदनसिंह : लेने वाले और ये 6-6 महीने की जेल में जायें....

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री सूवा-लाल.

ग्राम पंचायत बिचून द्वारा चारागाह भूमि में चराई की वसूली

793. **श्री सूवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत बिचून, पंचायत समिति दूदू में चारागाह भूमि में भेड़ बकरी की चराई के पैसे वसूल किये जाते है ?

(2) अगर हां, तो कितना पैसा सन् 60 से 66 तक वसूल किया गया ?

(3) क्या यह पैसा जो लिया गया है वह राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत लिया गया है ?

(4) अगर नहीं, तो क्या जो इस तरह पैसा लिया गया है वह लौटाया जायेगा और क्या भविष्य में नहीं लिया जावेगा ?

(5) क्या सरपंच के विरुद्ध इस तरह किये गये अनियमित कार्य के लिए कार्यवाही की जावेगी ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री हीरा-लाल देवपुरा) : (1) कदीमी चारागाह भूमि में कोई चराई नहीं ली जाती अल बत्ता सन् 60-61 में जो पहाड़ की जमीन खास तौर से पंचायत को दी गई उसमें चराई वसूल की जाती है ।

(2) 11234) 51 पैसे ।

(3) पंचायत क्षेत्र के बाहर की भेड़ बकरियों की चराई का शुल्क 25 पैसे प्रति जानवर से अधिक लेना नियम के विरुद्ध है । अन्यथा जो शुल्क लिया गया है वह नियमा-नुसार है ।

(4) व (5) इस सम्बन्ध में जांच के लिये जिला विकास अधिकारी को लिखा गया है जांच के परिणाम पर गौर करने के बाद ही भविष्य में वसूली नहीं करने और वसूल किया हुआ पैसा लौटाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री सूवालाल चौधरी : पंचायत ने जो प्रस्ताव पास किया है वह सरकार के नियम या विकास विभाग के नियमों के अन्तर्गत किया है या पंचायत ने अपनी मर्जी से किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नियमों के अन्तर्गत किया है । मैंने यह निवेदन किया कि रेट जो बाहर से आने वाली भेड़ बकरी के लिये अधिक लगा दी वह 25 पैसे से अधिक नहीं लगाई जा सकती थी मैंने उसके लिए कहा कि वह नियम के विपरीत है ।

श्री सूवालाल चौधरी : क्या पंचायत क्षेत्र में रहने वाली भेड़ बकरी से लिये गये चराई के पैसे वापिस दिलायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत क्षेत्र में रहने वाली भेड़, बकरियों से कोई नियम से अधिक पैसा नहीं लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री सूवालाल चौधरी : एक मिनिट, क्या चारागाह भूमि से भेड़ और बकरी से ही चराई वसूल करने का कानूनी अधिकार है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां, कानूनी अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 794 श्री विजय सिंह रावत

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह (मकराना) : प्रश्न संख्या 794

श्री उपाध्यक्ष : नो आपको परमिशन दी है क्या ?

श्री विजयसिंह : वह कोई पावर आफ अटर्नी थोड़े ही देते हैं परमीशन देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं

श्री रामकिशन प्रश्न संख्या 795

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी :

मेड़िकल कालेजों में लेक्चरारों की नियुक्तियां

796. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान मेडीकल कालेज सर्विस में लेक्चरारों की नियुक्ति (क्लिनिकल) किस विधि से होती है ?

(2) क्या यह सत्य है कि ये नियुक्तियां सेन्ट्रल सलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होती हैं ?

(3) इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य होते हैं ? क्या कोई विशेषज्ञ भी होता है ?

(4) क्या कोई नियुक्ति इस कमेटी के नाम पर एक्सपर्ट की राय के विरूद्ध या वगैर कमेटी की सिफारिश या जानकारी के होती है ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा विभाग (श्रीमती सुमित्रा देवी) : (1) राजस्थान मेडिकल कालेजों की क्लिनिकल शाखा में लेक्चरारों की पहले अस्थायी नियुक्ति केन्द्रीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिये या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो की जाती है। इस प्रकार की अस्थायी नियुक्तियां राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर, द्वारा निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखकर की जाती हैं। बाद में स्थायी नियुक्ति राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर ही करती है। राजस्थान मेडिकल सर्विस (कोलेजियेट ब्रांच) रूल्स के अन्तर्गत क्लिनिकल शाखा में लेक्चरारों की शत प्रतिशत नियुक्तियां सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के पश्चात् उनकी सिफारिश के आधार पर ही की जाती है।

(2) जी हां केवल अस्थाई नियुक्तियां ही सेन्ट्रल सलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर प्रारम्भ में की जाती है।

(राज्य मन्त्री चिकित्सा विभाग)

(3) इस कमेटी के सदस्य राजस्थान के समस्त मेडिकल कालेजों के प्राधानाचार्य अतिरिक्त प्राधानाचार्य, एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सचिव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग इस कमेटी के चेयरमैन हैं। प्रधानाचार्य में से यदि कोई चाहें तो किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ को बुला लेते हैं।

(4) सामान्यता नहीं। लेकिन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय चयन समिति की बैठक वर्ष में एक दो बार ही होती है। यदि लेक्चरार के किसी रिक्त पद पर नियुक्ति करना केन्द्रीय चयन समिति की बैठक से पूर्व अध्यापन के हित में आवश्यक समझा जावे तो ऐसे रिक्त पद पर योग्यता, वरिष्ठता, एवं अनुभव के आधार पर अस्थाई नियुक्ति सरकार द्वारा उस समय तक के लिए कर दी जाती है जब तक कि केन्द्रीय चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध हों।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि केन्द्रीय चयन समिति और डिपार्टमेंटल सलेक्शन कमेटी एक ही है? दूसरे क्या जोधपुर में आर्थोपेडिक लेक्चरारों की नियुक्ति की इसकी वगैर राय लिये की तो क्यों? और अगर स्थाई रूप में वह कर दी गई तो क्या कमेटी की राय ली गई?

श्रीमती सुमित्रा देवी : सलेक्शन कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी अलग अलग हैं। जहां तक जोधपुर में किसी नियुक्ति का प्रश्न है यदि माननीय सदस्य नाम बतायें तो मैं बता सकूंगी कि इस प्रकार की नियुक्ति हुई है या नहीं? बिना नाम के मेरे लिये बताना मुश्किल है।

श्री ओमदत्त भाटी : डाक्टर सिन्हा बनारस के हैं उनकी आर्थोपेडिक में नियुक्ति की जब कि जोधपुर में ट्यूटर भी हैं और दूसरे एम. एस. भी हैं?

श्रीमती सुमित्रा देवी : मेरी समझ में डाक्टर सिन्हा की नियुक्ति विना चयन कमेटी के नहीं की है।

श्री ओमदत्त भाटी : मेरे विचार से तो आप गलत हैं। वहां पर नियुक्ति की गई है और वे बनारस के रहने वाले हैं। 15-20 दिन तक प्रिन्सीपल ने एपाइन्टमेंट नहीं दिया पर वह काम कर रहे थे। दो महीनों का मैं नहीं कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा देवी : मेरी समझ से तो जानकारी आपकी ही गलत है। इस डिपार्टमेन्ट में तो बिना चयन समिति के जिनका एपाइन्टमेंट गवर्नमेन्ट ने किया है एक ही डाक्टर हैं जो कि एफ. आर. सी. हैं और इसलिये एपाइन्टमेंट हुआ था। आप सिन्हा के सम्बन्ध में कहते हैं तो निश्चित तौर से जानकारी करवाली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 797 श्रीमती शिवकुमारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरी सिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आथोरिटी दे गई हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : श्रीमती कब से हो गये हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं तो श्रीमती नहीं श्रीमान् हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वे जवानी कह गई थीं। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्राथोरिटी नहीं है। अगला प्रश्न। अगर समय बच जायगा तो ले लिया जायगा।

प्रश्न संख्या 798

श्री पृथ्वीसिंह :

(अनुपस्थित,कृपया आगे देखिये)

श्री शीशराम !

बीकानेर जिले में चोरी के मामले

799. **श्री शीशराम** (सादुलपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों के दौरान बीकानेर जिले के नोखा मण्डी, बैरासर, लून करणसर व देशनोक एवं उदासर कस्बों में चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामलों में से किसी भी चोरी के मामले को अभी पुलिस बरामद नहीं कर सकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामलों में माल बरामद न होने से स्थानीय जनता में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती जा रही है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि उपरोक्त चोरियों का माल बरामद हो सके तथा आयन्दा इस तरह की वारदातें न हो सकें ?

उपमन्त्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) गत दो वर्षों में थाना नोखामण्डी में 6, कस्बा नोखा में 3, बैरासर में 1, लूनकरण सर में 2, देशनोक में 4, व उदासर में 4, इस प्रकार कुल 20 केसेज दर्ज हुए।

(2) जी नहीं। उन गांवों में जो चोरियों के मुकद्दमें दर्ज हुए हैं उनमें से 5 मामलों में सम्पत्ति बरामद की जा चुकी है बाकी के लिये प्रयास जारी है।

(3) जी नहीं। पुलिस द्वारा माल बरामदगी व मुलजिमान को पकड़ने के लिये पूरे प्रयास किये जाते हैं। अतः असुरक्षा की भावना फैलने का प्रश्न नहीं उठता। पेंडिंग केसेज में तत्परता से कार्यवाही कराने हेतु डी. आई. जी. पी., बीकानेर रेंज को लिखा गया है।

श्री शीशराम : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लूनकरणसर में जो चोरी हुई थी वह पुलिस में 10 हजार की लिखी गई है जब कि चोरी 50 हजार की हुई थी ?

श्री खेतसिंह : लूनकरणसर में जो चोरी हुई थी वह 10 हजार की नहीं लिखी गई। वह 30 हजार और कुछ की लिखी गई है।

श्री शीशराम : 32 हजार की लिखी है।

श्री खेतसिंह : 30,530 रुपये की लिखी है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या यह सही है कि पुलिस ने यह निश्चय कर लिया है कि कितनी ही चोरियों हों, कितनी ही डकैतियां हों चोरों और डकैतों को गिरफ्तार न करें और माल भी बरामद नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह सही नहीं है तथ्यों से मालूम पड़ता है।

श्री खेतसिंह : पुलिस प्रयास करती है उसके बावजूद न मिले तो अलग बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह बात बिल्कुल सही है कि माल बरामद नहीं होता है।

श्री हंसराज आर्य : चोरियां बरामद हो रही हैं तो कितना माल इनमें बरामद हुआ है और कहां पर बरामद हुआ हैं?

श्री खेतसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि कुल राजस्थान के आंकड़ों को देखें तो राजस्थान में बरामदगी करीब 60 परसेन्ट है, और इस केस में जैसा कि मैंने निवेदन किया हैं कि देशनोक के टेम्पल में जो चोरी हुई हैं उसमें 5462 रुपये का माल बरामद होगया है। बाकी माल को बरामद करने की कोशिश की जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जहां पर माल बरामद हो जाता है तो जिस व्यक्ति के यहां चोरी होती है उसको वह माल नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री खेतसिंह : यह अदालत का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता !

श्री शीशराम : ऊदासर में 62 में जो माल गया है उसके बारे में पुलिस क्या कर रही है?

श्री खेतसिंह : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अफसोस की बात है कि वहां पर माल बरामद नहीं हुआ है। डी. आई. जी. पुलिस को यह लिख दिया गया है कि महरबानी करके किसी अच्छे आफिसर को लगा कर तफतीश करें ताकि चोरों को पकड़ सकें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या यह सत्य है कि देशनोक के माताजी के मन्दिर में जो एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी तो वह चोरी कितने की हुई और इसमें क्या पुलिस का हाथ है?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने पूछा कि क्या पुलिस का हाथ है यह अलग प्रश्न है?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वह एक धार्मिक मन्दिर है। वहां पर जनता में

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

अफवाह है कि चोरी कराने में पुलिस का हाथ है।

श्री खेतसिंह : वहां पर 14,665 रुपये की कुल चोरी हुई थी। उसमें से 5613 रुपये का माल बरामद हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता यह पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस का हाथ है ?

श्री खेतसिंह : पुलिस का हाथ होने का सवाल ही क्या है। पुलिस ने बरामद किया था माल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जितनी भी राजस्थान में चोरियां होती हैं उनमें पुलिस का हाथ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 800

श्री हीरालाल खर्रा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(विराम)

प्रश्न संख्या 801

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(विराम)

प्रश्न संख्या 802

श्री जयनारायण सालोदिया

(विराम)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 803

श्री प्रेमसिंह सिंघवी :

(विराम)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण चौधरी

ग्राम श्यामपुरा में कुआं निर्माण के लिए दी गई धनराशि

804 **श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)**: क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरपंच, ग्राम पंचायत दिलोई को पंचायत समिति अलसीसर (झुन्झुनूं) से ग्राम श्यामपुरा (दिलोई) के सार्वजनिक नल कूप निर्माण हेतु 3000 रु. की धनराशि दी गई थी ? यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायत ने उक्त धनराशि कूप-निर्माण में खर्च कर दी है ?

(2) यह कुआं ग्राम श्यामपुरा में किस स्थान पर बनाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कुआं एक व्यक्ति विशेष के घर की बाहर दीवारी के भीतर बनाया गया है तथा जब यह कुआं बनाया जा रहा था उस समय इसकी शिकायत भी पेश की गइ थी?

(4) क्या यह भी सही है कि शिकायत प्राप्त होने पर एक दफा इस कुए की द्वितीय किश्त रोक दी गई थी, परन्तु बाद में बिना

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसी जांच एवं निर्णय के उक्त किश्त का भुगतान कर दिया गया?

(5) क्या यह सही है कि कुए के लिए स्वीकृत रकम के भुगतान की शिकायतें राज्य सरकार को समय समय पर की गई थी परन्तु अधिकारियों ने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की ?

(6) क्या इस कुए के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में कोई निर्णय लिया गया था? क्या कुए की रकम का भुगतान करने से पहले अनुमानित व्यय के आंकड़े तकनीकी अधिकारी से बनावा लिए गये थे ?

(7) क्या पंचायत समिति के दूसरे अधिकारियों ने भी कुए के निर्माण को समय समय पर देखा है ? यदि नहीं, तो आगे की किश्त की रकम किन आधारों पर भुगतान की गई थी ? इसके भुगतान की किस अधिकारी की जिम्मेदारी है ?

उपमंत्री पंचायत (श्री शिवचरणसिंह): (1) जी हां, रकम खर्च कर दी गई है।

(2) कुआ श्री रामबक्ष की जमीन पर बनाया गया है।

(3) जी हां।

(4) किश्त की भुगतान पंचायत समिति की समाज सेवा स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार किया गया था।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। तकनीकी अधिकारी से व्यय के अनुमान बनवाये गये।

(7) जी हां। किश्त का भुगतान स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

रतनपुरा के निवासी द्वारा जंगलात की भूमि पर अवैध कब्जा।

805. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री ओंकार लाल आदि निवासी रतनपुरा नायब तहसील बकानी, जिला झालावाड़ ने फारेस्ट की भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बोदी ?

(2) क्या यह सही है कि दीगर ग्रामवासियों की शिकायत होने पर भी फोरेस्ट विभाग द्वारा इसको नहीं रोका गया ? और न ही कोई कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस जमीन के बाबत राजस्व विभाग (क) के अधिकारी द्वारा तार जिला फारेस्ट अधिकारी, झालावाड़ को 18-7-67 को दिया गया कि उक्त आसामियों को जमीन हांकने से नहीं रोका जावे ?

(4) क्या यह सही है कि बिना एलॉटमेंट कमेटी व बिना भूमि राजस्व में

Page No.29

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

क्या ये यह जमीन दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध वन विभाग से है इसलिए वन मंत्रीजी अपने अगले टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

प्रश्न संख्या 806

श्री रतनलाल रौत

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुडी

नर्स प्रशिक्षण केन्द्र नागौर का भवन

807. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर सरकारी अस्पताल के साथ नर्स प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास की जो इमारत बनाई जा रही है उस पर क्या व्यय होगा व किस मद से होगा ?

(2) यह राशि किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई थी एवं अब तक यह राशि किस विभाग के पास जमा थी ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) (1) लगभग 1 लाख बीस हजार रुपया व्यय होने का अनुमान है। व्यय भारत सरकार के बजट हैड 30-बी, पब्लिक हैल्थ बी-२, ग्रान्ट्स फार पब्लिक हैल्थ परपजेज, बी-2 (13) फैमिलि प्लानिंग डिमाण्ड नं० 49 (1965-66) के अन्तर्गत होगा।

(2) यह राशि सन् 1965-66 में स्वीकृत हुई थी। इसमें से रु०40,000 पी० डबलू० डी० रु० 20,000 रैडक्रास सोसाइटी और शेष भारत सरकार के पास जमा है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि लीडर आफ दी हाउस की सीट पर से राज्य मंत्री जवाब दें। मैं समझता हूं कि यह अनुचित बात है। आप अपने स्थान पर खड़ी होकर जवाब दें।

एक माननीय सदस्य : महिला हैं। इसलिए उनको अधिकार है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने निवेदन किया था उसका ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री विजयसिंह रावत।

स्थगित प्रश्न

(29-1-68)

कृषि योग्य भूमि तथा उससे आय

163. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है ?

(श्री विजयसिंह रावत)

(2) यह राज्य की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है ?

(3) कुल काश्त योग्य भूमि में से कितनी भूमि में काश्त होती है ?

(4) काश्त योग्य भूमि में से कितनी भूमि में सिंचाई होती है ?

(5) सन् 1957 में काश्त योग्य भूमि कितनी थी ?

(6) 1957 में भू-राजस्व की कुल कितनी आय सरकार को हुई थी और आज कितनी है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) राज्य में कृषि योग्य भूमि 6 करोड़ 8 लाख एकड़ है।

(2) यह राज्य की कुल भूमि का 74 प्रतिशत है।

(3) कुल काश्त योग्य भूमि में से 3 करोड़ 49 लाख एकड़ भूमि में सन् 1965 66 में काश्त हुई थी।

श्री विजयसिंह : सुनाई नहीं दिया।

श्री गंगाराम चौधरी : (3) कुल काश्त योग्य भूमि में से 3 करोड़ 49 लाख एकड़ भूमि में सन् 1965-66 में काश्त हुई थी।

(4) सन् 1965-66 में आंकड़ों के अनुसार कुल काश्त योग्य भूमि में से 43 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई थी।

(5) सन् 1957 में अनुमानतः 6 करोड़ 27 लाख एकड़ भूमि काश्त योग्य थी।

(6) सन् 1957 में भू-राजस्व से सरकार को कुल 5 89,86, 258 रुपये की आय हुई थी। सन् 1967 में भू-राजस्व की जमा का भी 8,18,70,382 रुपये हैं जिसमें से दिनांक 31-8-67 तक 5,61, 85, 370 रुपये की वसूली हुई है।

श्री विजयसिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष, इसकी सूची अगर मिल जाती तो मैं पूरक प्रश्न पूछ सकता था। आंकड़े मुझे याद नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष : आंकड़े माननीय मन्त्री महोदय ने बतला दिये और मन्त्री महोदय अगर जबानी कहदें तो यह आवश्यक नहीं होता है कि सूची दी जाय।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि 57 के अन्दर....

एक माननीय सदस्य : कामन्स में भी दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : कामन्स में भी यही परम्परा है। (हंसी)

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि सन् 57 में जो कृषि योग्य भूमि थी राजस्थान में इस अनुपात में सन् 66 के अन्दर उतनी उन्नति नहीं की है जितना कि राजस्थान सरकार को करना चाहिए था ?

(12 मध्यान्ह)

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सन 1957 से जो

Page No.31

(श्री गंगाराम चौधरी)

आंकड़े थे वे इस वक्त सारे जिले से प्राप्त किये आंकड़ों के अनुसार मैंने निवेदन किया था। कृषि योग्य भूमि 6 करोड़ 27 लाख एकड़ थी लेकिन उसके बाद अलग अलग जिलों में ज्यों ज्यों बदम्दोबस्त हुए और कुछ कृषि योग्य भूमि का कन्वरसन हुआ फोरेस्ट में उसके आधार पर सारे आंकड़े कम्पाइल किये उसके आधार पर 6 करोड़ 19 लाख एकड़ भूमि है। प्रगति न होने का सवाल नहीं है। आंकड़ों के आधार पर मैंने निवेदन किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न यह है कि कुल कितनी काबिल काश्त भूमि थी और कितनी होनी चाहिये थी जो अब तक नहीं हो पाई ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है कि जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है। मैंने निवेदन किया था कि सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 34 परसेन्ट हुई है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने कहा वह तो मैंने सुन लिया। सवाल यह है कि काबिल काश्त भूमि कितनी थी और नं. 2 पूछा था कि यह राज्य की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका जो कल्टीवेबल लैंड है उसकी कितनी परसेन्ट भूमि में काश्त हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 74 परसेन्ट भूमि में काश्त हो चुकी है। पहले से अब 14 परसेन्ट की वृद्धि हुई है।

श्री दिग्विजय सिंह : काबिल काश्त कितनी है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : 74 परसेन्ट।

श्री भगवानदास शास्त्री : इस भूमि में से योग्य भूमिहीन व्यक्तियों को न देकर कितने राजनैतिक नेताओं को दी गई है, कांग्रेस के नेताओं को कितनी दी गई है और किनको दी गई है उनके नाम तो बताये जायें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप भी दर्ख्वास्त दे दें।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 164

(29-1-68)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती शिवकुमारी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(30-1-68)

बीकानेर जिले की गोचर भूमि

199. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा, सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में कितने हैक्टर जमीन गोचर भूमि में है ? अलग अलग तहसील व ग्रामवाईज बतलाई जावे।

(2) जिला बीकानेर की किन किन तहसीलों के किन किन ग्रामों की गोचर भूमि पर नाजायज काश्त की जा रही है ? खुलासा विवरण मय रकबा व काश्तकारों के नाम बतलाने की कृपा करें।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(3) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या तहसील नोखा, जिला बीकानेर के ग्रामों की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे करके पक्के मकान व कच्चे मकान भी बना लिए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार उस गोचर भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित क्यों नहीं करती तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

(5) क्या यह सत्य है कि तहसील नोखा, जिला बीकानेर में मोहनपुरा व जोरावरपुरा दो बास कृषि भूमि पर बसे हुए हैं। अगर हां, तो कितने सालों से तथा दोनों बासों में कुल कितने परिवारों के पक्के मकान व कच्चे मकान बसावटी है ?

(6) क्या राज्य सरकार मोहनपुरा व जोरावरपुरा दोनों बासों के खसरा कृषि भूमि बसावटी जमीन को आबादी भूमि में कनवर्ट कर रही है ? अगर हां, तो कब तक पूर्ण कार्यवाही हो जावेगी ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी : (1) बीकानेर जिले में निम्नांकित रकबा गोचर भूमि में है :-

नाम तहसील	**रकबा**
1. बीकानेर	11953 बीघा
2. लूणकरणसर	15741 बीघा

श्री दौलतराम सारण : यह हैक्टर में है या बीघों में ?

श्री गंगाराम चौधरी : हैक्टर में भी है बता दूं।

1.	बीकानेर	5706 हैक्टर
2.	लूणकरणसर	7869 ,,
3.	नोखा	3524 ,,
4	कोलायत	11028 ,,

तहसील लुणकरणसर की सूची बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी। शेष सभी तहसीलों की ग्रामवाइज सूचियां संलग्न हैं।

(2) बीकानेर जिले की केवल तहसील नोखा में काश्तकारों ने सं० 2014 से 24 बीघा गोचर भूमि पर नाजायज काश्त की है, जिसकी सूची (ख) संलग्न है।

(3) तहसील नोखा द्वारा चारागाह की भूमि पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(4) बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम थावरिया की गोचर भूमि में चार पक्के मकान बने हैं जिनमें से एक स्कूल भवन है तथा ग्राम सावासर की गोचर भूमि में एक कच्चा मकान बनाया गया है। इन भूमियों को आबादी भूमि में परिवर्तन करने हेतु सम्बन्धित पंचायतों की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(5) बीकानेर जिले की तहसील नोखा में जोरावरपुरा व मोहनपुरा दो बास कृषि भूमि पर बसे हुए है। इस भूमि पर जागीर के समय से ही लोग बसने शुरू हो गये थे इन

(श्री गंगाराम चौधरी)

दोनों बासों में लगभग 800-900 परिवारों के मकान बने हुए हैं।

(6) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण: यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह राज्य सरकार में करीब 6 महीनों से विचाराधीन है उससे पहले जिलाधीश बीकानेर के पास विचाराधीन था।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि जोरावरपुरा और मोहनपुरा में में जिन लोगों के पक्के मकान बने हुए है उनमें से कई मकानों को तुड़वाने की कार्यवाही जिलाधीश, बीकानेर ने चलाई है। इन दोनों गोवों में लगभग 1200 पक्के मकान बने हुए है। उन लोगों को नोटिस देकर मकान तुड़वाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब तक भूमि को आबादी में परिवर्तित नहीं किया जाय तब तक नोटिस दिया जा सकता है लेकिन नोटिस देने के बाद मकानो को गिराने की कार्यवाही नही की जा रही है। राज्य सरकार निर्णय कर देगी कि वास्तव में इतने वर्षो से जिनके मकान हैं और वे वास्तव में काबिज है तो उनको रहने दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : जब गिराने या हटाने की राज्य सरकार की मंशा नहीं है तो नोटिस देने का क्या प्रयोजन है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नोटिस सेक्शन 91 की तहत तहसीलदार दे सकता है। नोटिस देने से मालूम हो जाता है कि किसका हक है, किसके मकान बने हुए है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि जिनके वहा पर पक्के मकान बने हुए हैं उनको भी तहसीलदार ने सेक्शन 91 में नोटिस दिये है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास सूचना नही है कि मकान तुड़वाये जा रहे है। यदि तुड़वाये जा रहे है तो रोकने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दौलतराम सारण : आपने गोचर भूमि की सूची दी है उसमें लिखा है गोचर: भूमि में ओरण, चरागाह सासण इनके आंकड़े आपने दिये हैं। आप किस भूमि को गोचर मानते हैं ? गोचर भूमि और ओरण एक ही मानते हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : ओरण को गोचर भूमि में माना जाता है।

श्री दौलतराम सारण : उस दिन दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि गैर मनकूला है। उसको चारागाह नही माना जाता हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : गैर मनकूला दूसरे भी होते।

Page No.34

श्री दौलतराम चौधरी : गोचर, बीड़ ग्रोरण, सासण के बारे में मैंने कहा था कि यह गोचर नहीं हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : बीड़ को गोचर में सम्मिलित किया है लेकिन सासण को नहीं किया। ग्रोरण शामिल हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि बीकानेर तहसील में 6 गांवों में ही गोचर भूमि है बाकी में नहीं है?

श्री गंगाराम चौधरी : बीकानेर तहसील में रेकार्ड में जो गोचर भूमि के नाम से दर्ज है ग्रोर जो डिक्लेयर्ड है उसकी सूची दे दी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री डूगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 802 ले लिया जाय यह ग्रनुसूचित जाति के छात्रों से सम्बंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 802.

मेडिकल कालेजों में ग्रनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जन जाति के छात्र

802. **श्री जयनारायण खालोदिया** (निर्दलीय) (श्री डूगाराम राजोरिया (दौसा) द्वारा पूछा गया) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विभिन्न मेडीकल कालेजों में इस समय कितने छात्र ग्रनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जन जाति के हैं?

(2) क्या यह भी सच है कि ग्रनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जन जाति के छात्रों से ग्रन्य फीस के ग्रलावा ट्यूशन फीस के 40) रुपये माहवार लिये जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस फीस को माफ करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री चिकित्सा विभाग (श्रीमति सुमित्रा देवी) : (1) राज्य के पांच मेडिकल कालजों में इस समय ग्रनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जन जाति के छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

कालेज	ग्रनुसूचित जाति छात्र संख्या	ग्रनुसूचित जन जाति छात्र सं०
1. एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर	15	1
2. एस. पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर	30	0
3. ग्रार. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर	13	3
4. मेडिकल कालेज, ग्रजमेर	3	0
5. मेडिकल कालेज, जोधपुर	4	1
योग	65	5
कुल योग	70	

(2) जी नहीं। ग्रनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जन जन जाति के छात्र ट्यूशन फीस से बिल्कुल मुक्त हैं।

श्री डूगांराम राजोरिया : कालेज में कितनी प्रतिशत सीटें रिजर्व है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : प्रतिशत तो नहीं बता सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्रीमती सुमित्रा : एडमीशन होता है उसमें कुल 75 छात्र लिये जाते हैं सारे कालेजों में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री मदनसिंह दांता : 797 का उत्तर दिलवा दीजिये ।

कोटा व झालावाड़ जिलों में सैनिकों द्वारा कृषि व मकान के लिए दरख्वास्त

797. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) मदनसिंह दांता द्वारा पूछा गया क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में फौजी सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को किन किन किन प्रकार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है ?

(2) सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के स्वरूप कोटा व झालावाड़ जिलों में किन किन गांवों में कितने सैनिकों को कृषि या मकान हेतु भूमि उपलब्ध करवाई गई है । कृपया यह भी बतावें कि सरकार को इन जिलों में कुल कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई और अभी कितनी फैसल की जा चुकी हैं ।

(3) ग्राम खेरखेड़ा, तहसील पाटन व पीपलदा, तहसील रामगंज मण्डी में कितने सैनिक व भूतपूर्व सैनिकों ने जमीन की दरख्वास्तें दी हैं और उन्हें जमीन एलाट नहीं किये जाने की क्या वजह है ?

उपमन्त्री, भू-सैनिक (श्री खेतसिंह):

1. कृषि भूमि आवंटन ।

2. रहवास हेतु नगरों में भू खंडों का आरक्षण एवं आवंटन ।

3. भवन निर्माण हेतु कर्ज पर दी जाने वाली उपलब्ध धनराशि का 10 प्रतिशत आरक्षण ।

4. 100 रु० से कम पेंशन का राज्य के खर्चे पर मनी आर्डर से भुगतान ।

5. मृतक एवं सर्वदा के लिये विकलांग सैनिकों को नकद सहायता एवं भू आवंटन ।

6. शौर्य पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं भूमि आवंटन ।

7. मृत एवं विकलांग सैनिकों के बच्चों को प्रथम से 11 वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति ।

8. भूतपूर्व सैनिकों के लिये जन सेवाओं में साढे बाहर प्रतिशत स्थानों का आरक्षण ।

9. आपातकालीन स्थिति में मोर्चे पर लगे सैनिकों के अदालती मामलों में सहायता ।

(उपमन्त्री भू-सैनिक)

10. तकनीकी शिक्षा संस्थानो में सैनिकों के बच्चों के लिये स्थानों का आरक्षण

11. सैनिक सहकारी समितियों को प्राथमिकता पर सहायता एवं ऋण ।

12. गृह उद्योगों के लिये ऋण एवं सहायता में प्राथमिकता ।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई हैं ।

(3) ग्राम खेरखेड़ा तहसील पाटन के लिये किसी भी सैनिक व भूतपूर्व सैनिक द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया । ग्राम पीपलदा तहसील रामगंज मंडी नहर परियोजना क्षेत्र का कमाण्डेड क्षेत्र है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री जुझार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उपमन्त्री महोदय ने जवाब बिल्कुल झूठा दिया है। रामगंज मन्डी मेरा क्षेत्र है और वहां एक भी गांव कमाण्डेड एरिया में नहीं है आप कह रहे हैं कि पीपलदा गांव कमाण्डेड एरिया होने की वजह से वहां आवटन नहीं हुआ । यह बिल्कुल गलत है ।

राजस्व मन्त्री (श्रीबृजसुन्दर शर्मा)**:** मै भी यह सोचता था । मै समझता हूं कि यह पीपलदा नही है, तहसील पीपलदा को पीपलदा लिख दिया है ।

श्री जुझार सिंह : पीपलदा रामगंज मन्डी में है । इसके लिए आपने कहा है कि ग्राम पीपलदा कमाण्डेड एरिया में होने की वजह से वहां आवंटन नहीं हुआ है । यह झूठा जवाब है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसको वेरीफाई करा लिया जायगा ।

श्री जुझार सिंह : मै वहां का रहने वाला हूं, वहां कोई बांध नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी जानकारी में रामगंज मण्डी में सिंचाई क्षेत्र नहीं है । शायद पीपलदा तहसील को पीपलदा लिख दिया हैं ।

श्री जुझार सिंह : यह बड़े अफसोस की बात हैं, इसमें रामगंज मन्डी लिखा हुआ हैं। इस तरह का झूठा जवाब असेम्बली में दे देते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जवाब आया, तब ही जो शंका माननीय सदस्य को उत्पन्न हुई वही मुझे भी उत्पन्न हुई । मै समझता हूं कि इसका प्रोपर जवाब अगले वक्त पर दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया । स्थगन प्रस्तावो पर व्यवस्था ।

श्री जुझारसिंह : एक और....

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया । अब काफी समय हो गया हैं ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगापुर-माड़ोली रोड पर पुलिया व काजवे का निर्माण

778. **श्री रिद्धिचन्द पालीवाल** (गंगापुर) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रिद्धीचन्द पालीवाल)

(1) गंगापुर से माड़ोंती रोड पर कितनी पुलिया व कितने काजवे का निर्माण हुआ है और ये कब आरम्भ हो कर कब पूरे हुए ?

(1) क्या यह सच है गंगापुर में उपरोक्त रोड पर सिर्फ एक पुलिया का ही निर्माण हुआ हैं ? यदि नही, तो और कितनी पुलिया बनी हैं व कहां कहां बनी हैं और उन पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया है?

(3) क्या इस सड़क पर डामर भी करने का इरादा है? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) दो पुलियों का निर्माण कराया गया है एक पुलिया 23-3-65 से आरम्भ होकर 22-5-65 को तथा दूसरी का कार्य 15-3-65 से आरम्भ होकर 14-6-66 को पूरा हुआ है।

(2) केवल एक पुलियां का निर्माण हुआ है जिस पर 12300) रुपये व्यय किया गया है।

(3) डामर कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति

780. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद पर किसको रखा गया है जबकि राज्य सरकार ने आर. ए. एस. अधिकारियों को इस पद से हटा दिया है?

(2) क्या यह सच है कि पंचायत इन्स्पेक्टर्स के पद की योग्यताएं एक्सटेन्स आफीसर से अधिक हैं ? यदि हां, तो फिर उनको इस पद पर क्यों नही लगाया गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि इन्सपैक्टर का अनुभव और योग्यता एक्सटेन्सन आफीसर से अधिक है ? यदि नहीं, तो कैसे ?

उत्तर

(1) विकास अधिकारी के पद पर पशुपालन तथा कृषि प्रसार अधिकारी व तहसीलदार एवं नोन केडर विकास अधिकारी रखे जा रहें हैं।

(2) पंचायत इन्स्पेक्टर का कोई पद ही नहीं है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी समितियों को गोदाम बनाने के लिए ऋण एवं अनुदान

788. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) क्या सहकारिता मन्त्री य बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों को गोदाम बनाने के लिए जो ऋण अनुदान दिया जाना है वह सहकारी संस्था द्वारा बन्धक-विलेख निष्पादित किये जाने के पश्चात ही ऋण व अनुदान की राशि का भुगतान किया जाता है ?

Page No.38

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ सहकारी समितियों को उनके द्वारा बन्धक विलेख निष्पादित किये बिना ही गोदाम बनाने के के लिए ऋण व अनुदान दे दिये हैं ? यदि हां तो अगस्त 66 तक कौन कौन सी सहकारी समितियो को कितना कितना ऋण व अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे ।

उत्तर

(1) ऋण का भुगतान बन्धक विलेख निष्पादित किये जाने पर दिया जाता है ।

(2) जी हां । अगस्त 1966 तक समितियों की संख्या 26 थी जिनकी सूची संलग्न हैं ।

(कृप्या परिशिष्ट 4 देखिये)

ग्राम पंचायत बामला के कोष का धन

789. **श्री देवीदत्त गाड़िया** - (बांरा) क्या पंचायत मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि बामला ग्राम पचायत के कोष में अमानत में खयानत चल रही है ? यदि हां, तो खयानत किसने की और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही चल रही है ?

(2) बामला ग्राम पंचायत कोष में कुल कितना रुपया है और किस स्थान पर जमा पड़ा हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दिनांक 11-7-67 को 9237) 77 पैसे थे, जिसका ब्योरा निम्न है : —

7027)50 पैसे राजस्थान बैंक बारां
द्वरा 50) पोस्ट आफिस बामला
115)80 पैसे पोस्ट आफिस बारां
1200) एन. एस. सी.
845)47 पैसे पंचायत के पास

9237)77 पैसे

मांगलियावास पुलिस स्टेशन पर पकड़ा गया शराब का ट्रक

794. **श्री विजयसिंह रावत**— (नसीराबाद) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है मांगलियावास पुलिस स्टेशन जिला अजमेर पर एक ट्रक शराब का गुजरात जाता हुआ पकड़ा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्रक में 4, 800 शराब की भरी बोतलें व अन्य अ. घ नशीली चीजें भरी थीं और क्या इस ट्रक को श्री महेन्द्र दीक्षित सब-इन्सपेक्टर ने पकड़ा था ?

(3) क्या यह सही है कि शराब के ट्रक को थानेदार ने 7 घण्टे तक मांगलियावास पुलिस स्टेशन पर हीं रोके रखा था ? और इसके बाद एस. पी के आदेश से गुजरात को रवाना कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके पीछे क्या राज़ था ?

(4) क्या यह सही है कि शराब ले जाने वाला राजस्थान का ही एक लाइसेन्स शुदा ठेकेदार था ? यदि हां, तो इस ठेकेदार को कितनी शराब एक साथ उठाने की इजाज़त गारन्टी नियमानुसार थी ?

(5) क्या ठेकेदार ने अपने बयान में लिखाया है कि ये शराब खाजपुरा, हटूंडी ले जा रहा हूं? यदि हां, तो ठेकेदार को किस क्षेत्र में शराब बेचने का अधिकार था? व अजमेर

(श्री विजयसिंह रावत)

से ट्रक भरकर मांगलियावास होता हुआ ब्यावर से गुजरात क्यों जा रहा था ?

(6) क्या पुलिस ने इसका चालान काटकर किसी अदालत को पेश किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1-जी नहीं। गुजरात जाते हुए कोई ट्रक नहीं पकड़ा गया था, ब्यावर जाते हुए ट्रक न. डी. एल. जी 8888 को थाना मांगलियावास (रेलवे फाटक नं. 5) पर पकड़ा था।

2-जी हां. कुल शराब की 4800 बोतलें ट्रक में थी, लेकिन अन्य कोई अवैध नशीली चीजें नहीं थी। श्री महेन्द्र दिक्षित, उप निरीक्षिक आरक्षी, अजमेर से सूचना मिलने पर ट्रक को रोका था।

3-उक्त ट्रक को 9-45 पी. एम. दिनांक 17-3-67 को रोक कर जप्त किया और शराब बिना परमिट ले जाने के कारण जुर्म नं0 8/67 दफा 54 16 राजस्थान एक्साईज एक्ट में दर्ज किया गया। शराब की जप्त शुदा कुल बोतलें केस के फैसले पर दिनांक 30-4-67 को वापस ठेकेदार को अदालत के हुक्म द्वारा सौंप दी गई। यह सही नहीं है कि अधीक्षक आरक्षी के आदेश से ट्रक गुजरात के लिये बाद में रवाना कर दिया गया था।

4-जी हां जो परमिट बाद में अनुसंधान के दौरान में एक्साइज विभाग से प्राप्त किया गया था उसके अनुसार ठेकेदार को 4800 शराब की बोतलें ग्राम खाजपुरा, (जिला अजमेर) में ले जाने की अनुमति दी गई थी।

5- जी हां, ठेकेदार को ग्राम खाजपुरा में शराब बेचने का अधिकार था। खाजपुरा जाने के दो रास्ते हैं। एक नसीराबाद रोड़ से माखुनपुरा होता हुआ और दूसरा रास्ता ब्यावर सड़क से हट्ंडी होता हुआ। ट्रक दूसरे रास्ते से खाजपुरा जा रहा था न कि गुजरात।

6-पुलिस तफतीश के दौरान में डिस्टीलरी अजमेर व जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से संबंधित कागजात व रिकार्ड की छानबीन करने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंची कि ठेकेदार व ड्राईवर के खिलाफ अभियोग साबित नही होता। मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट अदम वकुआ दिनांक 10-4-67 को दी गई जो कोर्ट द्वारा दिनांक 26-4-67 को मंजूर हुई। हुक्म मजिस्ट्रेट पर तारीख 26-4-67 को ट्रक, ट्रक मालिक को व 30-4-67 को शराब की बोतलें वापिस ठेकेदार को दे दी गई।

नायब तहसीलदार बीकानेर का फिक्सेशन

795. **श्री रामकिशन** (बैर) **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण सोलंखी, नायब तहसीलदार बीकानेर का फिक्सेशन अभी तक नहीं किया गया है ?

(श्री रामकिशन)

(2) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, राजस्व मण्डल तथा जिलाधीश बीकानेर, को कई बार स्मरण पत्र दिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण के राज्य सेवा से अवकाश ग्रहण करने में अब केवल साल डेढ़ साल बाकी रहा है ?

(4) श्री लक्ष्मीनारायण का फिक्सेशन नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(5) फिक्सेशन होने पर इनका कुल कितना एरियर बनता है ?

(6) अब सरकार कब तक सम्बन्धित अधिकारी का फिक्सेशन कर देगी ?

उत्तर

(1) श्री लक्ष्मीनारायण सोलंखी नायब-तहसीलदार का फिक्सेशन निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र सं0 26509 दिनांक 17-9-64 के द्वारा किया जा चुका है और जिलाधीश बीकानेर को भी इसकी सूचना भेज दी गई है।

(2) श्री लक्ष्मीनारायण के स्मरण पत्र आने पर निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ने जिलाधीश बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा। जिलाधीश, बीकानेर ने इस विषय में अन्य जिलाधीशों को जहां 2 श्री लक्ष्मीनारायण ने कार्य किया था उनके सैलेरी वाउचर नम्बर मांगे हैं ऐसे वाउचर नम्बर मिलते ही इनको भुगतान कर दिया जायगा।

(3) श्री लक्ष्मीनारायण 18-9-68 को रिटायर होंगे।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) एरियर का करीबन 1000) रुपया भुगतान करना बाकी है।

(6) श्री लक्ष्मीनारायण का फिक्सेशन केस तय हो चुका हैं, इनको केवल फिक्सेशन के एरियर देने हैं। इस विषय में निबन्धक, राजस्व मन्डल, अजमेर ने जिलाधीश, बीकानेर को लिख दिया है कि उसका भुगतान जल्दी से जल्दी कर दें।

राजकीय कृषि फार्म सुमेरपुर

798. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कृषि फार्म सुमेरपुर मौजा अणगोर की सीमा में स्थित है ?

(2) इस फार्म की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ?

(3) इस फार्म का कुल क्षेत्रफल कितने बीघा है ?

(4) इस फार्म की भूमि पर फार्म की स्थापना के पूर्व किन-किन काश्तकारों का कितनी भूमि पर कब्जा था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इन काश्तकारों की बेदखली मुआवजा देकर की गई है ? अगर मुआवजा

(श्री पृथ्वीसिंह)

दे दिया गया है तो किन किन को कितना कितना मुआवजा दिया गया है ? अगर मुआवजा नहीं दिया गया है तो क्यों ?

(6) उपरोक्त भूमि पर से हटाये गये कितने काश्तकार भूमिहीन हो गये हैं ?

(7) उक्त काश्तकार की पुन: स्थापना हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस फार्म की स्थापना संवत् 2020 में हुई थी।

(3) इस फार्म का क्षेत्रफल 461।)4 बीघा है।

(4) इस फार्म की स्थापना के पूर्व इस भूमि पर अतिक्रमणकारियों का अवैधानिक कब्जा था जिनके नामों की सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं। यह आराजी पड़त सरकार की थी और इस पर अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा था। अत: मुआवजा देकर बेदखली करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) इस भूमि पर कोई खातेदार काश्तकार नहीं था जिसे हटाया गया हैं।

(7) उक्त काश्तकारों को नियमानुसार भूमि आंवटित की जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर टैम्पू चलाने की स्वीकृति

800. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितनी कितनी दूरी तक व किस किस मार्ग पर टेम्पू चलने की स्वीकृति है ?

(2) राजस्थान के किस किस राष्ट्रीय मार्ग पर टेम्पू चलने की स्वीकृति नही है ?

उत्तर

(1) किसी मार्ग पर नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपर जिला परिषद् द्वारा ट्रेनिंग के लिए अध्यापकों का चयन

801. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) सवाई माधोपुर जिला परिषद द्वारा 1 अप्रेल सन 62 से 1 अप्रेल सन67 तक कितने प्रत्याशी अध्यापकों को ट्रेनिंग हेतु चुना गया ? सालवार संख्या बताने की कृपा करे?

(2) सन 62 से सन 67 तक की कालावधि में इन वर्षो में ट्रेनिंग में उत्तीर्ण छात्र प्रति वर्ष कितने अध्यापक पद पर नियुक्त हो पाये और अब कितनों की नियुक्ति होना शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में करौली एवं सवाई माधोपुर दोनों ट्रेनिंग स्कूलों के स्थान पूर्ति हेतु जिला

Page No.42

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

परिषद् को अपने जिले में उनकी नियुक्ति हेतु कोई रिक्त स्थान न होते हुए भी ट्रेनिंग के लिये प्रत्याशी चयन करने पड़ते हैं ?

(4) करोली एवं सवाई माधोपुर दोनों ट्रेनिंग स्कूलों में से प्रत्येक की कितने छात्रों को वार्षिक ट्रनिंग देने की क्षमता है ?

(5) अध्यपकों की नियुक्ति हेतु कोई रिक्त स्थान न होते हुए भी जिला परिषद द्वारा विद्यार्थियों का वार्षिक चयन क्यों किया जाता है ?

(6) यदि राज्य सरकार की राय में यह अनुचित है तो राज्य सरकार इस दोष को दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिला परिषद् द्वारा कोई चयन नहीं किया गया। सन63-64 तक चयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था सन 64-65 से राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग द्वारा चयन किया गया जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख किया हुवा है।

(3) करोली व सवाई माधोपुर दोनो प्रशिक्षणालायों में राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशियों के लिये सुरक्षित स्थान और योजना के अनुसार भावी आवश्यकता के अनुमान के आधार पर चयन किया जाता है।

(4) प्रत्येक शिक्षणालय में 120 छात्रों के प्रशिक्षण के लिए स्थान है।

(5) चयन राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग द्वारा भावी आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है।

(6) भविष्य में प्रशिक्षण के लिये चयन राजस्थान पंचायत समिति एव जिला परिषद सेवा चयन आयोग द्वारा नही किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

छीपा-मनोहरथाना वाया बन्जारी तक पक्की सड़क

803. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छीपा बड़ोद तहसील में स्टेट के समय में छीपा से बन्जारी होती हुई मनोहर थाना तक कच्ची सड़क थी ?

(2) क्या सरकार अब इस सड़क को पक्का बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यो ?

(3) क्या सरकार इस कच्ची सड़क की मेन्टीनेन्स करवाती है?

(4) क्या यह सही है कि ये सड़क खराब होकर कई जगह नालों की पुलियांये टूट गई है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार है ?

(सा. निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सड़क इस महकमे की मरम्मत लिस्ट पर नही है।

रतलाम–बांसवाड़ा और बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल्वे लाइन

806. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी सु.) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार रतलाम से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से डूंगरपुर तक रेलवे लाइन निकलवाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां।

स्थगित प्रश्न

(29-1-68)

कोटा झालावाड़ जिलों में पार्सस के विरुद्ध कार्यवाही

164. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा व झालावाड़ जिलों में सरकारी, पचायती व सार्वजनिक भूमि पर सन् 1961 से लेकर अब तक अतिक्रमण रोकने के क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किये गये हैं और उनके तहत हर साल कितनी कितनी जमीन से ट्रेसपासर्स को उनके नाजायज कब्जों से हटाया गया है या उन पर मुकदमें चलाये गये हैं? तहसीलवार लिस्ट सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1967 में झालावाड़ व कोटा जिलों में कुल कितने व्यक्तियों की फसलें जब्त की गई, चराई गई व जुर्माने की गई? यह भी बतावें कि यह कार्यवाही करीबन कितने प्रतिशत ट्रेसपासर्स के खिलाफ हुई है?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे स्थानों पर भी जिन पर ट्रेसपासर्स का कब्जा हो जाने से लोगो व मवेशियों के आने जाने में दिक्कत आने लगी है नई रियायत के तहत अलग नहीं किया गया है कृपया कोटड़ा घाटा खेरखेड़ा तहसील झालरापाटन व मियाड़ा बुखारी, सूमर, जरबा, तहसील खानपुर से प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

सरकारी पंचायती व सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को रोकने के लिये धारा 91 रा. लै. रे. एक्ट 1956 के अन्तर्गत तहसील लेबिल पर कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार से समय समय पर जारी किये गये आदेशानुसार तहसीलों में

Page No.44

(श्री राजस्व मंत्री)

अतिक्रमण कारियों को रोकने के लिये कार्यवाही की जाती है। जिला कोटा तथा झालावाड़ में भी इसी प्रकार कार्यवाही की गई। तहसीलदार सूचना एकत्र की जा रही है।

(2) जिला कोटा तथा झालावाड़ में ट्रेसपसर्स के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है उसकी सूची (क) संलग्न है ।

(3) जी नहीं। जिला झालावाड़ में ऐसे स्थानों पर जिन पर ट्रेसपासर्स हो जाने से लोगों को व मवेशियो को पाने जाने में दिक्कत आने लगी है। उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई और न राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 5-10-67 के अनुसार विनियमन ही किया गया है।

तहसील झालरापाटन के ग्राम कोटड़ा घाटा में श्रीमती अल्लादी द्वारा रास्ते की भूमि अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा बाद जांच श्रीमती अल्लादी का कब्जा हटा दिया गया है। ग्राम खेरखेड़ा में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण श्री करणसिंह राजपूत, चुनिया कुम्हार एवं श्री शिवनारायण कुम्हार द्वारा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा मां के पर जांच की गई तो श्री करणसिंह का एलोट शुदा भूमि पर कब्जा होना पाया गया। श्री चुन्या का कोई रकबा ट्रेस पास नहीं किया गया पाया गया।

श्री शिवनारायण कुम्हार का अनाधिकृत कब्जा होने पर उसे सरकारी भूमि से बेदखल कर 15 गुना पेनेल्टी 18. 75 रुपये वसूल किये जाने पर आदेश दिये जा चुके हैं।

तहसील खानपुर के ग्राम पीथाड़ा बुखारी, सूमर, व जरगा की सूचना संलग्न सूचि (ख) में अंकित है।

जिला कोटा में अतिक्रमण से कोई रास्ता आदि नहीं रुका है न मवेशियों के आने जाने में असुविधा हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पन पालिया मातृ सदन एवं राजू शिशु कल्याण केन्द्र फलौदी

384 **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फलौदी नगर में जन सहयोग के आधार पर निर्मित करवाये गये 'पन पालिया मातृ सदन" व "राजू शिशु कल्याण केन्द्र" जो कि बन कर कभी के तैयार हो चुके हैं, कब से आरंभ करवाने का विचार है ?

उत्तर

इस भवन में बिजली एवं सेनीटरी फिटींग काम अभी पूरा नहीं हुआ हैं। काम पूरा होने पर जब यह भवन स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया जायेगा तब यह केन्द्र आरम्भ किया जायेगा।

पुलिस थाना बनीपार्क में मजदूर नेता की पिटाई

385 श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्पिनिंग मिल जयपुर के मजदूर नेता श्री बख्शीराम को ता० 13-2-67 को पुलिस अधिकारियों द्वारा बनीपार्क थाने में बन्द करके बुरी तरह पीटा गया था जिसके लिए कलेक्टर जयपुर द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट जयपुर को जांच के आदेश दिये गए थे ? इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

(2) यदि जांच के फलस्वरूप कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 13–2–67 को स्पनिंग मिल जयपुर के मजदूर नेता श्री बख्शीराम को तथा उनके सात साथियों को बनीपार्क थाने के भार साधक पदाधिकारी (एस० एच० ओ०) द्वारा गिरफ्तार किया गया। बनीपार्क थाने की हवालात सुरक्षित न होने के कारण उन्हें अशोकनगर थाने में रखा गया था। थाने में बन्द करके बख्शीराम को बुरी तरह पीटना नहीं पाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट जयपुर ने अधीक्षक आरक्षी, जयपुर को जांच के लिये पत्रादि भिजवाये थे। इस विषय की जांच उप अधीक्षक द्वितीय ने की थी। जांच करने पर परिवाद झूठा पाया गया।

(2) जांच के फलस्वरूप कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति उनियारा द्वारा सांडों की खरीद

386. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक द्वारा कुछ सांड खरीदने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन कौन थे ?

(2) क्या यह सही है कि उस कमेटी द्वारा कुछ सांड खरीदे गए ? यदि हां, तो कितने और कितनी कितनी कीमत के ?

(3) क्या यह सत्य है कि उनमें से दो सांड रास्ते में मर गए थे ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सत्य है कि अधिकतर जो सांड लाए गए थे वे बच्चे थे और इसलिए काम में आने योग्य नहीं थे ?

(5) क्या यह सत्य है कि अधिकतर उन सांडों को किसी भी ग्राम पंचायत ने लेना स्वीकार नहीं किया ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधान, विकास अधिकारी, अध्यक्ष, कृषि स्थाई समिति,

(पंचायत मंत्री)

कार्यवाही पशुपालन प्रसार अधिकारी, पशु शल्य चिकित्सक कमेटी के सदस्य थे ।

(2) जी हां । सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) एक सांड मर गया था । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण इन्टरनल अन्प्रेक्स हो जाना पाया गया ।

(4) तकनिकी परामर्श के अनुसार ही खरीद की गई थी ।

(5) जी नहीं । सांड विभिन्न पंचायतों को वितरण कर दिये गये ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

नागौर जिले में व्यापारियों को चीनी का वितरण

387. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में 1 जनवरी 1965 से लेकर 31-12-67 तक कितनी चीनी किस किस मिल से किस मिस थोक व्यापारी को प्राप्त हुई ?

(2) इस उरोक्त चीनी को प्राप्त करने के परमिट किस अधिकारी ने किस किस तारीख को जारी किये एवं इन परमिटों की चीनी ऐसे थोक व्यापारियों के पास किस किस तारीख को प्राप्त हुई ?

(3) ऐसे प्रत्येक एलोटमेन्ट की चीनी बिक्री किए जाने हेतु रिटेलर्स को दिये जाने के लिये किस किस तारीख को भाव निर्धारित कर किस किस अधिकारी ने प्रत्येक, ऐसे थोक व्यापारी को प्रत्येक एलोटमेंट के सन्दर्भ से सूचित किया ? ता० 1-1-65 से ता० 31-12-67 तक के सम्पूर्ण आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) नागौर जिले से किस किस थोक व्यापारी के पास रिजर्व की कितनी कितनी चीनी किस किस समय से लेकर किस किस समय तक ता० 1-1-65 से 31-12-67 की अवधि में रखी रही ?

(5) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1967 में नागौर सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार लि. को चीनी वितरण करने के आदेश विलम्ब से दिये जाने के कारण उक्त भण्डार को करीब 1100) रुपया ब्याज की हानि हुई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(6) दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का क्या सरकार का विचार है ? राष्ट्रदूत दैनिक दिनांक 2-1-68 डाक संस्करण पृष्ठ संख्या 6 के कालम 1 में छपे समाचार के विषय में सरकार ने क्या कोई जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच के परिणाम से सदन को अवगत कराया जावे ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(खाद्य मंत्री)

(2) चीनी को प्राप्त करने के लिए थोक व्यापारियों को जिलाधीश नागौर द्वारा परमिट दिये गये हैं जिन तारीखों का माल दिया है उसकी सूचना परिशिष्ट 1 में निहित है।

(3) सूची संलग्न है। परिशिष्ट 2

(4) सूची संलग्न है। परिशिष्ट 3

(5) यह सही नहीं है। भण्डार ने उक्त प्रकार की शिकायत कभी जिलाधीश को नहीं की? यदि होती तो अग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार भी की जा सकती।

(6) राष्ट्रदूत के दिनांक 2-1-68 के डाक संस्कार में प्रकाशित समाचारों से किसी भी प्रकार की अनियमितता स्पष्ट नहीं होती अतः जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला टोंक में पंचायतवार शक्कर का कोटा

388 **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में पंचायतवार शक्कर का कोटा निर्धारित किया जा चुका है? यदि हां, तो कुल कितनी कितनी किस किस पंचायत के लिए निर्धारित की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है माह दिसम्बर, 1966 का शक्कर का कोटा ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली को प्राप्त नहीं हुआ और वहां के ग्रामवासियों को उस माह शक्कर नहीं दी गई?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में स्थानीय जिला खाद्य अधिकारी को शिकायत की गई थी? यदि हां, तो कब? उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या यह सत्य है उस माह का शक्कर का कोटा कोई और ले गया जिसकी रिपोर्ट जिला खाद्य अधिकारी टोंक को करने पर भी कुछ कार्यवाही नहीं की गई?

(दिनांक 30-3-68 के पुनः पूछा गया)

रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को वेतन आदि

389. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि रेवेन्यू इन्सपेक्टर की पटवारियान से जो उनके अधीनस्थ हैं कुल मिलाकर कम वेतन मिलता है? यदि हां, तो यह क्यों?

(2) क्या रेवेन्यू इन्सपेक्टर को ट्यूरिंग ड्यूटी में कोई अलाउन्स दिया जाता है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?

(3) क्या पटवारियान को स्पेशल पे दी जाती है? यदि हां तो? किस आधार पर क्या इन्सपेक्टर को यह स्पेशल पे नही मिलती यदि हां, तो. क्यों?

Page No.48

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि दीगर विभाग के कर्मचारियों को जिस प्रकार टी. ए. दिया जाता है उस प्रकार ड्यूरिंग ड्यूटी में रेवन्यू इन्पेक्टर को टी. ए. नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या रेवेन्यू इन्सपेक्टरों की ग्रेड के रिवीजन के लिये सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) रवेन्यू इन्सपेक्टर को अपने सर्किल में कार्य करने के लिये भू-अभिलेख नियमाली 1957 के नियम 175 के अन्तर्गत30) रुपये मासिक सवारी भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता सवारी रखने पर ही दिया जाता है।

(3) लम्बरदारी प्रथा की समाप्ति पर राजस्व कर की वसूली का कार्य पटवारी सोंप दिया गया है और इस अतिरिक्त कार्य के लिये उसे 15) रुपये मासिक स्पेशल पे फडीलिटी बौंड भरने पर दिये जाते है। यह स्पेशल पे इन्सपेक्टर को नहीं दी जाती है क्योंकि उनके द्वारा वसूली का कार्य नहीं किया जाता है।

(4) रेवेन्यू इन्सपेक्टर को जैसा कि प्रश्न के खण्ड 2 में बताया गया है अपने सर्किल में दोरा करने पर 30)रुपया मासिक सवारी भत्ता मिलता है। सर्किल से बाहर दौरा करने पर उसे भी अन्य विभाग के कर्मचारियों की भांति टी. ए. दिया जाता है ।

(5) राजस्थान राज कर्मचारियों के वेतन आदि मामलों के सम्बन्ध में वेतन आयोग विचार कर रहा है और उसकी रिपोर्ट अभी प्रतिक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी जो भी कार्यवाही अपेक्षित होगी की जा सकेगी।

गांव रोहट में काश्त की भूमि

390. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) गांव रोहट, तहसील पाली में कुल काश्त की भूमि कितनीहै ? उसमें से कितने लोगों के पास अन-आथोराइज्ड पजेशन है और कितनी कितनी बीघा किस किस खसरे में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपाकरे ।

(2) उक्त अन-आंथोराइज्ड पजेशन कब से है ? इसका वर्णन भी सूची में दे जियेगा ।

(3) क्या सरकार जिन2लोगों ने ज़मीन पर अतिक्रमण किया है उनको हटाने की कार्यवाही करेंगी और आजतक कार्यवाही नहीं हुई उसके क्या कारण हैं ?

(4) रोहट गांव में कितनी जमीन गोचर के लिए छोड़ी हुई है ? उसके खसरा नम्बर भी बतलाने का कष्ट करे ।

Page No.49

उत्तर

(1) ग्राम रोहट तहसील पाली में कुल काश्त की भूमि 19563।।।)4बीघा है जिस में से 199 लोगों का अनाधिकृत कब्जा है। सूची 'ख' संलग्न है।

(2) उक्त अन-ग्रोथोराइज्ड पजेशन किस किस साल से है, उसका विवरण उक्त वर्णित सूची के विशेष वर्णन में अंकित है।

(3) जिन जिन लोगों ने भूमि पर अतिक्रमण कर रक्खा है, उनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जारी है।

(4) सूची 'ग' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

तहसील फुलेरा के गांवों में भूमिहीनों को भूमि

391. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील फुलेरा की पंचायत नरेना, ग्राकोदा, शार्दुलपुरा, हिरनोदा, ढानी बोराज भासलपुर, बीबास, श्रीरामपुरा, कारेसीना में सन् 1966 से 67 तक कितनी जमीन भूमिहीनों को अलाट हुई व कितनी मीटिंग किन किन सदस्यों की उपस्थिति में हुई ?

उत्तर

(1) इन पंचायत क्षेत्रों में सन् 1966 में भूमि आवंटन कार्य नही हुआ। सन् 67 में केवल ग्राम नरेना में 30 बीधा रकबा अलाट हुआ है जिसकी मीटिंग में तहसीलदार व सरपंच ग्राम पंचायत उपस्थित थे।

पाली–महानपुर सड़क की मरम्मत

392. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली से जो एप्रोच रोड़ महानपुरा की पहाड़ी तक जाती है उसकी मरम्मत की जा चुकी है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नही ?

(2) क्या यह सत्य है कि उसकी मरम्मत के लिए कंकरी आदि डलवादी गई है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। आशा है यह कार्य वर्ष 68 69 में समाप्त हो जावेगा।

अजमेर जिले में खराब सड़कों की मरम्मत

393. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की डामर से बनी सड़कें इतनी खराब होती जा रही हैं कि कई सड़कों पर तो गहरे गड्ढों के कारण ट्रेफिक का चलना ना मुमकिन

(श्री विजयसिंह रावत)

हो गया है ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत निर्धारित समय पर क्यों नहीं करायी जाती है ?

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि डामर की पक्की सड़कों की टूटफूट व मरम्मत समय समय पर करवाना आवश्यक है ? यदि हां, तो अजमेर जिले की टूटी फूटी व मरम्मत मांगने वाली सड़कें कब तक ठीक हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) डामर की सड़कों की दशा साधारण हैं और यातायात योग्य है ।

(2) उपलब्ध धनराशि में आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष मरम्मत कार्य कराया जाता है ।

सामान की खरीद

394. **श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डी. एम. एण्ड एच. ओ., जयपुर द्वारा सन् 1966-67 में क्या क्या सामान कितनी कितनी कीमत का किस किस से कब कब खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस सामान की खरीद के लिए कब कब टेन्डर आमन्त्रित किये गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस सामान की खरीद के लिए किस किस ने टेन्डर दिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(1) चाही गई सूची संलग्न है ।

(3) चाही गई सूचना भाग दो की तालिका में अंकित है ?

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

चोरी एवं कत्ल के मामले

395. **श्री हसंराज आर्य** (भादरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1964-65, 65-66, 66-67 में कुल कितनी चोरियां और कत्ल के मामले हुए हैं ? जिलेवार व सालवार चोरी और कत्ल के मामलों की संख्या बताई जावे ।

(2) कत्ल के मामलों में कितने कातिल गिरफ्तार हो कर सजा पा चुके हैं और कितने मामलों में कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं ?

(3) चोरियों में कुल कितना सामान गया और उसमें से कितने रुपयों का अनुमानतः सामान बरामद हुआ और कितने चोरों को सजा मिली तथा कितना सामान बरामदगी से बाकी रहा और चोरियों के चोर नहीं पकड़े गये ?

(श्री हंसराज आर्य)

(4) बकाया कत्ल और चोरियों के मामलों में अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

(दिनांक 30-3-68 को पुनः पूछा गया)

तहसील टोडारायसिंह में टोपीदार बन्दूकें

1396. **श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील टोडारायसिंह में कितनी टोपीदार बन्दूकें हैं ?

(2) मार्च, 1967 के पश्चात् अब तक कितनी बन्दूकों के लाईसेन्स की फीस जमा हुई है ?

(3) उक्त अवधि में फीस वसूल होने के पश्चात् किसकिस व्यक्ति को लाइसेन्स बुकें प्रमाणित करके सम्बन्धित व्यक्ति को दे दी गई हैं ?

(4) कितनी लाइसेन्स बुक्स प्रमाणित किये जाने के लिये अब तक तहसील में पड़ी है ?

उत्तर

(1) तहसील टोडारायसिंह में 358 टोपीदार बन्दूकें है ।

(2) मार्च, 1967 के पश्चात् अब तक 130 लाइसेन्स में दर्ज 145 बन्दूकों की फीस जमा हुई है ।

(3) फीस वसूल होने के बाद 51 व्यक्तियों को लाइसेन्स बुके प्रमाणित की गई हैं जिनमें से कुछ तो सम्बन्धित व्यक्तियों को दी जा चुकी है और कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों को दी जाने हेतु गिरदावारान को दी जा चुकी है जिनकी रसीद प्राप्त नही हुई है । 29 बुक्स तहसीलों में पड़ी हुई हैं ।

(4) उत्तर 3 में आ गया है ।

मलेरिया इरेडिकेशन अभियान

397. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मलेरिया इरेडिकेशन अभियान खत्म कर दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो इस समय कहां कहां चालू है ?

(2) गत साल में मलेरिया के केसेज कितने कितने कहां कहां पर हुए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जोधपुर जिले में इसका प्रकोप कहां ज्यादा है एवं इसका क्या कारण है ।

उत्तर

(1) जी नहीं । मलेरिया इरेडिकेशन अभियान पूरे राज्य में चालू है ।

(2) वर्ष 1967 में जिलेवार पाये गये मलेरिया के केसेज की सूची संलग्न है ।

(3) जोधपुर जिले में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा जोधपुर म्युनिसिपिल ऐरिया और खासतौर से सूरसागर, चौपासनी और मण्डोर में है ।

इन इलाकों में जो ऐन्टी लारबल मैसर्स (Anti Larval measure) म्युनिसिप्लटी

(श्री चिकित्सा मंत्री)

द्वारा किये जाने थे अभी नहीं शुरू हुये हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा तरीका डी०डी०टी० छिड़कने का है। पूरी कोशिश के बावजूद सब घरों में डी० डी० टी० नहीं छिड़का जा सकता है क्योंकि वहां के लोग खास तौर से सूरसागर और मण्डोर के लोग इसके लिये तैयार नहीं होते हैं। यहां पर अलग अलग जगह से लोग इक्ट्ठे होते हैं और ऐसी दशा में बिमारी फैलने की काफी गुंजाइस रहती है। काली बेरी में मकानों की बनावट ऐसी है और पत्थरों को इस प्रकार इक्ट्ठा किया जाता है कि कितना ही छिड़काव किया जाय मच्छरों के छिपने की जगहों में पूरी तरह से डी० डी० टी० स्प्रेरिंग (D. D. T. Spraying) करना मुमकीन नहीं है। फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है ताकि इस पर काबू पाया जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

परिवार नियोजन

398. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी सु०) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान के 26 जिला मुख्यालयों पर परिवार नियोजन विभागों का गठन कर लिया है ?

(2) परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कराने वाले को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे सुविधाएं कब तक दी जाती रहेंगी और क्यों और क्या अधिक सुविधाएं दिये जाने का राज्य सरकार का इरादा है ?

(3) क्या परिवार नियोजन जिला मुख्यालयों और जनरल हस्पतालों के कर्मचारियों के बीच पूरा सहयोग रखे जाने के बारे में राज्य सरकार ने कोई आदेश दिया है ?

(4) यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान के समस्त जिलों के मुख्यालयों पर परिवार नियोजन ब्यूरोज की स्थापना की जा चुकी है।

(2) परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत-सरकार के निदेशों पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये भारत-सरकार अवर्तक व्यय की 90 प्रतिशत पूर्ति करती है। अतः जो भी सुविधाएं वर्तमान में नसबंदी कराने वालों को दी जाती है वे भारत-सरकार के निदेशानुसार दी जा रही हैं और जब तक भारत-सरकार वर्तमान निदेशों में कोई तबदीली न करे तब तक यह सुविधाऐं दी जाती रहेंगी। यदि भारत सरकार ने इन सुविधाओं में वृद्धि की तो राज्य-सरकार भी वृद्धि कर सकेगी।

(3 व 4) जी हां, सरकार ने संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिये हैं कि वे समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखें कि उनके जिले में परिवार नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जुम्मेवारी जिला परिवार नियोजन अधिकारी के साथ साथ उनकी भी रहेगी। राज्य सरकार ने भी जिला परिवार अधिकारियों को निदेश दिये हैं कि वे जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अपना बड़ा भाई समझे और उनसे पूर्ण सहयोग तथा समन्वय रखे। बड़े अस्पतालो

(श्री चिकित्सा मन्त्री)

के अधीक्षकों को भी पृथक से लिख दिया गया है कि वे परिवार नियोजन कार्य के लिये आवश्यक होने पर चिकित्सक, कंपाउन्डर आदि भेजने की व्यवस्था करें। और प्रत्येक चिकित्सक परिवार नियोजन के काम को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा भी एक अ० शा० पत्र समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस प्रकार इन जिला परिवार नियोजन ब्यूरोज तथा जनरल अस्पतालों के बीच पूरा सहयोग रखा जा रहा है।

पंचायत जैपला में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

399. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा जिले की तहसील छबड़ा में पंचायत जैपला द्वारा 10,000 रु. की धनराशि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पी. एच. सी. खुलवाने के लिये अग्रिम जमा करवाई थी ? अगर हां, तो वहां अभी तक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर क्यों नहीं खुलवाया गया ?

(2) कोटा जिले की छीपा बड़ौद तहसील के ग्राम छीपाबड़ौद में जच्चा खाना के लिए भवन उपलब्ध है ? तथा वहां पर स्टाफ अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अग्रिम धनराशि जमा नहीं कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैपला दिनांक 1-7-65 से स्कूल के भवन में चल रहा है।

(2) जी हां। डिस्पेन्सरी के पास जच्चाओं के लिये निर्मित भवन विभाग को मार्च सन् 1962 से उपलब्ध है। यहां पर स्वीकृत पदों के अनुसार नीचे लिखे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :–

1–चिकित्सक	1
2–कम्पाउण्डर श्रेणी द्वितीय	1
3–कम्पाउण्डर श्रेणी तृतीय	1
4–मिडवाईफ	1
5–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4

कोटा जिले की चौकियों पर तैनात स्टाफ

400. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कोटा जिले के थाने छीपाबड़ौद, छबड़ा, जैपला व हरनावदा के अन्तर्गत आने वाली कितनी (आउट पोस्ट) चौकियां हैं तथा वहां पर स्टाफ की किस किस प्रकार तैनातियां हैं ?

उत्तर

कोटा जिले के थाने छीपा बड़ौद, छबड़ा जैपला व हरनावदा के अन्तर्गत आने वाली कुल 9 चौकियां हैं वहां स्टाफ जो तैनात है उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पाकिस्तानियों के विरुद्ध अनधिकृत प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाहियां

401. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 जनवरी, सन् 1967 से अब तक पाकिस्तान के कितने नागरिक अनधिकृत प्रवेश के कारण कब कब गिरफ्तार हुए हैं ? कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें तथा बताएं कि प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जनवरी सन् 1967 से अब तक 96 पाकिस्तानी नागरिक अनधिकृत प्रवेश के कारण राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं।

थाना नोखा क्षेत्र के कुछ गांवों का थाना नापासर में स्थानान्तरण

402. **श्री शीशराम** (सादुलपुर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गांव सूरतसिंहपुरा, रामसर, कल्याणसर तहसील बीकानेर थाना नोखा तहसील नोखा के अधिकार क्षेत्र में है जो कि टेरीटोरियल मजिस्ट्रेट के अलावा दूसरे मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है ? इससे जनता को असुविधा होती है तथा प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित नहीं है ?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को थाना नापासर तहसील बीकानेर के अन्तर्गत तुरन्त स्थानान्तरित करने का आदेश देगी जिससे कि उपरोक्त कठिनाइयों का निराकरण हो सके ?

उत्तर

1-यह तीन गांव एस० डी० ओ० नार्थ के क्षेत्राधिकार में आते हैं यद्यपि थाना नोखा के अन्तर्गत है व थाना नोखा एस. डी. ओ. साउथ के क्षेत्र में हैं। जनता की असुविधा का तो कोई कारण नहीं है क्योंकि दोनों एस. डी. ओ. के हैडक्वार्टर्स बीकानेर में ही हैं।

2-इस विषय में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस व जिलाधीश से राय प्राप्त की जाकर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

गांव पटोदी में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

403. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि गांव पाटोदी, तहसील पचपदरा में तीन वर्ष पूर्व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हेतु भवन का निर्माण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र पर स्टाफ एवं दवाइयां अब तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

गांव पटोदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मडलाई का उप केन्द्र है इसका भवन तीन वर्ष पूर्व बन चुका है। परन्तु प्रशिक्षित

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

कर्मचारियों का विभाग में अभाव होने के कारण वहां नियुक्ति नहीं की जा सकी है। अब शीघ्र ही पूरा प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

जिला बाड़मेर में प्राथमिक चिकित्सा उप केन्द्र

404. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिला में कितने प्राथमिक चिकित्सा उप केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन उप केन्द्रों में किन किन स्थानों पर क्या क्या स्टाफ भेजा हुआ है?

(3) उनमें कमी की पूर्ति कब कर दी जायगी?

उत्तर

1. बाड़मेर जिले में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 22 उप केन्द्र हैं। उनकी सूची संलग्न है।

2. सूची संलग्न है।

3. प्रशिक्षित स्टाफ समुचित संख्या में उपलब्ध होते ही पूर्ति कर दी जाएगी।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

ग्राम गूंगा के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में स्टाफ की कमी

415. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गूंगा के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में दो साल से डाक्टर नहीं भेजा गया है?

(1) इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) डा. निहाल सिंह राजावत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गूंगा में स्वास्थ्य निर्देशालय के आदेश संख्या ई. सी. ए. एस। ए. टी. 76 दिनांक 3-2-68 के द्वारा नियुक्त कर दिये गये हैं।

सड़कों की मरम्मत

406. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता रोड़ व मेड़ता सिटी के बीच की, पुरानी सड़क को नये ढंग से तैयार कराया गया? यदि हां तो इसमें कितनी रकम लगाई गई?

(2) क्या यह सही है कि उस सड़क की हालत अब पहले से भी बदतर है? व

Page No.56

(श्री गोरधन सोनी)

उस पर अब तक डामर नहीं कराया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के तहत ग्राम डोडीयान (तहसील डेगाना) से टेला तक सड़क का निर्माण कराया गया ?

(4) क्या यह सही है कि वह सडक टूट फूट कर दुर्दशा ग्रस्त व यातायात के उपयुक्त नहीं रही ?

(5) क्या यह सही है कि मेड़ता से पुष्कर, पीपाड, रेन डेगाना नागौरी जैतारन जाने वाली सभी सड़कें खराब हैं ?

(6) क्या सरकार उपरोक्त सड़कों को ठीक कराकर यात्रियों व बसों, ट्रकों वालों को सुविधा देना चाहती है?

(दिनांक 30-3-68 को पुन : पूछा गया)

सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर कार्यालय के केशियर के विरूद्ध गबन का मामला

704. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर कार्यालय बी. एण्ड आर. कोटा में किसी कैशियर ने सन् 63 में सिक्योरिटी के व्याज 605 रु० 15 पैसे की फर्जी कार्यवाही करके गबन किया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ? अगर हां, तो कब व किसके द्वारा व उस का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) यह मामला अभियन्ता एवं केशियर की लापरवाही का प्रारम्भिक जांच से पाया गया है ।

(2) जी हां, अधीक्षण अभियन्ता, भवन व पथ कोटा द्वारा जांच कराई गई है जिससे मामला गबन का सिद्ध नहीं होता है ।

बोर्डर-रोड्स का निर्माण

408. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1965-66 व 1966-67 में कितनी बोर्डर रोड्स का काम चालू किया गया ?

(2) इस निर्माण कार्य के लिये कुल कितनी मशीनें व कौन कौन सी खरीदी गई कृपया उनकी लागत सहित पूरा विवरण दिया जावे ? इन मशीनों में कितने ट्रेक्टर, रोलर, बुलडोजर, मिक्सर व जीप गाडियां तथा ट्रक थे ?

(3) यह मशीनें कितनी उपयोग में आ रही हैं और कितने ऐसी हैं जो उपयोग में नहीं आ रही है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(4) केन्द्र ने राज्य सरकार की प्रशासनिक खर्च के नाम पर किस हिसाब से कितना रुपया इन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक दिया है और उसे किस रूप में उपयोग में लिया जा रहा है ? कृपया इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करे ।

(5) कितना धन केन्द्रीय सरकार से मजदूरों के लिये मकान निर्माण हेतु मिला और इसमें से कितना व्यय हुवा, कितने क्वार्टर्स बने और उनमें कितने मजदूर कहां कहां रहते हैं तथा मजदूरों को किस हिसाब से यह क्वार्टर्स दिये जा रहे है ?

उत्तर

(1) 1965-66 में राजस्थान सीमा सम्बन्धित 6 सड़कों का काम हाथ में लिया गया व 66-67 में 16 नई सड़कों का काम हाथ में लिया गया ।

(2) इसकी सूची संलग्न है जो परिशिष्ट अ है ।

(3) इसका विवरण प्रश्न 2 के उत्तर में दीगई सूची में संलग्न है ।

(4) केन्द्र ने राजस्थान सरकार के प्रशासनिक खर्च के लिये कोई धन राशि नहीं दी इस कारण इस संबंध में विवरण देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) मजदूरों के सुविधा के लिये मकान आदि बनाने के लिये कोई धन राशि भारत सरकार ने राज्य सरकार को नही नी । इस लिये इस विषय में ब्यौरा देने का प्रश्न ही नही उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले में नई सड़क का निर्माण

409. श्री **मजलिस खां** (कामा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में कोई नई सड़क का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो यह सड़क कहां से कहां तक जावेगी और कितनी लम्बी होगी? और इस पर कौन कौन से गांव आयेगे और इससे सरकार को कितना रोड़ टैक्स मिलेगा और इस रर कितना व्यय होगा ?

(2) उक्त सड़क की मन्जूरी कब हुई और इसके ठेके कब हुए और किस ठेकेदार को मिला ?

उत्तर

(1) जी हां, सड़क इतरा से ललिता भूडियां दूसरी नदबई से कुम्हैर तक जायेगी जो क्रमशः 2 मील, 14 मील लम्बी होगी और अनुमानित लागत 63800 तथा 772520) रुपये होगी रोड़ टैक्स के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं हैं ।

(2) हतरा क्रोसिंग से ललिता मूडियां रोड़ 8-12-67 तथा नदबई से कुम्हेर रोड़ 29-3-65 को स्वीकृत की गई है ।

Page No.58

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इन सड़कों का कार्य क्रमश 8-12-67 व 14-9-65 से हो रहा है। ठेके निम्न ठेकेदारों को दिये गये है।

नाम सड़क	नाम ठेकेदार
हजरा से	मदन मोहनलाल
ललिता	मथुरा प्रसाद
मूडिया रोड	
नदबई से	
कुम्हेर रोड	
मील0 से 3	श्री रामा स्वरूप गर्ग
मील 4 से 11	श्री लालाराम
मील 12 से 14	श्री मनोहर लाल भगवत प्रसाद

हनुमानगढ़ से सर्से तक पक्की सड़क बनाने को योजना

410. **श्री बोरबल** (संगारिया सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे :—

क्या हनुमान गढ़ जंक्शन से बाया पीर-कामड़िया सुरेवाला से होती हुई सरसे को पक्की सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है, जिससे दिल्ली से हनुमान गढ़ गंगानगर का सीमावर्ती क्षेत्र से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सके?

(दिनाक 30-3-68 को पुनः पूछा गया)

गुढ़ा से उदयपुर वाटो सड़क का निर्माण कार्य

411. **श्री शिव नाथसिंह** (गुढ़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे :—

झुन्झुनू जिले में गुढ़ा से उदयपुरवाटी सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया तथा अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है? योजना के अनुसार इस सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था?

(दिनांक 30-3-68 को पुनः पूछा गया)

राजस्व तहसील टिबी के कार्यालय भवन का निर्माण

412. **श्री बोरबल** (संगरिया सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सही है कि राजस्व तहसील टिबी का कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या इस वर्ष (1968) में भवन का पूर्ण निर्माण करवाया जा सकेगा?

(दिनांक 30-3-68 को पुनः पूछा गया)

पंचायत समिति निवाई को शिक्षा कर से आमदनी

413. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति निवाई को शिक्षाकर से कितनी आमदनी हर साल होती है और इस कर की कितनी धन राशि कब से बकाया है? गत पांच साल के आंकड़े बताने की कृपा करेंगे।

(2) गत पांच वर्षों में हर साल शिक्षा कर की राशि किन किन कामों में खर्च की

(श्री जयनारायण सालोदिया)

गई है और क्या पंचायत समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शिक्षा कर की राशि सिर्फ शिक्षा के कामों में ही खर्च की जावेगी ? यदि हां, तो अन्य कामों में क्यों खर्च की गई ?

(3) पंचायत समिति क्षेत्र में कितने स्कूल भवन व अध्यापकों के क्वार्टर कब से अधूरे पड़े है।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। शिक्षा कर की राशि पंचायत समिति के निर्णय के अनुसार ही खर्च की गई है।

(3) 24 स्कूल भवन व एक अध्यापिका क्वार्टर अधूरे है। तीन स्कूल भवन एक वर्ष से, छः भवन दो वर्षों से, आठ शाला भवन व एक क्वार्टर तीन वर्षों से और शेष सात भवन लगभग चार वर्ष से अधूरे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

तहसील छीपाबड़ौद की ग्राम पंचायतों को दिये गये चारागाह की हदबन्दी

414. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले की तहसील छीपाबड़ौद की ग्राम पंचायतों को राजस्व विभाग से चारागाह सौंप दी गई है और क्या इन चारागाहों की हद बन्दी करवादी गई है ? अगर हां, तो कब और नहीं तो कब तक हदबन्दी पूरी हो जावेगी ? तथा प्रत्येक गांव में किस प्रकार कितने मवेशियों के हिसाब से कितनी जमीन चारागाह में दी गई है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पचायत समिति निवाई में सर्वेयर की नियुक्ति

415. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति निवाई में ओवरसीयर कब से नहीं है और क्यों ? क्या ओवरसीयर की कमी के कारण निर्माण कार्यों में बड़ी परेशानी है ?

(2) क्या यह भी सच है कि पंचायत समिति ने अपनी निजी आय से एक सर्वेयर की नियुक्ति कर रक्खी है ? यदि हां, तो कब से किस वेतन पर ? क्या यह नियुक्ति नियमानुसार की गई है। और टेक्निकल विभाग की राय ली गई है ?

(3) क्या यह सच है कि जिस सर्वेयर को रक्खा गया है वह इस पद की टेक्नीकल योग्यता नहीं रखता है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति की जिम्मेवारी किस की है ?

उत्तर

(1) ओवरसीयर दिनांक 13-12-67 से नियुक्त है।

Page No.60

(श्री पंचायत मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति निवाई द्वारा ट्रेक्टर की खरीद

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पंचायत समिति निवाई द्वारा ट्रेक्टर कब व कितने में खरीदा गया था और किस लिये ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के पास निजी कृषि फार्म नहीं है ? यदि हां, तो ट्रेक्टर का क्या उपयोग है ?

(3) ट्रेक्टर के द्वारा सन् 67–68 में कुल कितनी इनकम की गई व कितना खर्चा मरम्मत आदि में हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सच है कि सन 67-68 में ट्रेक्टर के सम्बन्ध में अदालत के द्वारा कोई जुर्माना हुआ है ? यदि हां, तो कितना और किसकी गलती से ?

उत्तर

(1) ट्रेक्टर जनवरी, 1963 में 12465) रु. में कृषि कार्यों के लिए खरीदा गया था।

(2) जी हां। ट्रेक्टर को खाद बीज पहुंचाने, कृषकों को भूमि जोतने के लिए किराये पर देने एवं ब्लस्टिग मशीन को पंचायत समिति क्षेत्र में कुओं पर ले जाने के काम में लिया जाता है।

(3) अब तक कुल आय 5211) रु. हुई है व 1472.04 पैसे खर्चा हुआ है।

(4) जी हां। रजिस्ट्रेशन के कागजात साथ न होने के कारण 50) रु. जुर्माना किया गया था।

बकाया भू-राजस्व की वसूली

417. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) दिनांक 30-9-67 तक कुल भू-राजस्व की कितनी बकाया है और इसमें से कितनी इस वर्ष वसूल हो जाने की संभावना है ? इसका जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) एक हजार से अधिक बकाया किन किन व्यक्तियों में कब से हैं ? इसकी सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. दिनांक 30-9-67 तक भू-राजस्व की कुल बकाया रुपये 7,82,06,329.00 हैं, इसमें से लगभग 3 करोड़ रुपया इस वर्ष वसूल होने की सम्भावना है, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है वसूली की सम्भावना की सूची 5 जिलाधीशों से प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

2. भू-राजस्व बकाया के खाते तहसीलों में रखे जाते है, जहां से सूचना एकत्रित की जा रही है, अभी तक 14 जिलों से सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार 767 व्यक्तियों में 1000.00 रुपये से अधिक भू-राजस्व बकाया है, नामावलि की एक लम्बी लिस्ट है, अतः संलग्न की जाना सम्भव नहीं है, जिलेवार आसामियों की संख्या का स्टेटमेन्ट संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पाली तहसील में जागीरदार के बीड़

418. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली – क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या पाली तहसील में ऐसे कोई जागीरदार के बीड़ है जो गैरमुमकिन चरागाह के अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो कृपया उन बीड़ (Bir) की सूची सदन की मेज पर रखें और साथ साथ यह भी बतलावें कि इन बीड़ के अन्तर्गत किस किस खसरान की कितनी भूमि है?

उत्तर

1. जी नहीं। पाली तहसील से ऐसा कोई बीड़ किसी भी जागीरदार के कब्जे में नहीं है जो गैर मुमकिन चरागाह के अन्तर्गत आते है।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामीण काश्तकारों को सुविधाएं

419. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ इलाकों और कुछ ग्रामों में पिछले 3 व 4 वर्ष से लगातार औसतन अकाल पड़ता आ रहा है? यदि हां, तो किन किन जिलों में कौन से ग्राम उक्त अकाल से लगातार ग्रस्त होते रहे है? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के जिन जिलों के ग्रामों में तीन-चार वर्ष से लगातार औसतन अकाल पड़ता आ रहा हैं वहां के ग्रामीणों पर बकाया सरकारी कर्जों पर पेलेन्टी एवं ब्याज लगा दिया गया है? यदि हां, तो जिस काश्तकार ने सन् 1955 में एक सौ रुपये लिए थे और किन्हीं कारणों से अकाल पड़ने तक ने चुका सका हो तो उस काश्तकार पर आज कितना कर्जा हो गया है?

(3) क्या सरकार ब्याज पर ब्याज लगाने एवं पेनेल्टी की प्रथा को खत्म करने की मंशा रखती है? यदि नहीं, तो मूलधन के बराबर मिश्रधन किसी कर्जे पर हो जाने पर क्या सरकार उस कर्जदार पर फिर ब्याज या पेनेल्टी लगायेगी?

(4) क्या सरकार उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के सरकारी कर्जे एवं कोपरेटिव कर्जे माफ करने का इरादा रखती है जो पिछले तीन चार वर्ष से लगातार औसतन

(श्री विजयसिंह रावत)

अकालग्रस्त रहे है ? यदि हां, तो कब तक के कर्जे माफ करेगी ?

(5) क्या सरकार उन ग्रामीण काश्तकारों का सरकारी लगान माफ करने का इरादा रखती है जो पिछले तीन-चार वर्ष से लगातार अकालग्रस्त हैं ? यदि हां, तो कितने वर्ष का कब से कब का ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हा। जब तक बकाया के माफ किये जाने की आज्ञा प्रसारित नहीं होती तब तक वो रकम रेकार्ड में बकाया निकाली जाती है : रमिशन की आज्ञा हो जाने के बाद रकम माफ हो जाती है सन् 1955 से ऋण के रूप में दिये जाने वाली रकम पर नियमानुसार ब्याज लिया जाना आवश्यक है।

(3) नियमों में जो प्रावधान हैं उनमें शर्तें तबदीली किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) यह स्थिति पर निर्भर है यदि नियमानुसार कर्जदार के पास रकम चुकाने का कोई साधन नहीं पाया जायेगा तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर सकेगी।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आदेश सं० एफ 7 (86) रा। ग। दिनांक 18-11-67 प्रचलित कर चुकी है जिसके अन्तर्गत आने वाले अभावग्रस्त वर्षों का लगान राज्य सरकार माफ करने के लिये विचार कर सकेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हबसपुरा पंचायत के ग्रामों में भूमि का अलाटमेन्ट

420. श्री **सुवालाल चौधरी** (दूदू)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सन 65 में तहसील फुलेरा के हबसपुरा पंचायत के ग्रामों की भूमि का अलाटमेन्ट किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अलाटमेन्ट सरपंच की अनुपस्थिति में किये गये हैं ?

(3) क्या यह अलाटमेन्ट नियमानुसार सही हैं ?

(4) अगर हां, तो क्यों ?

(5) अगर नहीं, तो क्या उक्त अलाटमेन्ट कैन्सिल किया जाकर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

1—जी हां।

2—जी हां।

Page No.63

(श्री राजस्व मन्त्री)

3—जी हां।

4—अलाटमेन्ट सलाहकार समिति के सदस्यों को विधिवत सूचना तहसीलदार द्वारा दे दी गई थी तथा जो सदस्य उपस्थित हुये उनकी उपस्थिति में आवटन की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

5—प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तहसील परबतसर में ग्राम रास्तों के काटन की भूमि का क्षेत्रफल

421. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील परबतसर में ग्राम रास्तों के काटन की कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है ?

(2) धारा 91 के तहत उक्त भूमि में से कितनी भूमि के लिए कितने किसानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व जुर्माना किया गया ? ग्राम नाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

दिनांक 30-3-68 को पुनः पूछा गया)

सवाई माधोपुर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

422. **श्री रिद्दीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

सवाई माधोपुर जिले में कहां कहां औषधालय हैं और वहां की जन संख्या क्या है ? क्या यह सच है कि जिले में ऐसे ग्राम भी हैं जहां कि जन संख्या 2000 से अधिक होते हुए भी औषधालय नहीं है ? यदि हां; तो ऐसे स्थानों पर औषधालय कब तक खोलने का विचार है ?

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले में जहां जहां पर औषधालय हैं उनकी सूची मय जन संख्या के सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

जी हां, दो हजार की आबादी वाले सभी ग्राम में औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छीपा बड़ोद व छबड़ा तहसीलों के पटवार सर्किल

423. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील छीपा बड़ोद व तहसील छबड़ा में कितने पटवार सर्किल हैं।

(2) प्रत्येक पटवार सरकिल में कितनी कितनी जमीनें अलोट हो चुकी हैं और अब कितनी जमीनें काश्तकारों को काश्त करने के लिये अलोट होनी है ?

(3) छबड़ा तहसील में पटवार सर्किल दीलोद, ग्राम पंचायत दोलोद में कितनी

श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

जमीन सन् 1966 व 1967 में ग्रलोट की गई है व जो जमीन ग्रलोट की गई है वह क्या भूमिहीन काश्तकारों को ग्रलोट की गई है तथा क्या वे इसी क्षेत्र के रहने वाले भूमिहीन किसान है ? ग्रगर नहीं, तो क्यों ? व साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि क्या ग्रलोटमेन्ट कमेटी ने जंगलात की भी जमीनें ग्रलोट कर दी थी ?

(दिनांक 30-3-68 को पुन पूछा गया)

नागौर जिले के ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालयों पर व्यय

424. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.) : क्या ग्रायुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कितने ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय हैं ग्रौर उन पर कितना खर्चा 1967 में किया गया ग्रौर उनसे कितने बीमारों का इलाज किया गया ?

(2) राजस्थान में कितने 'ए' व 'बी' श्रेणी के वैद्य हैं ग्रौर उनमें से ग्रनुसूचित जाति के कितने हैं ?

(3) ग्रायुर्वेदिक रसायन शालाग्रों में ग्रौषधियां कूटने वाले कितने व्यक्ति हैं ? ग्रौर उनमें से ग्रनुसूचित जाति के कितने हैं? क्या उनका निर्धारित कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ग्रौर कब तक पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में 69 ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय हैं, वर्ष, 1966-67 में ग्रौषध खर्च 38,446 रुपये हुग्रा । तथा 7,07,671 रोगियों की चिकित्सा की गई ।

(2) राजस्थान में (ग्र) श्रेणी वैद्यों संख्या 70 हैं एवं (ब) श्रेणी के वैद्यों की संख्या 176 हैं । इसमें ग्रनुसूचित जाति का कोई वैद्य नहीं हैं ।

(3) ग्रायुर्वेदिक रसायनशाला में ग्रौषध कूटने वाले व्यक्ति 205 हैं जिसमें ग्रनुसूचित जाति के 10 हैं । वर्कचार्ज रूल्स के ग्रन्र्गत कोई कोटा निर्धारित नहीं है । ग्रतः कोटा पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(12 . 15 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द ग्रग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एस.डी.ग्रो. किशनगढ़ (जिला ग्रलवर) द्वारा ग्राम सानौली तहसील मुन्डावर के काश्तकारों की फसल उजड़वा देने सम्बन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । यह मामला ए. डी. एम. की ग्रदालत में विचाराधीन प्रतीत होता है एवं यह ग्रवलम्बनीय लोकमहत्व का भी नहीं है । ग्रतः इसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की ग्रनुमति देना सम्भव नहीं होगा ।

इसके ग्रलावा दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री केसरीसिंह, श्री मुकुट बिहारी लाल, श्री दिग्विजयसिंह, श्री विजयसिंह रावत, श्री नत्थीसिंह में, श्री शिवनाथ सिंह, का मी,

(श्री उपाध्यक्ष)

है, इसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जायगी।

एक जोधपुर में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था, उसका जवाब आज दिया जाने को था, मन्त्री महोदय इस स्थिति में नहीं कि आज दे सकें। अब 25 को दिया जायगा।

श्री रणजीतसिंह : 18 तारीख....

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 18 तारीख से हड़ताल चल रही है और हड़ताल पर पन्द्रह हजार मजदूर लोग हैं। आपको सोचना चाहिए कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। 18 तारीख को व्यवस्था दी कि 22 को वक्तव्य देंगे। कल वक्तव्य नहीं दिया और कहा कि डाइरेक्टर नहीं हैं। यदि डाइरेक्टर बीमार हों तो क्या इसका वक्तव्य नहीं होगा? यह बड़े शर्म की बात है कि आप ऐसा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय ने आपको आदेश दिया लेकिन आप उसका पालन नहीं करते हैं— यह शर्म की बात है। इसमें सरकार का नुकसान होता है, मजदूरों का नुकसान होता है लेकिन आप मौन लगा कर बैठते हैं क्योंकि आपको पैसा मिल जाता है। यह बड़े दुःख की बात है।

श्री खेतसिंह : कौन पैसा लेता है?

श्री शंकरलाल : कौन पैसा लेता है?

श्री भैरोंसिंह : जवाब आज चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में व्यवस्था दे दी गई थी कि आज दे दिया जायगा। लेकिन मंत्री महोदय 25 के बारे में कह रहे हैं आज न देकर।

श्री ओमदत्त भाटी : इस तरह क्या होता है कहने से।

श्री रणजीतसिंह : हंगर (भूख) हड़ताल पर बैठे हुए हैं मजदूर, फिर भी जवाब नहीं आये इसका कारण क्या है?

श्री ओमदत्त भाटी : इसका कारण क्या है?

श्री श्रवणलाल : दस हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और मंत्री महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी दी जा रही है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विचार रख दूं कि बात यह है कि दो तीन का समय बढ़ाने का कारण जहां तक मेरी समझ में आता है यह है कि मंत्री महोदय वहां से जानकारी उस पर रूमाल लगाकर, उसको साफ करके वक्तव्य करके अपने को संतुष्ट नहीं करते तब तक नहीं देंगे। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि एक मर्डर हुआ था पुष्कर के पास में, वहां पर थानेदार कोरे पेपर लेकर उसकी औरत का अंगूठा लगवाने गया....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने उसके सम्बन्ध में आपके पास टेलीग्राम भेजा है। उसने वहां जाकर कहा कि शास्त्री जी ने यह पेपर भेजे हैं, इन पर अंगूठा लगा दो। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्ट तरीका गवर्नमेंट का है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा रही है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उस मामले की इन्क्वायरी हो रही है उसको खत्म करने के लिए उसकी औरत से कोरे पेपर पर अंगूठा लगवा कर उसको खत्म करना चाहते हैं। मैंने उसके बारे में टेलीग्राम दिया था। इस सरकार के द्वारा आदमी भेजे गये थे पुलिस के।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ? आप इस मामले को और किसी ढंग से रखिये।

श्री खेतसिंह : इसकी डिमाण्ड पर बोल देना।

श्री भैरोंसिंह : इसकी व्यवस्था आ जानी चाहिए। दस हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और सरकार को चिन्ता नहीं हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गोपाल इन्डस्ट्रीज कोटा के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर के सारे वर्गों में इस हड़ताल को लेकर चिन्ता है उसके सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी देर में इस पर मालूम करके आपको इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री आलमअली : आग आज लगे और पानी कल आये तो वह बुझेगी नहीं। जल्दी करवाये।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका...

श्री उपाध्यक्ष : आप साफ साफ बालें और जोर से बोले जिससे सुनाई दे। धीरे धीरे बोलिये, ऐसी उतावली की बात नहीं है।

श्री परसराम गंगाराम : मैं अर्ज कर रहा हू, रीजनल कॉलेज के बारे मैंने दो तारीख को एक प्रस्ताव दिया था, उसका आज दिन तक जवाब दिया नहीं दिया। इसका क्या कारण है ? रीजनल कॉलेज....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप कार्यालय से मालूम कर लीजिये, दिन में चेम्बर में आकर मुझसे बात कर लीजिये, आपको तसल्ली दे दी जायेगी कि कब दिया जायगा, कब नहीं दिया जायगा। यह सूचित कर दिया जायगा।

श्री परसराम गंगाराम : अर्ज यह है....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। यह प्रश्न अभी सभा के सामने नहीं आया।

श्री परसराम गंगाराम : उसका जवाब आज तक नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा समझिये, थोड़ा नियमों को पढ़ने का कष्ट किया करिये। आपको किताब दी है नियमों की उसको दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल भर में एक बार पढ़ने का कष्ट करिये तो यह तकलीफ खड़ी नहीं होंगी। आप जिम्मेदार सदस्य हैं, जनता के द्वारा अपन चुने जाते हैं तो अपन को भी थोड़ी तकलीफ करनी चाहिए। यह क्या कि जिस वक्त ठीक समझें उस वक्त फरमा दें। यह उचित नहीं है। आपका स्थगन प्रस्ताव है, उसके बारे में आपको तकलीफ होती है, उसको दूर किया जायगा। आप मुझसे मिल लीजिये।

श्री रामकिशन : इस व्यवस्था के साथ यह भी व्यवस्था हो जानी चाहिए ट्रेनिंग स्कूल खुलवाने की।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 20-2-68 को एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मन्त्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे लेकिन आज तक नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : उस स्थगन प्रस्ताव पर अभी वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मैंने करौली के अन्दर..........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह उचित वक्त नहीं है कि सभी जानकारी प्रश्नोत्तर काल के बाद आसन से प्रश्नोत्तर काल लिया जाय, ऐसा नियमों मे प्रावधान नहीं है। आप कृपया चैम्बर में मुझ से मिल लिया करें, मैं वहां निवेदन कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। यह सब जुबानी याद नहीं रह सकता।

श्री श्रवणलाल : मेरे उस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आसन से व्यवस्था दी गई थी कि मन्त्री महोदय स्टेटमेंट देंगे, पर एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक स्टेटमेंट मन्त्री महोदय की ओर से नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी !

श्री बृज सुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) स्टेटमेंट ?

श्री उपाध्यक्ष : जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : गोपाल इन्डस्ट्रीज कोटा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज कोटा ....

श्री उपाध्यक्ष : अभी पड़िहारा का लिया जायगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पड़िहारा के बारे में तहसीलदार को यहां बुलाया गया है, वह आयेगा तो सूचना ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कब दे देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सोमवार को।

Page No.68

श्री लाभचन्द जैन: उपाध्यक्ष महोदय, वहां फसलें सूख रही हैं, पम्पिंग सेट्स निकाल लिये हैं...........

श्री उपाध्यक्ष : सोमवार को इस पर स्टेटमेंट देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने आज सुबह ही तहसीलदार से पूछा पम्पिंग सेट्स के बारे में...........

श्री उपाध्यक्ष : आप एक नया विषय जोड़ रहे हैं, जिससे कि चर्चा बढ़े, जितना पूछें, उसी का उत्तर दें।

एक गोपाल इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में 4 बजे के बाद में स्टेटमेंट दिया जायगा।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपके सामने रखा है, अजमेर नगर में सबको विदित है कि एक तो रेलवे कारखाना और जो छोटी छोटी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं, उससे वहां की जनता का उदर भरण होता है। एक गोपाल माचिस फैक्टरी अजमेर में है, दूसरी सरकार की ओर से अजमेर मेरवाड़ा सेवा मण्डल की तरफ से जिसमें राज्य की ओर से सभी सुविधाऐं और धन प्राप्त है, फिर भी वह घाटे में चल रही है। इसका कारण यह है कि आपके सेल्स टैक्स के कारण जो माचिसें मद्रास राज्य से, बैंगलोर से और दूसरी जगह से आती हैं, उनके मुकाबले अजमेर की माचिसें मंहगी पड़ती हैं। उसके कारणों को बताते हुए मैंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है।

वास्तव में सेल्स टैक्स गुड्स पर है, मद्रास से और दूसरी जगहों से माचिस बनाने का सारा सामान आता है, अजमेर का लेबर लगता है, सांचों में भर देते हैं, फिर कारण क्या है कि पूरा मुद्दा तैयार हो जाता है तो एक्साइज ड्यूटी के बाद में सेल्स टैक्स उन हमारे यहां बनी माचिसों पर लगाया जाता है। जो उचित नहीं है।

आज कल हमारे अजमेर में दो माचिस फैक्टरियां हैं, 1 विजय नगर में है और एक फालना में है जो अजमेर जिले में नहीं है। पर है तो राजस्थान के अन्दर ही। ये चारों माचिस फैक्टरियां घाटे में चल रही हैं। बार बार गोपाल माचिस फैक्टरी वालों ने राज्य सरकार को लिखा है, 1962 से बराबर राज्य सरकार से उन्होंने कोरेस्पोन्डेंस की है। 12 सितम्बर, 1962 का राज्य सरकार का लैटर था उसमें कोल साहब ने जो भूतपूर्व वित्त मन्त्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया है :

"With reference to your letter dated the 26th August, 1962 addressed to Shri B. K. Kaul, Finance Minister, Rajasthan, I have beem directed to enquire about the hinderances and difficulties you are experiencing in pulling on with the work of the factory."

अब पहला ही आश्वासन था भूतपूर्व वित्त मन्त्री का। उसके बाद जब गवर्नमेंट

(श्री भगवानदास शास्त्री)

ग्राफ राजस्थान, फाइनेन्स, रेवन्यू एण्ड इकानामिक डिपार्टमेंट से दूसरा लेटर जाता है।

"Exemption of Sales Tax on matches."

तो इसका कारण क्या है ? 1962 से लैटर भेजते भेजते बाद में गवर्नमेंट ग्राफ राजस्थान का 14-8-63 को लैटर जाता है।

"Sales Tax on matches

The matter is under the consideration of Government.

For Commissioner,
Excise and Taxation.

जहां तक हमारे उद्योग मंत्री जी ने यहां बार बार घोषणा की कि कोई जमीन लेना चाहे, कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहे, उनको हम मदद देने को तैयार हैं ग्रौर यह भी कहा कि गवर्नमेंट को किसी ने लैटर नहीं दिया है। बाद में 63 में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ग्राफ राजस्थान ने लिखा, जो कहते हैं, मद्रास में एक्साइज ड्यूटी के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता है, उसकी बुक्स भेजो। उसके बाद कुछ किताबें, मद्रास, बंगलोर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजी हैं, उनमें जो मुद्दा दिखाया है, वह मैं ग्रापके सामने रखना चाहता हूं :

एक वेल्यू ग्राफ फाइव ग्रोस बन्डल 35 रु० 66 पैसा है ग्रौर लैस एक्साईज ड्यूटी फोर सी. क्लास 3.75 कुल 18.75। इस तरह से 16.91 में होता है।

मैं इसके विवरण में न जा कर विशेष कर यह कहना चाहता हूं कि जो चीज 18.75 में मिलनी चाहिये, उस पर सेल्स टैक्स 2 परसेंट लगाने से उसकी कीमत 36 रु० बन जाती है तो एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद 16 रुपयों में मिलने वाली चीज सेल्स टैक्स लगाने से 36 में मिले, यह कहां तक उचित है ?

कोस्ट ग्रॉफ गुड्स	13.50
एक्साइज ड्यूटी	20.50
सेल्स टैक्स	2.38

इस तरह से कुल 36.38 हो गया।

दूसरा है 13.50 कोस्ट सैलिंग प्राइस ग्रौर 94।। पैसा सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी का 20.50 इस तरह से 34 रु० 94।। पैसा पड़ता है। तो एक पैसे का डिफरेंस रहता है। मैं नहीं कहता कि मद्रास हमारे देश का ग्रंग नहीं, चाहे मद्रास वाले कुछ भी कहें, मद्रास भी हमारे देश का एक ग्रटूट ग्रंग है, वे भी कमायें। पर जो यह ग्रजमेर की समस्या है, उसके बारे में मैं ग्रपने विचार रखता हूं। ग्रजमेर एक पिछड़ा हुग्रा इलाका है, दुर्भाग्य से ग्रजमेर का विलय राजस्थान में 56 से हुग्रा तब से वहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गोपाल माचिस फैक्टरी में 500 व्यक्तियों का, जिनमें 100 बच्चे ग्रौर 400 विधवाएं हैं, उनका पालन होता है। एक ही कमाने वाला हो तो 5 को पाल सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रजमेर के माचिस बिजनेस में, राजस्थान के माचिस

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के बिजनेस में, खास तौर से अजमेर की मुझे जानकारी है, अजमेर के माचिस बिजनेस में तो सरकार ने किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं दिया है। अजमेर की जिस माचिस फेक्टरी को सरकार अनुदान और एक्साइज ड्यूटी में रियायत दे रही है, वह भी अजमेर मेरवाड़ा सेवा मंडल की माचिस फेक्टरी घाटे में चल रही है। गोपाल माचिस फेक्टरी 62 से सरकार से कारेस्पोन्डेन्स कर रही है कि उसे टैक्स से राहत मिलनी चाहिये पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पहले तो उन पर चुंगी थी, कच्चे माल से चुंगी हटाने से उनको कुछ राहत मिली पर माल तैयार हो जाने के बाद मुद्दे पर सेल्स टैक्स लेते हैं, यह अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित हो गया है, दुबारा कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं आपका ध्यान मद्रास सेल्स एक्ट के पेज 135,136 ओफ 1959 मैसूर सेल्स टैक्स एक्ट के पेज 48,49.1959 और महाराष्ट्र के एक्ट के पेज 5883 शिड्यूल सी है इनकी ओर दिलाना चाहता हूं। ये मुद्दे मैंने इसलिये रखे है कि उस समय के इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी मि0 राय ने इस पार्टी को लिखा था कि मद्रास मैसूर और महाराष्ट्र में किन कारणों से छूट दी गई है वह बतायें। एक्साइज ड्यूटी लगने केबाद भी वहां सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता है। गुड्स पर लिया जाता है। उस पार्टी ने तीन किताबें भेजी हैं। उनके रूल्स देखने के बाद भी उन को राहत मिलने का रास्ता नहीं है।

पांच ग्रोस माल पर जो 38 रुपये की लागत का होता है उस पर सिर्फ 16 रुपया मजदूरी और नफा होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी 22 रुपया है। 16 पर 22 इस तरह से 137 परसेन्ट सेल्स टैक्स ले लिया। आप यह समझिये कौनसी राज्य सरकार ऐसी है जो इतना अन्धाधुन्ध व्यवहार करती है 16 रुपये पर 22 रुपये का सेल्स टैक्स लगाना कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षण होगया अब आप रिपीटीशन करते जा रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं इसके साथ साथ ही प्रश्न भी पूछ लूं ताकि मंत्री महोदय सब का जवाब साथ ही दे दें।

(1) राजस्थान में कितनी माचिस फेक्टरियां हैं ?

(2) कितना सेल्स टैक्स हर फेक्टरी पर लगता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार का राजस्थान के माचिस उद्योग पर ध्यान नहीं है ? जो कुछ कच्चा माल राजस्थान में लाया जाता है उसको मंगवा कर इस उद्योग को चलवाया जाय।

(4) एक्साइज ड्यूटी मिलाने पर कितना मूल्य पड़ता है इन सब बातों पर भी आप साथ में ही प्रकाश डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मन्त्री कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन यह करना है कि उनके ध्यान आकर्षण को देखने से यह पता चलता है कि माननीय सदस्य ने पहले अजमेर की फैक्टरी के बन्द होने की बात कही। मैं उनसे निवेदन करूं गोपाल माचिस फैक्टरी आज से करीब दो साल पहले बन्द हो गई लेकिन इसके अलावा जो फैक्टरियां चल रही हैं उनमें एक विजय नगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति चलाती है वह चल रही है। इसी प्रकार जो माननीय सदस्य ने दक्षिण के राज्यों जैसे मद्रास, केरल और मैसूर के अन्दर एक्साईज ड्यूटी सेल्स टैक्स कायम करते वक्त नहीं आंकी जाती। मैं उनसे निवेदन करूं सारे भारतवर्ष में मद्रास ही ऐसा प्रान्त है जहां पर इस किस्म की व्यवस्था है। मद्रास, मैसूर और केरल को छोड़ कर इस प्रकार की व्यवस्था और कहीं नहीं है। यह व्यवस्था केवल इन्हीं प्रान्तों के अन्दर है।

आपने फरमाया कि यहां पर सेल्स टैक्स के लगने से माचिस के दाम बढ़ गये, उसके अन्दर घाटा हो रहा है मैं उनकी इस बात से इत्फाक नहीं करता। इन फैक्टरियों के अन्दर ऊंचे दाम होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि मद्रास में बनी हुई माचिस राजस्थान के अन्दर बेची जाती है उस पर सात परसेन्ट सेल्स टैक्स लिया जाता है और यही टैक्स राज्य में बनी हुई माचिस पर लिया जाता है। क्योंकि राजस्थान के अन्दर जो माचिस आती है एक्साइज ड्यूटी लग कर आती है उस पर सात परसेन्ट सेल्स टैक्स लेते है। इसी प्रकार यहां इस मामले में किसी प्रकार का का भेद भाव करना सम्भव नहीं है क्योंकि आर्टिकल 204 संविधान के उसमें यह साफ दिया है सेल्स टैक्स लगाते वक्त अन्य प्रान्तों की सेल्स टैक्स की तुलना में जो माल बाहर से आता है उसमें किसी प्रकार का डिसक्रिमिनेशन नहीं किया जाता।

इसके अलावा सन् 65 के अन्दर इसी गोपाल फैक्टरी का एक मेमोरेन्डम प्राप्त हुआ था उसके अन्दर उसने यह स्वीकार किया था कि कुछ माल की लागत व मजदूरी की लागत व अन्य चीजों के कारण माचिस के दाम ज्यादा हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं उसको पढ़ देता हूं ताकि आपको स्पष्ट मालूम हो जायगा माचिस के मंहगा होने का क्या कारण है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : कौन सी डेट को दिया था वह डेट बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह 16-6-64 का है इसमें उन्होंने खुद ने माना है।

श्री भगवानदास शास्त्री : हरियाना और दिल्ली में भी सेल्स टैक्स नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इससे मैं इन्कार नहीं करता। उन्होंने अपने मेमोरेन्डम के अन्दर जो टेबल दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि दक्षिण भारत से जो माचिस आती है और राजस्थान में बनती है उसमें क्या अन्तर रहता है।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कोस्ट प्राइज आफ पर 100 ग्रोस दक्षिण भारत में 75 रु.

	इन राजस्थान		95 रु.
लेबल के दक्षिण में	10 रु.	राज.	15 रु.
केमिकल्स	35 रु.	,,	45 रु.
लेबर	35 रु.	,,	61 रु.
वेजेज	8 रु.	,,	16 रु.
रेन्ट इलेक्ट्रिक आदि	2 रु.	,,	6 रु.

इसी प्रकार रेलवे आदि का खर्चा बताया है। आप देखिये वहां के भावों में और यहां के भावों में कितना अन्तर है। इस कारण दक्षिण से आने वाली माचिस सस्ती होती है।

आपने यह भी फरमाया कि दिल्ली और हरियाना में माचिस पर सेल्स टैक्स नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में माचिस पर सात परसेन्ट सेल्स टैक्स है। अब रहा हरियाना और दिल्ली का सवाल वहां से जो भी माचिस यहां पर बिकने को आती हैं उन पर सात परसेन्ट सेल्स टैक्स लेते हैं इसके अन्दर एग्जेम्प्शन नहीं दिया जाता। यह भी माननीय सदस्य का कहना है कि चोरी छिपे आता है इसके लिए हमने चैक रखने के लिए प्रिवेन्टिव फोर्स कायम की है इस तरह से चोरी छिपे माल आता है उसको पकड़ते हैं। इसके अलावा जो माल लाते हैं उससे सेल्स टैक्स वसूल करते हैं। इन सब कारणों को देखते हुए आप भी इस चीज को महसूस करेंगे राजस्थान के अन्दर जो सेल्स टैक्स की दर है उसके कारण उनकी कीमत ज्यादा नहीं हैं बल्कि रॉ मटेरियल वगैरह के भाव ज्यादा होने की वजह से दाम ज्यादा हैं।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं राजस्थान में जितनी माचिस बनती है वह राजस्थान के लिए काफी नहीं है। राजस्थान में खपत के लिए बाहर से काफी माल आता है उससे ही कमी पूरी होती है। बाहर से जो माल आता है उस पर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स 7 परसेन्ट और ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वगैरह लगा हुआ होता है इसके बावजूद भी यहां सस्ती पड़ती है। यहां पर मंहगी होने के कोई अन्य कारण हो सकते हैं सेल्स टैक्स नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने जो कहा कि राजस्थान में माचिस बनती है उससे काम नहीं चलता बाहर से मंगाना आवश्यक हो जाता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं हमारे सेल्स टैक्स के जो रिटर्न इससे होते हैं 35 और 40 हजार के करीब। जितना माल यहां बनता है उसको ध्यान में रखते हुए वह यहां की जरूरत के लिए नाकाफी माल है इसलिए बाहर से मंगाना होता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने कहा कि गोपाल फैक्टरी दो साल से बन्द है मैं आपसे निवेदन करूं यह अब तक चालू है। लेकिन पूरी सहायता न मिलने की वजह से सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के कारण माल गोदामों में पड़ा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी जो सूचना है वह सही हो हम चाहते हैं यह फैक्टरी काफी प्रगति करे। जहां तक एक्साइज का सवाल है, सेन्ट्रल एक्साइज का जहां तक सवाल है आर्थिक स्थिति को देखते हुए उससे एक्सक्लूड करने में हम असमर्थ हैं। और प्रान्तों से माचिस आती है उन पर भी एक्साइज लगा हुआ आता है, मद्रास में फायदा हो सकता हैं फिर यहां पर नहीं होता जब कि उस पर यहां आने पर सात परसेन्ट सेल्स टैक्स वसूल करते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने फरमाया कि माचिस तैयार होकर आती है उन पर सेल्स टैक्स लगता है। आपको मालूम हो 16 रुपये के माल पर 22 रुपये अलग चार्ज लग जाते हैं। इस तरह से 16 के 38 हो जाते हैं और फिर इसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कुछ तो सुविधा दीजिए अजमेर बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश है। राजस्थान के अन्दर अजमेर दुर्भाग्य से बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। छोटे छोटे बच्चों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। आपका फर्ज हो जाता है कि आप उनके लिये कुछ तो करिये।

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

अनुदानो की मांगों पर विचार।

अनुदान की मांग संख्या 22

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37, सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,88,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 28

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री !

मांग संख्या 1

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,27,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।)

मांग संख्या 22

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

(1) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम

Page No.74

(श्री देवीलाल)

कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा द्वारा चलाई गई छोटी सिंचाई योजनाएं अधूरी पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

(2) मांग संख्या 22, शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा को टी. डी. ब्लाक बनाए जाने पर चर्चा के लिये)।

(3) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को छोटी योजनाओं पर व्यय के लिए एक लाख तक खर्च करने की अनुमति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(4) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत किये गये सराड़ा तहसील के अधूरे कार्यों की पूर्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(5) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में काबिल काश्त भूमि काश्तकारों की कब्जा सुदा जमीनों पर पटवारियों द्वारा चारनोट में दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(6) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में काश्तकारों की बेदखलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(7) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर की तहसीलों में काश्तकारों पर अधिक जुर्माना तथा 20 गुना लगान लिये जाने पर चर्चा के लिये।

(8) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छोटी जोत वालों को सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) :

(9) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विकास कार्यों के ठप होने व पंचायत व पंचायत समितियों में घोटाले, पक्षपात आदि पर चर्चा के लिये)।

Page No.75

(श्री परसराम गंगाराम)

(10) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परबतसर पंचायत समिति के सरपंच द्वारा सांड खरीद के लिये दिये गये ऋण के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 28

(11) मांग संख्या 28-मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील में ग्राम पीलवा में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सड़क निर्माण करने के लिये रोड़ी आदि खरीदने के पश्चात् भी निर्माण कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

(12) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में नहरी जमीन हरिजनों, अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित रखने हेतु चर्चा के लिये) ।

(13) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील में राजस्व माफ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :

(14) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास के नाम पर किये गये अपव्यय खर्चे पर चर्चा के लिये) ।

(15) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा हाथ में लिए गए निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

(16) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दिये गये ऋण के दुरुपयोग एवं वसूली में बरती गई ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

(17) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विकास अधिकारियों एवं सरपंचों द्वारा बरती

(श्री महेन्द्रसिंह)

जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(18) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में चुनाव के समय दुर्भिक्ष सहायता के नाम पर किये गये सरकारी धन के दुरुपयोग एवं धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(19) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसीलदारों द्वारा भूमिहीन किसानों पर किये गये अत्याचार पर चर्चा के लिये)।

(20) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा कोटा जिले में गोचर भूमि इत्यादि की अनधिकृत निलामी पर चर्चा के लिये)।

(21) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि आवण्टन एवं रेगुलराइजेशन के केसेज़ में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(22) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसीलदार दीगोद द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(23) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में 100) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले की तहसील दीगोद के तहसीलदार द्वारा चम्बल नदी की पेटा काश्त भूमि का अनधिकृत आंवटन करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) :

(24) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितयों के लिये निर्वाचित पद्धति के के सुधार कराने पर चर्चा के लिये)।

(25) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियो को अधिक अनुदान तथा आर्थिक सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

(26) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय

Page No.77

(श्री शिवनाथसिंह)

विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की वर्तमान दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(27) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिदा (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चालू किये गये सड़क निर्माण के कार्यों को पूरा करवाने हेतु पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(28) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले का बन्दोबस्त (Settlement) करवाने पर चर्चा के लिये)।

(29) मांग संख्या1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुन) जिले में सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आई हुई जमीनों का मुआ-बजा देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :

(30) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास तथा स्थानीय विकास कार्यों पर अधिक बल देने एवं अधिक रकम की व्ययवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(31) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों में बरते गए पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(32) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलवर जिला के किसानों के साथ भू-राजस्व वसूली में जादतियों व अनियमिताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

(33) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 6-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली की गलत नीतियों, व्यात भ्रष्टाचार आदि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़)

(34) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं,

Page No.78

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय निकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं की निरर्थकता पर चर्चा के लिये)।

(36) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्कूलों को को विगास खण्डों से हटाने जीवें हटाने तथा फिजूल खर्ची को रोकने पर चर्चा के लिये)।

(37) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेना तथा स्थानीय विकास काय में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में पंचायत समितियों के अन्तर्गत होने के कारण, अव्यवस्था हो रही है, अतएव उन्हे पंचायत समिति में अविलम्ब हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(37) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में व्याप्त अनियमितताओं एवं फिजूल खर्चे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(38) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यो में होने वाले अपव्यय एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(39) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उन स्थानों पर लगना जहां आवश्यकता नहीं किन्तु वहां नहीं लगना जहां अत्यन्त आवश्यकता है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(40) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व से प्राप्त धन ग्राम पंचायतों को देने के बारे में चर्चा के लिये)।

(41) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की रकम विकास पंचायतों को उसी क्षेत्र में जहां से भू-राजस्व वसूल हुआ है निर्माण कार्य में लगाने के लिये दे दिया जाये तथा खेती की पैदावार बढ़ाने में ही खर्च हो इस पर चर्चा के लिये)।

(42) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दियां जाय (पंचायतों को सबल

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ओर सफल बनाने के लिये पूरी रकम जो भू-राजस्व से प्राप्त होती है वह पूरी की पूरी रकम उसी पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्यो में लगाने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

(43) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (समुदायिक) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत उन्नति के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

(44) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाऐ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यो की उन्नति करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

(45) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम कर दिया जाय (देहातों में अकाल राहत कार्यो पर सरकारी मशीनरी द्वारा धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

(46) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम करदिया जाय (गांवों में पटवारियों द्वारा किसानों को तंग करना व इसके कारण किसानों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :

(47) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत राजस्व लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 28

(48) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु० कम कर दिया जाय (अकाल घोषित करने के सम्बन्ध में बरती जाने वाली धांधली पर चर्चा के लिये) ।

(49) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा दुर्भिक्ष मुक्ति का स्थायी हल न निकाल सकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री दौलतराम सारण)

मांग संख्या 1

(50) मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (भू-राजस्व समाप्त न करने व अनार्थिक जोतों पर लगान की छूट वापिस लेने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

(51) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु0 कम कर दिया जाय (डूंगरगढ़ तहसील में राजस्व कर्मचारियों का कृषकों के प्रति संवत् 2018 में दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

(52) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु0 कम कर दिया जाय (तहसील सरदारशहर से गांवों में बिना इजाजत काश्त की भूमि पर सं0 2018 में लगान का पन्द्रह गुणा अनियमित तावान लगाकर जबरन वसूली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री रामनारायण (मंडावा) :

(53) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झुंझूनू तहसील के अकाल ग्रस्त गांवों में अकाल राहत कार्य चालू करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(54) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (झुंझूनू तहसील के अकाल ग्रस्त गांवों में पीने के कुण्ड बनाने तथा पीयूसर और हमीरखाबास गांवों के अधूरे कुण्डों को पूरा करवाने पर चर्चा के लिये)।

(55) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (बसाऊ कस्बे के अकाल ग्रस्त गांवों में अकाल राहत कार्य चालू करने पर चर्चा के लिये)।

(56) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु. कम कर दिया जाय। महनसर और बिसाऊ जल योजनाओं को दुर्भिक्ष सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

(57) मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति पर चर्चा ले लिये)।

(58) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में कुछ मार्गो में अकाल राहत कार्य आरम्भ न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(59) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु कम

(श्री दौलतराम सारण)

कर दिया जाय(झुन्झुनू तहसील में अकाल की स्थिति होने पर भी गावों को अकाल ग्रस्त घोषित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(60) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में अकाल सहायता कार्यों में अनियमितता परचर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(61) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुराना दिलोई भारू आदि गांव, जिला झुन्झुनू में गत वर्ष के लगान पर व्याज वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिण्डोली) :

(62) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को पुनः शिक्षा विभाग में लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(63) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अकाल राहत के नाम से होने वाले अधूरे कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(64) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकस परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मन्त्रीयों द्वारा अपने अपने क्षेत्रो में रिश्तेदारों के नाम पर भूमि लेकर पंचायत समिति के ट्रेक्टरों द्वारा काश्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(65) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की जीपें, ट्रेक्टर्स की लौग बुकें नहीं होने के कारण वाहनों के दुरूपयोग पर चर्चा के लिये)।

(66) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय(हिन्डोली पंचायत समिति के अन्तर्गत सरपंचों को विकास कार्य के लिये दिये गये धन व खाद व बीज की वसूली नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

Page No.82

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(67) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति हिन्डौली द्वारा दिये गये लोन व अनुदानों के विषय पर चर्चा के लिये)।

(68) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को अन्धाधुन्ध कर्जो देने व समय पर उनके वसूल नहीं होने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(69) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु0 कम कर दिया जाय (चतुर्थ आम चुनाव के समय पंचायत समितियों द्वारा जो काम शुरू किये उन अधूरे कार्यो को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(70) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु० कम कर दिया जाय (जो कार्य अकाल राहत के नाम से शुरू कराये गये उनको अधूरे छोड़ने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(71) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (देश में अन्न संकट को मद्देनजर रखते हुए चरागाहों की उचित व्यवस्था न हो सकने सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

(72) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसीलदारों द्वारा आवंटन में पक्षपात व भ्रष्टाचार तेजी से पनपने पर चर्चा के लिये)।

(73) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम उमर तहसील हिन्डौली, में जिले के बाहर के काश्तकारों द्वारा काश्त करने एवं उनके द्वारा राजस्व नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(74) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसीलदार हिन्डौली द्वारा वन विभाग की भूमि अवैध रूप से कुछ व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री कर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No.83

मांग संख्या 28

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

(75) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अकाल पीड़ितो को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

(76) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में ढिलाई से चल रहे दुर्भिक्ष सहायता कार्य में तीव्रता लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(77) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों में लगे श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है. उन्हें पूरा वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(78) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों को गांवों में रहने के मकानों की दिक्कत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(79) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों को दिये जाने वाले वेतन पर पुनर्विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

(80) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों के पास एकत्रित होने वाली भारी रकम की सुरक्षा हेतु उनके लिए तिजोरियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(81) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों के यात्रा भत्ते देने की दर पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(82) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों के चिकित्सा व्यय सम्बन्धी बिल तहसीलदार लम्बे अर्से तक पास नहीं करते, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(83) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों के सख्त कार्यों को देखते हुए उन्हें हार्ड ड्यूटी

Page No.84

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

एलाउन्स देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) :

(84) मांग संख्या. 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्वास्थ्य और ग्राम्य स्वच्छता पर सरकार की उदासीनता से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(85) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान न देकर इसे सिंचाई एवं कृषि विभाग को दिया जाय, जिससे इस पैसे का सही उपयोग हो सके, इस पर चर्चा के लिये)।

(86) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सामाजिक शिक्षा में गत 20 वर्षो में प्रगति के स्थान पर दुर्गति हुई है इसलिए इस फिजूल खर्चो को कम करके कुछ ठोस कार्य किया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

(87) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रशासनिक कार्यों में कटौती करके उस धन को सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर व्यय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(88) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु.कम कर दिया जाय (प्रयुक्त पोषकहार कार्यक्रम को तुरन्त बन्द किया जाय क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का समय व्यर्थ जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

(89) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों को राजस्थान की ग्राम पंचायतों का सेक्रेटरी नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(90) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय

Page No.85

(श्री विजयसिंह रावत)

विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम कला हस्त कला तथा उद्योग (आयोजना व्यय) की गति बहुत धीमी है अतः इसे तुरन्त प्रबल मानकर क्रियान्वित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

(91) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता अभी तक भी दुर्भिक्ष क्षेत्रों में नहीं चालू हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

(92) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में हुये घोटालों व भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु एक विधायक कमेटी बिठाई जाने पर चर्चा के लिये) ।

(93) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ईसाई मिशनरीज को दुर्भिक्ष ग्रस्त ग्रामों में कलेक्टर व जिला फैमिन एडवाइजरी कमेटी द्वारा विदेशी भेंट वितरण हेतु इजाजत देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

(94) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नसीराबाद में नायब तहसीलदार का हैड क्वार्टर स्थापित करने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

(95) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु. कम कर दिया जाय (प्रधान पंचायत समिति सरपंच व विधायक की गैर मौजूदगी में भू आंवटन करने के विषय में चर्चा के लिये) ।

(96) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-मापन कार्य में काम में ली जाने वाली गाड़ियों का अधिकारियों द्वारा प्राइवेट कार्यों में लेकर दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

(97) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय में कुशल अध्यापकों के अभाव व बरती जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

(98) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा गलत रिकार्ड बना कर काश्तकारों को मुकदमें बाजों का शिकार बनाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(99) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसीलदार अजमेर

(श्री विजयसिंह रावत)

द्वारा काश्तकारों की भूमि आबादी भूमि घोषित किया जाना जो लम्बे अर्से से उन पर काश्त करते हुए आए हैं इस पर चर्चा के लिये)।

(100) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों के स्थानान्तरण लम्बे अर्से तक न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(101) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (फसल की गिरदावरी करते वक्त पटवारियों द्वारा भारी लापरवाही बरती जाने से फसलों की पैदावार पर कुप्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

(102) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक द्वारा हुई अनियमितताओं के विषय में की गई जांच पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(103) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 38-सामुदायिक विकास परियोजाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति उनियारा (जिला टोंक) में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(104) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों पर हुए खर्चे का सदुपयोग न होने पर चर्चा के लिये)।

(105) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में 100) रु. कम कर दिया जाय (अधूरे अकाल राहत कार्यों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(106) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत तहसील अलीगढ़ में अभी तक कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

(107) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील अलीगढ़ में राजस्व के 10 वर्ष से अधिकारियों कर्मचारियों के काम करते रहने पर स्थानान्तरण नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री दिग्विजयसिंह)

(108) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलाभकारी जोतों से भू-राजस्व की समाप्ति के कारण 30 standard acre वाली जोतों पर से double surcharge हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(109) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में सिलिंग कानून जो प्रचलित है उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मदन सिंह (दातारामगढ़)

(110) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जागीरदारों की जायज खुद काश्त पर सरकार द्वारा अन्य लोगों को कब्जा दिलाने पर चर्चा के लिये)।

(111) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) कम कर दिया जाय (ग्राम भूमिहीन किसानों के साथ बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(112) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (फौजियों को भूमि आवंटन में की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग सं. 22

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

(113) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा ज़िले में विकास कार्यों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 28

(114) मांग सं. 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में दुर्भिक्ष के समय प्रारम्भ किये गये अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 1

(115) मांग सं. 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में दुष्काल का लगान जो माफ हो गया था वह कृषकों से सख्ती के साथ वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग सख्या २२

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) :

(116) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (न्याय पंचायतों की आय ग्राम पंचायतों को दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु.)

(117) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति डूंगरपुर एवं बिछीवाड़ा में अकाल सहायता के अन्तर्गत बने अपूर्ण तालाबों को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

(118) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अधिकारों को कम करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

(119) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 – सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय पंचायत समिति उमरेण, जिला अलवर में प्रधान द्वारा समिति के साधनों का निजी कार्य के लिए दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(120) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विकास अधिकारी, पंचायत समिति मंडावर, जिला अलवर के विरूद्ध अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार तथा अन्य शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(121) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अलाभकारी जोत वाले किसानों पर दुबारा भू–राजस्व लगाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

(122) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अधिकृत भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में अपनाई गई सरकार की नीति का अनुमोदन)।

(123) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व में से 100) रु. कम

(श्री जगन्नाथ)

कर दिया जाय (ग्राम देवरी, तहसील सांगानेर में जमीन गैर कानूनी तौर से विकास अधिकारी द्वारा बेनामी तौर पर अलाट करा लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(124) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम देवरी तहसील सांगानेर में मंदिर श्री लक्ष्मी-नारायणजी वाका खजानेवालों का रास्ता की माफी की जमीन अनुचित तौर पर बेनामी अलाट करा लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(125) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा अनुचित ट्रान्सफरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.)

(126) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (जिला उदयपुर की तहसील-गोगुन्दा, सराडा, खैरवाडा के छोटी जोत आदिवासी किसानों के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 22

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर):

(127) मांग, संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समिति के प्रधानों व जिला परिषद के प्रमखों के चुनावों में प्रजातान्त्रिक तरीका अपनाने में सरकार असफल रही इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 1

(128) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9--भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान में भूमि अधिकतम क्षेत्र निर्धारण (सीलिंग) अमल में लाने सम्बन्धी सरकार की दुर्लक्ष-पूर्ण नीति का अननुमोदन)।

(129) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय(खेतिहर मजदूरों की समस्या हल करने सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 22

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):

(130) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (आसीन्द पंचायत समितियों के क्षेत्रों को तहसील व

(श्री गिरधारीलाल)

विधान सभाई क्षेत्र के अनुसार कायम करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 28

(131) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील श्रासीन्द के अकाल ग्रस्त घोषित गांवों में कार्य चालू करने एवं गत अकाल के समय का लगान माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(132) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नायब तहसीलदार बदनौर द्वारा अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया (नोखा-सु.) :

(133) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 - सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय नोखा (जिला बीकानेर) में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा विकास कार्यों के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

(134) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं का संचालन करवाने में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

(135) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के विकास कार्यों को सरकार पूर्ण करवाने में पक्षपात व सोतेला व्यवहार बरत रही है जिससे निर्माण कार्य आदि ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे है, इस पर चर्चा के लिये)।

(136) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम बिदासरिया में प्राइमरी स्कूल भवन बनाने में सरकार असफल रही हैं इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारीलाल इन्दालिया)

(137) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की प्राइमरी स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध होने पर भी अनट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(138) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाऐं. राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पचायत समितियों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निश्चित प्रक्रिया न अपनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(139) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्रामो में हरिजनों के लिये शुद्ध पीने के पानी के लिए टंकी हौज आदि की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(140) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा में पिछड़ी हुई जाति में के विकास कार्यो में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(141) मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा में ग्राम सेवकों के आवास हेतु क्वार्टर्स बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

(142) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, विस्तार सेवा तथा स्थानीय राष्ट्रीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा की तमाम ग्राम पचायतों में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु सांड उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

(143) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (फैमिन कैम्पस् खोलने में सरकार की लापरवाही के कारण जनता में हुई तकलीफों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(144) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 63–दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम

Page No.92

(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)

कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा, कोलायत व लूणकरणसर में भयंकर दुर्भिक्ष होते हुए भी अकाल सहायता कार्य न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(145) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम बांधनू साधासर, उतमानदेसर आदि गांवों में सरकार द्वारा होने वाले अकाल सहायता कार्यों में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(146) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के गांव बेरासर सिन्धुपारखाना, सोआर, गजरू देसर आदि गांवों में चल रहे राहत कार्य पर लगने वाले मजदूरों को मजदूरी देने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

(147) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता मे से 100) रु कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में अकाल पीड़ित जनता को सरकार द्वारा राहत कार्य शुरू करवाने में पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

(148) मांग सख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के गांव में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित लोगों को सहायता देने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(149) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर में तहसील नोखा, तहसील लूणकरणसर तहसील कोलायत तहसील बीकानेर सदर के लावारिश व अपंग लोगों को पेंशन, रोटी एवं निवास आदि का इन्तजाम करने में सरकार पूर्णतया असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(150) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9'भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्राम जयसिंह देसर मगरा, जांगसू कूदसू, हिम्मतसर, नापासर में भयंकर अकाल होते हुए भी भूराजस्व नाजायज ढंग से वसूल करने संबंधी चर्चा के लिये)।

(151) मांग सख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के गांवों में काश्तकारों द्वारा किये गये नाजायज कब्जों को नियमित करने के मामलों में भेदभावपूर्ण रवैये के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No.93

मांग संख्या 22

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) :

(152) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सादिक अली रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा को अमल में न लाने विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

(153) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सादिक अली कमेटी के सुझावों को असली रूप देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(154) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गोगुन्दा पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा हैड पम्पूस व यूरीनियल की खरीद में घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

(155) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा पंचायत समिति में लिफ्ट सिंचाई योजना में की गई खरीदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

(156) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं के गठन एवं विकेन्द्रीकरण की असफलता नीति का अननुमोदन) ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

(157) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में उचित जन-सहयोग प्राप्त न करने पर चर्चा के लिये) ।

(158) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये प्रशासनिक व्यय पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 22

श्री गिरधी चन्द जैन (बाड़मेर)

(159) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान तथा उसके दुरुपयोग के बारे में चर्चा के लिये)।

(160) मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(161) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (दुर्भिक्ष को स्थाई तौर से रोकने के लिये स्थाई योजना न होने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

(162) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिये जाय (अजमेर जिले में दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत जो सड़के बनाई गई हैं उस राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(163) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के बारे में सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(164) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

(165) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पटवारियों द्वारा नामान्तरण करण [Mutation] की कार्यवाही में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

(166) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सीलिंग को क्रियान्वित करने में उपेक्षा की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):

(167) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोज-

Page No.95

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

नाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (सादिक अली रिपोर्ट पर अमल न करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

(168) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु, कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में होने वाले अपव्यय को रोकने एवं अन्य प्रशासनिक सुधारों के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

(169) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (फेमिन कोड को मोजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित न होने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

(170) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (दुर्भिक्ष को रोकने के लिए कोई स्थाई योजना न होने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 1

(171) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (आबादी भूमि परिवर्तन सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

(172) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (काश्तकारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पासबुकस् जारी करने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन).।

(173) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में आवंटित भूमि का कब्जा न जाने एव सनदें जारी न करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

(174) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अमल करने में ढिलाई के बारे में चर्चा के लिये) ।

(175) मांग संख्या 1. मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व से से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये) ।

(176) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भूमिसुधार कानूनों की

Page No.96

(श्री रघुनाथसिंह बिश्नोई)

क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

(177) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पावटा में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि से बेदखली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी):

(178) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं पर स्थिर नीति के अभाव में होने वाली फिजूल खर्चों पर चर्चा के लिये)।

(179) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सांगोद पचायत समिति क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई साधनों के पूर्ण विकास नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(180) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में होने वाली फिजूल खर्ची व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(181) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की गलत चुनाव-प्रणाली के फल स्वरूप उत्पन्न धांधलियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(182) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग द्वारा कन्दरा क्षेत्र को अलोट करने की घोषणा स्वरूप होने वाले कटाव पर चर्चा के लिये)।

(183) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्थान में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग की अस्थिर अलोटमेन्ट प्रणाली के फल स्वरूप होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

(184) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील में

Page No.97

(श्री जुझारसिंह)

कृषकों को अलोट की गई भूमि से वेदखल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(185) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु कम कर दिया जाय (पेटा काश्त की साल दर साल नीलामी से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(186) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील में नदी नालों के साथ लगे हुए मार्जीनल लैण्ड के अलोटमेन्ट व रेगूलराइजेशन से होने वाले भूमि कटाव पर चर्चा के लिये)।

(186) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु कम कर दिया जाय (ग्राम काला खेड़ी (तहसील रामगंज मण्डी) के बनजारों को उनकी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(188) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रामगंज मण्डी व सांगोद तहसीलों के अकाल ग्रस्त गांवों से लगान वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

(189) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (रामगंज मन्डी व सांगोद तहसीलों में कृषकों की भूमि पर स्थित कुओं को रेगुलराइज करने में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

(190) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम खणी (तहसील रामगंज मण्डी) के आदिवासी गांव में भूमिहीन आदिवासियों को भूमि न देकर राणा प्रताप सागर के विस्थापितों को बसाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर):

(191) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

(192) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्यों के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

(193) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्यों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

(194) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के नाम पर राजनैतिक आधार पर राहत कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

(195) मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गिरदावरी में काश्तकार का नाम लिखना बन्द होने से उत्पन्न दुष्परिणामों पर चर्चा के लिए)।

(196) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चारागाहों की व्यवस्था में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

(197) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

(198) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कृषकों को दी गई तकावी की वसूली में अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव पर चर्चा के लिए)।

(199) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कृषकों से तकावी वसूल करने में होने वाली ज्यादती पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

(200) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में मास्टरों के ट्रान्सफर्स आदि में भेद-भाव पर चर्चा के लिए)।

(201) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (पंचायत समिति निवाई द्वारा दी गई सहायता व तकाबियों में विभाग में पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

(202) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति निवाई द्वारा परिवार नियोजन के लिए चित्र आदि की खरीद में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिए)।

(203) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों पंचायतों व जिला परिषदों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भेदभाव व अनियमितताओं पर चर्चा में लिए)।

मांग संख्या 28

(204) मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (टोंक जिले में अकाल राहत कार्यों में गबन झूटी मस्टर रोल्स रखने इत्यादि के सबंध में चर्चा के लिए)।

(205) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु0 कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों द्वारा बनाई गई सड़कों को पुख्ता न बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

(206) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पी. डी. आर. के अन्तर्गत बकाया वसूली में ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

(206) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु0 कम कर दिया जाय (विभाग में प्रमोशन, ट्रान्सफर्स, नियुक्तियों आदि में भेद भाव एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

(208) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9- भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

(209) मांग संख्या 1. मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील निवाई में गत वर्ष सिवाय चक भूमि के आवंटन हेतु दिए गये प्रार्थना पत्रों पर हुए अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिए)।

(210) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बन्ध गोलपुरा, गांव बहड़ तहसील निवाई की पेटा काश्त भूमि के अलाटमेन्ट के बाद दूसरों के अतिक्रमण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़-गढ़):

Page No.100

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(211) मांग संख्या 22. मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

(212) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लगान वसूली एवं तकाबी लौन की वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा)

(213) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीत विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में फैल रही अनुशासन हीनता व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(214) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियोंके आधीन किये जाने वाले निर्माण कार्यों की मरम्मत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(215) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु.)

(216) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का विकास करने हेतु पूरे अधिकार दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

(217) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के कब्जे में जो सिंचाई के तालाब आदि है उनके सम्बन्ध में भू-राजस्व वसूली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत (भीम) :

(218) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं में सुधार नहीं हो पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हंसराज आर्य (भारा)

(219) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्य मन्द गति से चलते है उनमें गति लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

(220) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के काफी गांवों में अकाल घोषित होने पर भी अकाल राहत कार्य चालू नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू)

(221) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों पंचायत समितियों द्वारा जनता को सस्ता न्याय दिलाने में पक्ष पात पर चर्चा के लिये)।

(222) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में में 100) रु, कम कर दिये जाय (पंचायत व पंचायत समितियों द्वारा धन का सही उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(223) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायित विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत राज में राज्य सरकार की दोष पूर्ण नीति से जनता में आपसी फूट को बढ़ावा मिला है, इस पर चर्चा के लिये)।

(224) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विकास कार्यों में विभागीय देख रेख उचित रूप से नहीं होने से सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है, इस पर चर्चा लियें)।

मांग संख्या 28

(225) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में किये गये अकाल राहत कार्य पक्षपात के आधार पर किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(226) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (किसान को भू-राजस्व से मुक्त किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

(227) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (छोटे जोत वाले किसानों से भू-राजस्व की छूट से को मंसूख करने पर चर्चा के लिये)।

(228) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भूमि का सीलिंग 30 स्टेन्डर्ड एकड़ करने से काश्तकारों की आर्थिक दशा पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, इस पर चर्चा के लिये)।

(229) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (किसान को जमीन का स्वामित्व नहीं देने सम्बन्धी सरकार के रवैये पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु):

(230) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत आठुवा जिला सवाई माधोपुर में विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के साधनों का निजी कार्य के लिये दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(231) मांग संख्या 28. मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में गत वर्ष अकाल पड़ने पर कोई भी विभागीय सहायता नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(232) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अनधिकृत भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति का अननुमोदन)।

(233) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अलाभकारी जोत वाले किसानों

(श्री श्रवणलाल)

पर दुबारा भू-राजस्व लगाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 22

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर)

(234) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों व जिला परिषदों को पूर्ण अधिकार नही देने सम्बन्धी सरकारी नीति पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (कपासन)

(235) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में ढिलाई एवं अपूर्ण कार्य पूरे नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(236) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं को विस्तृत करने और चहुंमुखी विकास के लिये पंचायतों व पंचायत समितियों को अधिक सबल बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(237) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से किसान परेशान होते हैं, उस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 22

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) :

(238) मांग सं. 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि का अपव्यय होने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 28

(239) मांग सं. 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल सहायता विभाग द्वारा अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों, नाड़ियों तथा तालाबों के जीर्णोद्धार करवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० 1

(240) मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-अभिलेखों में खामियां व उसके समय पर प्राप्त न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० 22

श्री आईदान सिंह (भीनमाल):

(241) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100 रु. कम दिया जाय (पंचायत समितियों का वर्गीकरण फिर से किया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.):

(242) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजना राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी हुई जातियों के लिये दी गई अनुदान की राशि खर्च न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा):

(243) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (इस अनुदान के अन्तर्गत व्यय होने वाले धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(244) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून के बावजूद भूमियों के ट्रान्सफर होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):

(245) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों से भारी पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(246) मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों में भारी पक्षपात व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(247) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भू–राजस्व विभाग में भारी धांधली तथा भूमि वितरण में भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(248) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में बांरा एवं छबड़ा क्षेत्रों में भू–राजस्व विभाग द्वारा भारी धांधली एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(249) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि वितरण में चल रही धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)

(250) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय पंचायत राज संस्थाओं को शक्तिहीन तथा पराधीन बनाए रखने के संबन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन)

(251) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं में अनुचित राजनैतिक हस्तक्षेप किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(252) मांग संख्या 22-मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति बौंली में प्रधान तथा उप–प्रधान के पद दो साल से रिक्त होते हुए भी चुनाव न कराये जाये पर चर्चा के लिये)।

(253) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में पंचायतों, न्याय पंचायतों, स्टेन्डिग कमेटियों में रिक्त स्थानों के चुनाव दो साल से भी अधिक हो जाने के बावजूद भी न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

(254) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं के दायित्वों पर पुनर्विचार न किये

Page No.106

(श्री देवीलाल गाड़िया)

जाने के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

(255) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आलनपुर जिला सवाईमाधोपुर के भूतपूर्व सरपंच को विभाग द्वारा गबन के आरोपों में निलम्बित किए जाने के पश्चात कोई कार्यवाही न किए जाने के विषय में चर्चा के लिए)।

(256) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सादिक अली कमेटी रिपोर्ट पर अमल न करने पर चर्चा के लिए)।

(257) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कई वर्ष से न किए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

(258) मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समय पर अकाल सहायता न दिए जाने तथा उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

(259) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दस मील की सीमा में आई फैक्ट्रियों के अनाधिकृत कब्जों के नियमन न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(260) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले की तहसील खंडार, सवाई माधोपुर तथा बौंली में बीस साला बन्दोवस्त की मियाद समाप्त हो जाने पर भी बन्दोबस्त न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

(261) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मदलाव तहसील सवाई माधोपुर का 200 बीघा चारागाह प्रतिवर्ष काश्त होते रहने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की साजिश के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री गंगासहाय (कठूमर—सु.)

(262) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ,

(श्री गंगासहाय)

राष्ट्रीय विस्तार तथा सेवा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (स्वास्थ्य और ग्राम्य स्वच्छता की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(263) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (हरिजनों को दी गई भूमि पर गैर हरिजनो का जबरन कब्जा व सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

(264) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून लागू होने के पश्चात् भी भूमियों का बेचान एवं हस्तान्तरण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री हीराभाई (कुशलगढ़):

(265) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा विकास कार्यों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से किये जाने कार्यों के सम्बन्ध में निश्चित रूप रेखा तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा, के लिये)।

मांग संख्या

(266) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अकाल सयायता कार्य के अन्तर्गत शेरगढ़ रेन्ज में रिलीफ कार्य करने वाले मजदूरों को बन विभाग द्वारा दी गई मजदूरी की रकम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 22

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत):

367. मांग सं. 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं में हुए अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.):

(268) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के बिछीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्य असंतोषजनक होने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 1

(269) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9- भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग

(श्री रतनलाल रोत)

को घटाकर 1) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के आदिवासी किसानों से अन्धाधुन्ध पैनल्टी के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग सं० 22

श्री रामचन्द्र (खण्डेला) :

(270) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकार पंचायती राज को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(271) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अनुशासनहीनता व राजनैतिकता आने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(272) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकार पंचायतों के लिए भवन बनवाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)

(273) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएँ राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायतों को अभी तक आबादी भूमि नहीं दी गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

(274) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु, कम कर दिया जाय (सीकर जिला में बहुत से पंचों व सरपंचों के स्थान पिछले दो सालों से रिक्त पड़े है इस पर चर्चा के लिये)।

(275) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में लगे सहकारिता प्रसार अधिकारी वहां की स्थानीय राजनीति में फंसे होने के कारण पंचायत समितियों में उन्हें हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1.

(276) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिये जाये (जिलाधीशों व उप जिलाधीशों की नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर होती हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र)

(277) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (सीकर जिले में कैरपुरा ग्राम की गोचर भूमि की रक्षा करने में प्रशासन की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़)

(278) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत एवं सक्रिय बनाने हेतु उचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

(279) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम कर दिया जाय.(झुन्झुनू जिले के अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य खोले जाने में किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

(280) मांग संख्या 1, मुख्या शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग के पटवारियों को पंचायतों के तहत देने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

(281) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली पंचायतों द्वारा करवाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

श्री मेघराज (चुरू)

(282) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋण की वसूली में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के के लिये) ।

मांग संख्या 28

(283) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (कहतसाली घोषित करने में बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

(284) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष के नाम पर होने वाले खर्च की फिजूल खर्ची के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

(285) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (बीड़ों की उचित निगरानी न करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

(286) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खेतों के रास्ते व पगडंडियों के डिमार्केशन में बरती जाने वाली अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

(287) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (छोटी जोतों के इन्तकालात चढ़ाने में कानून के उल्लंघन पर चर्चा के लिये)।

(288) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों के 20 वर्षों के कब्जे की कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार न देकर गलत इन्तकाल कर बेदखली की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(289) मांग संख्या 1. मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीड़ भूमि का अनुचित हस्तान्तरण किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

(290) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निर्धन किसानों से मालगुजारी वसूल करने में प्रचलित नियमों व सिद्धान्तों का अमल न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(291) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समय पर कृषि भूमि का सेटलमेंट न करवाने व उससे होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये)।

(292) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (किसानों को घरेलू कार्यों व कृषि कार्यों के लिये ईंटों की मिट्टी निकालने व ईंटों के कजावे पकाने के लिये इजाजत हासिल करने के लिये अनुचित तौर पर परेशान करने व उन पर कजावे बनाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

(293) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी पड़त भूमि पर तावान की कायमी व उसकी वसूली के गलत तरीके के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(294) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर

(श्री हरजीराम बरड़क)

दिया जाय (मालगुजरी की वसूली में फैली अव्यवस्था व धांधली बाजी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(295) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से कम कर दिया जाय (नोर्दन रेल्वे अधिकारियों द्वारा बीकानेर डिविजन के गांवों के बन्दोबस्ती रास्तों को रोक रखने पर चर्चा के लिये)।

(296) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों को आवास सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(297) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (कृषि भूमि की पेमाइश में किसानों से बैगार करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(298) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अवाप्त की गई कृषि भूमि का मुआवजा न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(299) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों को विकास कार्यों के लिये प्रयाप्त मात्रा में तकावी न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(300) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (बेकार जोहड व उनकी पायतन भूमियों को कृषि भूमि में परिवर्तित न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री हरजीराम बरडक (लाडनूं) :

(301) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीडवाना द्वारा सन् 60 में ग्राम ललासरी के तालाब को पक्का बंधवाने के लिये सरपंच को दी गई राशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(302) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से 100)रु. कमकर दिया जाय (सरपंच, पंचायत चन्द्राई (तहसील लाडनूं) के खिलाफ की गई शिकायतें प्रमाणित हो जाने पर भी उनको सस्पेन्ड न करने बाबत चर्चा के लिये)।

(303) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं

Page No.112

(श्री मेघराज)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिये जायें (सरपंच ग्राम पंचायत रताऊ (त. लाडनू) द्वारा उनको दी गई निर्माण कार्य की राशि को अपने खेत में कुण्ड बनाने में खर्च कर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(304) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य (पंचायत समिति डीडवाना द्वारा सड़कों के निर्माण के नाम से किये गये घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(305) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु कम कर दिया जाय (सरपंच, ग्राम पंचायत सनारी (तहसील लाडनूं द्वारा पंचायत को निर्माण कार्यों के लिये मिली राशि का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(306) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीडवाना द्वारा पशु मेला लगाने में किये जा रहे घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(307) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु0 कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा संचालित पाठशालाओं में शिक्षा के स्तर में आई गिरावट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(308 मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोयनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनू द्वारा कृषि कुओं के निर्माण तथा प्रचार बोर्डों की खरीद की गई राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(309) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (उप जिला विकास अधिकारी नागौर के कार्यालय में चल रहे इन्क्वायरी के मामलों में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध मै चर्चा के लिये) ।

(310) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनू के क्षेत्र के सरपंचों के

(श्री मेघराज)

खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाहियों में बरती जारही ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(311) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रधान पंचायत समिति डीडवाना के खिलाफ चल रही विभागीय जांच में जांच पूर्ण होने पर भी कोई फाईनल ग्रादेश न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(312) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम कुचेरा के सरपंच को जांच के दौरान निलम्बित किया था इस को बिना जांच किये ही बहाल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(313) मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64- दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम चखखारडीया व नोरंग पुरा तहहील डीडवाना जिला नागौर को अभाव ग्रस्त होते हुए भी अभाव ग्रस्त घोषित न किये जाने से सम्बम्ध में चर्चा के लिये)।

(314) मांग-संख्या 28, मुख्य शीर्षक 46– दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील लाडनू के के ग्राम जो इस वर्ष अकाल ग्रस्त घोषित किये गये है उनमें सहायता कार्य चालू नहीं किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(315) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू– राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भू–राजस्व की वसूली के साथ अल्प बचत योजना के नाम से ली गई राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(316) मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9–भू– राजस्व में से 100) रु. कम कर दिजा जाय (ग्राम जसवन्तगढ़ (तहसील लाडनू) में हाई स्कूल के लिये ली गई भूमि को एक्वायर करने के बाद भी खातेदार से बीघोड़ी जबरन वसूल करते रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(317) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू- राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम जसवन्तगढ़, तह- लाडनु में अनियमित रूप से चारागाह घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(318) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू- राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बोबी जोधा तहसील लाडनू में अलग रकवा निकाल

(श्री मेघराज)

कर चन्दाई मान के गांव को अलग गलत रूप से घोषित करने बाबत चर्चा के लिये) ।

(319) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दिय जाय (तहसील कार्यालय लाडनू द्वारा दिनांक 28-3-1957 को ग्राम कलुम्बी में कृषि कार्य हेतु कुओं के बनाने के लिये दिये गये ऋण के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 22

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)

(320) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अरड़ के सरपंच द्वारा नोहर नगर पालिका क्षेत्र के एरिया में नाजायज पट्टे देने पर चर्चा के लिये) ।

(321) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि बेचने का अधिकार दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(322) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोनाऐं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील सूरतगढ़ पंचायत अमरपुरा राठान का गठन गलत होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(323) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में सामान खरीदने में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

(324) मांग सख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को अधिकार देने की पद्धति दोषपूर्ण होने पर चर्चा के लिये) ।

(325) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्रसार अधिकारियों के पद समाप्त कर ग्राम सेवकों को नियुक्त कपने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

(326) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64– दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल घोषित क्षेत्र नोहर में कर्जा वसूल होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(327) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64– दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिय जाय (तहसील नोहर में अकाल राहत कार्य चालू नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(328) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64– दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यो पर लगने वाले मजदूरों को मजदूरी कम देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(329) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64– दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अकाल घोषित ग्रामों में राहत कार्य चालू नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(330) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू– राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय (छोटी जोतों पर लगान गत वर्ष माफ किया गया वह पुनः लगाने के सम्बन्धी नीति का अननुमोदन) ।

(331) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान भर के काश्कारों की भूमि का लगान समाप्त न करने सम्बन्धी सरकारी नीति का अननुमोदन) ।

(332) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में में 100)रुपया कम कर दिया जाये (तहसील नोहर में काश्तकारों के भूमि के इन्तकाल बाकी हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

(333) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व में से 100)रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में ईंटे पकाने वाले कुम्हारों के साथ दुर्व्यवहार सम्बन्धी चर्चा के लिऐ) ।

(334) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू- राजस्व में से 100)रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवन्टित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(335) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में तहसीलदार के बार बार स्थानान्तरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(336) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व में से 100)रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के तह-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सील नोहर व अन्य तहसीलों में निर्धारित दर पर भूमि न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(337) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100)रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में काश्तकारों पर नाजायज तावान लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(338) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू- राजस्व में से 100)रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में तहसीलदार द्वारा भूमि आवण्टन में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):

(339) मांग सं. 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु. कम कर दिया जाय (वास्तविक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता न देकर राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने हेतु ऐसे कार्य किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर सु०):

(340) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु. कम कर दिया जाय (चुरू जिले के अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(341) मांग सं. 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील रतनगढ़ (जिला चूरू) के गांवों में तहसीलदार रतनगढ़ ने पुराने कब्जों वाले किसानों को बेदखल करने के नोटिस जारी कर रखे हैं, इस संबंध में चर्चा के लिये):

मांग संख्या 28

श्री शंकरलाल (जैतारण):

(342) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता मद के अन्तर्गत बनी सड़कों की देख रेख न होने पर चर्चा के लिये)।

(343) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100)रु० कम कर दिया जाय (रायपुर और जैतारण तहसीलों में इस वर्ष अकाल राहत कार्य न खुलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग सं. 1

(344) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को

(श्री शंकरलाल)

घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पाली जिले में सं० 2020 के लगान माफी की आज्ञा के बावजूद वसूली होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(345) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पाली जिले में बेदखली के हजारों मामले कई वर्षो से विचाराधीन होने पर भी शीघ्र निर्णय की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(346) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के गांव निम्बाज की आय सड़क के दोनों तरफ के वृक्षों का लगान न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(347) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सार्वजनिक बांध, तालाब व चारागाहों को भूतपूर्व जागीरदारों के कब्जे से छुड़ाने पर चर्चा के लिये)।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) :

(348) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर ज़िला में सेटलमेंट की दोहरी व्यवस्था से लोगों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

(349) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में अकाल सहायता कार्य समय पर न होने एवं पेय जल की अव्यवस्था, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) :

(350) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अलाभदायक जोतों पर भू-राजस्व की छूट की समाप्ति सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) :

(351) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (दीगोद के तहसीलदार द्वारा कोलेनाइजेशन की जमीन अनधिकृत रूप से बेचने एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(352) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

100) रु. कम कर दिया जाय (भू–राजस्व लघु जोतों से वसूल करने एवं इस सम्बन्धी व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम करोल (जमवारामगढ़)

(353) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (काश्तकारों को भू–राजस्व माफ किये जाने पर चर्चा के के लिये)।

(354) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छोटी जोतों पर लगान माफ करने और अगले वर्ष से लगान वसूल करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री दोलतराम (देसूरी)

(355) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (फसल की गिरदावरी करते वक्त पटवारियों को विशेष सुविधाएं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़)

(356) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलाभकारी जोतो पर से भू–राजस्व की समाप्ति के कारण 30 स्टेण्डर्ड एकड़ वाली जोतों पर से double surcharge हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)

(357) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व में से 100)रु. कम कर दिया जाय (छोटे किसानों को भू–राजस्व की सर्वथा छूट न देने विषयक नीति का अननुमोदन) ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा) अकलेरा)

(358) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू– राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु, कम कर दिया जाय (ग्राम मदनपुरिया, चुरैल के सैकड़ों भूमिहीन कृषकों की जमीनों को छुड़ाया जा रहा है एवं उस भूमि को नीलाम किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

(359) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में किसानों से लगान व तकावी मनमानी तरीके से वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

(360) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु॰ कम कर दिया जाय जिला बांसवाड़ा में भू–राजस्व की वसूली मनमाने रूप से होने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री अब्दुल हादी (चौंहटन)

(361) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर जाय (ग्राम हरपालिया तहसील चौहटन के पटवारी द्वारा ग्राम सालोदिया के कृषकों को तंग करने व गैर कानूनी कुर्कियां करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)

(362) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100) रु० कम कर दिया जाय दुर्भिक्ष सहायता के लिये खोले गये कार्यों में होने वाले अपव्यय व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

(363) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100) रु. कम कर दियाजाय (छोटी जोतो पर फिर से भू-राजस्व लगाने आदि पर चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोशनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु.) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है वह सामुदायिक विकास योजना के बारे में है जो पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलनेवाले कार्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलनेवाली योजनाओं में जो सिंचाई की योजनाएं है वे काफी मात्रा पहाड़ी इलाके में हैं। इन योजनाओं के लिये पंचायत समितियों को 25 हजार रुपये तक की धनराशि की अधिकार दे रखे हैं जो बिल्कुल पूरे नहीं पड़ते। 25 हजार में तो केवल नींव खोद कर सात आठ फुट की दीवार ही बन सकती है, और कुछ भी कार्य नहीं बन पाता है। इसलिये काम अधूरा ही रह जाता हैं।

दूसरा यह हैं कि आपने इसमें श्रमदान का प्रावधान और रखा है। जब ये सिंचाई की योजनाएं बनाई जाती है तो आप पिलाई के पैसे की पूरी वसूली करते हैं, उनसे कुछ कम नहीं लिजा जाता। तो फिर यह श्रमदान किस बात का ? जब वे श्रमदान करते है तो मनसे पिलाई की वसूली नहीं करनी चाहिये या रियायत होनी चाहिये। जब सिंचाई दर की पूरी वसूली होती है तो फिर श्रमदान नहीं होता है तो फिर पंचायत समिति में श्रमदान का सवाल खड़ा नहीं होना चाहिये।

उदयपुर डिवीजनमें पहाड़ी इलाके में काफी छोटी छोटी योजनायें हैं, छोटे छोटे नाले है, कई छोटी नदियां भी हैं। वहां पर बड़े तालाब बनने की गुंजाइश नहीं है। वहा पर छोटे पिकपवियर व तालाब बनाकर 100 या 200 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है। ऐसी योजनाएं उन नालों पर बनाई जा सकती है, लेकिन

(श्री देवीलाल)

पंचायत समिति उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाती। इसलिये नहीं कर पाती कि 25 हज़ार रुपये की जो रकम आपने रखी है वह बहुत कम है योजना 25 हजार से पूरी नही होती है 50 हजार की या एक लाख की। तो वे कर नहीं पाते। इसलिये राज्य सरकार को पंचायत समितियों को भी कम से कम एक लाख रुपये तक की योजना बनाने की स्वीकृति देनी चाहिये।

दूसरा यह है कि पंचायत समितियो के अन्तर्गत काफी रिलीफ के दल हैं! वे छोटे तालाब हैं, वे सारे अधूरे पड़े हुए हैं क्यों कि उन के लिये राज्य सरकार ने कोई धन-राशि कहीं रखी। जो रिलीफ में कार्य चालू किये गये वे काफी अधूरे पड़े हैं। सरकार ने पंचायत समितियों से काफी छोटे तालाबों का कार्य रिलीफ में निर्माण कराया लेकिन आज वे तालाब इस वक्त 25 हजार की पाबन्दी की वजह से अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि ये अधूरे तालाब जो पंचायत समितियों के अन्तर्गत बनवाये गये हैं, उनने लिये कुछ धनराशी स्वीकृत करें। मेरे क्षेत्र के लिये जब तक दो लाख रुपये की राशि नहीं दी जावेगी तब तक ये तालाब ऐसे ही अधूरे पड़े रहेंगे। सड़कों का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, तालावों का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। जो रिलीफ में पैसा रखा हुआ है उससे काम पूरा हो सकता था लेकिन पंचायत समितियो को कई दिन तक तो रकम मिली ही नहीं और पंचायत समितियों को जल्दी काम करवाने का अधिकार नहीं ही दिया गया।

राजस्व के मामले में मेरा कटौती प्रस्ताव है कि एक तरफ तो आप काश्तकारों को सहूलियतें देने की बात करते हैं और अधिक अन्न उपजाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उनसे कहा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है उन लोगों से खातेदारी हकूक लेने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दे दिये भूमि अलाट-मेंट के लिये, लेकिन वहां के जो पटवारी हैं वे उन प्रार्थना पत्रों को दबाकर बैठ गये। जब वे तहसीलदार के पास गये तो उन्होंने पटवारी से प्रार्थना पत्र मंगवाये। जब वे पटवारी के पास गये तो पटवारी ने उनका प्रार्थना पत्र उनके सामने ही फाड़ कर फैंक दिये। लोग रोते फिरते हैं लेकिन आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। उनको 20 गुना लगान देना पड़ता है और इसके अलावा दूसरी पेनल्टी व जुर्माना और देना पड़ता है। इतने अकाल पीड़ित हो चुके हैं कि काश्तकार गरीब हो चुका है और उसकी स्थिति आज तक नहीं सुधरी है। इस वर्ष भगवान की कृपा से अच्छी बरसा हुई है और वर्षा के कारण अनाज भी अच्छा हुआ है, लेकिन काश्तकारों को अभी तक उसका कोई फायदा सहीं मिला है। उनके ऊपर अभी तक भी कर्जा है पुराना कर्जा जिसको वे चुका नहीं पाये हैं।

(12-48 म. प.)

(श्री केदार नाथ सभापति, पदासीन)

और यह कई बरस तक कर्जा चलता रहेगा। तो पहले तो अकाल की वजह से परेशानी हुई और अब आपके इस तरह के 20 गुना लगान और पेनल्टी व जुर्माना से वह परेशान हो रहे हैं।

(श्री देवीलाल)

इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी भूमि को रेग्यूलराइज किया जाय। नाजायज कब्जों वाली भूमि को रेकग्नाइज किया जाय, वहां जो भूमि है उसमें लगान की शरह है उसके अनुसार लगान लिया जाकर खातेदारी अधिकार दिया जाय जो अधिक जुर्माना किए जाने वाला है उसको न लिया जाकर खातेदारी हक उनको दिए जायं। जो पहाड़ी इलाका है उदयपुर जिले में वहां काश्तकारों के पास पहाड़ी भूमि है केवल वर्षा के आधार पर ही एक फसल पैदा करते हैं, उनमें इतना अधिक पैदा नहीं कर पाये हैं, जो बाजार में ले जाकर बेच सकें और पैसा पैदा कर सकें। केवल अपने गुजारे के लिये ही पैदा कर सकते हैं नालों वाली भूमि में दो फसलें कहीं कहीं पैदा होती हैं। लेकिन अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं वहां पहाड़ी भूमि है और उसमें एक फसल ही पैदा होती है। ऐसी स्थिति में उन काश्तकारों का ध्यान रखा जाय कि जिनके पास नाजायज कब्जे हैं, उन से लगान ही लिया जाकर खातेदारी हक दिया जाय नहीं तो उनकी हालत यदि आपने 20 गुना या 15 गुना या 25 गुना पेनल्टी वसूल कर दी तो वे न तो देने वाले ही हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं है।

छोटे काश्तकारों को सहायता देने की बात है मेरे इलाके में काफी लोग मुश्किल से 2 बीघा से 5 बीघा का एवरेज काश्तकारों के खाते में जमीन है, उन काश्तकारों को मदद करने की जरुरत है उस इलाके में कभी लोग बड़े प्रयत्न के साथ-कुएं खुदवाते हैं, कुएं में कहीं पानी भी अच्छा आता है लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जिनमें लकड़ी नहीं पाई जाती है। ऐसी हालत में रहट नहीं लगा सकते है, बिजली की लइन भी है, उस लाइन में काफी कुएं हैं. उनको बिजली दिलाने की व्यवस्था करें ताकि वह जमीन सिंचित हो सके। तो आपके मारफत निवेदन करता हूं कि आप बिजली मन्त्री को ऐसा सुझाव दें।

पहाड़ी इलाकों में काश्तकारों की ऐसी स्थिति है कि,छोटी जमीन है, छोटी जमीन में खाद की व्यवस्था पानी की सुविधा, होनी चाहिये।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : मैं आपका ध्यान मांग संख्या22, मुख्य शीर्षक 37, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के विस्तार के निमित्त आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1947 में जब आज़ादी मिली और महात्मा गांधी यह विचार कर रहे थे कि हम गांवों तक पंचायती राज पहुंचायेंगे और इस तरह गांवों के अन्दर श्रद्धा पहुंच जाय, श्रद्धा तो क्या उल्टे उन पंचायती राज द्वारा बहुत सा भार लादना पड़ा। जैसे पंचायती राज में पक्षपात, भाई बन्दी तथा जातिवाद का बुलन्द नारा है, वैसा वह नहीं चाहते थे। आज जिस पंचायती राज का उद्घाटन महान् पुरुष नेहरु जी द्वारा किया गया और उसके लिए कितना खर्च हुआ, सारा मिट्टी में चला गया। पंचायती राज जिसके द्वारा हमारी पंचायत समिति को 38,8000) रु. का ऋण उद्योगों के लिए दिया गया वह किसको दिया गया ? उसका पता नहीं। 7,000) एक प्रेस वाले को

(श्री परसराम गंगाराम)

को दिया गया उसका नाम कल प्रश्नों में आया तो वहां न कोई प्रेस है न कोई चलाने का प्रश्न ही है। यह पैसा वापस लेने की कोई भावना ही नहीं। मैं समझता हूं कि इस नमूने से दिया गया है जैसे कोई दान में दिया गया हो। ऐसा बहुत सा पैसा दिया गया है जिसका कोई पता नहीं। जैसे मकरी में पशुओं का मेला लगता है, आमदनी तो नहीं बल्कि उसमें नुकसान है, उस नुकसान वाले काम को आप करेंगे तो आपको आखिर घाटे में जाना पड़ेगा और वह जनता आपकी तरफ देखेगी और जनता की कमाई का पैसा आप नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपको भुगतान देनी पड़ेगी।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृषि लोन डाडोता सरपंच को कुएं के लिए पैसा दिया गया। न तो कुआ है न खुदाई की गई और पैसा फिजूल गया शादियों और मौसरों में इस तरह उन्होंने पैसा फिजूल खर्च में लगाया कुये खोदने का सिर्फ बहाना था।

इसके अलावा आपको पता होगा कि गूलर पंचायत की जनता के द्वारा एक सांड खरीदा गया और उस सांड की कीमत जनता ने दी सरपंच और प्रधान इकट्ठे होकर पंचायत समिति से सांड के पैसे ले लिए और उसके बाद रिपोर्ट की गई एन्टी-करप्शन में लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे नमूने से पंचायत के पैसे का दुरुपयोग करना और उसका फायदा जनता को न मिलना, यह पंचायती राज का नियम या आपके घर का राज समझ कर जनता के पैसों का हिसाब नहीं लिया जा रहा है। जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

न्याय पंचायतों में भी यही हाल है। जमीन जिसकी आई छीन ली और जैसा न्याय चाहिए वहां नहीं मिलता। आपने मनमानी करके गरीबों और भूमि हीन हरिजनों की भूमि छीनली यह कहां तक उचित है? यह पंचायती राज का जो अनुदान उन्होंने मांगा है वह सारा ही मैं समझता हूं आमदनी तो नहीं होगी और उसका फल नहीं निकलेगा इस लिये पंचायती राज का नामो निशान मिटाया जाय तो अच्छा होगा जिससे जनता के धन का दुरुपयोग तो नहीं होगा और जनता को राहत मिलेगी।

(1 म. प.)

पंचायत राज जो है, यह पंचायत राज नहीं रहना चाहिये। उसके बजाय यह पैसा दूसरे अनुदान में लगाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उद्योग तथा और किसी कार्य में लगा कर अपने देश की उन्नति करना चाहिये। दूसरा मैं ध्यान आकर्षित करूंगा, आपके द्वारा जो जमीन गंगानगर में है-कमान्ड एरिया में वह शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिये रखी गई है। एक लाख बीघा रखी गई है। मैं समझता हूं यह कम है। दो लाख एकड़ रखी जाय तो उनके लिये अच्छा होगा ताकि हरएक भूमिहीन अनुसूचित जाति व जन जाति के किसानों को

(श्री परसराम गंगाराम)

मिलेगी। तो आप लोगों ने सदन में फरमाया कि हम 25 बीघा से कम है जमीन वालों से भू राजस्व नहीं लेंगे, वह आप लेते हैं। इसलिये मैं समझता हूं यह नहीं लेना चाहिये। हरिजन जो हैं, उनकी जमीन कम है। उनसे लेने से भार पड़ेगा और उस भार से वे आगे नहीं पनपेंगे। मेरा विचार है कि भू–राजस्व उन लोगों से नहीं लेंगे तो अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र सिंह।

श्री महेन्द्रसिंह हाडा (पीपल्दा) : सभापति महोदय, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अगर सबसे अधिक रकम किसी भी समुदाय से, किसी भी समाज से, किसी भी व्यक्ति से राज्य सरकार को जमा करनी है तो वह किसान वर्ग है, खेती करने वाला व्यक्ति हैं, गांवों में रहने वाला व्यक्ति है। गत वर्ष हमारे राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा की थी कि अनार्थिक जोतों पर अगले वर्ष कोई लगान नहीं लिया जायगा। उसको पूरा करने के लिये यानि उसकी छूट के कारण करीब 73 लाख की कमी राजस्व में पड़ रही थी और उसकी पूर्ति के कारण हमको उन किसानों के ऊपर जो अधिक खेती करते हैं या जो अधिक जमीन वाले हैं, 100 रु० तक लगान देते हैं उन पर लगान लगाकर बराबर करके पूर्ति करेंगे लेकिन सभापति महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि उस आश्वासन पर आज राज्य सरकार कायम नहीं रही। राज्य सरकार ने उन अनार्थिक जोतों पर लगान कायम कर दिया। आज उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। उनसे लगान वसूल करने के बाद भी जिनसे उस राशि की पूर्ति की जानी थी मालदार किसानों से वह नहीं हो रही है। छोटे किसानों को आर्थिक सहायता मिले, राहत मिले, यह नहीं हो रहा है। केवल लगान की छूट देकर उनको बचाना चाहती है। आज उन किसानों से जो अधिक खेती करते हैं उन लोगों से लगान की दर सर–चार्ज की दर के बराबर की है और वह वसूल कर रहे हैं। यही नहीं राज्य सरकार ने पिलाई की दरें बढ़ाई हैं। इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू विभाग के द्वारा एक करोड़ का आज हमारे किसानों पर डाइरेक्ट टैक्स लगाया है। हमारे किसानों की हालत इन वर्षों में बहुत ही दयनीय होने की सम्भावना है। आज किसान सर–चार्ज को जमा कराने में असमर्थ है। आज उनके पास अनार्थिक जोतें हैं और उन अनार्थिक जोतों के होने के कारण वह भूमि का लगान नहीं दे सकता है। राज्य सरकार आज जबरदस्ती किसानों से वसूल कर रही है। सरचार्ज वसूल करने में जबरदस्ती बरती जा रही है। यही नहीं आज सभापति महोदय, इनसे लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में किसान प्रभावित हैं। एक घोषणा की थी और विज्ञप्ति निकाली थी कि जो चम्बल एरिया के किसान हैं और जिन्होंने 66 के पहले नाजायज काश्त कर ली है उनको उस कमान्ड एरिया में, उस नाजायज काश्त को रेगूलराईज कर दिया जायगा और आगे

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

रोका जायगा लेकिन सभापति महोदय, उस नियम की पालना नहीं हो रही है बल्कि उल्टा हो रहा है पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार आदि किसानों को लूट रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं, उनकी फसलों को उजाड़ रहे हैं। आप दीगोद तहसील ले लीजिये, लाड़पुरा तहसील ले लीजिये–इसके अन्दर हजारों की संख्या में इस प्रकार के लूटमार के केसेज हैं। सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा, यह क्यों हो रहा है–यह इसलिए हो रहा है कि इसके अन्दर धारा लगा दी है कि जिस पटवारी ने टाइम पर रिपोर्ट नहीं की, उसको दोषी ठहराया जायेगा। यह अनधिकार चेष्टा की गई है। अगर पटवारी की गलती रही तो वह मोअत्तिल किया जायगा। कोई भी पटवारी कानूनगो और तहसीलदार दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। इसलिये सारा मामला दबाया जा रहा है उन लोगों को बुरी तरह से पीसा जा रहा है। वास्तव में देखा जाय तो वे एक-एक साल की काश्त करने वाले नहीं हैं, वे 3–3, 4–4, साल पुराने काश्तकार हैं। इसका सबूत अभी मंत्री महोदय चाहें तो मैं दे सकता हूं। इसको सभापति महोदय गंभीरता से लेना चाहिये। पटवारी, तहसीलदार लोग उनके ऊपर नाजायज प्रहार करते हैं, यह न हो–इसको रोकना चाहिये। यह बिल्कुल सम्भव है कि वहां के किसान, वहां के लोग इन सारी बातों से आतंकित होकर अपने माइन्ड का, दिमाग का सन्तुलन न खो बैठें। वह सन्तुलन कहीं ऐसा न हो, भयंकर रूप धारण करले। नदी की पेटा में जो भूमि काश्त में आती है उसके लिये आपने एक सरक्यूलर निकाला कि जिन जिन लोगों के पास ऐसी भूमि कब्जे में है और यदि नदी की तलहटी में नई जमीन है, कोई बड़ी जमीन निकलती है और उस पर काश्त होती है तो उस जमीन का तहसील हर साल टेम्परेरी अलाटमेंट करेगी और टेम्परेरी पट्टे देकर लोगों से काश्त करवायेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने कितने पट्टे इश्यू किये हैं? उस सरक्यूलर के अनुसार ऑक्शन होगा और फिर वह जमीन टाइम पर खाली होनी चाहिये। बारबार पट्टे देकर सरकार काश्त करवायेगी लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस सुस्ती के कारण जिन लोगों ने जितनी जमीन वहां पड़ी थी, काश्त करना शुरू कर दिया। उस समय तहसीलदार ने मना नहीं किया, पटवारी ने मना नहीं किया अब जब उनकी फसलें तैयार हो गई है तो तहसीलदार, पटवारी और एस. डी. ओ. जाकर उनसे मना कर रहे हैं कि तुम लोग फसल को नहीं काट सकोगे, फसल का तुम लोग उपयोग नहीं कर सकते हो हम भूमि की बोली लगायेंगे। मैं कहता हूं जब उन लोगों ने फसल बोई, उस समय भादवा और आसोज में तहसीलदार कहां चले गये थे, पटवारी कहां चला गया था। उसमें सभापति महोदय, एक कारण था कि उनको यह आशा थी कि इनसे सेटिलमेंट हो जायगा जैसा चाहेंगे वैसा ही निपट जायगा और ये लोग फसल दे देंगे लेकिन जब सौदा बनते नहीं दिखाई दिया तो उनको पाबंद करने की कोशिश की जा रही है

(श्री महेन्द्रसिंह हाडा)

रोहतगंज में जिस प्रकार का दंगा हुआ है उससे वहां एक मौत हो गई। यह सब रेवेन्यू विभाग और तहसीलदार पर है। इन्हीं की गलती के कारण अन्ट-सन्ट आर्डर्स किये गये—

श्री बृज सुन्दर शर्मा : गांव का नाम बता दें।

महेन्द्रसिंह हाडा : रोहतगंज। इसका जिम्मेदार कौन है ? आज अगर जिम्मेदार है तो रेवेन्यू विभाग है।

पुलिस स्टेशन गुढ़ा में तीस तीस मुकद्दमे फौजदारी के लगा दिये हैं। वे सब रेवेन्यू के मामले को लेकर हुए हैं। क्यों नहीं सरकार टेम्परेरी अलाट करे, इसके बजाय ऐसा करे कि जिन किसानों के नीचे जमीन है जो भी पेटा काश्त होगी उस पर वह किसान काश्त कर सकेगा। पटवारी जाकर उस जमीन को तस्दीक करके उसके खाते में कर दे। सारा मामला ठीक हो जावेगा।

एक तरफ सरकार कहती है अधिक अन्न उपजाओ। एक एक इन्च भूमि में फसल करो। पर कोई काश्त करता है तो उस जमीन को छीनना चाहते हैं फसल को ही नष्ट करने की सोचते हैं।

मेरा तो सुझाव है कि आप नियम बना लो कि ये ये जमीनें काश्त में नहीं ली जावेंगी, आबादी, चरागाह सार्वजनिक तलाइयों की जमीन, श्मशान की जमीनें खलिहानों की, इन सारी जमीनों को छोड़कर बाकी जिन पर फसल हो सकती है उन पर जो भी काश्त करना चाहे कर सकता है। इस प्रकार की खुली छुट होनी चाहिये। इससे मैं समझता हूं वहां के लोगों को राहत मिलेगी जिनकी आर्थिक हालत खराब है ऐसे भूमिहीन किसानों को भी मदद मिलेगी।

मैं एक तहसीदार का काण्ड निवेदन कर देना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तहसीलदार दीगोद को ले लीजिये। इनका व्यवहार कैसा है यह किसी से छुपा नहीं है। ये गांव गांव में टूर करते हैं। रिश्वतों का बाजार गरम रहता है। मन मानी करते रहते हैं। कहते हैं राजस्व मन्त्री मेरे रिश्तेदार हैं वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। दुनियां कुछ नहीं कर सकती। बृजसुन्दरजी मेरे रिश्तेदार हैं तो मेरा बिगाड़ने वाला है, कौन ? आज उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।

सालमपुरा एक गांव है वहां उसने अपने एक रिश्तेदार के नाम कम कीमत पर बिना बोली लगाये 19 बीघा जमीन अलॉट कर दी। यही नहीं किया। और भी अनधिकृत काम किये हैं। जालमपुर से एक रास्ता जाता है वह बन्द कर दिया। नहर के वाटर सोर्स को बन्द कर दिया। एक तलाई पर नाजायज कब्जा करा दिया। 19 बीघा अलाटमेंट के अगेन्स्ट में उनके रिश्तेदार खुद 26।। बीघा पर काश्त करते आ रहे हैं। उनके ऊपर कोई ट्रेसपासर का

(श्री महेन्द्रसिंह हाडा)

मुकद्दमा नहीं कोई जुर्माना नहीं, गरीब पर जरूर मुकद्दमें और हजार रुपये तक जुर्माना हो जावेगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह सब इन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के बस का रोग नहीं है।

इनका बूता नहीं रेवेन्यू विभाग को ये सम्भाल लें। उनको तो पूजा का काम सौंपना चाहिये। रेवेन्यू मिनिस्टर तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो इन पर कन्ट्रोल कर सके। किसानों की समस्या को समझ सके और हल कर सके। इन्होंने तो शुरू से ही पूजा का काम किया है। ये इस काबिल नहीं हैं। उनको अगर इसी पोस्ट पर रखा जावेगा तो किसानों के साथ अन्याय ही होता रहेगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान में जवाहरलालजी नेहरु ने नागोर में पंचायती राज की मशाल जलाई और इस रुप में राजस्थान ने देश के सामने एक मार्ग दर्शन दिया कि पंचायती राज कैसे सफल हो सकता है। हमने देश को मार्ग-दर्शन दिया। हमें इससे बड़ी आशाएं थीं। देश को थीं।

पर थोड़े से अरसे में ही यह देखने को मिला कि जिस उद्देश्य से इस पंचायती राज की स्थापना की गई वह सफल नहीं हो रहा है। आज हम देख सकते हैं कि हमारी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की क्या हालत है।

सभापतिजी, पहले गांव में लोग जो प्रेम से रहते थे इस पंचायती राज के द्वारा वह प्रेम समाप्त हो गया इसके द्वारा राजनीति ने गांव में प्रवेश कर लिया, राजनीति गांव में पहले इतनी नहीं थी। इसने सारे प्रेम को समाप्त कर दिया। वैमनस्य के बीज बो दिये। राजनीति में यह स्वाभाविक है क्योंकि पंचायतों का स्वरूप राजनीति से मिलायें तो इन में मेल बैठता नहीं है। राजनीति में वैमनस्यता होगी, उखाड़ पछाड़ होगी। तो इसलिये इस राजनीति से इस पंचायत को अलग ही रक्खें तो इसका असल स्वरूप हमें देखने को मिल सकता है।

आज पंचायत समिति और जिला परिषदों और पंचायतों की क्या हालत है, इस पर काफी कहा जा सकता है। पर समय सीमित है। सभी बातों की ओर मैं इतने अल्प समय में ध्यान आकर्षित नहीं कर सकूंगा। पर एक बात का जिक्र जरुर करूंगा।

यह चुनाव प्रणाली जो आज है वह बाधक है। आज पंच और सरपंचों को चुनाव के वक्त में बान्ध कर रखते हैं। मैं स्वयं यह भुगत चुका हूं। मैं ही नहीं सदन के कई माननीय सदस्य भुगत चुके हैं और बाहर वाले भी भुगत चुके हैं कि यह प्रधान का और प्रमुखजी का चुनाव कितना मुश्किल है। हजार हजार लोगों को एक एक कैम्प में बन्द रखना पड़ता है। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह जनतन्त्र की भावना के विपरीत है। लोगों को स्वेच्छा से मत देना चाहिये। पर मैं निवेदन

(श्री शिवनाथसिंह)

करूं कि पंच सरपंच की हैसियत हमसे बहुत कम है। वैसे भारत का हर नागरिक अपनी हैसियत रखता है। पर चुनाव के हिसाब से मामला और है।

कानोता की कैद जिन विधायकों ने भुगती है वे जानते हैं। तो विधायकों के साथ यह हो सकता है तो पंच सरपंचों की तो क्या बिसात है। यह किसी भी भावना की जनतन्त्र कहो, मानवीय कहो, विपरीत है। पर वास्तविक स्थिति यह है। इसलिए इसकी चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये। पंचायत समिति की चुनाव प्रणाली में सुधार हो सकता है। हमने सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को मन्जूर किया। इसमें विस्तृत अधिकार दिये थे। मैं निवेदन करूं कि इसी तरह पंचों और सरपंचों का चुनाव जब हो तो साथ ही प्रमुख और प्रधान के चुनावों की पेटियां भी लग जावें और सीधे चुनाव इसके भी हो जावें। बालिग मताधिकार से इनका भी चुनाव हो जाय तो फिर कैम्पों में पकड़ कर रखने करने का झंझट समाप्त हो जावेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचे। इस पक्ष और उधर पक्ष में बैठने वाले सभी इससे सहमत होंगे। सबको पंच सरपंच और प्रधान आदि के चुनाव लड़ने पड़ते हैं, इनमें कितना कितना खर्चा होता है तो चुनाव प्रणाली को बदला जावेगा तो आम जनता के वोट से सभी का चुनाव हो जावेगा। इसमें फिर पार्टी के आधार पर भी लड़ सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

दूसरे माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा कि राज्य की पंचायतों की और पंचायत समितियों की क्या हालत है। बी० डी० ओ० के पद को हटा कर राज्य के खर्च में कटौती के लिये यह अच्छा स्टैप था। इस बात का इधर बैठने वाले दोनों ने ही स्वागत किया लेकिन उससे पंचायत समितियों का सुधार हुआ हो ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि कई पंचायत समितियां ऐसी हैं कि वहां टीचर्स की तनख्वाह का पेमेन्ट नहीं हुआ है, वहां के स्टाफ का पेमेन्ट नहीं हुआ है और ऐसा हो नहीं सकता। इस स्थिति को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है तो पंचायत समिति की हालत हमारी बिगड़ जायेगी। और यही हालत पंचायतों की है। पंचायतें इस समय ऐसी हालत में हैं कि वह ग्रान्ट इन एड जो सरकार से मिलती है उनके ऊपर चलती हैं और पंचायतों के पास उसके अलावा कोई और आमदनी के साधन नहीं हैं। इस लिए इस ओर पंचायत समितियां और पंचायतों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाये। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इसके लिये कोई कमेटी का निर्माण करे या वैसे ही अपने सुझाव मांगे और बैठकर अपना मसला तय करे। इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं और भी निवेदन करूंगा कि पंचायती राज्य को राजनीति से अलग यदि रख सकें तो उसे रखना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सभी दलों के सदस्य और सभी दलों के प्रमुख नेता इस ओर ध्यान दें और तय करें कि पंचायत लेबल पर पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ें या नहीं लडें. इस ओर भी देखने

(श्री शिवनाथसिंह)

की आवश्यकता है। गत बार हमने देखा कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप में सभी दल चुनावों में आये। इसलिये राजस्थान के और समूचे भारत के नेताओं के यह सोचने का सवाल है कि पंचायतों में पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। मेरी मान्यता है कि पंचायतों को पार्टी पालिटिक्स से अलग रखें तो उसमें सुधार आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो भू-राजस्व का मसला है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झुन्झुनूं जिले का जो सेटलमेन्ट हुआ था वह 1990 में हुआ था और वह 10 साल के लिए हुआ था। उसके बाद में उसकी अवधि 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई। आज स्थिति यह है कि आज से 30-35 साल पहिले सेटलमेन्ट हुआ था और उस समय आधे बांटे के हिसाब से हुआ था उसके बाद में लोगों ने ट्रान्सफर्स कर दिये हैं, किसी के उत्तराधिकारी के रूप में ट्रान्सफर्स हो गये हैं और इस तरह का वह रेकर्ड बन गया है कि जिसमें आये दिन दिक्कतें आती हैं और लोगों को अदालतों में लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप सेटलमेन्ट कराइये ताकि रेवेन्यू रेकार्ड में दुरुस्ती हो जाये और एक मुकम्मिल और सही रेकर्ड आपके सामने आये और आपको भी सही स्थिति सामने आये और मालूम हो कि कितना रेवेन्यू लेते हैं और कितने खाते हैं और इससे लोगों को भी सहूलियतें होंगी। इस संबंध में और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर में कुछ जमीनों का अलाटमेन्ट हो रहा है। उधर बैठने वाले मानीय सदस्य भी और इधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी इस अलाटमेन्ट के बारे में बहुत चिंतित हैं। मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अलाटमेन्ट हो रहे हैं और जो अभी 30 तारीख तक दरख्वास्तें मांगी जा रही हैं और उसके बाद से अलाटमेन्ट होगा तो यह कहा जा रहा है कि वहां भूमिहीनों को अलाटमेन्ट में जमीनें मिलेंगी। मेरी मान्यता है कि ऐसा सम्भव नहीं हो सकेगा। जिस तरह की प्रणाली अपनाई जा रही है उससे भूमिहीनों को जमीन मिल जावे यह सम्भव नहीं होगा।

दूसरी शिकायत यह है कि वहां पर प्रिफरेन्स कायम किये गये हैं और वह इस तरह के हैं कि पहले तो वहां के गांव वालों को दी जायेंगी, फिर तहसील वालों को और जिला वालों को मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर किसी एक गांव, जिला या तहसील की नहीं है वह तो समूचे राजस्थान की है बल्कि सारे भारत की है। इसलिए उस इलाके में अलाटमेन्ट हो और उसी गांव के या तहसील के या जिले के लोगों का अधिकार हो उसके लिये मुझे सख्त एतराज है। मैं चाहूंगा कि उस एरिया में अलाटमेन्ट सारे राजस्थान वालों के लिए होना चाहिए क्योंकि वह ऐसी बड़ी योजना है कि जिसमें समूचे

(श्री शिवनाथ सिंह)

राजस्थान का रुपया लगा है और मैं कहूं कि समूचे भारत का रुपया लगा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इसके नियमों में सुधार होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा और निवेदन करूंगा कि अलाटमेन्ट के बारे में बराबर शिकायतें आती हैं कि पक्षपात होता है। तो मैं सदन के सामने एक मामला रखना चाहूंगा जो किसी पटवारी का नहीं है, किसी काश्तकार का नहीं है बल्कि वह मामला सदन के माननीय सदस्य से सम्बन्ध रखता है। तो हम छोटे मोटों को पकड़ें उसमें कोई सफलता मिले या नहीं मिले यह गौण चीज है लेकिन सदन के माननीय सदस्य जो बस्सी से आते हैं उनका एक मामला है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री जी इसको अपने हाथ में लें और सदन को बतायें कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसके साथ में सख्ती से कार्यवाही होगी। मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य के खिलाफ जो आरोप लगा रहा हूं वह मेरी जानकारी में है कि उन्होंने झूठे रूप में अपनी स्त्री और बच्चों के नाम से अलाटमेन्ट कराया है। वहां के प्रधान ने शिकायत पेश की और वह कागज राज्य सरकार के पास हैं। मैं समझता हूं कि वह शिकायत सही है या नहीं वह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वह मैने निवेदन कर दी। इस मामले में राजस्व मंत्री जी जानकारी करें और मैं चाहूंगा कि सदन को इस मामले में पूरी जानकारी दें। यदि इसमें किसी का दोष हो तो उस पर एक्शन लिया जावे।

अंत में माननीय सभापति जी अकाल राहत कार्यों के लिए थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्यों में राजस्थान में जगह जगह काम किये गये। कई जगह कच्ची और कई जगह पक्की सड़कें बनाई गईं। कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़क निर्माण मंत्री जी भी यदि उठ जायें और बैठ जायें तो भी पता नहीं लगे। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि जहां पत्थर डल गए हैं और पक्की सड़कों का अन्दाजा था उन पत्थरों को लोग ले जा रहे हैं क्योंकि उसके अन्दर कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां पक्की सड़कों का निर्माण हो सकता है और जहां माल गिर चुका है उसका यूटीलाइजेशन सरकार करे तो अच्छा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उन कार्यों को अपने हाथ में ले और सड़कों को पूरा कराये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में निवेदन करूंगा कि जो मैंने अभी बस्सी के सम्बन्ध में वहां के माननीय सदस्य का मामला सदन के सामने रखा उसके सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी कुछ न कुछ एक्शन लें।

श्री सभापति : श्री आदित्येन्द्र जी।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : सभापति महोदय, सदन के सामने बजट के सिलसिले में जो अनुदान की मांगें रखी गई हैं वह आज सब को मालूम है। उन पर विचार भी प्रारम्भ हो गया है, कई माननीय सदस्य बोल भी चुके हैं और उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे हैं। मैं भी उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं लेकिन सबसे

(श्री आदित्येन्द्र)

पहले मैं पंचायत समितियों के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा ।

(1-28 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री पदासीन)

यह सर्व विदित है कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के द्वारा गांवों की हालत सुधारने का प्रयास किया गया था और ऐसी कल्पना की गई थी कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के द्वारा गांवों की हालत में काफी सुधार होगा उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति होगी लेकिन जब से लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की स्थापना राजस्थान में हुई अगर हम इन 8, 10, 12 वर्षों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और ठीक प्रकार से उसका अगर हम अन्दाजा लगायें तो यह बात निश्चित है कि इन 10-12 सालों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति होने के बजाय इसमें अवनति ही हुई है ।

जैसा पंचायतों का लक्ष्य भारतीय संविधान में बताया गया है, और भारतीय संविधान की धारा 40 के अनुसार पंचायतों को इस प्रकार की शक्तियां और इस प्रकार के अधिकार देने का सवाल है जिनके कारण पंचायतें के प्रभाव शाली इकाई की तरह से काम कर सकें । अब देखना यह है कि क्या ये पंचायतें एक प्रभाव शाली इकाई की तरह से काम कर रही हैं? आज सभी लोग कहेंगे कि पंचायतें जो थोड़ा बहुत 10-12 साल पहले कर रही थीं आज की पंचायतें लगभग समाप्त हो गईं । राजस्थान में 40 हजार गांवों में लगभग 7 हजार के करीब पंचायतें हैं और उन 7 हजार पंचायतों में लगभग 70 या 75 हजार के करीब पंच हैं इस प्रकार से जन सेवा में ये जो गांव के सरपंच या नेता काम कर रहे हैं वे लगभग एक लाख के करीब हैं । लेकिन वहां हम उन्नति के बजाय देखते क्या हैं कि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और रात और दिन लोग शराब पीने में लगे रहते हैं । गांवों में जाते हैं मौका ले लेते हैं और आफिसरों को रिश्वतें देते है और खुद रिश्वत खा जाते हैं इसका मुख्य कारण कोई भी सोचता है कि क्या है ? आज जब हम इस को देखते हैं और इसके ऊपर विचार करते हैं तो हमें मुख्य कारण यह नजर आता है कि आज पंचायत समितियां निहित स्वार्थों का गढ़ बन गई हैं । पंचायत समितियों के कारण एक तरह से पंचायतें समाप्त होती जा रही हैं । दूसरी तरफ जिला परिषदें अपना जो उनका काम है उसको प्रभावशाली ढंग से कर नहीं पातीं । सभा नेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को जितना जल्दी समाप्त कर दिया जाय उतना ही ज्यादा अच्छा हो । आप शायद यह समझते हों कि पंचायत समितियों की समाप्ति एक प्रकार से एक अप्रगतिशील कदम होगा । लेकिन यह अप्रगतिशील कदम नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील कदम है । देखना यह है कि पंचायत समितियां हमारे लाभ के लिये हैं या हानि के लिये हैं तो सभी मानेंगे कि पंचायत समितियों से आज पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान है । हमारे जन-जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

ग्रापस में घृणा ग्रौर द्वेष जो पहले ऊपर था वह वहां तक पहुंच गया है।

इन पंचायत समितियों को समाप्त करने से ग्राज कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है जहां वहां पर हम कई ग्रौर ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हमारा सामाजिक ग्रौर नैतिक उत्थान हो सकता है। ग्राज जो मुख्य कार्य है जो कि सरकार को करना चाहिये वह शराब बन्दी का है। इसके बारे में कई महानुभावों ने इस सदन में ग्रौर इस सत्र में कहा है, ग्रौर उन्होंने बारबार इसी बात के ऊपर जोर दिया है कि सरकार इस बात की चिन्ता न करे कि शराबबन्दी से कितना नुकसान होगा, कितनी ग्रामदनी कम होगी इस ग्रामदनी की कमी तो केवल पंचायती राज्य से ही हो सकती है। पंचायती राज्य में जितना खर्च किया जाता है 25-30 करोड़ रुपया, ग्रौर इसमें कितना रुपया हमारे काम में ग्राता है यह हमें देखना है। ग्रगर हम इस प्रकार से इसका उपयोग करें तो हम पंचायत समितियों में 8-7 करोड़ रुपया तो बचा सकते हैं। इस 8-7 करोड़ रुपये से इतना बड़ा काम जो कि नैतिक उत्थान का है, नैतिक उत्थान का ही नहीं सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक उत्थान का भी कार्य है, उसको हम ग्रच्छी तरह से कर सकते हैं।

यहां पर वित्त मन्त्रीजी ने ग्रपने बजट भाषण में एक बात कही थी कि सरकार इसके लिए वचनबद्ध है शराबबन्दी के लिए। मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई सत्य नहीं है। सरकार ग्रगर मान ले कि ग्रपने स्वार्थों को पूरा करना चाहती है तो उसके लिए यह जरूरी है कुछ दिखावा इस काम के लिए करें, कोई ग्रपनी निष्ठा दिखलाई ाय, लेकिन चारों ग्रोर निष्ठा की कमी ही कमी है। यदि यह भी उल्लेख हो जाता कि जो सरकारी ग्राफिसर यहां के जो बड़े बड़े में ग्रौर जो ग्रौर सरकारी फन्कशन हैं उनके ग्राज जो शराब की उस समाज में जो कीमत है, शराब जो एक सम्मान की चीज है वहां पर उसको एक प्रकार से बन्द कर देते तो भी इसका बड़ा भारी ग्रसर होता।

तो ग्राज ग्रापको यह मालूम होना चाहिये कि 6 ग्रप्रेल जिसके ग्राज से 15 20 रोज हैं, के बाद जो स्थिति ग्राने वाली है उसमें सत्याग्रह होने वाला है शायद ग्राज उसको मजाक समझते हो ग्रौर भी समझते हों वह दिन ग्राने वाला नहीं है कि जिस रोक सत्याग्रह ग्रारम्भ होगा, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि वह दिन ग्रायेगा ग्रौर उस रोज यह मालूम पड़ेगा कि यह एकदम क्या हो गया। वैसे यह चीज जरूरी है कि बड़ा तूफान ग्राने से पहले एक प्रकार की शान्ति ग्रौर स्तब्धता हो जाती है, ग्रौर ग्राज इसी प्रकार की शान्ति मालूम होती है, लेकिन 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद दूसरी बात देखेंगे। ग्राज सरकार को साहस क्यों नहीं है वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर सकी? ग्राज ग्रगर सरकार इसको पूरा कर पाती है तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। इसका ग्रसर केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होगा। इसलिए मैं सरकार से बार बार बहुत ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि इस कार्य को, इस पुनीत कार्य को ग्रपने हाथ में ले।

(श्री आदित्येन्द्र)

पंचायत समितियों के लिए इस प्रकार का जो प्रावधान रखा गया है, सरकार की ओर से बहुत बड़ी रकम जो उन्हें हस्तान्तरित की जाती है उस ओर भी हमें यह देखना है कि कितना उपयोग उसका होता है। उसमें से बहुत सा रुपया जैसा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले निवेदन किया था कि रिश्वतों में चला जाता है, इस तरह से आज भी रिश्वतों मे जाता है। पंचायत समितियों में जो स्टाफ है बल्कि बहुत से बी०डी० ओज० भी हैं और कुछ प्रधान भी उसमें हैं, सभी के लिए नहीं कहता, लेकिन वहां एक हिस्सा बन्धा हुआ रहता है और वह हिस्सा चला जा रहा है। जितना रुपया शायद सरकार खर्च नहीं करती है उतना रुपया गांव वालों से दूसरी शकल में आ जाता है इन लोगों के पास में। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जितना जल्दी कोई कदम उठाया जाय वह कदम प्रगतिशील होगा। जब प्रगति ही नहीं रहती है तो इनकी जरूरत ही नहीं रहती। तो प्रगति लाने के लिए इस बात की जरूरत है कि इस काम को अपने हाथ में लिया जाय।

इसके अलावा, मैं इस सवाल को यहीं छोड़ता हूं और अब मैं कहता हूं भू-राजस्व के ऊपर। भू-राजस्व के सम्बन्ध में अभी वित्त मंत्री ने भाषण में इस प्रकार का इशारा दिया है और बतलाया है कि राजस्थान कैनाल में कमाण्ड एरिया में से 1 लाख एकड़ जमीन रिजर्व रखी है परि-गणित जातियों और जन-जातियों में जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए। असल में तो यह एक लाख एकड़ जमीन बहुत ही नाकाफी और अपर्याप्त है। जब एक एक आदमी के लिए, एक एक परिवार के लिए 15 बीघा जमीन दी जायगी तो कम से कम 6 एकड़ जमीन दी जायगी तब भी यह 15 हजार परिवारों के लिए एक लाख एकड़ जमीन मुश्किल से उनमें बांटी जायगी। 15 हजार परिवार अगर मान लें कि अन्दाजा भी हो कि केवल 15 हजार परिवार ही भूमिहीन हैं तो मैं समझता हूं कि यह गलत अन्दाजा है। अगर हम तीन जिलों को ही ले लें, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और अलवर, तो इन तीन जिलों में ही घनी आबादी है और उनकी आबादी लगभग 35 लाख है। इन 35लाख में से मैं समझता हूं 7लाख कुटुम्ब हैं। इन 7 लाख कुटुम्बों में से चार साढ़े चार लाख कुटुम्ब भी यदि मान लिया जाय कि किसान हैं तो 1 लाख कुटुम्ब तो भूमिहीन आज हैं ही। जब तीन जिलों में 1 लाख कुटुम्ब हैं तो तमाम राज-स्थान में और भी अधिक हो सकते हैं। तो ये तीन जिले जो सबसे अधिक अन्न पैदा करते हैं उनका भी ध्यान रखा जाय और उनके अलावा जैसा माननीय सदस्य ने अभी अभी कहा यह केवल ऐसा नहीं होना चाहिये कि राजस्थान कैनाल के आस पास के लोगों को ही चुप-चाप बांट दीं जाय। उसके लिये एलान होना चाहिये। जगह जगह गांवों में डोंडी पिटवाकर बताना चाहिये कि सरकार यह करना चाहती है। यह तभी हो सकता है जब कि जो इसके लिये नियम बनाये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र देने की डेट निर्धारित की है उस तिथि को आगे बढ़ाई जाय, नियमों में संशोधन किया जाय और 1 लाख एकड़ जमीन जो

(श्री आदित्येन्द्र)

रिजर्व रखी है उसको और भी अधिक बढ़ाया जाय। इससे क्या लाभ कि जमीन को हम नीलाम करके रुपया ज्यादा से ज्यादा कमावें तो उससे तो देश की समस्या हल नहीं हो पाती। यदि हम 50 लाख आदमियों को काम दे सकते हैं तो समस्या हल हो सकती है। इसलिये आबादी के लिहाज से यदि देखें तो यह 1 लाख एकड़ जमीन कम से कम 5.6 लाख एकड़ होनी चाहिये। इसके अलावा परिगणित जातियां और जन जातियां हैं उनके अलावा भी दूसरे भूमि हीन लोग हैं उनके लिये भी जमीन रिजर्व रहनी चाहिये और इसमें हिस्सा तमाम राजस्थान के लोगों का होना चाहिये।

इसके अलावा एक सवाल जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है पिछले सत्र में 15 बीघा जमीन जिन काश्तकारों के पास है उनका लगान माफ किया गया था। वैसे सरकार ने दुबारा उसको लागू कर दिया है लेकिन जब यह चीज ऐसी है कि जिसकी घोषणा उस समय करदी गई थी तो यह घोषणा वापिस नहीं लेनी चाहिये थी क्योंकि एक बार जब सरकार गंभीरता से घोषणा कर देती है किसी बात की वह भी किसी के दबाव में न आकर स्वेच्छा से घोषणा करती है तो मैं समझता हूं राष्ट्रपति शासन के बाद सरकार ने यह घोषणा स्वेच्छा से की थी यदि उसे दुबारा वापिस लिया जाता है तो सब लोगों को संदेह होता है कि उसमें कोई दबाव था या विरोधी पार्टियों का डर था कि कहीं वे अपना प्रचार करके सरकार नहीं बनालें, या सरकार को फेल नहीं करदें इसलिये ऐसा किया गया था और आज क्योंकि विरोधी पार्टी के सदस्यों की संख्या कम है इसलिये डर नहीं है तो मैं कहता हूं यह निरर्थक बात है, गलत बात है। यह चीज दुबारा होनी चाहिये। मैं मानता हूं इस बात के लिये सरकार को, यदि मान लिया जाय लेना है और सरकार यदि यह समझती है कि हमारी बात का जनता को पूरा विश्वास है, तो भी इस बात पर दुबारा विचार होना चाहिये।

जहां तक अकाल का सम्बन्ध है, इस अकाल के सम्बन्ध में काफी अनियमितताएं हुई हैं। सन् 1966-67 में जब घोर अकाल राजस्थान में पड़ा था, आंकड़े उसके अलग-अलग दिये हैं, न उन आंकड़ों को यहां पर देने का समय है और न उससे लाभ है, लेकिन उस समय रुपये काफी खर्च हुए लेकिन इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि कोई स्थाई हल निकाला जाय। जब तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला जाता कि आगे से अकाल न पड़े या अकाल के कारण लोग दुखी न हों, अकाल ग्रसित न हो जांय ऐसी कोई योजना अभी हमारे सामने नहीं है। थोड़े बहुत तालाब खुदवाये होंगे, कुछ सड़कें बनवाई होंगी लेकिन ये काम भी इस प्रकार के हुए हैं कि यदि उनको देखा जाय तो जो तालाब खुदवाये गये वे सब बेकार चले गये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो तीन मिनिट में समाप्त करता हूं। और जो सड़कें बनवाई गईं वे सड़कें बेकार हो गईं। पक्की सड़कें भी खराब हो गई और इसके अलावा इसमें भ्रष्टाचार भी

(श्री आदित्येन्द्र)

काफी हुआ इसलिये इस काम को भी अच्छी तरह से सम्भालने की जरूरत हैं और इस प्रकार की योजनाऐं तैयार होनी चाहिये जिसके लिये यदि धन राशि भारत सरकार से मांगनी पड़े तो उसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये और कोई न कोई हल होना चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है बहुत व्यवस्था हो चुकी है, भूमि आवंटन के मामले में भी हमको पूरा पूरा ध्यान देना है। अभी अभी मालूम हुआ कि वहां पर जो भूमिहीन लोग है, अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन दी है उनकोभी एक-एक बीघे के पीछे सौ-सौ रुपयों की रिश्वत देनी पड़ती है। यदि 1 लाख बीघा जमीन रिजर्व रखते हैं तो करोड़ों रुपये तो रिश्वत में चले जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने के लिये काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अमीलाल यादव।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : सभानेत्री महोदया, मैंने मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक कटौती प्रस्ताव दिया है। इसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि पंचायती राज इस डेमोक्रेटिक एज के अन्दर, यदि डेमोक्रेसी में इसको अधिक से अधिक बल नहीं दिया जाय तो इस देश पर और प्रजातंत्र पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक अपने विधान और प्रजातन्त्र की प्रणाली का सवाल है इसमें पहले से ही प्रावधान है। लेकिन असलियत में जो पंचायत राज को या यों कहिये कि विकेन्द्रीकरण को जो लोग पसन्द नहीं करते हैं उनको इस बात का भय हुआ है कि जो लोग शहरों में रहते हैं या जो कि ग्रामों के अन्दर प्रत्येक आदमी के सम्पर्क में या यों कहिये कि गांव गांव में अपना सम्पर्क पैदा न कर पाने में जिनको कठिनाई होती है और एक साधारण तरीके से एक आसानी से किस प्रकार लीडरशिप पनप सके, उसको पैदा करने के हामी नहीं हैं वे लोग पंचायत राज और पंचायत समितियों के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते। असलियत में जब से गांवों में विकेन्द्रीकरण हुआ है तब से निश्चित रूप से उन आदमियों के दिल में ठेस पहुंची है। जो शक्ति एक जगह एकत्रित थी उसका विकेन्द्रीकरण हुआ है और गांव के लोगों में एक तरह का पोलिटिकल कांशशनेस पैदा हुआ है इस विकेन्द्रीकरण से। और गांवों के आदमी अपनी छोटी छोटी पंचायतों में जाते हैं और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करते हैं और जो अधिकार उनको दिये गये हैं उनके अनुसार अपनी समस्याओं को अपने आप सुलझाते हैं और वे बड़े आदमियों के पास रोजाना सलाम झुकाने को नहीं जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पंचायती राज होने से उसके सलाम में एक प्रकार का रोड़ा अटका है। इसलिये सभानेत्री महोदया, मैं इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि पंचायती राज का कोई दोष नहीं है लेकिन इसके अन्दर जो कुछ खामियां आई हैं उसकी

(श्री ग्रमीलाल यादव)

वजह से छोटी सी बात को लेकर बुनियादी बात को खत्म करने की चर्चा यहां पर उठती है ।

यह बात सही है कि इसके कार्य के ग्रन्दर कुछ कमियां ग्राई है ग्रौर उन कमियों की वजह से इन पंचायतों पर ग्रौर पंचायत समितियों पर दोष लगाया जाता है। पंचायत राज को ग्रच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिए मैं कुछ सुझाव पेश करूंगा ग्रौर यह बताने की कोशिश करूंगा, ग्रगर वास्तव में इनको पावर्स दी गई जो कि कागज के ग्रन्दर है, एक्ट ग्रौर रूल्स के ग्रन्दर हैं, सही मायने में वह चीजें देदी जायं, उतने ग्रधिकार दे दिये जायं ग्रौर पंचायत राज्य में पंचायत समितियों ग्रौर जिला परिषदों को शक्तिशाली बना दिया जाय तो यह जो कमियां महसूस होती हैं वे किसी प्रकार से ग्रागे नहीं होंगी।

मिसाल के तौर पर ग्राम पंचायतों में विकास की बात है, इसके लिए उनके पास जमीन नहीं है। ग्राबादी लैंड कन्वर्ट करने व उनका मास्टर प्लान बनाने का ग्रधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया था, सफाई का ग्रधिकार दिया हुग्रा है, तकाबी के पेमैन्ट करने का ग्रधिकार दिया हुवा है जितने भी पंचायतों को सक्षम बनाने के ग्रधिकार दिये गये हैं, मनोरंजन कर के, वहां के तालाब ग्रौर सड़क बनाने के जितने भी ग्रधिकार दिये गये हैं वे सारे के सारे गांवों का उत्थान करने के वास्ते हैं। तो ग्रसल में जो उनको शक्ति दी है ग्रौर जो उनकी ग्रामदनी के साधन हैं उनको बढ़ाने के लिए मैं सुझाव पेश करूंगा कि उनको ग्रौर ग्रामदनी के जरिये दिये जा सकते हैं वह किस प्रकार दिये जा सकते हैं। जैसा ऐलान किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कि प्रत्येक पंचायत को पन्द्रह बीघा जमीन दी जायगी, वह पन्द्रह बीघाजमीन उनको मिलती, ग्रौर 15 बीघा जमीन की ग्रामदनी ग्राम पंचायतों को मिलती, जितने कर लगाये जाते हैं उनको वह सही रूप में लगाती तो ग्राप देखते कि ग्रामों में एक नया विकास नजर ग्राता। लेकिन बात क्या है, इसमें कुछ त्रुटियां राज्य सरकार की ग्रोर से हैं। मैं ग्रापको बतालाऊं ग्रपने क्षेत्र के बारे में कि हमारे यहां सब कुछ मिला कर 102 पंचायत हैं छोटी बड़ी लेकिन किसी भी पंचायत को, इस पूरे क्षेत्र के ग्रन्दर, जो पन्द्रह पन्द्रह बीघा का ऐलान हुग्रा था वह जमीन नहीं दी गई है। ग्रगर एक ग्राम पंचायत को पन्द्रह बीघा जमीन दे दी जाती तो जो ग्राम की योजनायें हैं छोटी छोटी, एप्रोच रोड्स, लाईट सफाई का कार्य ग्रादि वह सब का सब पूरा हो जाता। इसलिए जो सादिक ग्रली की रिपोर्ट पेश हुई है, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वह सादिक ग्रली रिपोर्ट हूबहू पंचायत राज में लागू होनी चाहिए जिससे कि उनको बल मिले ग्रौर उस बल से, उस शक्ति से, उन ग्रधिकारों से वह ग्रपने गांव का विकास कर सकें।

जहां तक जिला परिषद् का सवाल है, जिला परिषद को एक कार्डीनेटिंग बाडी बना रखा है। उस कार्डीनेशन से केवल काम नहीं चलता है। इसलिए उनको भी कुछ ग्रधिक पावर, जैसी कि सादिक ग्रली रिपोर्ट में बतलाई हैं, देनी चाहिए ग्रौर फंड्स उनके पास होने चाहिए, ग्रौर उन इन्स्टीट्यूशन्स की जो सामर्थ्य है वह ग्रधिक करनी चाहिए।

(श्री अमीलाल यादव)

इसलिए उनको भी शक्तिशाली बनाना चाहिए।

इसके साथ साथ जो न्याय पंचायत हैं, मैं देखता हूं कि जितने मुकदमे पहले होते थे, वह बहुत कम हुए हैं। न्याय पंचायतों में जो फैसले होते हैं, उनमें से बहुत ही कम मुकदमे अदालत में जाते हैं। मैं बताऊं कि मेरे आठ साल के प्रधान के जीवन में जो फैसले देती और जो मामले पंचायत सुनती आई थी उनमें से सात आठ साल में कोई मुकदमे अदालत में नहीं आये। इससे साफ जाहिर है कि लोग मुकदमेबाजी से बचते हैं। पंचायतों में बैठ कर लोग सुझाव देते रहते हैं कि क्या सही बात है, किस तरह से गांव का विकास करना चाहिए। गांवों में पंचायतों का गौरव है, पंचायतों की मर्यादायें हैं—इस लिए इन न्याय पंचायतों को खत्म नहीं किया जाय और न पंचायत समितियों खत्म किया जाय बल्कि उनको ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाय।

दूसरी बात, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव की वजह से लोगों में फूट की बात कही जाती है। तो प्रजातंत्र के अन्दर तो सभी चुनावों के अन्दर पार्टीबाजी होती है। यदि इस चुनाव से यह मतलब लगाया जाय तब तो यह प्रजातंत्र नहीं चल सकता। चुनावों में पार्टीज भी होती हैं, लेकिन उन पार्टीज को दिमाग में न रख कर यदि विकास के कार्य के लिए काम करें तो कोई पंचायतें या पचायत समितियों के रहने से कोई प्रजातन्त्र में, या समाज में, या नैतिकता में फर्क नहीं आता है बल्कि इससे वह और ज्यादा शक्तिशाली होती हैं।

तीसरी बात (समय समाप्ति सूचक घंटी) सभापति महोदया, इन ग्राम पंचायतों के अन्दर और समितियों के अन्दर जितना भी स्टाफ का खर्च कहा जाता है, उससे अधिक तो जिस वक्त जिले के अन्दर एक एडवाइजरी कमेटी होती थी उसके टी ए, डी ए में हो जाता था। उस समय किस जगह पर कौनसा विकास कार्य होना चाहिए इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था और बिल्कुल विकास नहीं हुआ करता था लेकिन आप देखेंगे कि जब से पंचायत और ग्राम पंचायतें बनी हैं तब से प्रत्येक गांव के अन्दर जो उसका बजट था, उसमें से कुओं के लिए तकावी दी गई, जहां पर स्कूल खोलने थे वहां पर गांवों में स्कूल खोले हैं, जहां पर औषधालय खोलने का प्रस्ताव था वहां औषधालय खोले हैं और जितने विकास के कार्य शुरु करने की बात प्रस्ताव के द्वारा आई, उनको सरकार के सामने रखा गया है और सही मायने में ग्रामवासियों की जो वाजिब मांग थी, जो वाजिब जरूरत थी, और जिस जगह पर जो डिजर्व करते थे वह वहां खोले गये हैं। इस प्रकार उनको तवज्जह दी गई है। यह बात ठीक है कि उनके जो प्रस्ताव होते थे, उनकी जो भावनाएं होती थीं उनकी सरकार कद्र नहीं करती थी। यह तो सरकार की जो कार्य करने की प्रणाली है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो सर्विस क्लास है उसकी कमियां हो सकती हैं और उसको दुरस्त करने के उपाय सोचे जा सकते हैं, और किस तरह से कामों को जल्दी एक्सपीडाइट किया जाय

(श्री ग्रमीलाल यादव)

यह बात सोची जा सकती है । यह कभी नहीं सोचा जा सकता कि जो एक बुनियादी संस्थाएं हैं, जो अपनी विलेज लीडरशीप को पनपाने वाली संस्थायें हैं उनको खत्म कर दिया जाय । उनको खत्म करने से न केवल प्रजातन्त्र ग्रौर समाज के ऊपर भी ग्राघात होगा बल्कि हमारा जो विधान है ग्रौर जो महात्मा गांधी की पुकार थी, या उनकी जो मन्शा थी उसके ऊपर भी ग्राघात होगा । इसलिये मैं ग्रधिक समय न लेकर, सभापति महोदया, यह निवेदन करूंगा कि यह जो कमियां हैं, या जो शक्तियां इनको दी गई हैं, ग्रौर जो इनके काम करने में ढिलाई है ग्रौर जो गवर्नमेंट मशीनरी इन नॉन-ग्राफिसियल संस्थाग्रों को ग्राफिसियल तरीके से समझती है ग्रौर जो यह हमारे ऊपर हुकुम चलाने के लिए बैठे हैं–इन सब चीजों को खत्म करके ग्राप पंचायतों को ग्रौर शक्तिशाली बनाएं ग्रौर जो सादिक ग्रली कमेटी की रिपोर्ट है इसको हूबहू पंचायत राज पर लागू किया जाय । इतना कह कर मैं निवेदन करूंगा कि इस पंचायत राज को ग्रौर शक्ति देनी चाहिये ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री ग्रालमग्रली ।

श्री ग्रालमग्रली (फतेहपुर) : सभा–नेत्रीजी, मैं ग्राज रेवेन्यू की बात पहले बताऊंगा । सभानेत्री जी, जब देश ग्राजाद हुग्रा, 47 तानी गांव का किसान है, वी गांव का किसान जिको मामलो तहसीलदार बठें सुलटा दियो करतो । 47 से वीं गांव के किसान ने ग्राज सेक्रेटेरियट देखनो पड्यो है । सभानेत्री जी, ग्राज जिकी बात ग्राजादी में होनी चाहिये ही वी बात सूं उल्टी हो रही है । यह रेवेन्यू को हिसाब किताब है यह ग्राजादी में उल्टो पड़ रहयो है । सभानेत्री जी, ग्राज जिकी बात की जरूरत लोगों ने ही वह नहीं मिल रही है । गांव के किसान के विरुद्ध तहसीलदार ग्रौर पटवारी-सगला मिल कर बिना मतलब के झूंठो षड़यन्त्र रचे है । गिरेदावरी में पहले गोचर काट दिया करतो पण ग्राज कल गिरदावरी कानून है ऊमें झूंठी ग्रडंगाबाजी कर, झूंठी रजिस्ट्री कर गोचर ते दूसरां ना सूं रजिस्टर कर दियो जावे । तहसीलदार ने सजा कोनी होवे, सभानेत्री जी, तहसीलदार के खिलाफ मोखली शिकायत होवे पण शिकायतां पर ध्यान न दिया जावे । ग्रापने एक फतहपुर, जिस जगह सूं मैं चुन कर ग्रायो हूं, वी की बात बताऊं । कलेक्टर ने लिख्यो है तहसीलदार के खिलाफ । कलेक्टर के पास दूसरां लोगां ने, एम. एल. एज. प्रधान ने शिकायत की है कि तहसीलदार बहुत गड़बड़ी की है । वी तहसीलदार के खिलाफ कलेक्टर लिख्यो है कि 52 फाइल में भ्रष्टाचार कियो है ग्रौर रेवेन्यू बोर्ड ने लिख्यो कि इने फौरन सस्पेन्ड कर्‌यो जाये ग्रौर जांच की जाये । सभानेत्री जी, कोई लेनो देनो नहीं है, वी ने चोखी जगह भेजने की कोशिश की जावे, ऊने बहुत बढ़िया जगह लगायो जावे, कारण कमाऊ पूत है, वीने प्रमोशन दियो जावे....

मैं मानूं, कलेक्टर की रिपोर्ट जी के खिलाफ है, एम.एल.ए. ग्रौर सरपंच जी के विरुद्ध शिकायत है वी ने ग्राप कलेक्टर बना देगा क्योंकि गरीब ने ज्यादा लूटर धन देने वालों में है । सभानेत्रीजी, जिकी बात होनी चाहिये वह ग्रठे होने वाली नहीं है । सभानेत्री जी में बताऊ ग्रापने कि गांवों में जोड़ नाम सू

(श्री आलम अली)

गोचर भूमि की बात करी जाय। सीकर जिले में गोचर भूमि है। फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ तहसील में पशुपालन को इलाको है वी में जमीन नहीं है और रोज रोज फीस देने में खर्च होवे। कोई बीस बार बठै एलाटमेंट कैंसिल हो जावे। कारण गोचर में तब्दील नहीं कर सका है। वी में पशुओं ने चरवा कौनी दे। एक बार एलाटमेंट करे फेर बठे लोग एतराज करे कि पशुओं की चराई के वास्ते जमीन एलाट न करी जाय। कांई कारण है, वह राज जाने। आये दिन पशुओं के वास्ते, चराई के वास्ते बठै जमीन एलाट कराई जाय, जद एक बार जमीन एलाट कर दी जावे दो तो तहसीलदार वी ने खारिज कर देवे। दुबारा करी जाये तो फेर खारिज कर देवे। वो भी के ढूंग सूं। बठे कोई पचास साठ पंच, सरपंच, प्रधान मौजूद हैं, एम.एल.ए. मौजूद है फेर भी तहसीलदार अपनी मनमानी से एलाटमेंट करे। 51 फाइल में इसी कार्यवाही करी है। 51 फाइल के बास्ते कलेक्टर ने लिख्यो है फेर भी तहसीलदार ने बचाने की कोशिश की जावे और झुंझुनू भेजने की कोशिश करी जावे। शायद वी को आर्डर भी हो गयो हैं झुंझुनू के वास्ते।

सभानेत्री जी, अब मैं रेवेन्यू जिके वास्ते कहू कि गांव का काश्तकार ने जयपुर नहीं आनो चाहिए। ई को कायदो बनानो चाहिए। जयपुर आने वास्ते एक काश्तकार दो सौ, ढ़ाई सौ खर्च करे और अठे मिनिस्टर साहब ने ढूढ़े तो वह गरीब मिनिस्टर ढूढ़े कठे। राजा महाराजा के वास्ते कहा करता कि वे महल में रहवे है किन्तु आप अठे जैसे झोंपड़ी में बैठ्या हो। झोंपड़ी में बैठे मिनिस्टर साहब और फेर प्रजातंत्र की बात करी जावे तो बात सच होवे। पर यह प्रजातन्त्र नहीं है। बिल्कुल दूसरा रूप से राजा महाराजा राज करता, वो में गरीब आदमी के हक मिल जातो पर आज गरीब आदमी ने वी का हक नहीं देवे है। जयपुर आने वाला काश्तकार जो बात लेर आवे ऊने बड़ो दुःख पहुंचे। और दूसरा जो यांकी पार्टी का आदमी है जो हैरा फेरी करने वाला आदमी है वह मौज कर ता फिरे।

सभानेत्री जी, पंचायत राज की बात मैं कहूंगा। पंचायत राज का मैं हामी हूं पर जिको पंचायत राज होनी चाहिये वह पंचायत राज नहीं है। यह पंचायत राज जिको पंचायत राज है, सभानेत्री जी, यह पंचायत राज सिर्फ वोट लेने के वास्ते है। लोगां ने राहत देने के वास्ते नहीं हैं। गरीब लोगां को अपमान करने के वास्ते पंचायत राज बनायो गयो है। जब एक मिनिस्टर की इन्क्वायरी नहीं हो सके तो प्रधान की इन्क्वायरी क्यों? सरपंच की इन्क्वायरी क्यों? वी की इन्क्वायरी के जरिये मिनिस्टर साहब आदेश दे देगा कि बदमाश है। जो कोई मिनिस्टर की बात नहीं माने वी को इन्क्वायरी कराई जाय और नीचो दिखायो जाय। नीचो दिखाने के वास्ते पंचायत राज के पंच, सरपंच, प्रमुख, प्रधान की इन्क्वायरी हो सके पर मिनिस्टर साहब की इन्क्वायरी कराई जाय तो यांकी नहीं हो सके। तो सबसे पहले प्रजातंत्र में छोटा से छोटो हो, बड़ा से बड़ो हो एक बराबर होवे तो मिनिस्टर की इन्क्वायरी भी हो सके, जिके तानी है, मिनिस्टर की इन्क्वायरी के

(श्री आलमअली)

लिए कोई कमेटी नहीं है। तहसीलदार और थानेदार से सरपंच की इन्क्वारी कराओ हो, आपका नौकरां से इन्क्वायरी कराओ हो और प्रजातंत्र को ढिंढ़ोरो पीटो हो। प्रजातंत्र के अन्दर सरपंच ने सरकार के नौकरां को गुलाम बनाना पड़े है क्योंकि झूंठी सच्ची इन्क्वायरी से उन पर लांछन लगावे है, सरपंच ने हाथ जोड़ना पड़े है। यह प्रजातंत्र की बात कतई नहीं है। मैं पंचायत राज की साफ बात करनी चाहूं। पंचायत राज ने पनपानो है, पर थे पनपानो नहीं चाहो। पंचायत राज ने पनपाता तो इसो कानून नहीं बनाता जिको कानून से प्रधान और प्रमुख ऊनी इन्क्वायरी कलेक्टर करे, एस. डी. एम. करे, यह कतई गलत है। इन्क्वायरी अगर रखो तो मिनिस्टर, प्रधान और सरपंच सबके वास्ते एक बोर्ड बनायो जाय जो के वह इन्क्वायरी करे क्योंकि थारा में और गांव का पंच में कोई फर्क नहीं है। यदि थे फर्क मानो हो तो प्रजातंत्र ने मानने वाला नहीं हो, प्रजातंत्र का हामी नहीं हो।

दूसरी बात, पंचायत राज की है, सभानेत्रीजी, पंचायत राज में कोपरेटिव सोसाइटी बनायी है वी कोपरेटिव सोसाइटी में यह देखनो चाहिए कि बठै जो फार्म भर्‌यो जाय वह ज्यां कांग्रेस का झूठा सही फार्म भर्‌या जावे, पीसा ले नहीं और फार्म भर देवे। जो कोपरेटिव सोसाइटी और पंचायत ने अच्छी प्रणाली से बांकी नींव मजबूत करता तो यह प्रणाली नहीं रखता। मैं तो कहूं हूं कि इस तरह नींव कमजोर रखी है। पंचायत राज कितनो मजबूत हो वीं के वास्ते ठीक कानून बनाओ तो पंचायत राज मजबूत हो सके। सभापति महोदया, जिका गांव में पंच सरपंच-यह पार्टीबाजी के कारण जिका बड़ा आदमी है वह बड़ा आदमी हो गया। छोटा आदमी पर झूंठा चार्ज लगा दे उठै सही फैसले की बात नहीं है, ज्यां छोटी अदालत में एस.डी.एम. और तहसीलदार और दूसरा है वे गुलामी की जंजीर से बंधोड़ा है, वह आजाद नहीं है, वह सही फैसला नहीं दे सके है। कोई मिनिस्टर वी को हाथ पकड़े कोई टांग पकड़े और वह सही फैसला नहीं दे सके है। यही हालत प्रधान और सरपंच की है। वह सही काम करे तो उन पर अटेक हो जाय कि गलत कर रह्या हो। मैं प्रधान रह्यो हूं, मने पतो है, मैं देख्यो हूं अच्छी तरह कि मिनिस्टर कांई कर रह्या है, काम में अड़चन देर लोगां ने बिना मतलब तकलीफ पहुँचावे। सभानेत्री जी, इन्क्वायरी की बात है वह पहले मिनिस्टर की इन्क्वायरी के लिए कमेटी हो, वही सरपंच की इन्क्वायरी करे, प्रधान की इन्क्वायरी भी वी के जरिये होवे।

रेवेन्यू के मामले में सीकर जिले में जितनी बदमाशी होवे वी को जांच करवाई जाय एक आफिसर सूं जितनी गड़बड़ी की है खास तौर से फतहपुर तहसील में।

आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब सामने बैठ्या है, हिम्मत होवे तो वीं तहसीलदार ने बुलाओ। मैं पैली भी शिकायत की है कि ईं तहसीलदार अनाज के मामले में 46000) को गबन करियो हो, वीं बख्त परसरामजी हां भरी ही के अनाज का

Page No.140

(श्री आलमअली)

मामला में गबन करियो, पण आज तक बीं तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, और बीं तहसीलदार मोजां लूटे है। ईयान की छूट दो ला तो ओ भ्रष्टाचार इयां ही रहसी और थां सूं कदेई खतम होणो वालो नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं यां ही शब्दों के साथ....

श्रीमती सभानेत्री : श्री अब्दुल हादी।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : सभापति महोदया, मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए, राजस्व महकमें से जो मुझे शिकायत है, खास तौर से पटवारियों के जुल्म, ज्यादती और रिश्वतखोरी के मुतल्लिक कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब उसे गौर से सुनेंगे और मुझे तसल्ली बख्श जवाब देंगे।

सभापति महोदया, इस साल सरकार से इस तरह का एक आदेश जारी हुआ कि जिन किसानों ने गैर मुमकिन जमीन पर काश्त की है उनके कूंते किये जावें। हमारे इलाके में इस साल इन कूंतों की वजह से जो पटवारियों और रेवेन्यू महकमें वालों ने जो लोगों को लूटा है और खसोटा है, उसके मुतल्लिक में क्या निवेदन करूं।

सभापति महोदया, पटवारी, जिन लोगों ने गैर मुमकिन जमीन काश्त की, उनके वहां पहुंचे, गांव के ऐसे दो लोगों को जो पटवारियों के गुर्गे थे, उनको साथ लिया और किसानों को कहा कि तुमने इस तरह से गैर मुमकिन जमीन काश्त की है, इसलिये अब क्या करना चाहिये? सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें अगर तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा रिश्वत का दो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं और तुम्हारी सरकार ने जो फैसला किया है, वह तो तुमने सुन ही लिया है. यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। आखिर किसान भोला भाला, बेचारा क्या करे। अगर किसी ने गैर-मुमकिन सरकारी जमीन काश्त भी नहीं की तो भी उसको मजबूर किया कि तुमने सरकारी गैर-मुमकिन जमीन काश्त की है, इसलिये तुम्हारा कूंता इतना लिखते हैं। अर्ज यह है कि उनको बहुत बुरी तरह से गुमराह किया गया, कई बेगुनाह लोग जिन्होने सरकारी जमीन काश्त नहीं की थी, उनको भी मजबूर किया गया और उन गरीब काश्तकारों से बहुत बड़ी तादाद में चार-चार सो, पांच-पांच सौ और यहां तक कि एक-एक हजार रुपया रिश्वत लो। हम अपने इलाके में जहां कहीं भी किसी गांव में जाते हैं तो हमारे पास हर जगह से शिकायत मिलती है कि यह क्या आपकी सरकार है, क्या आजादी है? यह तो वही पुरानी जागीरदारों वाली रीत है जो आज से 20 साल पहले थी। जिस तरह जागीरदारों के कणवारिये हमको लूटते थे, वही चीज आज भी हमारे सामने पेश हुई है। हमने इधर उधर सोचा और अफसरों से बात की तो वे भी यह कहते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, सरकारी आदेश है, यह तो करना ही होगा।

अगर सरकार को ऐसा आदेश करना था जो कम से कम सोचना चाहिये था कि यह तो कूंता सिस्टम आपने जारी किया

(श्री अब्दुल हादी)

उसमें कम से कम जिम्मेदार आदमी को रखते, जिसकी मार्फत कूंता वसूल होता पर सरकार ने ऐसा नहीं किया, बिलकुल लोगों को, किसानों को, गरीबों को पटवारी के हवाले कर दिया कि वह चाहे जैसे उन्हें लूटे खसोटे। हमें बड़ा दुख हुआ और हमें आज से 20 साल पहले का जमाना याद आया कि यह तो हमारी सरकार सिर्फ नाम मात्र की सरकार है, वह तो वही पुराना जागीरदारों के जमाने में हुआ करता था, वही सामने आ गया। आखिर लोगों को तसल्ली दें तो किस आधार पर दें।

इसलिये मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे पूरे जिले बाड़मेर में यह हुआ है, खास तौर से जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस पूरी तहसील में लोगों के साथ नाजायज कार्यवाही हुई है, लोगों को लूटा गया है, जिसमें पटवारी, तहसीलदार और रेवेन्यू के दूसरे अधिकारी सब शामिल हैं। सबने मिलकर ऐसा जाल रचाया कि लोग परेशान हुए। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप इसकी जांच बैठायें, इस मामले को अच्छी तरह से देखें, किसी बड़े अफसर से तहकीकात करवायें कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसमें कितनी सदाकत है। अगर आप नहीं कर सकते, मजबूर हैं तो वह बता दीजिये ताकि हम दूसरा इलाज करें। जो कुछ मैंने कहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है और सही बातें मैं निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदया, अभी कुछ रोज पहले, मेरे ख्याल से ता० 12-3-67 का किस्सा है कि एक ग्राम में हुरपालिया और घीसासर का पटवारी किसान के घर में जाता है, सालारिया ग्राम में जाता है, वहां एक किसान के घर में जाता है, पटवारी के गुर्गे भी साथ थे। पटवारी उन गुर्गों के साथ किसान के घर में घुमा और ओढ़ने की कुछ रजाईयां, खाने पीने के बरतन और एक दो बकरी थी, वह ले गया। आखिर किसान ने कहा कि हमारे खिलाफ कुड़की वारन्ट कुछ नहीं है, आप क्या चाहते हैं? तो कहा कि पांच छ रुपया तुम्हारा बीघोड़ी का बकाया था, उसने कहा कि बीघोड़ी चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूं, आप इस तरह बरबाद व परेशान क्यों करते हैं, पर वह नहीं माना। नतीजा यह निकला कि उनका सामान पटवारी जी ज़बरदस्ती ले गये। वे लोग पुलिस थाने में गये और थानेदारजी से कहा कि पटवारी और दो चार गुंडों ने मिलकर महज हमको दबाने के लिये, डराने के लिये और दूसरे इलाके के लोगों पर दबाव डालने के लिये, ताकि लोग डरते रहें और आराम से पैसे देते रहें, इसलिये हमको मजबूर किया। जो कुछ वाका हुआ था उसकी थानेदारजी को लिखित में रिपोर्ट दी। थानेदारजी ने कहा कि तहसीलदारजी से इस सम्बन्ध में मालुमात करके आपका मुकदम्मा दर्ज करूंगा। फिर वें किसान और थानेदारजी चौहटन जाते हैं। तहसीलदारजी से पूछा तो तहसीलदारजी ने कहा कि हमारे यहां से कोई कुड़की वारन्ट वगैरह इश्यू नहीं हुआ है।

तो सभापति महोदया, मैं यह गुजारिश करूंगा कि आखिर जुल्म की भी एक इंतिहा होती है। जिस तरह डाकू, चोरों की बात करते हैं, डाकू, चोर छुप कर किसी चीज को ले जाते हैं, चोरी होती है

(श्री अब्दुल हादी)

पर इस तरह गरीबों के साथ डकैतों जैसा मामला होता है, और सरकार कोई तवज्जाह नहीं देती हैं, आखिर इनको इस तरह की खुली छूट देना कहां तक सही है ?

मुझे उम्मीद है कि हमारे मन्त्री महोदय जो खास मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, उनकी जांच करवायेंगे, मैं समझता हूं आपने शायद इसकी जांच करा ली होगी और मुझे इसका तसल्लीबख्श जवाब देंगे ।

सभापति महोदया, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं यह जो पटवारी का महकमा है इसको रखने की जरूरत नहीं है । अगर सरकार चाहे तो इन पटवारियों के बगैर भी काम चला सकते हैं खास तौर से हमारे इलाके में तो जहां पटवारियों का काम नहीं । एक पंचायत समिति सरकल की कुल बिघोड़ी की इनकम डेढ़ दो हजार से ज्यादा नहीं जबकि पटवारियों पर सालाना 20 हजार का खर्चा करते हैं । सरकार यह काम पंचायतों के जिम्मे दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा । अगर इनको देना मुनासिब न समझें तो जिस तरह से कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि किसानों को पास बुक दे रहे हैं । सरकार इन पास बुकों के जरिये किसानों को हिदायत कर दें कि अपनी बिघोड़ी कोआपरेटिव बैंक में या कोआपरेटिव सोसाइटीज में जमा करा दें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं आशा करता हूं सरकार इस मामले की ओर तवज्जाह दे तो यह मामला मुश्किल नहीं । इससे जो किसानों के साथ लूट खसोट है उससे तो पुराने युग में जो सिस्टम था उसकी याद आती है इस तरह पटवारी की ज्यादती और जुल्म से किसान को राहत मिलेगी ।

अब मैं कुछ पंचायत राज के मुतल्लिक गुजारिश करना चाहूंगा । सभापति महोदया हमारे यहां जो पंचायतें हैं उनके 90 प्रतिशत सरपंच ऐसे हैं जो सिर्फ दस्तखत ही करना जानते हैं इस कारण उन पंचायतों का काम बिल्कुल नहीं जैसा है । मैं यह गुजारिश करूंगा लिखे-पढ़े जहां सरपंच नहीं हैं सरकार उन पंचायतों के लिये खर्चा कर ही रही है तो पंचायत को ट्रेन्ड सचिव दे दें तो क्या हर्ज है । मैं समझता हूं अगर पंचायतों को ट्रेन्ड सचिव दे देते हैं तो पंचायतों का काम बड़ा अच्छी तरह से चल सकेगा । खास तौर से हमारे इलाके में अनपढ़ लोगों की वजह से हम सरपंचों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । खास तौर से अकाउन्ट के मामले में इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं है ।

जब से पंचायती राज कायम हुआ है मैं अपनी ग्राम पंचायत का सरपंच चला आ रहा हूं और आज तक सरपंच हूं । मुझे इस बारे में जातीय तजुर्बा रहा है अकाउन्ट की वजह से आडिट वाले खामखा हमको कितना तंग करते हैं । इसलिये यह मुनासिब होगा मैं पंचायत राज मंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप इस मामले में जरा तवज्जाह देकर सोचें तो यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आजायगी । मैं उम्मीद रखता हूं आप यह मसला केबीनेट में रखकर तय करवायें ताकि पंचायतों का काम बहुत अच्छी तरह चल सके ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री जुझारसिंह : जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं बोला है ।

श्री मदनसिंह : माननीय मेहताजी ने तो अनाउन्स कर दिया था कि वे दो दिन तक नहीं बोलेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें, आप सब को समय दे दिया जायगा ।

श्री जुझारसिंह : प्राथमिकता भी पार्टी के हिसाब से होनी चाहिये ।

श्री दौलतराम सारण : आप यह तो बता दें कि आप किस समय देगें हमें बोलने का समय ताकि हम उसी समय उपस्थित रहें । बार बार उठ बैठ करते रहें क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपको समय दे दूंगी । मैं अपने आप बुला लूंगी ।

श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापति महोदया, भू राजस्व, दुर्भिक्ष सहायता, पंचायत राज या तीना पर अरज करणो चाहूं हूं । भू राजस्व री एक पवित्र आमदनी है एक एक पंसो खून और पसीने से आवे है इण वास्ते इणरो बहुत अच्छो सदुपयोग हो सके है । इण पंसा ने पंचायत राज शासन चलावा में देणा चावे । जो कुछ पंसो भू राजस्व री आमदनी सू आवे उण पंसा ने विधान सभा रा सदस्या में, मंत्रियां में और पबलिक सरविस कमीशन रा समस्या में बाटयो जावे तो वां सब लोगों में ओ सद्भाव पंदा होवे कि ओ भगवान री दियो हुवो पंसो है सच्ची और खरी कमाई रो पंसो है इण वास्ते म्हाने भी इण पंसा ने लेकर जनता के साथ सच्चो और सही व्यवहार करणा चाहे इण तरह को भावना पंदा हुया सूं वाका काम पर बहुत आछो असर पड़ सके है ।

आज राजस्थान में कोई भी चीज रीकमी नहीं है, कमी है तो नैतिकता की और चरित्र की इण चरित्र और नैतिकता की कमी सू ही सारो राजस्थान ही कांही सारा हिन्दुस्तान की साख में कमी आयी है । आज हर मनुष्य रो जो स्वभाव हो गयो है कि अपनी खुद री कमजोरी री तरफ कोई नहीं देखे । जब भू राजस्व की आमदनी वा लोगां रे काम में आबा लागे तो वारे मन में भगवान रो वासो हो जाय । वे भी या बात सोचबा लागे कि ओ जो भू-राजस्व रो पैंसो आपाने मिले वो पैंसो राजस्थान रा किसाना री खून और पसीना री कमाई को है । एक एक पैसा के लिये किसान को पसीना रो रेलो चोटी से लेकर एडी तक आवे जद जाकर एक पैंसो पैदा होवे है, जद एक पैसा रो दरशन होवे ।

दुर्भिक्ष रा बारा में भी म्है अरज करवो चावू हूं आज हर आदमी इण बात री कोशिश में है कि म्हाने जितरी भी मदद मिल सके वा मिले लेकिन कोई आ बात सोचे कोनी कि ओ दुर्भिक्ष पड़े क्यों है ? आज तो लोगा रो सोचवा रो तरीको केवल यो रह गयो है कि म्हाने खावण रे वास्ते बाहर को धान मिले, दूध मिले इण तरह सू म्हा लोगा ने भिखारी बना दिया । आ हालात कठा तक चालेला भगवान् ही मालिक है ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

परसूं लेकर दूध ये, भलो दराई सीख ।
लेर कटोरो छोकरा, मांगण लाग्या भीख ।।

दूसरा सूं धान लेणो दूध लेणो कितरो खराब है ।

समाज कल्याण री बाबत मैं अर्ज करूं आज आपां लोग देखा हां कि स्कूलां में बच्चे में मिल्क पाउडर रो दूध मिले है जो दूसरा देशां सू आवे है । इण रो बच्चां पर काई असर पड़े कि दूध भी म्हा लोगों ने बाहर सूं मंगवा कर पिलावे ।

हूं एक जगह री बात अरज करूं भीम इलाका में रावत लोग ज्यादा बस्या हुआ है । उठा का एस. डी. ओ. से म्हारी बात हुई । भरपूर अकाल पड्यो इण रो मूल कारण यों है कि रावत लोग शराब पीकर मदहोश पड्या रेवे और उणांरी औरतां जो है वे खेत में काम करे । सूता हुआ ने तो लोग जगा सके लेकिन जो मदहोश पड्यो है उणा ने आप कितनो ही बारणा ने खट खटावो वो जागेला नहीं ।

सो. यो खोल किवांड दे, सुणता पेली रेड़ ।
मिस लेण्यो खोले नहीं, थूं मल खूब मचेड़ ।।

म्है आपने निवेदन कर रह्यो हूं कि सोता हुआ ने दरवाजा खट खटा कर जगा सका लेकिन मदहोश जो है उणाने कितनो हो बारणो खट खटावो कों जागवा वालो नहीं ।

अब मैं पंचायत राज रे बाबत कुछ बातां बताबो चावूं । आ बड़ी खुशीरी बात है कि पंचायत राज की नींव राजस्थान में सब से पहला पड़ी । पंचायत राज की नेहरू रे हाथ से नीवपड़ी । अब वो समय भी बहुत नजदीक है पंचायत राज री अन्त्येष्टि भी राजस्थान में ही होबावाली है । आज पंचायत राजरो काईं महत्व है । जब सब पंचायत, पंचायत समितियां और जिला, परिषद इण बात रे ऊपर जोर दियो कि दारू बन्द करो लेकिन वां लोगारी बात आ सरकार माने कद हैं । सरकार ने तो केवल अपना बहुमत रो फिकर है वे तो किणी तरह सू आपरो राज कायम राखबो चाहे । आप पंचायत राज ने मजबूत करणा चावो हो तो वाने पूरा अधिकार देणा पड़सी । वारी बात माननी पडसी । आज आपा देखा हां कि योजना ऊपर सूं बणे है पंचायतां रे हाथ में कोई अधिकार है नहीं, आज तो पंचायत समितियां में 232 मोटर गाड़ियां हैं जिण में बैठ कर खूब गुलछर्रा उडावे । फेर वाके हाथ में स्कूल दे दिया खूब लोग दारू पीकर मौज उडावे । महिलायें जिण स्कूलां में काम करे है वे बड़ी दुखी हैं, वाकी बड़ी दर्दनाक हालत है । आज सब लोगारी मांग हैं पंचायतों के हाथ सूं स्कूलां ने सरकार लेले । आप यदि इन 232 पंचायतां ने बिल्कुल भी बन्द कर दो तो कोई रोवण वालो नहीं । जिण तरहसूं रावण ने रोवा वालो कोई नहीं मिलयो इण तरह सूं कोई भी आ बात नहीं केवेला कि पंचायत समितियां क्यूं तोड़ी ।

आप तो जिण तरह सूं मेवाड़ दरबार 16 उमराय 32 सरदार और गोलका सरदार खड़ा करिया उणी तरह सूं पंचायत समितियां 32 का उमराव है जिला परिषदों 16 का उमराव है मेवाड़ दरवार री

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तरह आप भी अपणो दरबार बड़ो कर लिया है ।

ज्यू थरप्या मेवाड़ में सोला बत्ती भूप
बाणू प्रमुख प्रधान रो वोरो वो ही
रूप ।।

वो को वो रूप प्रमुख प्रधान आप भी बणाय दियो । आपरी पार्टीराज कायम करबा खातिर आप इणा ने बन्द गीं करि-सको हो आप भी दरबार री तरह सूं सवारी निकालो और आपरा जितरा भी अधिकारी है पंचायतां का प्रधान, जिला परिषदों का प्रधान सबा ने साथ लेय ने सवारी निकालो आगे आगे 36 मिनिस्टर, वारे पाछे प्रधान प्रमुख सरकारी अधिकारी और 232 पंचायत समिति का प्रधान । आप आप री सरकारी मोटर में बैठकर आपरी सवारी में शामिल होय तो देखो आपरो सवारी रो आगलो हिस्सो ब्यावर में होय और लार लो जयपुर में होय आप देख देख कर बहुत खुश होवेगा । आज सरकारी अधिकारी खूब शराब पीवे । रिटायर होवे जद खूब पैसो मिले । पर एक करसाण जो आपरा साठ साल खेता में धान उगाबा ने गाले उण बेचारा ने पाकी उमर होया पछे कुण साथ देवे केवल फटी बखतरी उण रे पास रेवे । बेटा सपूत होय तो खिलावे पिलावे । आज समाज कल्याण रो रुपयो बरबाद हावे उन्हें आप रोको । समाज कल्याण तो समाज ने पाछो राखबा को काम करि रयो है । मेहतर आज भी मेहतर है । जब वो टट्टी साफ करवा खातर जावे टट्टी में पानी नहीं होवे तो वे मेला ने टोकरी में धाल माथा पर तोक ने लावे जो टपक टपक पड़तो जावे । आप लोग 21 रुपया रोज रा भत्ता रा लेवो लेकिन आपां कदे ही मेहतर री हालत पर गौर करियो ? उनारी तो वो ही हालत है । गान्धी शताब्दी तक आप देखो ला मेहतर रे माथा पर टट्टी को टोकरो है और उण में सूं टट्टी टपक टपक कर पड़ रही है और एक तरफ लोग शराब से मदहोश हो रहा है । कृष्ण भगवान रा वंशज दारू पीकर नष्ट हुआ । लेकिन हमारो आज राज करवा वाला तो उणां सूं भी ऊपर निकल्या । जुआ रो प्रचलन ए करबा लाग्या या में ऐसो कोई शकुनि जरूर है जो इश रास्ता पर चालबा ने मजबूर कर रियां है ।

एक माननीय सदस्य : वो शकुनि कौन है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप जाणो हो इण बखत में तो वित्त मंत्री जी ही होय सके । हो सके और भी कोई हो जो इणां ने इण रास्ता पर चलबा रे वास्ते प्रेरणा देवे ।

जुआ रो तो प्रचलन कर दिया पांच रुपया दे दो और लाख रुपया कमा लो । अब दूसरो काम सुन्दरियां रो है वो भी चालू करण वाला है अब मिस पंचायत समिति, मिस जिला परिषद । फेर मिस राजस्थान और फेर मिस इण्डिया इण तरह सूं मिस पंचायत समिति जो होवेला उणा ने पंचायत रा प्रधान सरटिफिकेट देवेला । प्रान्तरी मिस ने सुखाड़िया जी और हिन्दुस्तान री मिस ने इन्दिरा जी इनाम देवेला । इण तरह की जो प्रवृत्ति री आप सोच रिया हो उणा ने बन्द करो । आप इण तरह रो रास्तो अपनावो जिण

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सूं आप सारा हिन्दुस्तान रो मार्ग दरशन करा सको तो देश को भी कल्याण हो और राजस्थान रो भी कल्याण हो सके।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रणजीतसिंह

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : सभापति महोदय। म्हे तीन कटमोशन दिया हा पहला सामुदायिक विकास पर है इण पर म्हारो निवेदन करणो है हिन्दुस्तान रे अन्दर इण बात पर सोच्चो गयो किसाना तक विज्ञान किण तरह सूं पहुचायो जा सके। किसाना री जो मान्यता है उण ने किण तरह सू बदली जा सके है। इण बात पर ध्यान देवा वास्ते पंचायता ने मजबूत बनाबा री आवश्यकता है इणी वास्ते पंचायत समितियां बनाई इणारे माध्यम से विज्ञान की पहुंच किसाना तक हो सके।

श्री रामकिशन (वैर): सभापति महोदया, मनोहरसिंह जी तो इसलिये मारवाड़ी में बोले थे कि उनकी पत्नी आयी हुई थी और उनको भाषण सुनाने का था अगर यही परम्परा बन जायगी तो उचित नहीं होगा। अतः आप तो हिन्दी में बोलें।

श्री रणजीतसिंह: इण वास्ते विज्ञान के जरिये विकास किण तरह सू हो सके आ बात किसाना ने समझाणे री जरूरत है। पंचायत राज रो उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ने पं. नेहरू द्वारा राजस्थान में हुयो। उम्मीद थी कि, इण सूं राजस्थान रा किसान प्रगति कर सकेला। उणां में भी चुनिन्दा आदमी है लेकिन अधिकार नहीं है अगर अधिकार चुनिन्दा संस्थाओं ने दे दिया जाय तो ज्यादा तरक्की हो सके इणी वास्ते पंचायतों की शुरूआत अच्छी धारणा से हुई। आज गांव वाला री अलग अलग जगह अलग अलग तरह ही हालत हैं। सब इण बात ने चावे कि किसाना री तरक्की किण तरह सू होवे। किसान आज देहात में अनपढ़ है वांका कने तक विज्ञान ने पहुचायो जाय और खेती का अच्छा साधन उपलब्ध कराया जाय तो किसान आ बात समझ जाय कि म्हाने पूरो अधिकार है। म्है जिण तरह सूं चावा उणी तरह सूं खेती री उन्नति कर सकां हां।

मवेशियों की नसल सुधारने वास्ते पशु पालन प्रसार अधिकारी लगाया और सहकारी समितियों रे वास्ते सहकारिता प्रसार अधिकारी लगाया हां। जिन जिन महकमों में जता जता आदमी लगाया इण वास्ते लगाया कि गांवों वालों के विकास में वे पंचायत की माध्यम से सेवा कर सकें परन्तु नतीजा यह निकला कि काफी धन मिला सही माने में काम नहीं कर सकिया। अबार मेहता साहब कह्यो कि स्कूलों को ढंग बिगड़ गयो परन्तु मारो कहनो को मतलब है कि कुवारे ऊपर चुने हुए संस्थाओं का कोई अधिकार नहीं, सरपंच सिर्फ पंचायत समिति को सदस्य वे और जिन माफि पंचायत समितियों में स्थाई समितियां बनी उनमें सिर्फ वे निर्णय ले सकें उनरे बाद में काम करनो उन आदेशों के पालन करनो का काम राज्य कर्मचारियों का है। विकास अधिकारी और शिक्षा प्रसार अधिकारी अगर काम पूरो नहीं कर सके और पूरो पालन नहीं कर सके तो उन बात का दोषी सरपंच और प्रधान नहीं है, राज्य का कर्मचारी है। प्रधान ने खाली पंगु बनाया

(श्री रणजीतसिंह)

हो सिर्फ कलंक को टीको प्रधान और सरपंच पर लगानो चाहे जैको वाजिब नहीं इण वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि ऊने अधिकार दिया जाय। आज उवांरे कने किन्ही तरह का अधिकार नहीं है, खाली बदनामी को टीको ऊंआरे माथे आए। मैं काफी समय सूं प्रधान हूं जदसूं पंचायत समिति की नींव लागो और आखिरी दम तक जठे तक मैं असेम्बली में आयो जठे तक मैं प्रधान रहो हूं। जदूं पंचायत समिति बनी उन वक्त सूं अगर काम आंक्यो जावे तो जितना भी राज्य का प्रसार अधिकारी लागाया हा ऊंवासूं जकी प्रेरणा गांव बालों को मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकी। उनको कारण वह हो कि जतरा भी प्रसार अधिकारी लगाया हां ऊंआरो गांवों सूं ताल्लुक नहीं हो और गांवरो वातावरण सूं ये वाकिफ नहीं हां न ऊंआरे दिमाग में हो, वे तो सिर्फ एक ही बात सोचने चालिया कि नौकरी करनी है तनख्वा मिलेला इन वास्ते जिते तनख्वाह मिले उते जावणो चोखो है। यह पंचायत समिति री सर्विसेज में नहीं हैं इंयोरो लगाव अपने महकमे से है इन वास्ते इंयारे माथे पंचायत समिति को अंकुश नहीं रहियो। आज खेती रे वास्ते कृषि प्रसार अधिकारी ने गांव में लगायो कि उन्हें विज्ञान सूं गांव बालों को प्रेरणा मिले परन्तु मैं अर्ज करूं कि इनसूं किसान में किन्हीं तरह की जागृति पैदा नहीं हुई। बुआं सिर्फ इलाके में घूमने और टी. ए. और डि. ए. लियो है। किसान ने जकी तरक्की करी है वह खुद अपनी होश्यारी सूं करी है, थोड़ी बहुत एक दूसरे किसान ने देखने तरक्की करी है। अगर पंचायत समिति में जको ऋण किसानोरे वास्ते दियो जावे अगर ऊमें प्रधान और स्थाई समिति दा मेम्बर अगर होश्यार हूं और अगर मौके रे ऊपर यानी आन स्पाट अगर तकाबी जो वितरण हुओ है तो उनसूं भी किसान में एक नई जागृति पैदा हुई है और प्रधान होश्यार नहीं तो किसान तक पूरो कर्जो नहीं पहुंच सकियो है। विकास अधिकारी और कृषि प्रसार अधिकारी मिलने कुछ परसेंटेज तय करिया हां और परसेंटेज के आधार माथे ऊंआने कर्जो मिल्यो है और जब वापस भुगतान करेला तो ऊंआने पूरो कर्जो अदा करनो पड़ेला उन वक्त वे समझेला कि राज के नोकरां के मारुफत मोने कर्जो मिलियो उनसूं कुछ पैसा राज का आदमी खाएगा और अब कर्जो मुझे पूरो अदा करना पड़ेला।

मारे इलाके में 5-7 गांवों में करीब 2-3 हजार कुआ है जकारे ऊपर करीब 500 पम्पिग सेट्स लागोड़ा है। वे पम्पिग सेट्स सब राज के कर्जे से नहीं लागा है। राज को पैसो बहुत कम ऊआने दियो बाकी पैसो खुद आपनां मुहया करके लगायो और आज जिन तरक्की माथे पुगा है उनरो श्रेय कृषि प्रसार अधिकारी ने नहीं है वो तो सीर्फ किसानों ने श्रेय है।

अब इन्हीं माफिक पशु पालन अधिकारी है जेको पंचायत समिति में काम करे और उनने इणी बाद वास्ते लगायो हो कि गांव में मवेशी की नसल किन तरह से सुधरे किन तरह से बीमारी को अन्त कियो जा सके परन्तु वुआं खाली इलाको देखने के सवा टी० ए० और डी० ए० लेवन के

(श्री रणजीतसिंह)

सिवा कोई खास काम नहीं करियो हालांकि थोड़ा बहुत सांडों को जरूर वितरण करियो है जेका भी नागौर मेले सुं खरीदने लाया है और लाइने गांव में बैठिया। इन में कोई खास बात नहीं करी है। अगर पैसों गांव वालों कने वे तो आजकल इतनी जागृति पैदा हुई है कि वे भी जाकर सांड खरीदने लाइ सकता हां तो इनमें कोई खास काम नहीं करियो है और उनरे बाद में भी इयां अफसरों के माथे पंचायत समिति का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि वे पंचायत सर्विसेज में नहीं आवे हैं। इंआरो ऊपर निगरानी राखणवाला डाइरेक्टर डिप्टी डाइरेक्टर और जिला पशु पालन अधिकारी भी है। इण वास्ते ऊआं पचायत समिति तरफ कोई खास तवजू नहीं दियो और वे इन बात रे ऊपर लगियारिया कि पंचायत समिति मारो कुछ नहीं बिगाड़ सके मारो अफसर दूसरा है। वुआं अफसरां भी इन तरफ ध्यान नहीं दियो और कदई भी पंचायत समिति में आए न, न तो वे निरीक्षण कर सका न ऊआं गांवों में जाइने ऊआरे काम रो मूल्यांकन करां इन वास्ते आं ढिलाई शुरू से लगाकर आखिर तक रही। इनरा भी अगर दोष पंचायत समिति माथे है तो मैं आ समझूं हूं कि सब आदमियों को सोचणरो दायरो हो गलत है।

अगर आज ऊंआरी बात ने लेने कोई कहवे तो डिप्टी डाइरेक्टर और डाइरेक्टर आ बात कहवें कि मैं काहीं करूं, पंचायत समिति जाने और पंचायत समिति रे नीचे वे काम करे नहीं हैं तो आ तो ये खाली लीपापोती है और अगर जे इन्हीं मारफत पंचायती राज चावे है, तो इन पंचायती राज ने खतम कर देनों चाहिए खाली ढोंग रचनो फिजूलरो है और अगर इण पंचायती राज ने मजबूत करनो हैं और इनमें आस्था है तो पंचायत समितियों ने और अधिकार देना चाहिए और जितना भी प्रसार अधिकारी है और जितरा भी राज्य कर्मचारी पंचायत समिति रे मारफत गांव में काम करे है तो ऊंआरे ऊपर देख रेख पंचायत समिति की रहनी चाहिए ताकि पंचायत समिति ऊंआरे काम रो नापतौल कर सके ऊआसूं काम ले सके नहीं तो एक दिन आवेला कि पंचायती राज धराशाही हो जावेला और सारो कलंक जन प्रतिनिधियों माथे आवेला और अगर इस पंचायत राज ने सही तरीके सूं गमा सके है तो ये राज का कर्मचारी ही गमावेला।

पंचायत समिति रे नीचे राज्य सरकार एक बात तय करी कि एक उन्नत सीड फार्म खोल्यो जावे और उन आधार में सब पंचायत समितियों में एक सीड फार्म खोल्यो गयो नयो नयो मामलो हां उने ऊपर काफी खर्च करनो पड़ो, एक दो साल में सीड फार्म प्रगति नहीं कर सके, नए मामले में शुरूआत में घाटो हुइया करे है और जद पंचायत समिति उनमें कामयाब होने लगी तो राज्य सरकार शी सीड फार्म वापस विथड्रा कर लियो और पंचायत समितियों में काफी नुकसान हुओ और नुकसान की पूर्ति सरकार नहीं कर सकी और उन वक्त जितरो भी पैसो खर्च करियो वह अपने ओन फंड्स से करियो और आज दिन तक राज्य सरकार पंचायत समितियों ने दे

(श्री रणजीतसिंह)

नहीं सकी उनरोई काफी बुरो असर पंचायत समितियों ऊपर पड्यो।

शिक्षा प्रसार अधिकारी री तरफ तवज्जु दी जाय तो ऊआरो भी कोई काम खास विशेष नहीं रहियो है। आज जितरी भी गांव में स्कूलां बनी हैं वे गांव वालों की खुद की चेतना सूं बनीं है। इसलिए हमारी मांग है कि और स्कूल खोल दिए जांय। जितना कर्जा किसानों को मिलता है पंचायत समितियों के मारफत नहीं दिया जाता है सहकारी समितियों के मारफत दिया जाता है। काफी जगह मेरे इलाके में किसानों में भूमि बंधक बैंक को दरख्वास्तें दी हैं। हालत यह है कि 6-6 8-8 महीने हो गए हैं कर्जा मिला नहीं है। इस लंबे प्रोसीज्यर से गांव वालों की तरक्की नहीं हो सकती।

जो राजस्थान रो पश्चिमी इलाको है वह इलाको पशु पालन को है। ई वास्ते अठै कोई काम नहीं हुयो है। एक बात और कहणी चावूं हूं कि गांवों माते थे सान्ड वितरण करया है। ईके वास्ते एक कमेटी बन जाय और वा काम करे। आज पंचायत राज ने खराब बतावें, उमें कुन लोग हैं। छोटा राज्य कर्मचारी है पहल्या आर. ए. एस. अफसर था। शायद वाने बिथड़ा कर लिया, विकास अधिकारी लगाया। आज उणरी यह हालत है कि काम नहीं समझे ईह वास्ते पंचायत समिति माय बहुत लम्बो-चौड़ो घाटो हो गयो। वे खरीद में गड़बड़ करें-रकम एक लाख की पड़ी है 75 हजार रुपया रो सामान खरीद्यो जिमें हजारों रुपया जीम गया। नाम गांव जरूर है, कि कर पैसा खा जावे। ई वास्ते कई जगह पंचायत समितियां माही गड़बड़ हुई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

खतम करूं हूं। ई वास्ते म्हारो निवेदन करनो है कि ये गड़बड़ नहीं कर सके। मैं आपने अर्ज करनो चाहूं हूं कि पंचायत समिति इ साल माही सिर्फ पानी के वास्ते 70 लाख रुपया दियो है। उनरी आज हालत यह है कि 70 लाख रुपया में 65 लाख रुपया नल योजना माथे खर्च होवेला। सिर्फ 5 लाख रुपया ई गांव रा विकास वास्ते, पानी रा इन्तजाम वास्ते खर्च होवला। यह 20 साल री याकी प्रगति है। 20 साल में पानी रो पीने के वास्ते इन्तजाम नहीं कर सक्या। जितरा विधान सभा रा सदस्य है वामें कोई एम. एल. ए. क्वार्टर में रहवे, कोई विधायकपुरी में रहवै, कोई गवर्नमेंट होस्टल में रहवै याके जितरो पानी लेट्रीन में ढोलने वास्ते काम आवे उतनो पानी में सिर्फ याने पीने के वास्ते दे दियो जाय बहुत अच्छा होवे। 15-20 मील दूर से पानी लावे है। कोई जरिया नहीं है दूसरा पानी रा वास्ते।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

5 मिनट माही खतम करूं हूं।

श्रीमती सभानेत्री : 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोल अच्छा रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह : गांवा रे मांही काफी काम कर्यो है। राहत रा कई काम खोल्या है। बहुत खुशी की बात है लेकिन सभापति महोदया, मजदूरां ने मिले कांही है—एक रुपया दो आना। यो पुरानो शिड्यूल अभी चाल रह्यो है। सुबह से शाम तांही मेहनत करें और फेर वाने मिले कांही एक रुपयो दो आना। जद मशीना से काम होवे तो वे भागबा की कोशिश करें। आज से 4 साल पहली भयंकर अकाल पड्यो हो तब रा 14 हजार रुपया बकाया पड्यो है। आज भी पी. डब्ल्यू. डी. और फेमिन विभाग हाल वाको चुकारो नहीं कर सक्या। कदै कह देवे मस्टर रोल नहीं है। कदेई कह देवे यो तैयार नहीं है, कदै वो तैयार नही ई तरह वे मार्‌या मार्‌या फिरै है। सारो कर्‌यो करायों काम पर पानी फिरग्यों। पी. डब्ल्यू. डी. वाला कने जावें तो वे कहवै फेमिन रो काम थो, फेमिन वाला ही जानै। म्हारो कोई सरोकार नहीं है। सड़कां पूरी नहीं बनी, तालाब टूट्या पड़्या है। काम भी पूरो नहीं हुयो और जितरा पीसा लाग्या वे सबरा बेकार माथे हो गया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं दो मिनट माही अर्ज करूं।।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आपको बहुत समय हो गया है।

श्री रणजीत सिंह : एक मिनट में ही खतम करूं हूं। अब मैं अर्ज करूं रेवेन्यू रे वास्ते। देखने से पतो लाग्यों कि कितरी कितरी आमदनी है और कितरी कितरी खर्च हुई। आज गांवा रा राजस्व पटवारी जो तय करदे बही होवे हैं। वह पटवारो गांव रो आई. ए. एस. अफसर भी होवे। पटवारी की कलम ठेठ तक चाले है। जो पटवारी लिख देवे या जो पटवारी ने काम कर दिया ऊके माथे आई. ए. एस. अफसर भी बैठ जावे और फेर राजस्व मंत्री जी भी विराज जावे। पटवारी जादू रा डंडा घूम्या राखै है। पटवारी खुदा है। आज पटवारी का काम है म्यूटेशन भरना और म्यूटेशन में जितरी गड़बड़ है उतरी दूसरी जगह नहीं है। म्यूटेशन समय पर भरे नहीं वाने जद कहवे भाई म्यूटेशन क्यों नहीं भर्‌या तो कहवे कि म्हने तो आज ही कह्यो है। 100 तरह का कानून किसान रा वास्ते बना राख्या है। अच्छे कानूनो रां तो पालन नहीं होवे ई वास्ते म्हारी अर्ज है कि वा पर पालन होनो चाहिजे। पटवारी पर अंकुश रख्यो जावे और तहसीलदार ने पंचायत समितियों का रेवेन्यू कलक्शन आफीसर बना दिया जावे। ई पर राजस्व मन्त्री जी विचार कर लेवें तो ठीक रहवै।

श्रीमती सभानेत्री- श्री दौलत राम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) सभानेत्रीजी, विचारार्थ प्रस्तुत तीन अनुदान मांगों पर मैं संक्षेप में अपने कुछ विचार प्रकट करूंगा।

अभी मेरे से पूर्व वक्ता पंचायत राज और राजस्व विभाग के बारे में बता रहे थे। बड़े सुन्दर ढंग से सारी सरकार का विश्लेषण यहां रक्खा। नाम पंचायत राज और काम सरकारी सेवा का। इसका मतलब यह कि यह असफल होता है तो इसका

(श्री दौलतराम सारण)

दोष निर्वाचित प्रतिनिधियों के सिर पर और सफलता मिली तो इस का श्रेय प्रसार और विकास अधिकारीजी को।

अभी तक हमारी सरकार की कोई निश्चित नीति इस के बारे में नहीं बन पाई है। कोई स्थिर दृष्टिकोण नहीं। पंचायती राज के बारे में अगर मैं यह कहूं तो अनुचित नहीं होगा कि सरकार प्रयोग करती जा रही है। सरकार ने बलवन्तराय महता समिति की राय पर सर्व प्रथम भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किया। बड़ा भारी इसका स्वागत हुआ। शुरूआत हुई जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन हुवा सारे भारत भर के अखबार रेडियो में प्रशंसा के गीत गाये गये और बधाइयां बटती रहीं। भाषण बाजियां चलती रहीं चार पांच वर्षों तक। पर इसके बावजूद भी इसकी नींव कितनी खोखली है इस पर नजर नहीं दौड़ाई।

जो मुद्दे जो मूल संवैधानिक निर्देश थे इस बारे में जो कांग्रेस की परम्परा थी, जो गांधीजी का मार्ग दर्शन था सबको एक ओर रखदिया गया। उनकी लोक राज, पंचायती राज की एक कल्पना थी। उसको मूर्त रूप देने की बात थी। पर पंचायतें तो इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद मर चुकीं। अब तो केवल अफसर राज मौजूद रहा है। जो अभी एक प्रधान कह रहा था कि पंचायतों का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई उनकी आवाज नहीं है। कोई उनको अधिकार नहीं है। कोई उनकी ताकत नहीं है।

पंचायतों का सरपंच केवल राज का एक बेगारी, जो मुफ्त में काम करता है अफसरों के हुक्म से, है और अगर जरासा अफसर के सामने बोल दे अपनी तकलीफ बता दे, प्रशासनिक अकुशलता एवं बाधा की बात कर दे तो फौरन उसके खिलाफ कोई न कोई मुकद्दमा बन जावेगा। 409 तो निश्चित रूप से बन ही जावेगा यह परिस्थिति है आज पंचायती राज की।

पंचायत का सरपंच हाथ जोड़े दीनता के स्वर में प्रार्थना करता हुआ प्रशासन के चरणों में पड़ा रहता है। प्रशासन उसके काम में कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है, तहसीलदार उसके ऊपर है, विकास अधिकार तो सर्व सर्वा है ही डी. डी. ओ. साहब भी उसके मालिक हैं। कलक्टर साहब तो खुदा और जहांपनाह ही हैं। ये तो हैं सो हैं ही, पर एक प्रसार अधिकारी के छोटे से पद पर बैठा आदमी भी सरपंच का मालिक समझता है अपने आपको। एस. डी. ओ. साहब भी सरपंच के मालिक हैं। इन में से हरेक पंचायत में दखलन्दाजी कर सकता है। पंचायत केवल अफसरों की इच्छा पर निर्भर करती है। इसका परिणाम क्या आया?

इसका परिणाम यह आया कि पंचायतों की पूर्ण समाप्ति हो गई। पंचायतों की बुनियाद खोखली हो गई, हिल गई। अगर पंचायत राज को मजबूत करना है तो पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा। समिति के मजबूत होने से भी यह नहीं होगा। यह तो पंचायत को मजबूत होना होगा तभी पंचायती राज मजबूत होगा। नहीं तो नहीं। आज पंचायत समिति का कोई प्रभाव नहीं और जिला परिषद् तो केवल ढकोसला है।

(श्री दौलतराम सारण)

वे तो केवल सलाह देते हैं। सलाह लाखों की देते हैं। इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं। जीप लेना और सलाह देना। पंचायत समिति में तो अनेकों जीपें है।

श्री रामकिशन : आपके यहां से सरकूलर पहुंच गया है कि जिला परिषद अब पूल से जीप लेगा और पैसा देगा। जिला परिषद् के पास तो फण्ड भी नहीं है।

(3 म. प.)

श्री दौलतराम सारण : जिला परिषद् के पास कोई अधिकार नामकी चीज नहीं है। वे तो सलाह दे सकते हैं। पंचायत समिति को कुछ काम दिया गया था। पर वह भी वापिस ले रहे हैं। लघु उद्योग आदि की योजनाएं वापिस ले ली। की विलेज स्कीम वापिस ले ली। स्वास्थ्य निरीक्षण का काम वापिस ले लिया। खाद निरीक्षण का काम वापिस ले लिया और ऋण देने का अधिकार था, वह भी वापिस ले लिया अब सहकारिता की तरफ नजर गई है इनकी। पंचायत राज तो मजबूत हो गया? उसकी मार्फत तो जितना जन कल्याण होना था करना था सो हो गया कर लिया। अब सहकारिता को मजबूत करने की बारी आई है। अब सहकारिता की तरफ नजर पड़ी है। इसका भी कल्याण हो जावेगा। पर मेरा विषय नहीं है यह आज।

तो मैं निवेदन कर रहा था, पंचायती राज का कोई अस्तित्व इस राजस्थान में आज नहीं रह गया है। अगर मैं यह भी कह दूं तो अनुचित नहीं होगा। केवल अफसर शाही है, तानाशाही है, इसके सिवाय कोई पंचायती राज की कहीं कोई आवाज नहीं हैं। पंचायत प्रस्ताव पास कर दे, पंचायत समिति पास कर दे, जिला परिषद् पास कर दे सभी दल मिलकर सर्व सम्मति से कर दे पर तब भी उसकी कोई कीमत नहीं। मेरे पास अनेकों प्रस्ताव हैं ऐसे। अगर एक एक का उदाहरण दूं तो आपकी आंखें खुल जावेंगी कि यह राजस्थान सरकार पंचायती राज का ढोल पीटने वाली के अन्दर कितनी पोल है और कितनी भयंकर इस पंचायती राज के प्रति उपेक्षा है। वे अगर एस. डी. ओ. साहब की जांच की बात करें तो उन की जांच यह सरकार नहीं करवाती, वह प्रोसीडिंग्स तक बदले दे ये जांच नहीं कर वाते। अगर पंचायत का कोई सामन्त प्रसार अधिकारी घोटाला कर दे और पंचायत समिति प्रस्ताव भेजे तो उसकी जांच कराने को ये तैयार नहीं। कोई काम करने में बाधा पहुंचावे तो ये जांच कराने को तैयार नहीं।

प्रावधान था प्रसार अधिकारी के तबादले में प्रधान की सलाह ली जावेगी। पर वह भी गायब। सलाह का मतलब है कुछ भी भेज दो। सूचना आनी चाहिये। विकास अधिकारियों को वह सालाना सी. आर. भरने का अधिकार दिया गया था। वह भी कलक्टर भरेगा अब। प्रधानजी तो केवल एक दो लाइन का परचा लिखकर भेज देगा उसका कोई असर विकास अधिकारियों पर नहीं रहेगा।

यह बड़ा शोर हो रहा है कि पंचायती राज में स्कूलें खराब हो गई। ये मास्टरों

(श्री दौलतराम सारण)

को तंग करते हैं। सरपंच और प्रधान ने उनका फुटबाल बना रक्खा है स्कूलों को इसलिये पंचायती राज से निकाल कर वापिस सरकार को दे दो। पर सभानेत्रीजी, यह भ्रम है। पंचायत का प्रधान का सरपंच का किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का किसी राज्य केकर्मचारी के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये उनकी तरफ से दिक्कतें पैदा करने का, तंग करने का कोई सवाल नहीं।

मैं इस राय का हूं कि अगर राज्य शासन की यह नीति है, यह विश्वास है, राज्य शासन यह मानता है कि पंचायती राज मजबूत होना चाहिये तो पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक अधिकार देने चाहिये। उनके दायित्व की पूर्ति के लिये आवश्यक अधिकार उनको अवश्य मिलने चाहिये।

मैं पूछना चाहता हूं जब पंचायत के पंच सरपंच, प्रधान, प्रमुख सरकार को किसी प्रस्ताव को पास करके भेजते हैं और राज्य सरकार उसकी उपेक्षा करती है तो वे लोग जनता को किस प्रकाक से प्रभावित कर सकते हैं। किस प्रकार जनता को विकास कामों के लिये आकर्षित कर सकते हैं।

विकास के लिये तो आप काम करें और अड़चन आवे तो उनकी उपेक्षा करें ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। गांवों में अकाल पड़ा। नियम के अनुसार पटवारी पंच या सरपंच को साथ लेकर गिरदावरी करेगा पर पटवारी अपनी मरजी से कर देता है। जहां वास्तव में अकाल होता है वहां दस आना फसल बता देता है और जहां फसल अच्छी हुई वहां छः आना ही बता देता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। राज्य सरकार को कलक्टर को सम्बन्धित विभागों को अनेकों बार पंचायतों ने प्रस्ताव भेजे हैं। पंचायत समिति और जिला परिषदों ने भेजे हैं लेकिन इस सरकार ने उनकी कतई उपेक्षा कर दी।

जांच करा ली गई। जांच किस से की शिकायत कर्त्ता से पूछा। गांव के लोगों से पूछा नहीं। जिस आदमी की शिकायत की उसी आदमी से पूछकर रिपोर्ट कर दी और परिणाम वहां का वहां और फिर आप अपेक्षा करते हैं उस पंचायत समिति से और जिला परिषद से, उन निर्वाचित लोगों से कि वह लोगों के दर्द को दूर नहीं कर सके। वह प्रेरणा देकर जनता का सहयोग कर लेंगे मेरे विचार से यह कम सम्भव है। इसलिए आप इस पर गौर करें। अगर वाकई चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो, अगर आपकी लोकतंत्र में निष्ठा है और आप जनतंत्र में जनमत को अनुकूल बनाकर चलना चाहते हैं और अगर आप उससे जनबल, जनशक्ति और जन सहयोग पैदा करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप जनता की राय का आदर करें, सम्मान करें और उसके मुताबिक जांच करके कार्यवाही करें। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की पंचायत समिति है डूंगरगढ़। उस पंचायत समिति ने बिजली के मामले में प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव

(श्री दौलतराम सारण)

पास करके भेजा। वहां पर बिजली नहीं लगी। विभाग की सर्वे रिपोर्ट ठीक लेकिन पक्षपात से और राजनैतिक दबावों से ऐसे ढंग से बिजली ले जाई गयी जहां आठ मील तक सिंचाई का साधन नहीं था उस रास्ते से नहीं ले जाई गई जिससे 4 पंचायतें और 9 गांव बीच में पड़ते। केवल उपेक्षा का कारण राजनैतिक था। विकास का कारण नहीं था, निर्माण का कारण नहीं था, सर्वे की अनुकूलता का कारण नहीं था। इसी तरह से पंचायत समिति पिछली अपनी स्थापना से लेकर आज सैकड़ों पत्र लिखे हैं। आज एक प्रश्न था इस सम्बन्ध में कि रेलवे क्रासिंग फाटक है। वहां पर खेत हैं, रास्ता है, बैलगाड़ी जाने के और मोटर सर्विस के लेकिन वह सारे रेल्वे के रास्ते रेल्वे ने खाई खोदकर बन्द कर रखे हैं। पंचायत समिति ने सभी से वार्ता की याता-यात विभाग से, मुख्य मंत्री जी से और रेलवे विभाग से और रेल्वे मंत्री जी को सब को लिखा लेकिन कोई सुनाई नहीं। रेल्वे की तरफ से जरूर उत्तर आया और रेल्वे के अधिकारियों ने यह जरूर लिखा कि राज्य सरकार से हमारा एग्रीमेन्ट है कि अगर राज्य सरकार जहां जहां बनाना चाहे रास्ते जहां जहां रखना चाहे 'सी' श्रेणी के वह लिखकर देगे तों हम बना देंगे तो हम बना देंगे उसमें आधा खर्चा राज्य सरकार का लगेगा। लेकिन इस राज्य सरकार की तरफ से उसकी तरफ कोई गौर नहीं।

इसी तरह से अकाल की बात है। मैंने पिछले वर्ष मन्त्री, उप-मन्त्री को चिट्ठी लिखी। इस वर्ष भी मैंने मन्त्री और उप-मन्त्री को चिट्ठी लिखी उसकी पहुँच क कोई समाचार देना तो दूर रहा काम करन तो उससे भी ज्यादा दूर। लेकिन गलत तरीके से जिन गांवों में बिल्कुल फसर नहीं हुई उन गांवों में फसल दिखा दी ग और जिन गावों में बिल्कुल अकाल है वह जमाना और जिन गावो में जमाना है वह अकाल। एक नहीं अनेक गांव हैं सरदार-शहर, डूंगरगढ़ तहसील चूरू जिले के।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला ह बोल रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : समय देखकर ह आपको चेतावनी दी है।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन फि उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं। इधर य स्थिति पंचायतों की है। पंचायतों की रा की कद्र नहीं, पंचायतों के काम की क नहीं, पंचायतो पर भरोसा नहीं, पंचायत- से काम धड़ाधड़ लिया जा रहा है सरका की तरफ से वापिस, अधिकार उनको नहीं और पंचायतों के काम का क्या हा है। नियम बना दिये कि यूटीलाइजेश- सर्टीफिकेट के बिना काम पूरा नहीं मान जायेगा। यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट देने वाल अधिकारी गायब, अधिकांश पंचायत समि तियों से गायब और उनके ऊपर ज इन्जीनियर है यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट क जांच करने वाला वह बहुत बड़े सर्किल एक रहता है वह उसकी देखरेख कभी करत नहीं, आता जाता ही नहीं है। न तो प्ला का एप्रूवल है, न काम की चैकिंग ।

(श्री दौलतराम सारण)

सुपरवीजन है, न यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट है। 99 परसेन्ट काम अगर मैं कहूं तो अनुचित नहीं होगा कि पूरे किये हुए पड़े है लेकिन प्रमाणपत्र के अभाव में अन्तिम किश्त उनको नहीं मिल पा रही है और 5-7 वर्ष काम किये हुए हो गए लेकिन अभी तक उन कामों की पूर्ति का प्रमाणपत्र नहीं हैं। यह स्थिति आज पंचायतों में है। प्रमाणपत्र तब तक नहीं मिल सकता जब तक प्रमाणपत्र देने वाले ओवरसीयर की खिदमत में एक निश्चित परसेन्टेज पहुँचता नहीं आज। मुझे यह बताइये कि जो सरपंच ईमानदारी से काम करेगा वह किस प्रकार उसकी खिदमत कर सकता है? किस प्रकार रिश्वत दे सकता है। इसलिए आज ईमानदार आदमी सरपंच बनने से कतराने लगा है क्योंकि उसके खिलाफ रिकवरी के नोटिसेस जाते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही होती है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों किस्से हैं और लोग तबाह हो रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, रोज पेशियों पर जाना पड़ता है और जयपुर के दस दस चक्कर लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी फैसला नहीं और दूसरी तरफ जिन लोगों ने हजारों के गबन किये हैं, राज्य की रकम लेकर वर्षों तक उनके कब्जे में है। उनके ऊपर शिकायत होंने पर भी कोई कार्यवाही नहीं ईमानदार को संरक्षण नहीं है बेईमान को सजा नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि बेईमानी को प्रश्रय मिला है।

पंचातत समिति रतनगढ़ के हैडक्वार्टर्स के परिवर्तन की बात कहीं चूरू से बाहर 6 मील पर हैडक्वार्टर्स रतनगढ़ रखा हुआ है जो कि तहसील के कोने पर पंचायत समिति अपनी स्थापना से लेकर आज तक उस हैडक्वार्टर को चूरू में लाना चाहती है लेकिन राज्य सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत समिति ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके भेजा। शासन न जाने सुविधा की दृष्टि से वहां दुबारा रखना चाहता है या अपनी व्हिम्स के कारण यह हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन उस पर निर्णय करने के लिए तैयार नहीं हैं, वहीं रहेगा, दफ्तर वहां से नहीं जायेगा। कहते हैं कि वह तो नगरपालिका क्षेत्र है और राजस्थान में अधिकांश उनके केन्द्र हैं वह नगरपालिका क्षेत्र में हैं। यह कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार की अनेक समस्यायें है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब पंचायत समितियों के बाद में अगर इस अनुदान मांग का बजट देखेंगे तो उसमें बराबर निर्माण और विकास कार्यों पर रकम कम होती गई है और आज तो नाम ही नाम केवल विकास निर्माण का रह गया है। इसके अन्तर्गत जितनी स्कीमें हैं उनमें खर्चा कम होता गया है, प्रावधान कम होता गया है और उसका नतीजा यह आया है कि आज पंचायत समितियो में केवल तनख्वाह देने के अलावा और कोई निर्माण विकास का प्रवधान नहीं है। सारे राजस्थान के लिए कूप निर्माण और सार्वजनिक निर्माण के लिए केवल 6 लाख रुपये दिये हैं, 232 पंचायत समितियों को। जैसे मेरे इलाके में एक कुआ 20-20 और 30-30 हजार रुपये में बनता है। वहां पर 250 से 500 फुट तक गहरे हुए हैं। अगर पंचायत

समिति को 10 हजार भी देंगे तो पानी की समस्या कैसे हल होगी और दूसरी तरफ तीन तीन और पांच–पांच लाख रुपया रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स के नाम से खर्च कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फालतू है। जब तक लोगों को पीने का पानी नहीं तब तक लोगों की सुविधाओं के लिए मशीने लगाते है यह मैं उचित नहीं मानता हूं। आप पीने के लिए पानी दीजिए उसके बाद में मशीनें लगाइये! आपकी सारी योजनायें प्राथमिकता के हिसाब से नहीं चलतीं। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि पीने के पानी की तरफ ध्यान दीजिए। यह भयंकर स्थिति है इससे आपकी साख गिरती है और आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं।

पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का अमला बिल्कुल फालतू है। या तो पंचायत समितियों को आप तोड़ दें या फिर तहसील तोड़ दे।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

क्या बैठ जाऊं ?....

श्रीमती सभानेत्री : 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री दौलतराम सारण : मुझे तो 20 मिनिट नहीं हुए हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मेरी घड़ी में हो गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं अपनी घड़ी से बोल रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं अपनी घड़ी से अर्ज कर रही हूं।

श्री दौलतराम सारण : आप मुझे कितना समय देना चाहती हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : आपको समय दिया गया हैं 15 और 20 मिनट के बीच का।

श्री दौलतराम सारण : क्यों ?

श्रीमती सभानेत्री : 25 मिनट आपकी पार्टी के हैं।

श्री दौलतराम सारण : 20 मिनट में इस बीच में 3 बार घन्टी आप बजा चुकी हैं। इसमें ही आपने मेरे 3 मिनट ले लिये।

श्रीमती सभानेत्री : यह मेरा फर्ज था।

श्री दौलतराम सारण : मुझे अफसोस है कि मेरी पार्टी से मैं एक ही सदस्य बोल रहा हूं और मुझे ही बोलने नहीं देती हैं। बीच–बीच में घन्टी बजा देती हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप मेरी कठिनाई देखिये।

श्री दौलतराम सारण : अगर आपकी कठिनाई है तो बैठ जाता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मेरा यह निवेदन है कि आप समाप्त करें।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कह रहा था कि जिला परिषद में पंचायत समिति और तहसील ये दोनों एजेन्सियां रखना बिलकुल फालतू हैं। इन दोनों के बजाय एक एजेन्सी होनी चाहिए और वह एजेन्सी आप पंचायत समिति को रखियेगा तहसीलदार पंचायत समिति का विकास अधिकारी होना चाहिए। राजस्व का सवाल नहीं है। लैण्ड रेवेन्यू आपको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भू-राजस्व लेना किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। भू-राजस्व एक ऐसे युग का कर है जिस युग में विकासशील अर्थ-व्यवस्था नहीं थी, समाजवादी व्यवस्था नहीं थी, जिस अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन और आमदनी का हिसाब नहीं था, उस व्यवस्था का यह सूचक है। इसलिए विकासशील अर्थ-व्यवस्था में किसी भी सूरत में भू-राजस्व नहीं रहना चाहिए। भू-राजस्व रहता है तो पटवारी रहेगा भू-राजस्व रहता है तो गिरदावर रहेगा, इसलिए इस सारी एजेन्सी को समाप्त किया जाय, और भू-राजस्व को समाप्त किया जाय।

आज भू-राजस्व की यह स्थिति है कि सारे हिन्दुस्तान में केवल आसाम को छोड़कर सब से ज्यादा भू-राजस्व राजस्थान में आप ले रहे हैं। आज राजस्थान में भू-राजस्व की स्थिति यह है कि कहीं पर आठ आना कहीं पर एक रुपया कहीं पर दो रुपया कहीं पर चार रुपया, कहीं पर 7 रुपया और कहीं पर 11 रुपया भू-राजस्व ले रहे हैं। आसाम में ज्यादा इसलिए है कि वहां पर टी गार्डन्स हैं और सारे हिन्दुस्तान में जितने राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा भू-राजस्व राजस्थान में हैं। भू-राजस्व की निश्चित दरें नहीं हैं भूमि की किस्म पर। सेटलमेंट में भूमि की किस्म पर भू-राजस्व लगाने की बात करते हैं पर एक ही तरह की उपज पर एवरेज पर एक जगह आठ आने हैं, एक जगह 2 रुपया है, एक जगह 7 रुपया है और एक जगह 13 रुपया है। इस तरह से दरों में अन्तर है और भूमि की किस्म में अन्तर है। किसी भी सूरत में इसको न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भू-राजस्व को समाप्त किया जाय। अभी मेहता जी ने कहा है कि वह पवित्र पैसा है। कि जो लोग पापी पेट को भरने के लिए ज्वार का दलिया खाकर रहते हैं और भू-राजस्व देते हैं। अनार्थिक जोतों के लोगों को भूखे रखकर उनसे भू-राजस्व लेते हैं और एक तरफ सम्पतिशाली लोगों को माफी देते हैं तो यह कतई अनुचित, अन्यायपूर्ण और कतई असमानता की बात है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस भू-राजस्व को समूल रूप से आप छोड़िये, इसको बन्द कीजिये। यह किसी भी तरह से आज की विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लायक नही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्रीजी मुझे 5-7 मिनिट का समय और देने की महरबानी करें।

श्रीमती सभानेत्री : एक मिनिट, दो मिनिट आप चाहें तो बोल लीजिये। समय आपने ज्यादा ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण : हम यहां पर अपने विचार रखने के लिए आते हैं,

(श्री दौलतराम सारण)

कुछ नैतिक मुद्दे बतलाने के लिए आते हैं केवल खानापूरी करने तो नहीं आते हैं। या तो आप कह दीजिये कि मत बोलो। बार बार घन्टी बजा देती हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य से मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह से आप यहां खानापूर्ति करने नहीं आते हैं उसी तरह से दूसरे माननीय सदस्य भी खानापूर्ति करने नहीं आते हैं। दूसरे भी बोलना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं केवल एक ही मेम्बर बोल रहा हूं अपनी पार्टी में से फिर भी इतनी बार घन्टी बजा दी।

तो मैं यह कह रहा था कि भूमि-सुधार के नाम पर जो कानून बनाये हैं उन कानूनों की अनुपालना इस शासन ने नहीं की। न सीलिंग का कानून लागू किया और न इस शासन ने किसानों को राहत देने के लिए दूसरी व्यवस्थाऐं कीं। आज गोचर के नाम से इसको पता नहीं है कि गोचर, बीड़, ओरन, बानी, जोहड़ पायतन आदि अनेक नामों से गैर मुमकिन जमीन दर्ज हैं। कहीं गोचर दर्ज करा दिया उसको तो गोचर मानते हैं, लेकिन दर्ज नहीं किया तो आप नहीं मानते हैं, ये वन विभाग के अन्दर नहीं हैं राजस्व विभाग से नीचे ये सारे इन्द्रराज वाली जमीनें हैं लेकिन, उन जमीनों का कोई संरक्षण नहीं है, उनकी कोई देखरेख नहीं है। आज हालत उनकी खस्ता है। आबादी भूमि के मामलों में, एलाटमेंट के मामलों में, गोचर के मामलों में रेगिस्तान और दूसरे इलाकों के अन्दर फर्क समझकर चलते नहीं। रेगिस्तान की अगर सारी जमीन काश्त के लिए अलाट कर दी गई तो रेगिस्तान उग्र रूप धारण कर लेगा। इससे राजस्थान का दो-तिहाई हिस्सा ही बरबाद नहीं होगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा और यू. पी. के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं उनको बरबाद कर देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पुराना सिस्टम है बीड़, ओरन, गोचर, बानी, जोहड़ पायतन आदि के नाम से जो बीड़ थे उनकी सुरक्षा की जाय, और जो आपके पास में आराजी राज्य है, पड़त है उस जमीन को चरागाह के नाम से, बीड़ के नाम से प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। आप गोचर के नाम से, दूसरे आबादी के नाम से और तीसरे काश्त के नाम से छोड़ते हैं तो यह नहीं अपनाया जायगा तो रेगिस्तान का भंयकर रूप से बढ़ना शुरू हो जायगा और उसकी रुकावट का कोई जरिया नहीं रहेगा।

फसल गिरदावरी भी बड़ी अजीब तरीके से होती है। कलेक्टर तीन दिन का समय एतराज के लिए देता है जहां कि आठ आने से ऊपर हानि होती है उसके लिए। तीन दिन का समय जो कलेक्टर एतराज के लिए देता है वह कितना थोड़ा होता है यह आप खुद महसूस कर लें। तीन दिन से पहले कलेक्टर किसी गांव में सूचना नहीं भेज सकता है और किसान तहसील हैडक्वार्टर पर नहीं आ सकते हैं और उनके लिए अपने एतराज पेश करना सम्भव नहीं है। इसलिए गिरदावरी में एतराज का नियम है आठ आने के ऊपर

(श्री दौलतराम सारण)

की हानि के बारे में है उसको 15 दिन ऐतराज की अवधि में परिवर्तित करना चाहिए।

इसी तरह से तावान के मामले एलाटमेंट के सम्बन्ध में आते हैं। तहसीलदार मीटिंग नहीं बुलाता है और किसानों के पास ज्यादा जमीन नहीं है इसलिए वह राज्य की जमीन में हल जोत देता है तो हल जोतने के बाद में तावान लगता है, और तावान मनमानी तरीके से लगता है। कहीं पर 15 गुना लगाते हैं और कहीं एक गुना ले लेते हैं. कहीं दो गुना भी ले लेते हैं और कहीं 15 गुना भी तावान कर देते हैं, और अब तो फसल कुर्क करने का प्रावधान कर दिया है इससे ज्यादती और बढ़ रही है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप यह देखिये कि गलती किस की थी।

मैं एक उदाहरण आपको देता हू कि सरदार शहर पंचायत समिति में संवत् 2018 के अन्दर करीब 800 परिवारों पर लगान का 15 गुना तावान तहसीलदार ने कायम कर रखा है। वहां की सब निर्वाचित संस्थाओं और लोगों ने राज्य सरकार के सामने प्रार्थना की। एक बार तो राज्य सरकार ने उस पर स्टे दिया लेकिन दूसरी बार उस स्टे को खोल दिया और उसके बाद कुर्की करके उन लोगों से तावान जो है वसूल किया गया। यह तावान जहां अकाल पड़ गया तो वहां पर बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से तावान लगाया गया था। मैंने इस मामले में चेष्टा की थी और लड्ढा जी उस वक्त राजस्व उप मंत्री जी ने मौके पर जाकर तस्लीम किया था कि यह तावान गैरकानूनी है तरीके से लगाया गया है। 67 हजार रुपये 800 परिवार पर तावान लगाया गया था जो कि अनुचित था। खातेदारी जमीन पर भी तावान लगा दिया। 500 रु० 500, एक-एक हजार रुपया, दो-दा हजार रुपया, दो-दो हजार रुपया एक एक परिवार पर तावान लगा दिया गया। तावान लगाने का कारण यह था कि उसके पहले वर्ष में सेटलमेंट हुआ था और सेटिलमेंट में खसरे के नम्बर पलट गये। खसरा नम्बर पलटने की वजह मे नम्बर दूसरा होगया लेकिन खतोनी वही रही, मालिक वही चला आ रहा है। सेटिलमेंट नम्बर बदल गया इसलिए तावान हुआ। पटवारी ने कहा कि नम्बर दूसरा है। इस तरह की ज्यादती वहां हुई है। इस ज्यादती के बारे में आज तक कोई निर्णय गवर्नमेंट ने नहीं लिया है।

डूंगरगढ़ तहसील के अन्दर एलाटमेंट प्रोसीडिंग्स संवत 2016 गायब कर दी गई हैं और लोगों पर तावान लगा दिया और धींगामस्ती से बसूल कर लिया। वसूली करते समय हृदय विदारक नजारा सामने आया। कानून के अनुसार जिन चीजों को कुर्क नहीं किया जा सकता उन चीजों को कुर्क कर लिया। जैसे खाने पीने के बर्तन, ओढ़ने के कपड़े और ऐसी ना चीज चीजें जो कुर्क नहीं हो सकतीं उनको कुर्क किया गया। 800 से ज्यादा लोगों पर कुर्कियां जारी की गई। अब तक ये कुछ चीजें मालखाने मे पड़ी हैं। पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके भेजा। कलेक्टर की मौजूदगी में 26 आइटम्स का

(श्री दौलतरार सारण)

चार्ज लगा कर भेजा। शासन ने जांच करवाई और बिना जांच किये रिपोर्ट करदी गई कि यह सब चार्ज झूठे हैं कोई गड़बड़ी नहीं की गई। मैं चेयरमैन महोदया, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कितनी गैर वाजिब हरकतें की गई। मैं आपको थोड़ा सा नजारा बताना चाहता हूं वह जो सामान कुर्क किया गया उसको बताना चाहता हूं: जसू पुत्र पाबूदान महतार डूंगरगढ़ भैंसा 1, चूना पुत्र देदा नायक मांचा 2, घट्टी 1, थाली 1, सुरजा पुत्र खूमा माली 1 ऊंट, सुगना पुत्र ज़ालू नाई डूंगरगढ़ किवाड़ जोड़ी 1, मांचा 2, थाली 1, परात 1, बाटकी 1, देगची, छोगा पुत्र परमा नाई गाय 2, नूरा पुत्र दीना दमामी किवाड़ जोड़ी 1, कुशलाराम पुत्र कलाराम तोलियासर 1 गाय 2 बाछी।

नूरा पुत्र दीना दमामी 1 किवाड़ जोड़ी।

मु. जीवू स्त्री नानू चमार खुडसर, मांचा 4, मोंठ 6 मण, 1 गाय।

बुधा पुत्र बना चमार सूडसर, किवाड़ जोड़ी, 1, माचा 2, घन्टी 1, थाली 1, गुणिया 1 गाय।

रामकरण पुत्र डूंगरराम चमार 1 टोंडिया।

आसू पुत्र कुम्भा चमार सूडसर किवाड़ जोड़ी 1, मांचा 4,

जैसा पुत्र रूपा चमार, सूडसर 1 बैल।

नाथू पुत्र पोकर चमार, सूडसर किवाड़ जोड़ी 1, कुंडी 1, झाल 1, कुंडी सीमेन्ट, 1, कुंडा लोहा।

चिमना पुत्र सुखा नायक आडसर किवाड जोड़ी 1, मांचा 1 गाय 1, खेत खसरा नं 246।

परतु पुत्र सुखा नायक आडसर मांचा 1 खेत खसरा नं० 65

और देखिये मोठ भी है।

सुगना वल्द अर्जुन चमार दुलवासर 1 सांड, 2, बछड़े 1, भैंस और देखिये गोविन्द पुत्र शोजी रेगर टेऊ किवाटड जोड़ी 3, मांचा 3, घट्टी 1, मोठ 2।।। सेर और बकरी 5।

लादू पुत्र चोखा रेगर दुलचासर, 1 बैल, 1 गाय और 1 बछड़ा। इसी तरह से इसमें मटकी है, पाटा है, हुक्का है, गुणिया है दूध दोहने की परात है. लोटा है। इस तरह से लम्बी चौड़ी लिस्ट है जिसमें बाल्टी है, 2 सेर का बाट है। दो सेर की बाट भी कुर्क कर लिया, ताकड़ी भी कुर्क करली इसी तरह से थाली है, गिलास है ऊखल है, मूसल है और गूदड़े हैं ओढ़ने के। माननीय मंत्रीजी आज इतना अर्सा हो गया लेकिन राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। बराबर पंचायत समिति लिखती रही है. शिकायत पंचायतों ने की है, मैंने शिकायत की है लेकिन कोई एक्शन नहीं कोई कार्यवाही नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुड़की उस समय हुई है जिस समय आप राज्य में उप मंत्री थे और

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

इसकी जांच करवाई गई है, छानवीन हुई हैं उस समय आप मौजूद थे तब तो नहीं बोले और आज इस तरह से बोल रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो तब भी लिखकर दिया था राज्य के खिलाफ इतनी बड़ी फायल इस केस के बारे में शासन के शिकायतें। की है। इस तरह के जुल्म के खिलाफ हीं मैंने इस कांग्रेस और कांग्रेस शासन को छोड़ा है। कांग्रेस को ठोकर मारकर आया हूं। जो गरीबों का खून चूसते हैं, जो कानून और नैतिकता की दुहाई देते हैं मैंने उनको छोड़ा है। मैं कांग्रेस में था और मैंने यह सब केस रिप्रजेन्ट किया है। यह तो मैंने केवल एक नमूना बताया है। मेरे पास इन केसेज का बन्डल है इतना बड़ा। एक एक केस रखूंगा आप की पोल खुल जायगी। लोगों की चीजें चोरी चली जांय, एस० डी० ओ० और तहसीलदार मिल जांय उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। पकड़ते किसको हैं जो ऊंट वाले अपने घर में मोठ लाते हैं बाजार में वेचने के लिये उनको पकड़ते हैं और केस दर्ज करके खाना पूरी करते हैं। आपके राज्य में आज क्या किसानों की हालत है। मैं कह रहा था कि आपके राज्य में कांग्रेस सरकार गरीबों और साधन हीन लोगों के साथ कितनी बेदर्दी के साथ पेश आती है। मैंने यह नमूना बताया हैं, अभाव ग्रस्त गांवों की हालत आपके सामने रखी है।

अभाव ग्रस्त क्षेत्र जहां पर तीन तीन वर्षों से अकाल है लेकिन वहां पर लैंड रेवेन्यू माफ करनी होगी इसलिये फैसला करके मीटिंग में तय करते हैं कि तीन साल से काल है उन गांवों में चौथे साल भी अकाल दिखावेंगे तो लगान माफ करना पड़ेगा इसलिये उन गांवों को अभाव ग्रस्त नहीं दिखाना है। जिस क्षेत्र में अकाल हैं वहां अकाल घोषित करना हो तो वह भी राजनैतिक आधार पर घोषित किया जाता है, ट्रान्सफर्स होती है वे भी राजनैतिक आधार पर होती हैं....

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी तरह से होती हैं मंत्री तो कुर्सी के पीछे घुसते जा रहे हैं। इनको सीधा बैठाइये।

श्री दौलतराम सारण : हमारे यहां पर अकाल है। राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है। हमारे यहां सुन्दर शब्दों में अकाल का वर्णन किया है। "सात काल सताइस मांजरा तरेसठ कोरा काचा, तीन काल इस्या पड़े मावां पूत मिलेन पाछा" यह एक शताब्दी का वर्णन है। लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि 'पग पूंगल धड़ मेड़ता बाहुँ वाहड़मेर घिरतो फिरतो बीकपुर ठावो जेसलमेर, लेकिन काल के लिए कहते हैं कि हमने सड़कों का काम कराया, नालियो का काम कराया, लेकिन मैं पूछता हूं कि 20 वर्ष बाद भी आप कोई स्थाई काम नहीं कर सके। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को टेप करते, जमीन के भीतर से पानी निकालते, गांव गांव में बिजली पहुँचाते तो अकाल रोकने में सफल हो सकते थे। राजस्थान नहर को आगे बढ़ाते यदि आप सिद्ध मुख नहर को लाते, यदि आप लिफ्ट

(श्री दौलतराम सारण)

इरिगेशन को नागोर तक पहुँचाते, यदि आप नर्मदा योजना को पूरा करते तो आज बाड़-मेर, बीकानेर और जैसलमेर की यह हालत नहीं होती अकाल पूंगल तक पांव नहीं पसा-रता बाड़मेर तक बांह नहीं पसारता जैसल-मेर में अकाल ठावा नहीं रहता और बीका-नेर में घिरता फिरता अकाल नहीं नजर आता। 20 वर्षों में आपने कुछ भी काम नहीं किया और आप चुपचाप बैठे रहे। आज आपके मुंह से अक्सर निकलता है कि हमने राजस्थान को स्थायी सरकार दी है लेकिन मैं कहता हूं कि आपने कोई स्थायी सरकार नहीं दी। आपने राजस्थान का सबसे बड़ा अहित किया है। यदि आज राजस्थान में कोई स्थायी सरकार होती तो इसका नक्शा ही दूसरा होता, योजनाएं फेल नहीं होतीं। हालत इतनी गिर रही है वह नहीं गिरती। आज राजस्थान में 5 करोड़ एकड़ भूमि कृषि योग्य है उसमें से केवल 3 करोड़ और कुछ लाख एकड़ भूमि में ही खेती कर पाए हैं। आज भी डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि बन्जर पड़ी हैं उसमें कृषि नहीं कर पाये हैं। राजस्थान के 7 लाख मजदूर रोजगार के लिए डोलते फिर रहे हैं। आप कहते हैं कि राजस्थान नहर में 1 लाख 50 हजार बीघा धरती खाली है......

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिए आपसे मेरा अन्तिम निवेदन है, अगर आप राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं तो प्यासी धरती को पानी दीजिये, रेगिस्तान का स्थाई हल कीजिये, अकाल का स्थाई हल कीजिये और उसके लिए आप राजस्थान के दो तिहाई हिस्से की तरफ ध्यान दीजिये। आप लग्ज़री की तरफ, अधिक आसानी और सुविधाओं की तरफ ध्यान न देकर जो जरूरतमन्द हैं, जो इन्सान रोटी, रोजी और पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए ज्यादा इन्तजाम करिये। यही मेरा निवेदन है और इस निवेदन के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मौअज़्ज़मा चेयरमैन साहिबा, मैं भी पंचायन राज के सम्बन्ध में अपने खयालत का इज़हार करना चाहता हूं। पंचायत राज का नारा हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और पंचायत राज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। हमें इस बात की खुशी है और हमें इस बात का गर्व है कि जो स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था, उस स्वप्न को मूल रूप देने के लिये आधार शिला राजस्थान में 2-10-1959 को नागौर में रखी गई। और वह आधार शिला रखी थी हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने और राजस्थान में पंचायत-राज की स्थापना का श्रीगणेश किया था। उस योजना के मुताबिक राजस्थान में तीन टायर सिस्टम पंचायत राज की स्थापना की गई थी, ग्राम की लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लाक की लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद्, इन तीन संस्थाओं की स्थापना हमने की थी। इस दरम्यान हमने देखा कि 1959 के बाद तीन चार बरस तक तो इन पंचायत राज संस्थाओं की तरफ

(श्री रामनारायण चौधरी)

बराबर ध्यान दिया गया और संस्थाएं काफी आगे बढ़ीं और अच्छा काम किया। लेकिन इन पिछले तीन साल से हम देखते आते हैं कि पंचायत राज संस्थाओं की तरफ हमारी सरकार का ध्यान कम होता जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता हैं जैसे कि हमारी सरकार ने जो पंचायत राज की रूपरेखा हमारे सामने रखी थी उससे पीछे हटना चाहती है और अपनी पूर्व घोषित नीति से बदलना चाहती है।

आज इस सदन में उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा और विशेष तौर से मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा पंचायत राज को खत्म करने की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और लोगों की बात तो समझ में आ सकती है लेकिन उन माननीय सदस्य की बात मेरी समझ में नही आई। जहां से वे प्रेरणा लेते हैं, जिस सर्वोदयी समाज में वे रहते है, उनके आचार्य विनोबा भावे जी ग्राम राज के समर्थक हैं और ग्राम राज को वे प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा सर्वोदयी नेता श्री जय प्रकाश नारायण भी पंचायत राज के महत्व पूर्ण समर्थक हैं वे तो सारे देश में ही पंचायत राज से काम करना चाहते हैं। उनकी तो कल्पना है कि पंचायत राज के प्रतिनिधि लोक सभा में बैठने चाहिये और पंचायत राज के प्रतिनिधि विधान सभाओं में बैठने चाहिये। तो उनकी ही संस्था का एक माननीय सदस्य उनके ही विचारों के खिलाफ इस तरह के भाव व्यक्त करें यह देखकर मुझे सदमा हुआ।

माननीय चेयरमैन साहिबा, आज यहां पर इस बात की चर्चा की गई कि पंचायतों में भ्रष्टाचार है और पंचायत समितियों में शिक्षा के जाने से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरा है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि पंचायत समितियों के अन्दर आने की वजह से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरा है। शिक्षा का स्तर जो गिरा है वह तो सारे देश के अन्दर सभी स्तरों पर गिरा है। मिडिल स्कूलों का स्टेंडर्ड भी गिरा है, सैकन्डरी एज्यूकेशन का स्टैन्डर्ड भी गिरा है, और आज डिग्री और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी स्टेंडर्ड गिरा है। कल ही एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था उसने एक आवेदन पत्र मुझे लिखकर दिया। वह आवेदन पत्र हिन्दी में लिखा हुआ था और आप को सुनकर ताजुब होगा कि उसके अन्दर 10 गलतियां थीं। एक एम. ए. पास लड़का 16 साल की शिक्षा के बाद इतनी गलतियां करे, यह देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जिस एम.ए. की एज्यूकेशन का हम गर्व करते थे, उसके लिये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह इस तरह की गलतियां करेगा, आज उसका यह हाल है। तो शिक्षा का स्तर तो हर जगह गिरा है। इसलिये यह कहना गलत होगा कि आज पंचायतों की वजह से हमारा शिक्षा का स्तर गिरा है या पंचायत समितियों की वजह से हमारा शिक्षा का स्तर गिरा है। इसके लिये हमारी पंचायत समितियां या पंचायत समितियों के पदाधिकारी या पंचायत समितियों के प्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं हैं।

आज हमारे राज्य अधिकारियों का रवैया, आज हमारे राज्य अधिकारियों की गति-

(श्री रामनारायण चौधरी)

विधियां राजनीति की तरफ ज्यादा झुक रही हैं। आज शिक्षा विभाग का प्रत्येक अध्यापक राजनीति में दिलचस्ती लेता है। यह स्थिति हमारे प्राथमिक स्कूल से लेकर आगे तक है। तो जब तक हम अच्छे अध्यापकों को नहीं लेंगे अच्छे अध्यापक हम तैयार नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का स्तर हम सुधार नहीं सकते। आज इस बात की जरूरत है कि जनतन्त्र को पनपाने के लिये, देश के अन्दर लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत करने के लिये हमको पंचायत राज को मजबूत बनाना होगा। हमें दूसरे खर्च कम करके पंचायतों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनावा होगा। खर्चे की बात कही जाती है कि पंचायत समितियों पर अधिक खर्चा हो रहा हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे खर्चे जो बेकार होते हैं उन खर्चों को हमें रोकना चाहिये। आज जिस तरह की व्यवस्था हम करना चाहते हैं, उस व्यवस्था के अन्दर तहसीलों को समाप्त करके तहसील में होने वाले खर्चे को बचा सकते हैं, और तहसीलों को समाप्न करके तसीलदार को रेवेन्यू एक्सटेंशन आफिसर की हैसियत से पंचायत समिति में दे सकते हैं और रेवेन्यू क्लेशन का काम आप पंचायतों और पंचायत समितियों को सुपुर्द कर सकते है। आप पटवारियों को पंचायतों में दे सकते हैं। दो दो पंचायतों के बीच एक पटवारी देकर आप सचिव बनाकर अपने खर्चे में कमी कर सकते हैं।

चेयरमैन साहिबा, हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करके नहीं चल सकते। ग्राम का व्यक्ति राज के लिये अपना योगदान तब ही कर सकता है जब वह यह महसूस करे कि शासन व्यवस्था में उसका भी हिस्सा है और वह हिस्सा हम ग्राम पंचायत के जरिये ही ग्रामीण लोगों को दे सकते हैं। आज आप देखते हैं कि गांव के लोग ग्राम पंचायत के अन्दर कितनी दिलचस्पी लेते हैं, कितना तरीके से वे ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। आपके शहरों के अन्दर आम चुनावों में ला एन्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन गांव के अन्दर, ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर सरपंच और पंचायत समिति के प्रधान और प्रमुख तक के चुनाव में कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। आप कह सकते हैं उनके बारे में कि वहां शिक्षा का प्रचार कम है लेकिन अशिक्षित होते हुए भी उन लोगो ने किस प्रकार शांति और व्यवस्था बना रखी है और किस दिलचस्पी के साथ वे मतदान करते हैं यह तारीफ के योग्य है हाईएस्ट परसण्टेज चुनाव में ग्राम पंचायतों के चुनावों में होता है। यह आपको भली भांति मालूम है। सबसे अधिक परसण्टेज आप पायेंगे तो ग्राम पंचायतों के चुनाव में पायेंगे। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि ग्रामीण लोग पंचायत व्यवस्था के प्रति उदासीन होते जा रहे है। माननीय चैयरमैन साहिबा से मैं आपके माध्यम में यह कहूंगा कि जो लोग पंचायत राज की भर्त्सना करते हैं, पंचायत राज की आलोचना करते है, वे स्वयं फ्रस्टेरेड हैं। वह उदासीन हो चुके हैं और पंचायत और ग्रामीण जनता के जन जीवन में, उन लोगों के सामाजिक जीवन में और उनकी राजनीति में उन लोगों की दिलचस्पी कम होती

(श्री रामनारायण चौधरी)

जा रही है। इसलिए वह ऐसी बातें उठाते हैं।

चैयरमैन साहिबा, पंचायतों और पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। वहां गड़बड़ घोटाले की बात कही गई है। उधर से बेठने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों में परचेजेज में गड़बड़ी होती है। मैं मानता हूं हो सकती है। लेकिन गड़बड़ी आज कहां नहीं होती है। आप किसी को भी कोई काम देंगे तो उसमें गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। इन्सान से गलती होना स्वाभाविक हैं, गलती हो सकती है। इसके माने यह नहीं है कि चैयरमैन साहिबा एक अच्छी व्यवस्था को बदल दें। कहां नहीं है गड़बड़ी आज प्रत्येक क्षेत्र में गड़बड़ी है। दूसरी जगहों की व्यवस्थाओं में हमें महान् गड़बड़ घोटाले मिलेंगे। इसकी तरफ मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मेरे जिले में सरकारी गोदाम के अन्दर खाद्य विभाग का एक शोर्टेज का मामला है। एक हजार क्विण्टल अनाज का शोर्टेज हुआ। उसकी शिकायत हुई। उसका जवाब दिया गया कि एक हजार क्विण्टल अनाज कबूतर खा गये। इसलिए शोर्टेज हो गई आप मुलाइजा फरमाईये। एक हजार क्विण्टल 80 हजार रुपये का होता है। 80 हजार का घोटाला राजस्थान की समस्त पंचायतों में नहीं हो सकता हैं। यह छोटी सी देखने की बात है। आप की निगाह में कलेक्टर ईमानदार है, आई० ए० एस० ईमानदार है, एस. डी. ओ. ईमानदार है। उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते उनके लिए नहीं कहते घोटाला है। यह सर्विस क्लास कान्सप्रेसी है। वह कान्सप्रेसी ऊपर से लेकर नीचे तक है। और वह हवा फैलाने की चेष्टा की जा रही हैं कि पंचायत राज सफल नहीं हो सकता। हमें सोचना चाहिए और यह कदम वापिस लेना चाहिए। यह तो पूल बने हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। वह इस तरह की हवा बनाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यही बात है।

श्री रामनारायण–मोहतरिमा चैयरमेन साहिबा, में आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संघर्ष पंचायत समितियों और पंचायत राज में काम करने वाले कार्यकर्त्ता बनाम सरकारी मशीनरी का राजस्थान के अन्दर हो गया है और यह सारे हिन्दुस्तान का प्रश्न है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जहां कहीं बैठेगा तो वहां पर आप सुनेंगे कि अमुक सरपंच ने यह घोटाला कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा किया होगा तो 5 रु. की स्टेशनरी में आठ आने का फर्क किया होगा। जहां कि प्रिंटिग प्रेस में लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है। और शीप और वूल डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा हैं, उस ओर कोई ध्यान नहीं, ध्यान पंचायतों की तरफ जाता है। मैं कहता हूं जहां इतना बड़ा घोटाला हैं वहां चुप हैं। सरपंच और पंचायत समिति द्वारा कुछ हो जाता है तो देश में हाका मच जाता है। मैं इस सदन के सामने चैमरमेन साहिबा, आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें लोकतंत्र की जड़ गहरी करने के लिए पंचायतों को मजबूत बनाना पड़ेगा। पंचायतों को हमने जानबूझ कर कमजोर कर

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिया है। हमने ग्राम पंचायतों की पहले जो कल्पना की थी उसमें ग्राम पंचायत प्लस न्याय पंचायत दोनों थी। आज हमने ग्राम पंचायत बनाकर उनको विकास का काम दे दिया और न्याय पंचायत अलग बना दी है। मैं निवेदन करूंगा पंचायत मन्त्री महोदय से कि आप पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों को दोनों को मिलाइये। आज न्याय पंचायत सफल नहीं हो रही है। और हमारी ग्राम पंचायत भी सफल नहीं हो रही हैं। इसका कारण यह है कि धन बंट गया। जो कार्य ग्राम पंचायत के लेबिल पर जितना होना चाहिए वह दोनों मिलने पर ही हो सकता है। साधन सीमित हैं, चाहे ग्राम पंचायत के हों चाहे न्याय पंचायत के हो-दोनों अलग हो जाने के कारण साधन हीन बन गई हैं। जो अच्छी सेवायें लोगों को दी जानी चाहिए वह देने में असमर्थ हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां आज लोकतन्त्र में एक प्रकार से शिक्षण संस्थान हैं। वे हमारी विधान सभा और लोकसभा के लिये व्यक्तियों को तैयार कर रही हैं। आज हमें खुशी है इस बात की और हमें गर्व है, पंचायत राज संस्थाओं पर कि आज हमारे पंचायत और विकास विभाग के मन्त्री ने एक सरपंच से अपना जीवन शुरू किया था। इस बात की शायद बहुतों को जानकारी नहीं है। और हमारे राज्यमन्त्री एक पंचायत के प्रधान रहे हैं। आज इस सदन में बैठने वाले 50 परसेंट माननीय सदस्य पंचायत राज संस्थाओं से एक न एक तरीके से सम्बन्धित रहे हैं। और उन्होंने वहां से एक प्रकार से शिक्षण प्राप्त किया है। इस सदन को उसने कई महत्वपूर्ण सदस्य दिये हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय चेयरमैन साहिबा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति और जिला परिषद् की जो चुनाव प्रणाली है, उसे थोड़ा सरल बनाया जाना चाहिये। आज प्रधान का चुनाव इतना जटिल और खर्चीला है कि आज एक साधारण कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। मैं पंचायत मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चुनावों को सरल बनाया जाये। ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। वह सक्रिय रूप से इसमें भाग ले सकें और ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। पंचायत समितियों के चुनाव का जो इलेक्टोरल कालेज पंच सरपंच को मिलाकर बनाया हैं। गंगानगर में एक पंच को एक लाख खर्च हुए और झुंझुनू जिले में पक्ष और विपक्ष दोनों के मिलाकर 50 हजार रु. खर्च हुए। तो यह चुनाव बोझ है लोगों पर। कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिये, वैज्ञानिक जिसमें लोगों का खर्च कम हो, लोगों को परेशानी कम हो, और लोग आसानी से निभा सकें। ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए। मेरा एक और सुझाव है, माननीय पंचायत मन्त्री महोदय से कि पंचायत और पंचायत समितियों को राजनीति, पालिटिक्स का अखाड़ा बना लिया है। आपको कानून में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिये। बाहर की राजनैतिक पार्टियां इन पंचायतो के

(श्री रामनारायण चौधरी)

चुनावों में दिलचस्पी न ले सकें । ऐसा अपील से कहने से, नहीं होगा और स्थिति ऐसी बन जाय कि पंचायत और पंचायत समितियों में बाहर के राजनैतिक लोग किसी ग्राम पंचायत के चुनाव में दखल नहीं दें। वह शांतिपूर्वक चुनाव ग्रामीण लोग अपने आप करें। इसको वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाना चाहिये। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का सम्बन्ध कैसा हो इसको कैसे जोड़ने की कोशिश करें । वह ऐसी जुड़े ताकि राजनीति का दखल नहीं हो सके। इस बात पर पंचायत मन्त्री सोचेंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

चैअरमेन साहिबा, मैं जिस जिले से आ रहा हूं । एक मिनट में समाप्त करता हूं । मैं राजस्व की मांग के बारे में संक्षेप में अपने खयालात निवेदन करना चाहता हूं ।

(4 म. प.)

हमारे झूंझनूं जिले में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन चार गांवों के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है कि पिछले साल के लगान के ऊपर इस वर्ष ब्याज वसूल किया जा रहा है। दुराना, दिलोई, साल्या-सार आदि गांवों में पिछले साल के लगान पर ब्याज वसूल किया जा रहा है। हमने राजस्व अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि किसानों से ब्याज वसूल नहीं किया जाना चाहिये। तो हमें जवाब मिला कि पिछले साल लगान नहीं दिया इसलिये ब्याज वसूल किया जायगा। हमने वहां के किसानों से और सब तरह से जानकारी की तो पता चला कि इन गांवों में गत वर्ष पटवारी गया ही नहीं और न डिमाण्ड स्लिप ही उन किसानों को दी गई। जब डिमाण्ड स्लिप ही किसानों को नहीं दी गई और न पटवारी ही उनसे लगान वसूल करने गया तो किसान मजबूर थे, वे किस को लगान देते। इस साल ज्यों ही उनसे लगान मांगा तो उन लोगों ने पूरा लगान दे दिया पर लगान के साथ साथ साल भर का इन्ट्रेस्ट उन किसानों से वसूल किया गया। मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इसकी पूरी तरह से जांच करवायें कि पटवारियों द्वारा जब वहां के किसानों को डिमाण्ड स्लिप ही नहीं दिया गया तो फिर कैसे उन किसानों से ब्याज वसूल किया जा रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर उन किसानों को डिमाण्ड स्लिप्स दे दी जाती और फिर भी लगान नहीं देते तो किसान अपेक्षा करते कि उनसे ब्याज लेना चाहिये पर जब उनको डिमाण्ड स्लिप्स ही नहीं दी गई तो उनसे कैसे ब्याज मांगते हैं।

दूसरे मैं अकाल सहायता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस साल हमारे क्षेत्र में अकाल है, वहां पर अकाल राहत कार्य चालू किया जाय।

(निरन्तर समय समाप्ति सूचक घंटी)

(अध्यक्ष)

गत वर्ष अकाल राहत कार्य में क्रमशः 18 हजार और 19 हजार रुपये टांकों पर खर्च

(श्री रामनारायण चौधरी)

किये थे उनको इस वर्ष पूरा कराया जाय, इस साल भी वहां अकाल है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव मंडावा से बिसाऊ सड़क का है, वह 8 मील का टुकड़ा है, उस सड़क को पूरा करने के लिये आप कुछ धनराशि अलॉट करें और उस सड़क को पूरा करवाने की कोशिश करें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आज सड़क के कटौती प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सड़क के भी हैं सभापति महोदया !

मलसीसर से झुंझनूं तक सड़क है, उस पर अकाल राहत कार्य में 7 लाख रुपया खर्च किया गया था। इस वर्ष भी वहां अकाल है। मैं माननीय सहायता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अकाल सहायता में इस सड़क पर कार्य शुरू करायें ताकि यह सड़क भी पूरी हो सके और लोगों को राहत मिले।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय रिपोर्ट पेश करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी: सभापति महोदया, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 248 (1) के अन्तर्गत नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उप-स्थापन करता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केसरीसिंह !

श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : माननीय सभानेत्री महोदया, सदन में मेरे से पूर्व दौलतराम जी सारण ने इस राज्य और पंचायती राज का बहुत ही सुन्दर चित्र सदन के सामने अंकित किया। चित्र सुन्दर अवश्य था पर सुन्दरता का चित्र नहीं था, जिसका चित्र बनाया गया वह पशु था, अपंग था, लूला था, लंगड़ा था। जो पंचायती राज है, उस पंचायती राज में अनेकों खामियां और अनेकों त्रुटियां पैदा होती जा रही हैं। सभापति महोदया, मैं आपके जरिये इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा प्रथम कटौती प्रस्ताव है उसके अन्दर शिक्षा विभाग का कास पांचवीं कक्षा तक पंचायतों के अधिकार में दिया हुआ हैं, उस अधिकार के योग्य ये नहीं हैं। शिक्षा विभाग का यह कार्य इनके पास नहीं रहना चाहिये। इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। सभापति महोदया यह जो शिक्षा का विभाग है वह बड़ा ही उत्तम विभाग है, इस शिक्षा विभाग का जो यह पांचवी कक्षा तक का अंग पंचायती राज के अन्दर दिया हुआ है वह वास्तव में बालकों के लिये नींव का पत्थर है। अगर इस वक्त इस नींव में पत्थर न डालकर रेत डाल दी जायगी तो आगे जाकर निश्चित रूप से नींव बैठ सकती है। तो इसमें अध्यापकों

(श्री केसरीसिंह)

के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो उनके साथ राजनैतिक ग्राधार पर स्थानान्तरण करके ग्रौर ग्रन्य प्रकार से व्यवहार करके उन्हें कष्ट पहुँचाया जाता है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ग्रापसे निवेदन करूं कि चुनावों के बाद 20-7-47 से 55 इस प्रकार के स्थानान्तरण ग्रकेले हिण्डौन क्षेत्र में किये गये हैं ग्रौर 8 महिनों में ही फिर कुछ व्यक्तियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ग्रौर उसमें इस तरह से कम से कम 2500 रु० का टी. ए. व्यय हुग्रा है। मन्त्री महोदय इसके लिये कह देंगे कि इन स्थानान्तरणों के प्रशासनिक कारण थे। पर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह एक बहाना मात्र है, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि ग्रगर प्रमुख शक्तिवान है तो उसका बस चलता है ग्रगर प्रधान सशक्त है तो इस प्रकार के स्थानान्तरणों में प्रधान की चलती है ग्रौर ग्रगर बी. डी. ग्रो. शक्ति सम्पन्न है तो वह ग्रपनी इच्छा के मुताबिक कार्य कर लेता है। प्रमुख के कहने से ये तब्दीलियां की जाती हैं, इसलिए यह उन लोगों के साथ एक खिलवाड़ है।

इसके ग्रलावा सभापति महोदया, इन स्कूलों के भवनों की हालत देखिये, बड़ी ही दयनीय हालत है। मेरे क्षेत्र में पीपलिया की स्कूल का भवन है, उस पर पट्टियां पड़ गई, छत नहीं पड़ी। इन्हीं मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में फरमाया था कि बरसात से पूर्व काम करा दिया जायगा, पर काम ग्रभी वैसा ही पड़ा है जैसा कि गत वर्ष था। यह हाल इन स्कूलों की भवनों का है किसी की पट्टियां टूट रही हैं, किसी की दीवारें टूट रही हैं, सारा काम ग्रस्तव्यस्त हो रहा है। इसलिये इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज को शिक्षा का महकमा सौंप कर सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है ग्रौर बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है कि पंचायत समितियों ने ग्रकाल राहत 'कार्यों में जो काम करवाये वह ग्रधूरे छोड़ दिये हैं। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूं कि पेच की बावड़ी से नटेश्वर महादेव की सड़क का कार्य शुरू किया गया, उसमें 3 हजार मजदूरों ने काम किया ग्रौर 23 दिन तक काम कियां ग्रौर ढाई मील सड़क नहीं बना सके, वह सड़क ग्रधूरी छोड़ दी।

इसी प्रकार देवा का खेड़ा में एक बांध बनवाने की योजना शुरू की गई ग्रौर उसको ग्रधूरा छोड़ दिया। इस प्रकार मेरे प्रतिद्वन्दी के इशारे पर जो कि प्रमुख है काम शुरू करवाये जाते हैं ग्रौर ग्रधूरे ही छोड़ दिये जाते हैं।

केशवराय पाटन में ग्रध्यापकों का 50 हजार रुपया बकाया है, उनको यहां से ग्रौर पंचायत समिति पैसा नहीं दे रही है, उसके लिए भी समाचार पत्रों में जिक्र ग्राया है।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है कि मन्त्रियों द्वारा जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, खरीद कर करते हैं ग्रौर उन पर

(श्री केसरीसिंह)

समिति के साधनों का दुरुपयोग करते हैं। मैं निवेदन करूं कि गोविन्दपुर बावड़ी है, यहां कुछ जमीन हमारे राजस्व मंत्री जी ने ली। उस पर पंचायत समिति के ट्रैक्टर से कार्य कराया गया और पक्के धोरे बनवाये हैं। काश्तकारों को तो पानी नहीं मिलता है मगर राजस्व मंत्री जी के खेत में पक्के धोरे बन जाय, इस तरह सामान का दुरुपयोग होता है

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज ही जांच करा लें कि पक्के धोरे बने हैं, पक्के धोरे बने हों तो मैं स्तीफा दे दूंगा।

श्री केसरीसिंह : सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूं कि इस माफिक किसानों को पानी नहीं मिले और मन्त्री पानी को अपने उपयोग में ले लें तो इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रधान और प्रमुख दुरुपयोग कर सकते हैं। इस विभाग पर नियन्त्रण नहीं होने से ले भग्गू हो गया है। मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार हैं।

मेरा चौथा कटौती प्रस्ताव है कि लोग बुक्स वगैरह नहीं रखते हैं। पंचायत समिति की जीप के अन्दर जो कायदे से लोग बुक रहनी चाहिये कि रोजाना कहां जाती है, कितने माइल जाती है, कितना पैट्रोल खर्च होता है, पर कोई हिसाब नहीं रखा जाता, लोग–बुक मैन्टेन नहीं की जाती, जहां चाहा जीप को दौड़ाया, सिनेमा चले गये, जब चाहा कोटा से बूंदी, बूंदी से कोटा चले गये, यहां आ गये, इस प्रकार जो पंचायत समिति में हो रहा है यह जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

इसके साथ मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि पंच और सरपंचों को विकास के लिये पैसा दिया जाता है उसका भी कोई हिसाब नहीं आता। मिसाल की तौर पर मैं निवेदन करू कि ग्रोन के सरपंच को खेरकटा में कुंए के लिये पैसा दिया, वह अधूरा रह गया। इसके अतिरिक्त बाबूलाल जैन हैं, धर्यावद में उनको रुपये दिया गया पम्प के लिये और गाय खरीदने के लिये। लेकिन न पम्प लगाया न गाय खरीदी। भैरोलाल कोटडा सरपंच हैं, उनको 150 मरण गेहूं बीज के लिये मिला, वह उसने अपनी बच्ची की शादी पर लगा दिया।

एक माननीय सदस्य : शुभ काम किया।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इसके अतिरिक्त बहुत ही ताजुब की बात है, सभापति महोदया, और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रमुख के भाई शक्ति प्रकाश हैं, उनको मुर्गी-पालन के लिये तीन हजार रुपये कर्जा या अनुदान दिया गया। न उनकी वहां जमीन है हिन्डोली में न और न कुछ कोई लेना देना है, लेकिन क्यों कि प्रमुख के भाई हैं इसलिये उनको अनुदान या लोन दिया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : मुर्गियां तो हैं ?

श्री केसरीसिंह हाडा : मुर्गियां भी नहीं होगी, और अगर आई होंगी तो मर

(श्री केसरीसिंह हाडा)

जायेंगी और इस तरह से हजम हो जायेगी। वह तो माथुर हैं।

इसके अतिरिक्त स्कूलों की यह हालत है, सभापति महोदया, कि अध्यापक तो हैं बहुत लेकिन लड़के कहां चार, कहां आठ, कहां दस और कहां 20 बहुत सी जगह 20 से कम हैं। इसलिये जहां लड़कों की संख्या बराबर नहीं है वहां बेकार में अध्यापकों पर खर्च किया जाता है। जहां ज्यादा लड़के हैं वहां ज्यादा अध्यापक अवश्य लगाइये। पर ऐसा आप नहीं करते।

इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास योजनाओं में अब केवल परिवार नियोजन और कृषि के सिवा और कोई काम नहीं रह गया है। इसलिये इस पर ख्वाहमख्वाह खर्चा है। राजस्थान की बजट में घाटा है और वह भी काफी घाटा है। इसलिये पंचायत समितियों को बन्द कर दीजिये तो आपका घाटा दूर हो सकता है।

इसके अतिरिक्त अभी श्री कन्हैयालालजी मन्त्री बने हैं। साथ साथ वे सरपंच भी है और सरपंच का इतना शौक है उनको कि मन्त्री बनने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं जाता। मन्त्री भी हैं और सरपंच भी हैं। यह बड़े ताज्जुब की बात है।

एक माननीय सदस्य : मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अटेन्ड करते है, टी.ए. और डी.ए. उठाते हैं। यहां से मीटिंग अटेंड करने जाते हैं तो उनके साथ पुलिस भी जाती है। झंडा लेकर जाते हैं।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदया मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्टोरल कालेज के लिये एक कांग्रेसी सदस्य ने भी कहा, वह भी बहुत ही अजीब है कि प्रधान को इलेक्ट करने के लिये तो पंच हैं और नौ कान्फीडन्स के लिये सरपंच हैं। उसमें भी प्रधान को काफी अत्याचार और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इतना ही कह कर अपना यह कटौती प्रस्ताव समाप्त करता हूं।

इसके अतिरिक्त राजस्व पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर भी दो चार मिनट ही बोलूगा। सभापति महोदया, आज देश के अन्दर अन्न का बहुत अभाव है और मैं उस अभाव की बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं। कहीं कहीं बिना इजाजत चरनौट की जमीन पर या राजस्व की भूमि पर लोगों ने काश्त कर ली हैं। उनमें किसी जगह तो उन लोगों कीं फसलें नष्ट करा ली और जहां पर हमारे राजस्व मंत्री ने चाहा वहां पर माफी दी गई और फसलें जैसे की जैसे रहने दी गई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुछ लोगों को तो माफ किया और कुछ पर जुर्माने किये गये या उनके फसल नष्ट की गई। मैं आपकी सूचना के लिये कोटा जिले के अन्दर एक जगह पर जिन लोगों ने काश्त कर रखी थी उन पर जुर्माना किया गया और उनकी फसलें नष्ट की गई। इस तरह काफी लोगों की फसलें नष्ट की गई। इस तरह से फसलें नष्ट करने से अन्न का और चारे का दोनों का अभाव होता हैं

(श्री केसरीसिंह हाडा)

और बेकार का नुकसान होता है। या तो शासन और सत्ता में इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह ऐसा इन्तजाम रखें कि कोई भी नाजायज तरीके से काश्त नहीं कर पाये। लेकिन अगर कोई इस तरह काश्त कर लेता है तो फिर अन्न का इस प्रकार से नुकसान करना, जब कि हमारे यहां अन्न का अभाव है, यह बहुत ही गलत बात है। (समय समाप्ति सूचक घन्टी) दो तीन मिनट और लूंगा। सरकार शुरू में गफलत करे और बाद में इस तरह नाज को नष्ठ करे चब कि देश में अन्न संकट हैं यह बदुत ही अनर्थ हो रहा है। इसका उदाहरण मैं आपसे निवेदन करूं कि तहसील हिन्डोली के अन्दर दबलाने के अन्दर एक राजमल सेक्रेटरी है, और बजरंजलाल अजमेरा हैं, और मोहनलाल ग्राम सेवक हैं। इन तीनों आदमियों ने 1967 में विना इजाजत ग्राम पंचामत भवानीपुरा में सतर पचतर बीघा जमीन पर काश्त कर रखी है, उन पर न तो को जुर्माना किया गया और न ही उनकी फसल नष्ट की गई क्यों कि वे राजस्व मन्त्री के कृपा पात्र हैं। औरों पर जुर्माना किया पर इन पर नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त एक और मेरा कटौती प्रस्ताव है आवंटन के अन्दर पक्षपात और गड़बड़ियों के बारे में तहसीलदार हिन्डौली ने आंवटन में काफी गड़बड़ें की है और उदाहरण के लिये मैं आपसे निवेदन करूं कि शियाना पजलपुरा में एक भूमिहीन काश्तकार ने कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे जमीन मिलनी चाहिये। मगर उनको जमीन न देकर दूसरे आदमियों को अलाट की गई। (समय समाप्ति सूचक घंटी)। वह सारी जमीन जो भूमिहीन काश्तकारों को मिलनी चाहिये थी वह उनको न मिलकर दूसरो को दे दी गई।

एक माननीय सदस्य : कौन हैं तहसीलदार ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा: भंवरलाल जी हैं वहां पर।

एक माननीय सदस्य : वे भी कृपा पात्र होंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : वे भी कृपा पात्र हैं राजस्व मंत्री के।

इसके अतिरिक्त एक छीतरलाल कल्याण हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं तो तथ्यों पर ही बोल रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप किसी और समय पर बोल लीजियेगा।

श्री केसरीसिह हाड़ा : दो मिनट।

एक माननीय सदस्य : आप तो बहुत उदार है।

श्री केसरीसिह हाड़ा : इस छीतर लाल को 23-5-60 को जमीन अलॉट की गई और यह जमीन अलॉट हुई अलाटमेंट कमेटी के द्वारा। लेकिन उससे छीन ली गई और दुबारा नीलाम की गई। उसके पास पट्टा भी मौजूद है। मैंने उसके प्रार्थना पत्र को मंत्री महोदय के पास भी भेजा 13-1-61 को और वह राजस्व मंत्री को पहुँच भी गया होगा, लेकिम दुख की बात है कि

(श्री केसरीसिंह)

उन्होने उसका कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कई अनियमितताएं अलाटमेंट के अन्दर बरती गई हैं। इसके अलावा गढ़ी के अन्दर जमीन का अलाटमेंट किया गया और वापिस री-अलाटमेंट किया गया। यह भी बहुत खराब बात है। इसलिने मैं समयाभाव के कारण ज्यादा न कह कर, यह ही निवेदन करूंगा कि राजस्व के अन्दर बहुत घोटाले हैं और राजस्व मंत्री इन घोटालों को सुधारें। आपके मरजीपात्र हैं उनको आप मरजीपात्र रखिये. लेकिन काश्तकारों के साथ जो अन्याय हो रहे है उनको भी आप दूर करिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव आपके सामने पेश करता हूं।

श्री डूंगाराम : हमारा समय कब आएगा ?

श्रीमती सभानेत्री : अवश्य आएगा।

श्री विजयसिंह रावत : साढे पांच बजे तो जवाब होगा।

श्रीमती सभानेत्री : समय नहीं होगा तो बढ़ा दिया जायगा।

श्री डूंगाराम : कल भी हमने कहा था कि नम्बर से लें।

श्रीमती सभानेत्री (श्री रावत से) : मुझे दुख है कि आपके सोचने का तरीका गलत है, एक इधर का लिया जाता है और एक उधर का। आपकी पार्टी के दो सदस्य बोल चुके हैं और दूसरे दलों का एक एक बोला है। इसके बाद आपको समय मिलेगा।

श्री विजयसिंह रावत : हमेशा यही होता है कि स्वतन्त्र पार्टी वालों को साढ़े पांच बजे बोलने के लिए कहा जाता है।

श्रीमती सभानेत्री : सभी दलों के सदस्यो को मौका दिया जाता है, आपको भी दिया जायगा।

श्री गोकलप्रसाद (बीकानेर) : जब और सदस्य बोले....

श्री लादूराम मुलानिया (श्री गोकुल प्रसाद से) : कहते तो हैं कि भ्रष्टाचार है, अन्याय है और फिर आप खड़े होते हैं; फिर हाथ उठाते हैं; ऊंचे ऊंचे हाथ उठाते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सभानेत्री महोदया, सामुदायिक विकास परियोजना को मांग मंत्री महोदय ने रखी है और इस पर विचार किया जा रहा है। सदन समझ बैठा हो कि पंचायत समितियां खराब हैं, पंचायतें खराब हैं, वहां सब काम बुरे होते हैं; सब बेईमान हैं, लेकिन कौन कहते हैं ? जिनको पंचायत समितियों से द्राह है। शहरों और गांवों के अंदर प्रजातंत्र के अन्दर नया नेतृत्व आने से जो लोग गांव के चौधरी थे अपने को सेठ समझते थे, उनको आज पचायती राज हृदय में नहीं समाया है क्योंकि दूसरे लोगों का नेतृत्व खड़ा हुआ है इसलिए पंचायत समितियों को बुरा कहते हैं। लोग कहते हैं कि पंचायत समितियों के मारफत कोई काम नहीं हो पाया है। मेवाड़ के इलाके में जो पहले खराब गेहूं आता था छोटा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

छोटा लाल लाल वह सारा बदल गया। किस ने किया? 2 हजार कुएं हैं, 500 पंपिंग सेट्स हैं, यह भावना किसने फैलाई? कोई पंचायत का प्रसार अधिकारी खेत पर हल जोतेगा? पंचायत समितियों को काम करने से किसी ने नहीं रोका हैं। सरपंच काम करें, प्रधान काम करें, कोई मनाही नहीं है। मैं भी पंचायत समिति में प्रधान रहा हूं और जब तक मैं रहा हूं मुझे मालूम है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पंचायत समिति में फलाना काम करो। नान-टैक्स रेवेन्यू...

श्री दौलतराम सारण : वह तो प्रधान की हैसियत से नहीं बल्कि राजनैतिक जूता पड़ा....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजनैतिक जूता आपके पास कितना था मुझे मालूम है, उस समय बोलते नहीं थे, सारे पाप करते थे, यहां लोगों ने बरदाश्त नहीं किया इसलिए वहां जाकर बैठे। मैं समझता हूं, दौलतरामजी, आप जब बोले, मैंने कुछ नहीं कहा और आप यदि बीच में बाधा डालते हो तो मुझे बहुत कुछ कहना पड़ेगा।

पंचायत समितियों के विकास के लिए गांव के लोगों ने खर्च किया। मेरी पंचायत समिति में 5 साल के समय में 60-70 हजार का नान-टैक्स रेवेन्यू का हुआ, कम्प्रेसर आए, हमें कभी मनाही नहीं की गई, ट्रेक्टर्स हैं, किसी ने इन्कार नहीं किया और बहुत अच्छी तरह से काम होता रहा। मेरा निवेदन है कि काम करने की अगर क्षमता है तो ना कोई नहीं कहेगा। यूं कहें कि प्रसार अधिकारी खराब है, पटवारी को हटा दो। जहां तक भू-राजस्व के हटाने का प्रश्न है, मैं आज भी कहता हूं कि हटा देना चाहिए, जरूरी नहीं भू-राजस्व लेकिन जहां तक पटवारी के हटाने की बात है, इससे अराजकता फैल जायगी। पटवारी अगर नहीं हुआ तो जमीन का हिसाब कौन रखेगा, जगह जगह पैमाइश कौन करेगा। इससे क्या होगा कि जो किसान ज्यादा जोरदार होगा वह खेतों को हड़प लेगा। उसके बाद गिरदावर की आवश्यकता है।

मेरा पंचायत समिति के लिए निवेदन है कि पंचायत समिति जिस तरह से बनाई, जिसका नाम पंचायती राज समझकर लोगों को भ्रम हो गया। ये राज करने के लिए नहीं हैं विकास करने के लिए हैं। स्कूलों की बात कही है कि अध्यापकों को हटा दिया जाय, नहीं रखा जाय और उनको रखने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। आप समझते हैं कि इन्सपेक्टर के अधीन अध्यापक रहेंगे तो अच्छे हो जायेंगे?
पहले एक इन्सपेक्टर एक जिले में रहता था, जिले के स्कूलों को संभाल नहीं सकता था। पंचायतों में एस. डी. आई.ज. हैं और हमेशा स्कूलों को संभालते रहते हैं मास्टरों को स्कूलों में जाना पड़ता है और बराबर जांच होती रहती है। तो कुछ अध्यापक बिना काम के पैसा लेते थे उनको दुखदाई लगा। कोई सरपंच बीच में नहीं बोलता है। विकास अधिकारी और शिक्षा प्रसार अधिकारी के साथ में मास्टर्स भी बदलते हैं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पंचायत समितियों को कोई कहे कि सरपंच को इतना पैसा दे दो, पंचायत समिति को इतना पैसा दे दो, मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों से जो यह कहा जाता है कि 2/3 पंचायत समितियां दें और 1/3 सरकार देगी, किसी किसी में आधा है, किसी में हिस्सा है सरकार का और गांव के श्रमदान का। श्रमदान पूरा नहीं होता है। यह जरूर है कि हिसाब बनाने में उनको दिक्कत हो जाती है, बाकी कोई सरपंच या प्रधान पैसे नहीं खा जाते हैं, वे झूठे हिसाब कहां से बनाए? अगर पैसे कम हैं तो वह इसलिए कि गांव के लोग मिनीमम वेजिज से भी कम पैसे लेते हैं इसलिए कहीं कहीं लिखने पढ़ने में गलती रह जाती है। यह तो जिनके पक्ष के लोग पंचायत समिति के प्रधान नहीं बने उनको बुरा लगता है। बीकानेर जिले में 4 पंचायत समितियां हैं, चारों प्रधान हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन वे बुरे नहीं हैं प्रमुख हमारी पार्टी का नहीं है। दूसरी पार्टी का है लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि किसकी दृष्टि में गलत लोग चुनकर आए तो वे आपकी छाती कूटने से नहीं जायेंगे। आप में यदि दम है तो अगली बार उसको चुनाव में हरा दो। राजनीति तो गांवों में भी है और रहेगी। राजनैतिक जागरूकता, गांवों में नहीं रहेगी तो देश की आजादी खतरे में पड़ जायगी। राजनैतिक जागृति अवश्य है और रहनी चाहिए। जो बहुमत में होंगे राज करेंगे जो अल्पमत में होंगे

(समय समाप्ति सूचक घंटी

आपने घंटी बजाई है

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप यदि मुझे पहले मनाही कर देते तो मैं नहीं बोलता।

श्रीमती सभानेत्री: 4 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अब उसके बाद मुझे ....

श्री रामकिशन : आपकी पार्टी का टाईम तो 67 में ही समाप्त हो गया। (खड़े होकर) माननीय सभानेत्री जी कांग्रेस पार्टी का टाईम तो 67 में ही समाप्त हो गया। ये तो जबरदस्ती बैठे हुये हैं साहब।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी जिन्दगी में तो होगा नहीं समय समाप्त। भ्रष्टाचार गांवों में पंच, सरपंच फैलाये, कौन कहता है। सदन के सदस्यों का, पार्टी के सदस्यों का वोट तक बेचना भ्रष्टाचार नहीं है? आप वोट सरे आम बेचते हैं।

श्री केसरीसिंह : कोई बेचता है, कोई खरीदता है फरक कोई नहीं है।

श्री रामकिशन : राधा कृष्ण, कमल नयन बजाज को वोट बेचे गये है।

श्री नत्थीसिंह : अब मुरारका की तैयारी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भ्रष्टाचार को समाप्त⋯

श्री श्रवणलाल : रेवेन्यू मिनिस्टर साहेब से पूछो, उन्होंने कितने में खरीदा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भृष्टाचार के कारण पैसे लेकर लोगों से इस प्रकार काम करें, अनैतिक काम करें। लाखों रुपये पार्टी खा जाय और फिर पंच, सरपंच को खराब बतायें, यह उचित नहीं है।

श्री केसरी सिंह : आप भी अपनी शक्ल आईने में देखें।

श्री गोकुलप्रसाद : आईने में क्या देखें हाडा जी आप याद रखो – – मैं निवेदन यह कर रहा था कि पटवारी के लिये सबने यह कहा कि पटवारी खराब है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूं कि ये लोग पटवारी से नाजायज काम करवाना चाहते है और जब वे नाजायज काम नहीं करते है तो कहते है कि पटवारी खराब है। पटवारी अपने घर से सैकड़ों मील जाकर गांव में नौकरी करता है। आप पटवारी को रहने के लिये मकान दें, उसको रहने के लिये मकान भी नहीं देते। दूर से आने पर पटवारी को भत्ता नहीं देते। आप उसका हिसाब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितना हिसाब उसको रखना पड़ता है। 40 प्रकार के उसको हिसाब रखने पड़ते है। आदमियों की गिनती उसको रखनी पड़ती है जानवरों की गिनती उसको रखनी पड़ती है, फसल का पूरा हिसाब उसको रखना पड़ता है लेकिन वेतन उसको एल. डी. सी. के बराबर मिलता है। जाने आने का कोई टी. ए, डी. ए. नहीं मिलता। गांवों में जाएं तो आप देखेंगे हर आदमी पटवारी को पूछता है और कहते है कि पटवारी जी कहां पर है ? पटबारी से कुछ लोग नाजायज काम करवाना चाहते हैं इसलिये उनको खराब बताते हैं। और कहते हैं कि पैसे मांगते है और हम कहते हैं तो ज्यादा पैसे मांगते हैं। आप जो चुनाव जीतकर आये हैं, यह आपका फर्ज है कि आप अपने इलाके में पटवारी को कोई रिश्वत न देवें। मेरे इलाके में कोई आदमी पटवारी को रिश्वत देता है तो बड़े शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि अगर आपके इलाके में देते हैं तो आप क्या करते हैं ? आपको उनको रोकना चाहिए। आप सदन के सदस्य हैं और यह सदस्यता आपको इसीलिये मिलती है। हां, आप गांवों में जाकर खबर करें कि यह क्यों होता है तो आप कोई खबर देने वाले नहीं है। आप एम० एल० ए० है।

एक माननीय सदस्य : एम. एल. ए. ही रिश्वत देते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एम.एल.ए. आपके जैसे ही दे देते होंगे।

श्री केसरीसिंह : आपसे डरते हैं, वे लोग।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभानेत्री महोदया मैं दुर्भिक्ष सहायता के लिए जरासा निवेदन कर दूं कि सबसे ज्यादा दर्द हमारे दिल में...

श्री रामकिशन : जहां जहां कांग्रेस जीती है, वहां ही अकाल पड़ते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने कहा हमारे यहां तो हमेशा पड़ते हैं। पानी में डूबने जैसी बाढ़ तो आपके यहां आती है।

श्री केसरीसिंह : उस बाढ़ को आप ले जावो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उस पानी को दे दो तो बहुत खुशी की बात है। हमारे यहां तो पीने का पानी ही नहीं है। सरकार ने कुए खुदवाये, लेकिन उस पर पूरी ताकत नहीं लगाई जा रही है। हमारे दुर्भिक्ष मंत्री जी है वे उसी इलाके से आये-हुए है जहां बराबर अकाल पड़ते हैं। मैं समझता हूं इसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध नहीं करा सकती है तो यह उनकी कार-गुजारी है। अगर सही मायने में पानी इलाके में नहीं दे सके तो उनको मंत्री रहने का हक नहीं है।

श्री रामकिशन : यह बात ठीक है। आप बिलकुल ठीक कहते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लोग चन्द्रमा में जाने की बात करते हैं और आप उनके इलाके में पानी का इन्तजाम नहीं करवा पाये। करोड़ों रुपया राजस्थान कैनाल में लगा सकते हैं। भिलाई और रूरकेला में लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं। हमारे इलाके को थोड़ा सा रुपया मिल जाय तो पानी का इन्तजाम हो जाय, लेकिन वह नहीं किया जा रहा है और आगे भी नही करेंगे। इलाके के लोग 15-20 मील दूर से पानी लाते हैं। आज लोग पानी के लिये तरसते हैं। 20 साल भी पीने के लिये पानी उपलब्ध न हो यह शर्म की बात है। कौन कहता है आपको कि उनके लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था करें।

श्री श्रवणलाल : आप तो पीने के पानी की बात करते है यहां तो मिनिस्टर साहब के आंखों में पानी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ईश्वर न करे, आपके कभी ऐसी तकलीफ हो। सभापति जी अकाल सहायता का काम सरकार बराबर कर रही है। सरकार को इसके लिये मैं बधाई देता हूं। हमेशा अकाल पड़ते हैं, बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा है लेकिन देश की आजादी के बाद और इन 5-7 वर्षों में अकाल का इतना इन्तजाम किया गया है कि लोग बाहर नहीं गये। बड़ी खुशी है, मैं उनका बड़ा आभारी हूं जिन्होंने यह इन्तजाम किया है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके के लोग भिक्षा वृत्ति के इच्छुक लोग नहीं है। उस इलाके में यह धारणा है कि बिना काम किये हुये खाते हैं तो हराम की खाते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि जो रेट्स दी जाती है वे बहुत कम है। रेट्स बाबा आदम के जमाने की देते हैं। मैं तो मिनिमम वेजेज की बात करता हूं। हम बराबर सुबह से शाम तक काम करते हैं। बिना काम किये हुये लेना हराम समझते हैं। अब काम करने वाले को पूरा पैसा नहीं मिले तो दुख की बात है। अकाल सहायता में दैनिक वेतन को बढ़ाया जाय और कम से कम मिनिमम वेजेज तय कर दी जाय और दूसरा भिक्षा वृत्ति का काम बन्द कर दिया जाय। सभापति महोदया, यह भिक्षा वृत्ति क्या है ? यह एक दुख की बात है। आप ट्यूब वैल्स खुदवायें। हमें हर साल बाड़मेर बीकानेर, जैसलमेर, जालौर और नागौर के कुछ हिस्सों में रुपया खर्च करना पड़ता

Page No.178

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है। इन इलाकों में हमें काम करने के लिये 20-25 लाख रुपया दीजिये ताकि हम ट्यूबवैल्स की योजना बना सकें। अगर आप हम साथ दें तो। और आप इस ताकत के साथ भारत सरकार के पास जाकर कहें कि कुछ रोजगार नहीं दे सकते तो अकाल बचा दीजिये और पानी पीने का दे दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दिग्विजय-सिंह।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : सभानेत्री जी...

श्रीमती सभानेत्री : विजयसिंह, दिग्विजय सिंह। मैं दोनों को समय दे देती हूं। आप दोनों में से कोई बोल लीजिये पहले।

श्री विजयसिंह रावत : दुर्भिक्ष, सामुदायिक विकास और भू-राजस्व की मांगों पर मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं।

समयाभाव से मैं सभी पर तो प्रकाश नहीं डाल सकूंगा। पर दुर्भिक्ष की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज हमारे प्रदेश में और खास करके हमारे अजमेर जिले में इस अकाल राहत के काम को लेकर विदेशी लोग मिशनरी लोग काफी सक्रिय हैं। गरीब जनता जो अकाल से ग्रस्त है उसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाकर ये विदेशी मिशिनरी धर्म परिवर्तन जोरों से करा रहे हैं।

मैंने पिछली बार भी विधान सभा में इस चर्चा को उठाया था। सभानेत्री जी विदेशों से जो गिफ्ट के रूप में सामान आता है इन मिशनरियों के पास वह केवल अकाल के कारण आता है। पर वे उसे अकाल ग्रस्त गांवों में नहीं बांटकर वहां बांटते हैं जहां भोले भाले लोग मिलते हैं और जिनका आसानी से धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। अकाल ग्रस्त एरिया में भी ऐसे ही भोले भाले लोगों को वे पकड़ते हैं। तो इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कारगर कदम उठावे।

इस गिफ्ट का वितरण मिशनरी करते हैं और करने के बाद कलेक्टर से सर्टीफिकेट लेते हैं कि गिफ्ट का अनाज आया वह बांट दिया गया। पर कलेक्टर को आज तक यह सूचना नहीं दी जाती कि कितना गिफ्ट आया और किस किस गांव में कितना कितना बांटा गया। सही आदमियों को मिला कि गलत आदमी को मिला। विधान सभा के माननीय सदस्यों को सुनकर ताज्जुब होगा कि बाहर से गिफ्ट के रूप में आने वाले इस अनाज, तेल आदि सामान का ये मिशनरी व्यापार भी करते हैं। चांवल नसीराबाद में बेचा जाने को गाड़ियों में जा रहा था, रास्ते में वह पकड़ा गया। रिपोर्ट भी हुई। पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से बेचकर जो पैसा आता है उससे डिस्पेन्सरियां, गिरजाघर या मकान बनते हैं। इसलिये कितना गिफ्ट आया कहां कहां बांटा इसका पूरा विवरण कलक्टर को मिलना चाहिये।

(श्री विजयसिंह रावत)

बल्कि होना यह चाहिये कि इसका वितरण पूरा का पूरा जिला राहत कमेटी की मार्फत किया जाय ताकि इसके माध्यम से धर्म परिवर्तन के काम की रोकथाम की जा सके।

यह भी कहूंगा कि ईसाई मिशनरीज आज इतने सक्रिय होते जा रहे हैं खासतौर से अजमेर जिले में जगह जगह उनके भवन निर्माण हो रहे हैं। तो सरकार को जानकारी रखनी चाहिये कि यह पैसा कहां से उनके पास आ रहा है।

दूसरी चीज, धर्म परिवर्तन के आंकड़ों को देखकर हमें इसकी भीषणता को आंकना चाहिये और भविष्य में पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझकर इसे इसी समय रोकने का प्रभावशाली कदम उठाना चाहिये। 56 से 60 तक के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिये कितने आदमियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इलेक्ट्रोल रोल को ही देख लें। जिसका नाम पहले सिंह लाल या प्रसाद पर था आज उनके नाम जिम, सेमुअल और सोलोमन हो गये हैं। तो जिन प्रलोभनों के द्वारा इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उनको दूर करना चाहिये। नहीं तो यह सारे राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध होगा एक दिन।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में परिवार नियोजन भी आता है। मैं मानता हूं कि इसको अपनाना चाहिये। यह मेरी पार्टी का मानना भी है। पर मैं इसके विरोध में हूं अगर यह केवल हिन्दुओं पर ही लागू किया जाता है और दूसरी कम्युनिटी मुसलमान या ईसाई पर लागू नहीं होता। यह मैं कोई साम्प्रदायिकता की भावना से नहीं कह रहा हूं। पर आज जो गतिविधियां इन माइनोरिटी कम्युनिटियों की इस देश में चल रही हैं अमेरिका की सहायता से या चाहे अन्य विदेशी मुल्कों की सहायता से उससे एक खतरा इस देश की आजादी के लिये भी बढ़ रहा है, माइनोरिटी कम्यूनिटी डवलप होती जा रही है और मेजोरिटी कम्यूनिटी घटती जा रही है। परिवार नियोजन जैसी चीज रहेगी तो ईसाई मिशनरीज सरकार की निगरानी में नहीं आकर या गुप्त रूप से काम चला रहे हैं वैसे चलाते रहे तो दस बीस बरसों के बाद यह होगा कि तीनों कम्यूनिटी एक हो जावेंगी, फिर उसमें झगड़े होंगे अराजकता फैलेगी। इसके बाद हो सकता है हमारी स्वतन्त्रता भी खोखली हो जाय और इसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। तो कहूंगा कि इस परिवार नियोजन की व्यवस्था सभी कम्यूनिटियों पर होनी चाहिये।

जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने इन मिशनरियों की गति-विधियों पर कमेटी बिठाने का सुझाव दिया था वह जल्दी से जल्दी किया जावे।

पंचायतों के अन्दर सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि पंचायतों के सरपंचों ने पंचों ने प्रधान या प्रमुखों ने कोई गबन किया हो या ऐसी कोई चीज की हो तो एक्शन नहीं होता। इसके लिये एक सुझाव मेरा है कि ग्राम सेवकों की बी. डी. ओ. के सबोर्डिनेशन में एक ग्राम सेवक स्कीम खोली

(श्री विजयसिंह रावत)

थी, उसको ग्रुप सेक्रेटरी रखा था तो पंचायत में आप ग्राम सेक्रेटरी के रूप में इन ग्राम सेवकों को दे दिया जाय ताकि जिम्मेदार व्यक्ति रहे, उनके हटने के बाद भी गड़बड़ी की सम्भावना न रहे और घोटाले हों तो तुरन्त ध्यान में आ जावें।

पंचायतों में स्कूलें चलती हैं, प्राइमरी स्कूलें चलती हैं। उनकी दुर्दशा है। सभी इधर-वाले और उधर वाले इसे मानते हैं। जैसी शिक्षा इनको दी जावेगी भावी नागरिक वे वैसे ही बनेंगे, यह जड़ है तो इन बालिकों में अच्छी शिक्षा के संस्कार भरने के लिये इनको पंचायत समितियों के अधिकार से हटाया जावे ताकि भारत के भावी नागरिक राजनीति के शिकार न बनें और सच्चे ईमानदार और सदाचारी शिष्टाचारी बन सकें।

भू-राजस्व के बारे में कहना चाहूंगा। पिछले समय इस मसले पर काफी गरमा गरमी आई। भड़ाक सी आ गई थी। यह सरकार कुर्सी से चिपकी रहना चाहती है। गोली काण्ड से यह सरकार बनी। फिर रूरल लोगों को फुसलाने के लिए उनको लालच में लेने के लिये एक टेम्पो क्रिएट करके छोटी जोतों पर भू-राजस्व समाप्त करने की घोषणा यहां की। पर जब उनका मतलब निकल गया तो उसे वापिस लेना चाहते हैं। जब आपने लागू किया था तो किसी ने आप पर दवाव नहीं डाला था। आपने अपने आप किया था। अब इसका सीधा प्रभाव अनुसूचित जनजाति पर पड़ेगा। आप उनको 15-15 बीघा जमीन देते हैं जिनके पास तीन से पन्द्रह बीघा तक जमीन है और जिनकी हालत खराब है जिनका उससे गुजारा नहीं हो पाता है, उन पर इसका असर पड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो इसे वापिस लगाया है, यह न लगावे। आपने जो वचन दिया तो उसका पालन करना चाहिये। जनता को एक बार कान्फीडेन्स में लेने के बाद छिटका देने से आपका भला नहीं होगा। अपने वचन को भंग न करें। थूक कर चाटना यह अच्छा नहीं लगेगा। इसके भयंकर परिणाम आपको भोगने होंगे हो सका तो 72 से पहले ही भयंकर परिणाम आपको उठाने पड जाय।

इसलिये इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयसिंह मकराना।

श्री केदारनाथ : सभानेत्री महोदया हमें कब समय मिलेगा ?

श्रीमती सभानेत्री : पहले विजयसिंहजी 5 मिनट का समय ले लें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभानेत्री जी....

एक माननीय सदस्य : आप विजयसिंह जी हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : वो मेरे नाम पर बोल लिए थे मैं उनके नाम पर बोल लेता हूं।

सभानेत्री जी, मेरे 3 मांगों पर कटौती प्रस्ताव हैं। मैं सर्वप्रथम पंचायत सामुदायिक

(श्री दिग्विजयसिंह)

विकास योजनाओं के ऊपर सूक्ष्म रूप से निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक भ्रष्टाचार या अनियमिताओं की बातें हैं और इस पंचायती राज्य में जो कुछ हो रहा है उस संबंध में दोनों पक्ष की ओर से काफी चर्चा करली गई है। मैं उस संबंध में सुझाव के रूप में राज्य सरकार से विवेदन करना चाहूंगा कि काफी बार सरकार के ऊपर इसका आरोप लगाया जाता है कि सरपंचों के विरुद्ध जब कभी गबन का मामला आता है तो उसकी जांच होती है और जांच होने के दौरान उसके बाद जो सस्पेन्शन या रिमूवल की पावर्स राज्य सरकार को है उस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि पंचायती राज को राजनैतिक पार्टी से दूर रखना चाहिए। पर मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हो सकता कि यह चीज प्रेक्टीकल नहीं है। राजनीति से या राजनैतिक पार्टी से पंचायतों का चुनाव या दूर रखना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं हैं। यदि उसके लिए कोई उपाय है तो मैं राज्य सरकार को सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि 17 (4) का प्रावीजन है जो कि राज्य सरकार के पास है। जैसे और सेक्शन 41 है प्रधान या प्रमुख को सस्पेन्ड करने का वह राज्य सरकार अपने पास अधिकार न रखकर या तो किसी आयोग इस संबंध में नियुक्त कर दे या यह स्पेसिफिक पावर्स जो कि आपके एक्ट में प्रोवाइडेड है वह विजिलेन्स कमीशन को दे दे ताकि सीधी जांच वह इस नियम के तहत में करके राज्य सरकार को रिकमन्ड कर दे। ऐसा करने से मेरी निश्चित मान्यता है कि कोई इस मामले में शुबहा नहीं कर सकता कि इसमें कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल है इसलिए अमुक प्रावीजन को बताया है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस सेक्शन को किसी निष्पक्ष आयोग की नियुक्ति करके उनको दे दे ताकि इस तरह की जो जांच हो या किसी सरपंच के विरुद्ध ऐसे आरोप लगे हुए हों हो सकता है वह आपकी पार्टी का हो या हमारी पार्टी का है लेकिन सरकार जो राज्य कर रही है उसकी निष्पक्षता दिखाने के लिए इस प्रावीजन को हटा दें तो यह आपके लिए बेहतर होगा।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक पंचायतों के अन्दर उनके कार्यों का सम्बन्ध है न्याय पंचायतें बनने के बाद पंचायतों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। पंचायतों का स्थिति तो यहां तक आ गयी है कि उनकी ग्राम पंचायतों के ताले लगे हुए हैं। तो बजाय इसके कि आप न्याय पंचायतें रखें मेरा निवेदन करना है कि न्याय पंचायतों को समाप्त कर दें और पंचायतें जो कि क्षेत्र छोटा हैं वह क्षेत्र उनका बड़ा बनाया जाये और 3000 से 5000 तक की आबादी के ऊपर एक पंचायत का गठन करें ताकि उस पंचायत की आर्थिक स्थिति सुधर सके और सही तरीके से काम कर सकें। वरना स्थिति यह है कि पंचायतों के पास सेक्रेटरी तक को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायतों का दायरा जो अभी 1000 और 1500 का कर रखा है उसको 3000 से 5000 के बीच में कर दो।

(श्री दिग्विजयसिंह)

दूसरा निवेदन सभानेत्री महोदया और करना चाहूंगा कि प्रमुख सलेक्शन कमेटी का सदस्य होता है। इसको मैं ने पहले भी निवेदन किया था कि हमेशा प्रमुख जो भी हो वह किसी पार्टी का सदस्य होता है और उस पार्टी का सदस्य होने के नाते जब कि सलेक्शन होता है टीचर्स का या कोई और तो उसमें स्वाभाविक रूप से अपने गुट की या सिफारिश की बू आ जाती है तो अगर प्रमुख को सलेक्शन कमेटी के मेम्बरशिप से हटा दें तो एक हद तक जो इन्टरव्यू होंगे वह निष्पक्ष रूप से होंगे।

पंचायतों के और पंचायत समितियों के संबंध में जो कुछ भी घोटाले हैं वह मैं यहां नहीं कह कर मंत्री जी को स्वयं को निवेदन कर दूंगा। अभी समय मुझको 5 मिनट का ही दिया है।

अकाल के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य गत वर्ष और दो साल पहले बहुत गतिविधि से चले। इस संबंध में निवेदन करूंगा कि अकाल के कई कार्य चालू किये और लाखों रुपया खर्च हो गया। अब उनको यदि आप पूर्ण नहीं करायेंगे तो उनकी स्थिति वही होगी कि सारा पैसा जो उन कार्यों पर लगा है वह मिट्टी और पानी में बह जायेगा। इसलिए आप उन कार्यों को जरूर पूरा करवायें जो कि अधूरे हैं। जैसे सिंचाई के कोई काम हैं वहां अकाल था इसलिये कार्य चालू किये गये और बाद में अकाल घोषित नहीं होने से वह कार्य बन्द हो गया तो कई कई जगह आधी मिट्टी पड़ गई और और काम बन्द हो गया तो ऐसे कार्यों का जरूर सर्वेक्षण करके उन्हें पूरा कराया जाये।

दूसरे अकाल राहत कार्यों में घोटाले भी हुए हैं। इस संबंध में मैंने उस समय के जिलाधीश महोदय श्री रणधीरसिंह जी से निवेदन किया और वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद ने जांच की तो एक सरपंच सारे फेमिन लेबर को लेकर अपनी तलाई पर कार्य करा रहा था। उसको मौके पर जाकर पकड़ा और कलेक्टर साहब ने उनको नोटिस दिया कि सारे दिन की मजदूरी है वह उससे रिकवर की जाये और पी. डी. आर. की कार्यवाही के लिए भी आदेश दे दिये। तो मौजूदा कलेक्टर ने न जाने किस कारणों से स्टे कर दिया और रिकवरी नहीं हो रही है। तो अकाल राहत कार्यों के लिए निवेदन है कि जहां अधूरे कार्य हों उनको अवश्य पूरा करायें।

अब सभानेत्री महोदया मैं थोड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के संबंध में कहना चाहूंगा। सेक्शन 91 जो कि रेगुलेराइजेशन के संबंध में है इस संबंध में कई बार प्रश्न द्वारा भी कटौती प्रस्तावों के माध्यम से भी यह निवेदन कर चुका हूं कि आज राजस्थान के अन्दर कई तहसीलों में यह समस्या खड़ी हुई है कि जहां आज दिन तक काश्तकार वर्षों से काबिज हैं और उनकी रेगुलेराइजेशन की कार्यवाही नहीं हो रही है और मुझे मालूम है कि अभी थोड़े दिन पहले उप-मंत्री जी ने कहा था कि अब आदेश जारी कर दिये गये हैं कि रेगुलेराइजेशन की कार्यवाही कर दी जाये। लेकिन मैं आपसे

(श्री दिग्विजयसिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे मालूम है आपने दिये हैं कि 31 दिसम्बर, 1966 तक जो भी काबिज हों उनको भी आप रेगुलेराइज कर देंगे और मेरा एक और कहना है कि रेगुलेराइज करने के साथ ही साथ 10 साला एलाटमेंट नहीं करके खातेदारी हक उनको आप प्रदान कर दें ।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : हां कर रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : आप हां कर रहे हैं तो आदेश जारी हो गये होंगे । आपने यह आदेश दिये हैं कि यह 91 की कार्यवाही एडवाईजरी कमेटी नहीं करके तहसीलदार ही करेगा । मुझे इस संबंध में वैसे कोई एतराज नहीं है पर मेरे कहने का मुख्य लक्ष्य यह है कि उन सरक्यूलर्स का मिसयूज तहसीलदार करते हैं । आज उनके पास सूचना आ गयी कि 91 की कार्यवाही उनको करनी हैं वह इसकी सूचना या जानकारी किसी काश्तकार को नहीं देते है । जिसको चाहते हैं आब्लीगेशन के रूप में उसको रेगुलेराइज कर देते हैं और जैसी व्यवस्था बैठानी होती हैं वह बैठाकर आब्लीगेशन बताते हैं कि तुम्हारा काम कर दिया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सरकूलर के संबंध में जब आपने रियायत दे ही दी है तो उसकी वाइडली पब्लिसिटी दीजिए ।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : कितना ?

श्रीमती सभानेत्री : जैसे भी कार्यवाही चलेगी देख लेंगे ।

श्री दिग्विजयसिंह : श्रीमती सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि सेक्शन 91 के सरकूलर के अन्दर ऐसा प्राबीजन करें कि सहूलियत से सब रेगुलेराइजेशन हो जायें ।

(5 म. प.)

दूसरा, गत वर्ष बजट के अन्दर जो घोषणा की गई थी अलाभकारी जोतों के लिए इस वर्ष उन जोतों पर वसूली या रेन्ट लागू कर दिया गया है । उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो कुछ भी निर्णय लिया उससे अब वापिस चले गये जिसके लिए वे स्वयं शर्मिन्दा हैं अपने दिल में । उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा । उस वक्त में यह घोषणा की गई थी कि इन अलाभकारी जोतों पर छूट देने की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति 30 स्टेन्डर्ड एकड़ पर डबल सरचार्ज लगाकर पूरी कर देंगे । यह घोषणा की गई थी । मेरी समझ में यह नहीं आया है कि जब कि अलाभकारी जोतों पर वापस रेन्ट लगा दिया गया है तो फिर डबल सरचार्ज 30 स्टैण्डर्ड एकड़ के ऊपर वालों पर क्यों चालू है । यह कन्ट्राडिक्टरी चीज है । इस पर राजस्व मन्त्रीजी को विचार करना चाहिए और डबल सरचार्ज अभी तक रख रखा है उसको विथड्रा करना चाहिये ।

अब एक बात खास तौर से सीलिंग एक्ट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । सीलिंग एक्ट

(श्री दिग्विजयसिंह)

लागू हुए करीब करीब 3–4 वर्ष हो गये मैं उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि उस एक्ट की सेन्क्टिटी वह आज की स्थिति में बिल्कुल समाप्त हो गई। लोगों ने जो कुछ करना था, जो ट्रान्सफर करना था, जो रजिस्ट्रियां करनी थीं वे सब कर दीं। राज्य सरकार के सामने अभी नहीं तो बाद में चलकर यह समस्या आ सकती है कि जिस समय सीलिंग लागू करेंगे जो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जो रजिस्टर्ड बन चुके हैं उस सूरत में रजिस्ट्रियां या रजिस्टर्ड डीड को आप वेलिड मानेंगे कि नहीं। इस एक्ट की सेन्क्टिटी उस वक्त थी। मैं मानता हूं कि यह बहुत आवश्यक था, पर इस तरह से बीच के अन्दर लेकूना मिलने से उनको समय मिल गया है तो इस एक्ट के लागू करने से आप अच्छी तरह से देखेंगे कि सारे राजस्थान में लिटिगेशन को बढ़ावा देंगे। दूसरा कुछ नहीं होने वाला है।

सभानेत्रीजी, इसमें एक चीज नहीं देखी इसलिए उसके सम्बन्ध में अवश्य जानकारी चाहूंगा कि उस एक्ट में जिस वक्त 30 स्टैण्डर्ड एकड़ या उससे ज्यादा जमीन होगी तो एक प्रोफार्मा रूल्स के हिसाब से भरकर देना पड़ेगा। 30 स्टैण्डर्ड एकड़ की जो डेफिनिशन आपने दी है वह उपज की दी है यानी जिसमें 300) मन गल्ला पैदा हो, तो यह बड़ी वेग डेफिनिशन है जो उसके अन्दर है। या तो निश्चित रूप से 100 एकड़ कर दें, 60 एकड़ कर दें तहसीलों की कन्डीशन्स को देखते हुए, पर यह उपज के ऊपर जो आपने रखा है इसके अन्दर सारा डिस्क्रीशन आपने अधिकारियों में रख दिया है। जो उनसे मिल जायगा उसके पास जमीन छोड़ दी जायगी।

दूसरा इसके सम्बन्ध में यह कहूंगा कि इस एक्ट में पेटा काश्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं है। आपके राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत पेटे के अन्दर खातेदारी राइट एक्रयु नहीं होते हैं। अब ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता है वह काश्तकार जिसके पास ऐसा तालाब है या ऐसी जमीन पर वाजिब है और सीलिंग के एक्ट में आरजी काश्त का प्रोफार्मा भर कर दे दिया तो किसी साल में 5 बीघा होती है और किसी साल में 10 बीघा और किसी साल में जिस साल पानी भर जाता है तो बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी सूरत में जब आपका यह एक्ट बिल्कुल साइलेन्स है तो इस बारे में भी राज्य सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभानेत्री जी, मुझे भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : हमारा भी नाम है इतने सारे आदिवासी...

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी को समय पूरा दिया गया है इसलिए नहीं मिलेगा।

श्री नाथूराम : समय देना चाहिए। समय का समान बंटवारा नहीं होता है यहां।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : सभानेत्रीजी, मैं बोलूंगा। हाउस का टाइम बढ़ना चाहिए। जब कट मोशन दिये जाते हैं तो समय क्यों नहीं दिया जाता है। आदिवासियों और शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को किसी को टाइम नहीं दिया गया है।

श्रीमती सभानेत्री : आप अभी स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : समय समान होना चाहिए। एक सदस्य उधर का बोलता है तो एक इधर वाले को समय देना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : मैं बोलूंगा, सभानेत्री जी। आप दूसरी पार्टी के लोगो को उतना समय देती हैं। जब बोलने नहीं दिया जाता है तो कट मोशन आपको नहीं लेना चाहिए था।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : हमको समय देना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : सभानेत्री जी, इनको बोलने दें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में कैसे रोका जायगा।

श्री नाथूराम : यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। जिन्होंने कटौती-प्रस्ताव दिये हैं उनको भी टाइम नहीं दिया जाता है। यह सरासर पक्षपात है।

श्री मदनसिंह : भूमि आवंटन...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके बाद आप इनको टाइम दें।

श्री मदनसिंह : मैंने जो कटौती-प्रस्ताव रखा है वह इस मुद्दे को लेकर रखा है कि जितना भी राजस्थान में भूमि का आवंटन हुआ है नियमानुसार वह न होकर उसमें इतने घोटाले हुए हैं। मैंने इसके लिए तीन कटौती-प्रस्ताव रखे हैं। वे तीन कैसे हैं ? एक तो उनके लिए जो फौजी हैं जिन को आज तक जो भूमि का आवंटन राजस्व विभाग से हुआ था लेकिन गलत कानून बन गया था उसके कारण अभी तक भूमि नहीं मिल पाई है। दूसरा वर्ग है जो भूमिहीन किसान हैं जिन के सम्बन्ध में ज्यादा कहना है। तीसरा वर्ग वह है जो जागीरदार हैं जो कि कोर्ट आफ वार्ड्स में रह गये थे। ये तीन ही वर्ग ऐसे रह गये हैं कि जिनको जब भी भूमि का आवंटन होता है तो इन तीनों वर्गों के लिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि, भूमि आवंटन नहीं हुई है। मेरे पास में लिखित रूप में आप चाहें तो ऐसी एक्जाम्पिल हैं कि जब भी भूमि का आवंटन हुआ है तो जो नीचे के कर्मचारी हैं वे या तो कानून नहीं समझते हैं और अगर कानून समझते हैं तो वहां पर पक्षपात हुआ है।

Page No.186

(श्री मदनसिंह)

इसलिए मैं फौजियों के लिए निवेदन करूंगा कि इस सदन में फौजियों के प्रश्न को लेकर कई दफा ऐसी वैसी बातें हुई हैं और उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्दर कई दफा लिस्ट भी दी है जो कि वाकई में सही नहीं थी। उसका कारण यह था कि जब मंत्री महोदय कलेक्टर और तहसीलदार के लेवल से लिस्ट मंगाते हैं तो वे लिस्टें गलत दे देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कोई न कोई ऐसी जांच करायें या खुद अपने उपमंत्री को कई तहसीलों में दौरा करायें और देखें तो मालूम होगा। सभानेत्री जी, मैं आपके सामने अपनी क्षेत्रिय बात कहूंगा जहां कि दो दो मंत्री रहते हैं। यहां से नजदीक ही मोरिजा के अन्दर 23 तारीख को भूमि आवंटन के लिए विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें फौजियों और हरिजनों को आमंत्रित किया गया था। उसकी तारीख को दबाकर तहसीलदार ने उन लोगों को यह निश्चित की हुई डेट न देकर और उनके नेताओं के कहने के आधार पर एक मीटिंग बुलाई और 30 फरवरी को एक मीटिंग बुलाकर, उसमें फौजियों को न बुलाकर, हरिजनों को न बुलाकर, मैं अभी एक लिस्ट प्रस्तुत करूंगा, उनको भूमि एलाट कर दी। वह लिस्ट मैं पढ़ता हूं :-

(1) मोरिजा के बजरंग लाल हैं उनके छोटे लड़के को जो शारदा का लड़का है उसको खसरा नं. 1553 की भूमि मिली है। वह न जागीरदार है, न फौजी है और न हरिजन है। मीटिंग बुलाई थी फौजियों को देने के लिए और वहां जमीन मिलती है बजरंग लाल के लड़के को जिस लड़के की आयु कम है उसको दी गई और उस खसरे का नम्बर है 1553 और 2443।

(2) दूसरी जमीन मिली है श्री महेन्द्र-कुमार, उसका भी लड़का है जिसका नाम गोकुलेन्द्र शर्मा है जो इन्सपेक्टर, आयुर्वेद विभाग जयपुर में है, उसको दी गई है।

(3) तीसरा आवंटन हुआ है श्रीमती शान्ती देवी, गोकुलेन्द्र शर्मा के छोटे भाई की धर्मपत्नी, मोरिजा, खसरा नं. 1659 और 15 बीघा उनको मिली है और वे यहां की रहने वाली हैं।

(4) चौथी श्रीमती मुरली देवी, पत्नी श्री रामस्वरूप, सूरजमल बम्बई वाला औषधालय, किशनपोल बाजार, जयपुर उसकी पुत्रवधु, ग्राम पंचायत मोरिजा वाला है उसको मिली है।

(5) पांचवा, श्री हरिनारायण मोरिजा जिसको गेंदीलाल तहसीलदार को मौसी के नाम से मिली है।

एनाउन्समेंट हुआ था फौजियों को जमीन एलाट करने के लिए लेकिन यह जमीन इनको एलाट हुई है। रोज हमेशा यह हो रहा है। अलग आवंटन की तारीख रखी है, और यह मैं आपको लिस्ट दूंगा। इसके मुताबिक यह जमीन एलाट हुई है।

दूसरा, राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कई दफा कहा है कि हम राजस्थान कैनाल में हजारों की संख्या में फौजियों

(श्री मदनसिंह)

को बसायेंगे और वहां पर फौजियों को भूमि दी जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 20 हजार दर्खास्तें राजस्थान कैनाल के अन्दर हैं। वह मैंने कमिश्नर को भेजी हैं। वे कैन्सिल कर दी गई हैं।

आज 20 हजार आदमी, जिनकी दर्खास्तें आज से दो चार वर्ष पहले से पड़ी हुई हैं, इस आशा में बैठे थे कि उनको जमीन मिलेगी उनकी वे बीस हजार दर्खवास्तें रिजेक्ट हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन बीस हजार दर्खवास्तों का क्या उपयोग होगा? आप रोज एलान कर रहे हैं कि हमने फौजियों को जमीन दी है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो आपने उनको जमीन नहीं दी है। मैं ऐसे केसेज बता सकता हूं, रेवेन्यू सेक्रेट्री का लेटर मेरे पास है 1956 में नाम से एलोटमेंट हो गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी की मार्फत मेरे पास 20-3-67 को कागजात आये हैं, रोज तहसीलदार, कलेक्टर को लिखते हैं लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली है।

इसी तरह से सवाई माधोपुर की बात है। पाकिस्तान और चीन की लड़ाई में मारे गये हैं उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं ये करीब हैं 6 सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, 1 जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और 1 भादरा तहसील में- इनको अब तक जमीन नहीं मिली है। इनकी लिस्ट मैंने मंत्री जी को पिछली बहस के टाइम दी थी। वैसे ही नीम के थाने में एक बालूसिंह नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने सन् 56 में दर्खवास्त दी थी, चीफ मिनिस्टर को दर्खवास्त दी थी वहां पर एलोटमेंट के लिये जमीन मौजूद है लेकिन आज तक उनको जमीन एलाट नहीं की गई। उसी तरह से उदयपुरवाटी के गरीब सिपाही बचनसिंह जो खुद फौज में था और उसका लड़का फौज में है उनको 25 बीघा जमीन मिली थी, तीन साल पुराना मामला है, तीन साल पहले जो मंत्रीजी थे उन्होंने कोशिश भी की थी, मैं समझता हूं गंगारामजी इस केस को डील कर चुके हैं, पत्र लिखा है, फैसला क्या हुआ कि एक दूसरा जागीरदार जिसके पास पहले से 7 मुरब्बा जमीन है, उसको यह कह कर जमीन मिली है कि यह उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी में आई है जब कि प्राइवेट प्रोपर्टी की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। फौजियों के लिये आप एलान तो कर देते हैं कि फौजियों को जमीन मिलेगी लेकिन होता क्या है कि उनको जमीन मिलती नहीं है। होता क्या है कि जिस समय एसेम्बली में सवाल होता है तो मंत्रीजी उठ कर जवाब दे देते हैं, लिस्ट बता देते है लेकिन वापिस जांच नहीं करते कि वाकई फौजियों को जमीन मिली या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं फौजियों के सम्बन्ध में नहीं कह कर भूमिहीन हरिजनों के सम्बन्ध मे कहूंगा। सभापति महोदया, भूमिहीन का मतलब अब तक तहसीलदार और पटवारी नहीं समझे हैं इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मीटिंग करके उनको बताइये कि भूमिहीन किसान कौन हैं। वास्तव में जो व्यक्ति हल चला सकता है, हल चलाकर काश्त करता है, ठीक तरह से काश्त कर सकता है लेकिन जिसके पास भूमि नहीं है वह भूमिहीन किसान है। लेकिन आज भूमि-

(श्री मदनसिंह)

हीन किसान कौन हो सकता है? वेगू राव-साहब भूमिहीन किसान हो सकते है, नवाब सहाब लोहारू भूमिहीन किसान हो सकते हैं, आयुर्वेद विभाग के मंत्री भूमिहीन किसान हैं। आज दांता रामगढ़ में, मेरी कांस्टिट्युएन्सी में 13 हज़ार हरिजन हैं उनमें से 7 हजार हरिजन बगैर भूमि के बैठे हैं उनको जमीन नहीं मिलती लेकिन जो पूंजीपति हैं, दुकानदार हैं, बिड़लाजी की फेक्ट्री के मैनेजर हैं उनको जमीन मिली है। बजट सेशन में यह तो सिद्ध हुआ कि आपके पास पैसा नहीं हैं लेकिन क्या इसमें भी पैसे की जरूरत है? जमीन पड़ी है, हरिजनों की लाखों की संख्या में दर्खवास्तें पड़ी हैं लेकिन उनको जमीन नहीं मिली।

वैसे ही मैं जागीरदारों के सम्बन्ध में कहूंगा। भूमिहीन जागीरदारों को जमीन देने के सम्बन्ध में बड़ा एलान किया था लेकिन मुझे मालूम है कि जिनके पास पहले से ही जमीन थी और जो साधन वाले हैं उनको जमीन दी है। लेकिन जो जागीरदार कोर्ट ओफ वार्ड्स में थे उनको नहीं मिली। उनके लिये मैं दो तीन मिसाल दूंगा सदन में तो शायद इनको शर्म आयगी। जागीरदारों के लिये एलान किया था कि गरीबों को कल्टीवेशन के लिये जमीन देंगे। जितने भूमिहीन जागीरदार कोर्ट आफ वार्ड्स में थे उनको वापिस जमीन नहीं मिली, उनको गढ़ नहीं मिले, उनको उनके रुपये नहीं मिले। सन् 57 में एक घोटाला हुआ था उस समय जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने 17 हजार रुपये लेकर दूसरे जागीरदार को दे दिये। सन् 57 में मैंने सबूत दिया तब 17 हजार रुपये वापिस हुए और रूपकुमारी को जमीन मिली। उसके 10 वर्ष बाद उसमें से 700 बीघा जमीन, मौजूदा कलेक्टर ने नहीं पर पहले वाले दूसरे कलेक्टर ने दूसरे को दे दी। आज वही रूपकुमारी जयपुर में बैठी है, उसके पास खाने का साधन नहीं है, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, जीविका उपार्जन का साधन नहीं है वह भूमिहीन बैठी है। रेवेन्यू बोर्ड ने ओर्डर दिया वह कलेक्टर को नहीं मिला। मैं इस बारे में मंत्रीजी और उप मंत्रीजी से मिला हूं, आठ दफा कलेक्टर चूरू से मिला हूं, मूव किया है। कल मैं मिला तब कहा कि हमारी गलती हो गई। कोर्ट आफ वार्ड का चार्ज दिया उस समय ख्याल नहीं रखा। इस तरह के काम आज हो रहे हैं।

इसी तरह से रानोली और बोरावड़ के केस में 50 हजार रु. का घोटाला हैं। कोर्ट आफ वार्ड से निकलने पर उनको कुछ नहीं संभलाया। आज उस जागीरदार को कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। आपको विचार करना चाहिये कि कहां पर किस तरह की बात हो रही है। राजस्व मंत्री यह कह दें कि आज वे कुर्सी के लायक नहीं हैं तो किसी किसान भाई को बैठा दें आपकी जगह बैठा दें जो किसानों के बारे में समझ सके। यदि आपको इसमें तकलीफ होती हो तो बतावें। अभी हाल में टोंक की नवाबजादी थी बेगमा उसके बारे में जमीन या जागीर का जबर्दस्ती केस बनाकर मुआवजा देने की तैयारी की जारही है। इस सम्बन्ध में भैरोंसिहजी ने या सतीश जी ने सवाल उठाया था। इस इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि आप जवाब देते समय दो शब्द कहें . . . .

(श्री मदनसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दांता रामगढ़ में 10-12 गांव हैं जहां पर हरिजनों की काफी ग्राबादी है लेकिन उन हरिजनों को जमीन नहीं मिली। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस चीज पर विचार करें। ग्राप सदन में ग्रौर सारी दुनिया में एलान कर देते हैं कि ग्राज हमने यह किया वह किया लेकिन भूमिहीनों को भूमि नहीं मिली। राजस्थान केनाल की जमीन के लिये 20 हजार फार्म हरिजनों के रिजेक्ट हुए हैं। कहां बसायेंगे इन हरिजनों को ? एलान तो किया है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में हरिजनों को 1 लाख एकड़ भूमि दी जायगी लेकिन जो हालत फौजियों की हुई...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वही हालत इन हरिजनों की होने वाली है। इसलिये मैं कहता हूं कि ग्राप विचार करें ग्रौर संतोषजनक जवाब दें ग्रौर सही जवाब दें। मैंने पहले भी राजस्व मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था इसलिये कि झूठ बोले थे, कल भी बोले थे, परसों भी बोले....

एक माननीय सदस्य : ग्राज भी बोलेंगे।

श्री मदनसिंह : ग्राज बोलेंगे तो उनको उनकी झूंठ खा जायगी क्योंकि हमारे पास इतनी चीजें सबूत में हैं। एक ऐसा वर्ग जिसके लिये रिजर्वेशन नहीं होता, जो कानून को समझता नहीं है, वह एक ऐसा वर्ग है जो सही ढंग से चलाना चाहते हैं उसके साथ ग्रापकी समाजवादी सरकार ग्रगर ऐसा व्यवहार करती है तो यह उचित नहीं है। इससे तो राजाग्रों का समय ही ठीक था क्योंकि वे देते थे तो किसानों ग्रौर गरीबों को ग्रौर जरूरत मंदों को देते थे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदया, भू राजस्व की मांग पर...

श्री सभानेत्री : समय कम लें कृपया।

श्री नाथूराम : थोड़ा समय लूंगा।

भू राजस्व की मांग पर कटौती का प्रस्ताव है। राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार के कई कानून बनाये-इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन भूमि सुधार कानून बने उनका पालन ग्राज तक नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में मैं कुछ ग्रांकड़े बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान के ग्रन्दर हम भू राजस्व दे रहे हैं वह दूसरे प्रान्तों से ज्यादा है। जो इस मांग में एक हजार लाख भू राजस्व का ग्रनुमान लगाया गया है वह कुल टैक्स की ग्रामदनी का एक बटा सात हिस्सा है, जो राजस्थान के ग्रास पास के प्रान्त है उनमें सबसे ज्यादा है। गुजरात में भू राजस्व 3.38 है, हरियाणा 1.31 है, मध्य प्रदेश में 2.20 है। इसी तरह से पंजाब में 2.29 है, ग्रौर राजस्थान में 4.29 है। उत्तर प्रदेश में 3.14 है। यह फी व्यक्ति राजस्व कर लगाया गया है ग्रौर राजस्थान में दूसरे प्रान्तों से ज्यादा है। ग्राज हम जिस मांग पर विचार कर रहे हैं, जिस पर वादविवाद हो रहा है उसके बारे में भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता

(श्री नाथूराम)

हूं। जो हमारे छोटे छोटे काश्तकार हैं, उन काश्तकारों से जो लगान लिया जा रहा है- उसमें एक तरफ कहते हैं कि भूमिहीन आदिवासियों को और हरिजनों को भूमि दी गई है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर डिवीजन में, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं, उनके पास काश्त की जमीन नहीं है। एक बीघा, दो बीघा, तीन बीघा भी जमीन नहीं है लेकिन राजस्थान की सरकार द्वारा उन भूमिहीनों को भूमि नहीं दी गई है। सरकार आंकड़े जरूर बता देती है, लेकिन जो आज कई वर्षों से भूमि पर काबिज हैं, उनको भी टैनेन्सी एक्ट में जो संशोधन हुआ उसके हिसाब से कब्जा नहीं मिला है। हर साल वे काश्तकार खेती करते हैं और उनकी फसल जब्त कर ली जाती है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन में दुष्काल पड़ता है, पिछले तीन सालों से लगातार दुष्काल पड़ता रहा है, लगान वैसे दो साल का माफ हो जाता है कानून से, लेकिन राजस्व विभाग ने, जो दो साल का लगान माफ हो गया उसमें से गढ़ी तहसील अस्सी नब्बे प्रतिशत लगान वसूल कर लिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इन काश्तकारों का क्यों शोषण करते हैं। जिन काश्तकारों का कानून से लगान माफ हो जाता है दुष्काल का वह भी वसूल कर लिया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों को राहत देते हैं और दूसरी तरफ वसूली में सख्ती हो रही है। इस साल सैकड़ों हजारों किसानों से सख्ती के साथ लगान वसूल किया गया है। आज राजस्थान में बड़े बड़े लोगों में कर बाकी है, 21 करोड़ का कर बकाया है लेकिन उसकी वसूली में सख्ती नहीं की गई है। जो बस मालिक हैं उनके पास भी जो सरकार की अमानत है उसको सरकार सख्ती से वसूल नहीं कर सकती है। लेकिन गरीब काश्तकारों से लगान सख्ती से वसूल करती है। इसके अलावा जो पन्द्रह बीघा जोत वालों पर लगान माफ कर दिया था, वह भी सरकार ने दुबारा चालू कर दिया है। मैं कहता हूं कि भू राजस्व में कमी होती है तो जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं उन पर कर बढ़ा देना चाहिए। पन्द्रह बीघा जोत वाले किसान हैं उनके ऊपर लगान की माफी करने की बात सरकार कहकर मुकर गई है। मेरा निवेदन है कि जो लगान वापिस लेना शुरू कर दिया हैं उसको माफ कर देना चाहिए। इसके अलावा आप छोटे काश्तकारों को न तो सिंचाई के साधन दे सकते हैं, न पैसे का साधन दे सकते हैं, न उनको पूरी जमीन दे सकते हैं। यह सरकार की हालत क्या है ? मैं सरकार से मांग करता हूं कि डूंगरपुर बांसबाड़ा में जो सख्ती की गई है लगान वसूली के लिए उसके लिए एक कमेटी बैठानी चाहिए, अगर मेरी बात झूठी निकले तो मैं इस हाउस से इस्तीफा दे दूंगा और अगर वह सही निकले तो माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे दें। उन लोगों के साथ में सख्ती की गई है लगान वसूली की जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके घर में बच्चों का पेट भरने और निर्वाह करने के लिए अन्न नहीं है। एक तो सख्ती से लगान वसूली की है और दूसरी ओर फसल उनकी

(श्री नाथूराम)

जब्त की हैं । एक तरफ सरकार ने यह प्रचार किया कि दुष्काल है इसलिए गांवों में अधिक उत्पादन करना चाहिए । लेकिन जब उन्होंने किसी भी तरह उत्पादन किया तो उनकी फसलें जब्त कर लीं । यह उसके साथ सरासर अन्याय हुआ है । मैं, सभापति महोदया, आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि भूमिहीन किसानों को किस तरह से जमीन मिल सके इसलिए हमने सीलिंग का कानून पास किया था । लेकिन उसको पास किये हुए दस साल हो गये हैं लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया है । उसमें हमने तीस एकड़ की सीमा रखी है । जब कानून पास कर रहे थे तब मैंने मांग की थी कि इस सीमा को कम करना चाहिए और इस प्रकार भूमिहीनों को भूमि देनी चाहिए । इसलिए आपको सीलिंग का कानून लागू करना चाहिए ।

आज पटवारियों की ट्रेनिंग चल रही है, वहां आदिवासियों में से मैट्रिक और इन्टर तक पढ़े हुए लोग बेकार फिर रहे हैं नहीं लिये जाते हैं । आदिवासी नवयुवक मैट्रिक पास करते हैं, इन्टर पास करते हैं, बी.ए. करते हैं उनको पटवारी ट्रेनिंग में लेकर पटवारी एवं उच्च पद देना चाहिए वह भी आप नहीं कर पाये हैं । इसके अलावा जो साढ़े बारह प्रतिशत का नियम है उसका पालन करके रेवेन्यू विभाग में आदिवासियों को नहीं लिया जा रहा है ।

माननीय सभापति महोदया, जो भूमिहीन हजारों की तादाद में शिड्यूल्ड ट्राइब्स एवं कास्ट्स के लोग है उनके लिए चम्बल एरिया के इलाके में भूमि रिजर्व रखने की बात है । राजस्थान नहर में 31 लाख एकड़ भूमि रखी है और उसके लिए एप्लीकेशन देने की 30 मार्च अन्तिम तारीख रखी है । मेरा निवेदन है कि यह समय की सीमा है इसको छः महीने, साल भर आगे बढ़ा देना चाहिए और बांसबाड़ा, डूंगरपुर के लिये भूमि है इसको रिजर्व रखना चाहिए ताकि भूमिहीनों को भूमि मिल सके ।

सभानेत्री महोदया मैं अकाल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं । हमारे यहां दुष्काल में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाखों रुपया खर्च किया, सड़कें बनाईं, कहीं तालाब बनायें, लेकिन जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वह पूरे नहीं होंगे तो जो रुपया खर्च हुआ है वो बेकार जायगा । इसलिए दुष्काल में, जो अधूरे काम हैं, उनको पूरा करना चाहिये । इन गरीब, मजदूरों ने मजदूरी की, लेकिन उन लोगों को मजदूरी का रुपया कई कार्यों में नहीं मिला है । और जो काम कराने वाले थे पी. डब्ल्यू. डी. वाले, वे पैसा खा गये । यह दुष्काल की मांग है, इसके सम्बन्ध में मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो पैसा खा गये हैं और जिनके द्वारा रुपयों का दुरुपयोग हुआ है उसके लिए एक कमेटी बैठा कर जांच करानी चाहिए ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं पंचायतों के बारे में मेरा जो कट मोशन है उस पर कुछ बात रखना चाहता हूं । जो पंचायत राज हमारे यहां कायम हुआ, उसका तो हम स्वागत करते हैं । पंचायत राज के लिए

(श्री नाथूराम)

बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छी बातें बतलाईं, कुछ ने खराब बातें बतलाईं। यदि आप पंचायत राज को और मजबूत करना चाहते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट है उसका पूरा पालन नहीं हुआ है। उस रिपोर्ट के अन्दर जो सिफारिशें हैं उनको पूरा लागू करना चाहिए ताकि पंचायत राज मजबूत हो। बांसवाड़ा जिले की पंचायतों के कार्यों में जो अनियमिततायें हुई हैं उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत राज कायम कर दिया उसके लिए हम कहते हैं कि जो गरीब नीचे पड़े हुए थे उन लोगों ने चुनाव लड़ा और वह ऊपर आ गये और कुछ लोग पंच, सरपंच बन गये। लेकिन जो लोग पावरफुल हैं जिनको मौका नहीं मिलता है उनको जलन होती है। मेरा निवेदन है कि फंड्स के लिए इन पंचायतों से नियमों का पालन कराना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि किसी पार्टी का प्रधान या सरपंच हो, अगर वह गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे क्षेत्र की ही बात है, आज जो पंचायतों को विकास का पैसा मिलता है उसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, मैंने गये बजट सैशन में कहा था और आज भी निवेदन करता हूं कि जो विकास का पैसा मिलता है, सिंचाई के कूओं का पैसा आदिवासियों के लिए मिलता है उसका एक चौथाई भी खर्च नहीं होता है और गरीबों का पैसा बेकार जाता है। इसकी सरकार की तरफ से जांच भी नहीं होती है। जब हम शिकायत करते हैं तो कहते है कि आडिट हो गया है। आडिट से क्या मतलब होता है, आडिट से तो कागज कम्प्लीट कर लेते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं निवेदन करता हूं, मैं एक दो मिनट और बोलूंगा। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि विकास का पैसा, सिंचाई का पैसा, भूमि सुधार का पैसा, या तकावी का पैसा, या अनुदान का पैसा मिला हो उसके सम्बन्ध में आपका आडिट तो हो जाय लेकिन साथ ही इन्टरनल आडिट भी होना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में कुए खुदे या नहीं, काम हुआ या नहीं, पूरा पैसा खर्च हुआ या नहीं। मैं निवेदन करता हूं जब तक इन्टरनल आडिट नहीं होगा तब तक हजारों रुपयों का दुरुपयोग होता रहेगा। न तो उत्पादन होगा और न किसानों का फायदा होगा।

आज जो पंचायत राज की स्थिति है उसके लिए निवेदन है कि जो पंचायतों में आबादी की भूमि है, जो आबादी की भूमि के लिए रेवेन्यू से मांग की है कि पंचायत एरिया में जो आबादी की भूमि है उस आबादी की भूमि को पंचायत को दे देना चाहिए। उसके कागज बने हुए हैं लेकिन सरकार कहती है कि कलेक्टर को अधिकार दिये हुए हैं। अधिकार कलेक्टर को दिये हुए होंगे लेकिन उनका पालन नहीं किया गया है। बांसवाडा का उदाहरण देता हूं, कई वर्ष की बात है लेकिन मिसल आज भी पांच साल से पड़ी हुई है और उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि हर पंचायत की आबादी की भूमि रेवेन्यू में से निकाल कर उसको दे देनी चाहिए।

इसके अलावा सैटलमेंट के बारे में थोड़ा कह दूं। पंचायतों ने मांग की है कि जो

Page No.193

(श्री नाथूराम)

विकास की भूमि है वह भूमि पंचायतों को दे देनी चाहिए । सैटलमेंट में काबिल काश्त भूमि भी गैर काश्त बताई है, उसके लिए रेवेन्यू के कानून में संशोधन नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए, इससे गरीब किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदया, आज जो यहां ग्राम पंचायतों के बारे में और रेवेन्यू के बारे में बात चल रही है, मैं भी उसके विषय में बोलूंगा और समय में अपने भाषण की जल्दी से जल्दी पूर्णाहूति कर दूंगा ।

श्री लादूराम सुलानियां : अगर नहीं माने तो...

श्री जगन्नाथ : अगर नहीं माने तो मनवाने की ताकत रखता हूं ।

सभापति महोदया, न्याय पंचायत सन् 1960 में बनीं । और पंचायत का एक हाथ अलग हुआ । जब कि न्याय पंचायतों ने सन् 1961 में अपना काम संभाला, उस समय मैं न्याय पंचायत का अध्यक्ष था । और सन् 1963 तक मैं न्याय पंचायत का अध्यक्ष रहा । उस वक्त में उसके अन्दर मैंने अनुभव किया कि न्याय पंचायतों को सरकार ने सोचकर अच्छा बनाया था, सस्ता न्याय देने के लिए बनाया था । लेकिन इसमें क्या कमी रही । एक कमी क्या थी, कि एक तो न्याय पंचायत अलग होने से पंचायत का एक हाथ टूट गया और पंचायत की आमदनी कम हो गई । क्योंकि न्याय पंचायतों को फौजदारी और दीवानी के मामले दिये गये थे और उनसे उनमें जो आय हुई, वह न्याय पंचायतों में खतम हो गई ।

श्री लादूराम सुलानियां : सच कहते हैं ?

श्री जगन्नाथ : आमदनी हुई वह न्याय पंचायत में ही खतम हो गई । क्योंकि उसमें चपरासी और मुंशी रहते थे । वह उसमें काम करते थे । मेरे को इतना फिक्र रहता था कि कोई आमदनी आये तो चपरासी और मुंशी की तनख्वाह पूरी करें । इसलिए न्याय पंचायतों की आमदनी है उसको पूरी तरह से न्याय पंचायत ले लेती है और ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचती है तो ग्राम पंचायत की आमदनी कम होती है और विकास नहीं होता है । इससे न्याय पंचायत को तोड़ देना चाहिए और ग्राम पंचायत में शामिल करके उसे मजबूत बनाना चाहिए ।

दूसरी बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में है । रेवेन्यू में यह महसूस होता है कि तोबा, तोबा, जैसे बन्दूक की मार होती है । आगे जाकर वह मिस हो जाती है, मिस । मिस कहां होती है, जाकर पटवारियों के पास । मंत्री महोदय की कमान ढीली, जिस जगह सभी की कमान ढीली, जिस जगह के अन्दर दुश्मन अटेक के समय वीक होता है उस जगह से हम घुस जाते हैं । उसी तरह आर्डर आकर कहां मिस होता है, पटवारी के पास जाकर । इधर से लिख देते हैं मंत्री महोदया क्या लिख देते हैं? इसका एक किस्सा बतलाऊंगा । इधर से

(श्री जगन्नाथ)

अलाटमेंट का आर्डर हो गया। पटवारी लोग क्या करते हैं कि अलाटमेंट कर दिया और अलाटमेंट का नम्बर जब उसका सुपुर्दनामा किसान को देते हैं, यहां से लिखते हैं खसरा नम्बर 50 और 500 बीघा। वहां खसरा नम्बर 50 और 100 बीघा कर देते हैं। वहां ट्रेसपास होता है, कम करके वह किसान को नहीं देता है। 50 नम्बर का खसरा 500 बीघा का है और 20 काश्तकारों को अलाट हुआ है। तो उसका सही रिकार्ड नहीं देता है। फिर काश्तकार काश्त करते हैं तो वह इधर उधर अच्छी भूमि का काश्त करते हैं और फिर लड़ते हैं तो इससे काफी किसानों का नुकसान होता है। उसमें कतल के भी मामले होते हैं यह पटवारी की गलती है। यह मंत्री महोदय की गलती है।

दूसरी बात धारा 91 के तहत यह जो लागू की है यह धारा 91 के टैक्स ने लोगों को ऐसा बरबाद कर दिया है कि कुछ न पूछो। धारा 91 के अन्दर पेनल्टी लगा दी है। जैसे मेरा 20 नम्बर है। 20 नम्बर बाप दादों से काश्त करते आये हैं ...

श्री लादूराम सुलानिया : चार सो बीस तो नहीं हैं ?

श्री जगन्नाथ : चार सौ बीस में किया था तो तुम को याद है।

सवाल यह है, माननीय सभापति महोदया, धारा 91 के टैक्स का सन् 62 में कानून निकला और यह धारा 15 क कानून निकला, उसको संभाला नहीं किसान पर वह धारा 91 लगाई है उसमें काफी पैनल्टी लगती है। पेनल्ट का गलत निर्धारण किया जाता है, व पटवारी करता है। उसको बख्स देते उसे बख्सना नहीं चाहिए। क्यों न बख्सना चाहिए। जैसे हमारे फौज में सिपा गलती करता है तो उसको गोली मार द जाती थी। इस प्रकार पटवारी का मा नहीं किया जाये जिससे पटवारी आयन्द गलती नहीं करेगा।

श्री मदनसिंह : पटवारी क गोली का निशाना क्यों ? उधर (मंत्रि की ओर संकेत) करो न।

श्री जगन्नाथ : गोली का निशान तो तुम को किया था मैं ? तुम को न आप को। माफ करना। अर्ज यह है f इसी माफिक सिंचाई विभाग में होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का मुझे सब मालू है। सिंचाई विभाग में क्या होता है रेवेन्यू पटवारी गस्त गिरदावरी में देता खेत का कि 10 बीघा है। वहां खरीफ वक्त बोना था तो बोने पर पिलाई न हुई। तो ईश्वर की कृपा से कभी क वर्षा अच्छी आ जाती है तो बीज आ जमीन के अन्दर उसने बोया। अब क बात नहीं कहता, पटेल तो थोड़े दिन भी था लेकिन पटवारी इस तरह खेत खा जाता है। 11 नवम्बर खेत का 2 बीघा लिख देता है, कि पूरे खेत की पिला होती है। इस तरह इरिगेशन डिपार्टमे की पूरी पिलाई के मैं बहुत मामले बतल

(श्री जगन्नाथ)

सकता हूं। अब यह रेवेन्यू का पटवारी है या तो रेवेन्यू पटवारी रख लें, या इरिगेशन डिपार्टमेंट कैनाल का पटवारी रख लें क्योंकि दोनों मिल कर काश्तकार को खींचते हैं। एक अपनी तरफ दूसरा अपनी तरफ। किसान की बात मैं जानता हूं। मैं क्यों जानता हूं? मैं किसान हूं। मेरी बढ़िया खेती है, 52 बीघा का खेत होगा। पांच छः सौ रुपये साल की पिलाई करता हूं। सिंचाई के कुए हैं। उसके बाद भी जो घटना होती है, वह हमारे भाइयों के और किसान के साथ होती है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! आज दो स्थगन प्रस्ताव आये थे, उसके लिए आसन की ओर से व्यवस्था दी गई थी कि मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदया, बाद में ले लीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : मुझे थोड़ा समय दे दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! मैं सोचती हूं, काफी वाद-विवाद हो गया है। अब वाद-विवाद समाप्त कर दिया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया : पांच मिनिट का समय, सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें। आप सब लोग समय मांग रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि सारी पार्टियों का समय नियत किया गया था। वह सबको दिया जा चुका है। केवल एक साम्यवादी पार्टी का रह गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारी पार्टी को नहीं दिया गया है यह देख लें।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (पाड़वा-सु.): सभापति महोदया, जिला डूंगरपुर के अन्दर अकाल राहत कार्य के अन्दर जो तालाब बने थे वह तालाब अधूरे रह गये हैं। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज। मुझे खेद है कि मैं समय नहीं दे सकती। समय काफी आप लोगों को दिया जा चुका है। अब श्री रामानन्द बोलेंगे, इसके बाद।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : डूंगरपुर में तीन साल से लगातार अकाल रहा है और जो तालाब बने हैं...

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदया, रामानन्द जी अपने समय में से 5 मिनिट दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इनको 5 मिनिट का समय दे दिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : वह कहेंगे तब देखा जायगा। अभी रोक दें। आप बैठिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, मेरे समय में से 5 मिनिट दे दिये जायें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जिला डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य में जो तालाब बनाये गये हैं वह तालाब अधूरे रह गये थे उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं डूंगरपुर जिले में आदिवासी 75 पर्सेंट रहते हैं। उनको खेती के लिए न पानी की व्यवस्था है, न तालाब की और न कुओं की व्यवस्था है। इसलिए अकाल राहत कार्यों के द्वारा जो डूंगरपुर जिले में 475 तालाब बनाये हैं उन तालाबों को पूरा करने के लिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार का हजारों रुपया उन तालाबों पर लग गया है। उन तालाबों पर, किसी तालाब पर दो हजार, किसी तालाब चार हजार, किसी तालाब पर पांच हजार रुपया खर्च करने पर वह तालाब पूरे हो सकते हैं और उन गरीब आदिवासियों के लिये सिंचाई के लिये उपयोगी हो सकते है। डूंगरपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है, आदिवासियों के पास जमीनों की कमी हैं, वहां की जमीन न सूखी है और ऊबड़ खाबड़ है। ये छोटे छोटे तालाब बन जायेंगे तो उन गरीब आदिवासियों को काफी फायदा होगा। हमने सिंचाई विभाग के इन्जीनियर साहब से निवेदन किया कि यह तालाब बन्धवा दें तो उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे तालाब हैं। इस 50 में एकड़ से कम रिटर्न होता है, इसलिये हम इन्हें नहीं बना सकते, इसलिये पंचायत समिति द्वारा बनाये जायं। ये तालाब न तो पंचायत समिति द्वारा बनाये जाते हैं और न सिंचाई विभाग वाले ही इन तालाबों को बंधवाते हैं। आखिर उन तालाबों को बनाने के लिये सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है तो किसकी जिम्मेदारी है ?

मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह जो कहा जाता है कि 50 एकड़ कम रिटर्न में ये तालाब हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि ये तालाब सरकार द्वारा बंधायें जायेंगे तो निश्चित रूप से इन तालाबों से 50 एकड़ से ज्यादा रिटर्न आयेगा, 50 एकड़ से ज्यादा सिंचाई इनसे होगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, कहीं मिल खोलते हैं, कहीं कारखाना खोलने की योजना बनाते हैं तो उन भूखे और गरीब आदिवासियों के लिये ये छोटी छोटी योजनाएं जिनमें कि हजार-दो हजार रुपया खर्च होने से छोटी योजनाएं पूरी हो जायं और उनका काम पूरा हो सकता है, उन तालाबों से उनकी थोड़ी थोड़ी जमीनों की सिंचाई हो सकती है और हमारा उत्पादन भी बढ़ सकता है। क्या आप उन गरीब आदिवासियों के लिये यह भी नहीं कर सकते ? इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और छोटे छोटे तालाबों पर पैसा लगा कर पूरा करावे और आदिवासियों को सिंचाई का लाभ पहुंचाने के लिये कष्ट करे।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदया......

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द ।

श्री लादूराम सुलानिया : ग्रापने ग्रभी व्यवस्था दी थी कि रामानन्दजी टाइम देंगे तो बोल सकेंगे, ग्रासन की ग्रोर से एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है तो मुझे बोलने का टाइम दें ।

श्रीमती सभानेत्री : ग्रार्डर प्लीज । श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : सभापति महोदया, ग्राज पंचायत राज ग्रौर लैंड रेवेन्यू के बारे में इस सदन में काफी गम्भीर चर्चाएं हुई हैं । माननीय सदस्यों ने विशेष तौर पर पंचायत समितियों के ग्रधिकारों में जो कमी लगातार हो रही है, उसके सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है ! कुछ माननीय सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पंचायत समितियों को भंग कर देना चाहिये, कुछ माननीय सदस्य इस राय के रहे कि पंचायत समितियों को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिये । सभापति महोदया, मेरा यह ख्याल है ग्रौर मैंने जब बजट पर ग्राम बहस हुई थी तो उस वक्त मैंने इस बात का संकेत किया था कि ग्राज कांग्रेस सरकार ने जो नीति ग्रख्तियार की है, वह हिन्दुस्तान ने ग्राजादी के जन ग्रान्दोलन में जो दिशा ली थी, उस दिशा में मुड़ कर एक दक्षिण पंथी दिशा पकड़ ली है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : यह दिशा न केवल योजनाबद्ध विकास को संकुचित करने में दृष्टिगोचर होती है बल्कि राष्ट्रीय प्रोग्राम को पूरा करने में दृष्टिगोचर हो रही है, वही दिशा पंचायती राज में दृष्टिगोचर होती है ग्रौर वही दिशा भूमि सुधारों में दृष्टिगोचर होती है । मैं उन माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने पंचायती राज में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में कहा । पर इस पंचायती राज को खत्म किया जाय या इसको ग्रौर मजबूत किया जाय, इसकी बुनियादी बात क्या है ? इसकी बुनियादी बात यह है कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाय या हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म किया जाय, हिन्दुस्तान की जनता के ग्रधिकारों को ग्रौर विस्तृत बनाया जाय या हिन्दुस्तान की जनता को जो ग्रधिकार दिये गये हैं उनको उससे वापिस छीन लिया जाय ?

सभापति महोदया, हमारे देश में यह कन्ट्रोवर्सी हिन्दुस्तान की ग्राजादी की लड़ाई के साथ शुरू हुई । जिस वक्त हिन्दुस्तान ग्रपनी ग्राजादी की लड़ाई के लिये खड़ा हुग्रा था उस वक्त भी कन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई थी ग्रौर कहा गया था कि हिन्दुस्तान ग्राजादी को कायाम नही रख सकता, हिन्दुस्तान में ग्रपनी हुकूमत खुद नहीं कर सकता, ग्रगर हिन्दुस्तान को ग्राजादी दी गई तो हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे, हिन्दुस्तान में हुकूमत करने का माद्दा नहीं । पर इस तरह की बातों स, इस तरह के दायों से हिन्दुस्तान की जनता नहीं दबी तो हिन्दुस्तान को ग्राजादी मिली, हिन्दुस्तान के लोगों को राज करने का मौका मिला । पर बदकिस्मती है कि जिन लोगों को हाथों में सत्ता ग्राई उन लोगों ने सत्ता ग्रपने हाथों में रखी, उन्हें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सत्ता अपने हाथों में नहीं रख कर जनता के हाथों में पहुंचानी चाहिये थी। पंचायत राज का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि केन्द्र में ही सत्ता नहीं रहे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, सत्ता गांवो की जनता तक जाय, पंचायतों तक सत्ता जाय, पंचायत समितियों और जिला परिषदों तक जाय, सत्ता एक जगह केन्द्रित न रहे। यह मूल सूत्र है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का यह सूत्र है कि पावर एक ही जगह केन्द्रित न रह कर ग्राम जनता में पावर निहित हो।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर डेमोक्रेसी को पनपाना है तो डेमोक्रेसी के इन आधार स्तम्भों को मजबूत बनाना होगा, जनता के हाथों में पावर देकर पंचायती राज को सुदृढ़ बनाना होगा, पंचायती राज की इन संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार देकर, वित्तीय साधन उपलब्ध कराकर मजबूत बनाना होगा, डेमोक्रेसी को देश में पनपाने के लिये, मजबूत करने के लिये इस दिशा में चलना होगा। आज मुझे खेद है कि कांग्रेस का शासन इन पंचायत समितियों के साधनों को कम कर रहा है, इनसे सत्ता को वापिस छीन रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस, कांग्रेस का हर तबका विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान का पूंजीपति वर्ग है उसका डेमोक्रेसी में उनके हाथ में सत्ता रहे, उसी वक्त तक विश्वास है। यदि वह सत्ता उस पूंजीपति वर्ग के हाथों से किसी अन्य के हाथ में जाती है, या गांवों के हाथों में जाती है तो वह वर्ग उसे वापिस छीनने की कोशिश करता है। और डेमोक्रेसी का गला घोंटने की कोशिश करता है। इसीलिये, सभापति महोदया, आज इनका नारा पंचायत समितियों को खत्म किया जाय, या पंचायतों को खत्म किया जाय, यहां तक ही सीमित नहीं है, यह नारा यहां तक लगा हुआ है कि विधान सभाओं को खत्म किया जाय, लोकसभा को खत्म किया जाय, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाई जाय, हिन्दुस्तान डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। इसलिये मैं उन सदस्यों से कहूंगा कि आज हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी सोशियेलिज्म और कांग्रेस की लड़ाई है। इसलिये आज अगर इस बात का नारा दिया तो साफ तौर से आज कांग्रेस क्रोस रोड पर पहुंच गई है और दूसरा नारा लगाना शुरू कर दिया है, जो चाहते हैं कि कांग्रेस को उस कदम पर बढ़ायें। तो आज आप आंखें खोल कर चलें, अन्धे बन कर चले तो कह दिया जायगा कि यह देश डेमोक्रेसी के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में यही कहा गया, हमारे पड़ौस में कहा गया कि यह इस तरह की डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। यह पंचायत समितियों को और पंचायती राज को खत्म करने की बात उस दिशा की बात है। जो पंचायत समितियों की गड़बड़ियों से ऊब कर यह बात कहते हैं, संसोपा के माननीय सदस्य डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्होंने गड़बड़ियो से ऊब कर इस प्रकार का सुझाव दिया है। आज इन गड़बड़ियों से हमें लड़ना पड़ेगा। इन गड़बड़ियों के कारण खत्म करने की नहीं सोच सकते। आज पुलिस में गड़बड़ी हैं तो क्या पुलिस को खत्म कर दें? आज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अस्पतालों में गड़बड़ी है तो क्या अस्पतालों को खत्म कर दें? आज स्कूलों में गड़बड़ी है तो क्या स्कूलों को खत्म कर दें ? नहीं इनको खत्म नहीं कर सकते। आज आवश्यकता यह देखने की है कि ये गड़बड़ियां किस कारण से हैं। इस डेमोक्रेसी से चाहे असेम्बलीज में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे पंचायतों और पंचायत समितियों में हो, मोटे तौर पर एक वर्ग के हाथ में सत्ता आई हैं, सत्ताशाली, वैभवशाली वर्ग के हाथों से ज्यादा रूप से सत्ता आई है। इसलिये इस तरह का कानून, इस तरह की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी कि जिससे वास्तविक सत्ता गरीबों के हाथ में, महनत करने वालों के हाथ में जाय। आप सोचें, आपके एम. पी. और एम. एल ए. तनख्वाह लें और पंच मुफ्त में बिना तनख्वाह के काम करें, एक मोची का लड़का जो दिन भर में जूती गांठ कर 2 रुपया कमा सकता है, वह बिना तनख्वाह के पंचायत में बैठकर काम करता रहे। यह आज की आपकी डेमोक्रेसी, यह कांग्रेस की डेमोक्रेसी पूंजीपति की डेमोक्रेसी है, सरमायेदारों की डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में सारी सत्ता पूंजीपतियों के हाथ से आज खिसकती जा रही है इसलिये वे नारा लगा रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करो।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारी यह साफ राय है कि इन क्लेक्टरीज को खत्म करके पंचायतों को, जिला परिषदों को ससक्त बनाइये। यह जो डायर्की है इसको खत्म करके रियल पावर इनको दीजिये। आज आप मंत्रियों में विश्वास कर सकते हैं तो फिर पंचायत में काम करने वालों पर क्यों नहीं कर सकते, आप उन लोगों पर विश्वास न करें कि वे रुपये डकार जायेंगे, आपके पैसे को खा जायेंगे तो फिर हम लोगों पर मंत्रियों पर किस प्रकार से विश्वास करके चला जा सकेगा? क्लेक्टरीज तहसीलें आदि खत्म करके जिला परिषद के प्रधान को अधिकार दीजिये और क्लेक्टर को उसका एक्जीक्यूटिव आफिसर बनाइये। जिस प्रकार यहां चीफ सेक्रेटरी है उसी प्रकार क्लेक्टर को पंचायत का सेक्रेटरी बना दीजिये, आप देखेंगे कि राज्य का कार्य आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। बनिस्बत आज यह कहने के कि इनमें भ्रष्टाचार है इसलिये इनको खत्म कर दिया जाय-- इस बारे में हम उनसे भी लड़ते हैं और आगे भी यदि गड़बड़ियां हुई तो लड़ते रहेंगे। आज यहां भी हम मंत्रियों पर चार्ज लगाते हैं और अधिकारियों पर लगाते हैं तो इसके मायने यह नहीं कि असेम्बलीज को ही खत्म कर दिया जाय। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन जनता को पावर मिले हम इसके पक्षपाती हैं। इसी से हम जनता में उत्साह भर कर उनका सहयोग प्राप्त करके राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने भूमि सुधार की ओर क्या क्या कदम बढ़ाये। आज जिस प्रकार से सरकार इस मार्ग पर चल रही है वह एक प्रकार से दिशाहीन मार्ग है। सीलिंग कानून इसका नमूना है। आखिर सीलिंग के बारे में 53 में कमेटी बनाई गई उसने सात वर्ष में जाकर रिपोर्ट दी, उसके बाद चार वर्ष उसके नियम बनाने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में लग गये । कल ही हमारे राजस्व मंत्री महोदय कह रहे थे अब हम कैसे लागू करें अब हमारे पास तो हाई कोर्ट का स्टे आ गया है सीलिंग कानून लागू नहीं हो सकता ।

Where there is will there is way.

Where there is no will, there is no way.

आपकी नियत नहीं । आपने इसको इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि सीलिंग कानून लागू हो नहीं सकता । राजाओं ने जमीनें सेल्फ कल्टीवेशन के नाम पर रखी थीं उनको लेने के बारे में, उनके तालाबों को लेने के बारे में 64 में आपने कानून बनाया, 65 में उसके लिये नियम बनाये लेकिन अभी तक किसी की जमीन नहीं ली गई और न तालाब ही लिया गया। कहते हैं कि हाई कोर्ट में रिट हो गई, 65 में रिट को स्टे दे दिया । मेरी जानकारी के अनुसार उसकी एक पेशी भी आज तक नहीं पड़ी है । आपने कभी यह कोशिश की कि इसकी पेशी पड़े । सिर्फ आठ राजाओं के अलावा किसी ने रिट नहीं की । दूसरों के लिये तो स्टे नहीं था उनको तो आप लेते ।

महाराजा उदयपुर जमीन बेच रहे हैं और राजा लोग बेच रहे हैं उसमें किसी ने बाधा नहीं की । अगर इसी तरह कोई हरिजन खरीद लेता है तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे, उसको रिकगनाईज नहीं करेंगे? आपकी नियत भूमि सुधार के बारे में हरिजनों को जमीन दिलाने की मालूम नहीं देती ।

यहां आपने रेगुलाइजेशन का कानून बनाया, लोगों ने काश्त कर ली उन लोगों का हक मान लें । लेकिन आप अमीर को तो हक देने में गरीब का हक मानने वाले नहीं । आज इस तरह से जिन गरीब लोगों ने काश्त कर ली है उनको आप बेदखल करने जा रहे हैं । कल ही मैंने बताया था जिनकी काश्त दर्ज नहीं, पटवारी इसलिये नहीं करता कि आपने भेद कर रखा है और आपके क्लेक्टर कहते हैं कि जिनकी भूमि रिकार्डेड है उनको रिकगनाइज करेंगे । फसले उनकी लुट रही हैं, ढोर उन पर छोड़े जा रहे हैं । अलवर के अन्दर एक जमीन को कुछ किसान छः वर्ष से काश्त करते चले आ रहे थे, माफीदार का पट्टा था उसको किसी तरह ले चरागाह घोषित कर दिया । उसको बेदखल करने के आर्डर्स हो गये, उस पर ए. डी. एम. ने स्टे आर्डर जारी कर दिया । 9.2.68 को फसल सेल करने दिया जाय, स्टे करते हैं । उसके बाद एस. डी. ओ, किशनगढ़ आते हैं जबरदस्ती तहसीलदार और थानेदार को लेकर स्टे आर्डर के बावजूद उससे पहले कि तहसील-दार उस काश्त को कूत कर आया है, इतना हो जाने बाद पजेशन भी दे दिया, उसको सुपुर्दनामा दे दिया । उस पर एस. डी. ओ. ने ढोर छुड़वाये । 8 तारीख को मैंने तहसीलदार के आर्डर की कापी मंगाई जिसके बारे में वह काफी दिनों से देने में इन्कार हैं । बगैर कापी के मुझे यह मामला पेश करना पड़ा इस तरह की धान्धली हो रही है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपने जमीन को अलोटमेन्ट के लिये कि यह भूमिहीनों को दी जायगी उन भूमिहीनों के लिये कानून बनाया था, उनको मिलनी चाहिये लेकिन जिस तरीके से आपने कानून बनाया, लेकिन कानून खुद आप तोड़ते है तो फिर राजस्थान के अन्दर न्याय कहां रहेगा। मैंने सभापति महोदया, आज डेढ़ वर्ष पहले इसी विधान सभा में देवरी ग्राम का किस्सा रखा था 21-9-66 को ग्राम देवरी सांगानेर तहसील में है उसका मामला विधानसभा में रखा था। श्री मुन्नालाल गोयल उस समय वहां पर बी. डी. ओ. थे जो कि सुखाड़िया जी के दामाद होते हैं। इन बी. डी. ओ. ने जो माफीदार मर गया जो खजाने वाले के रास्ते के माफीदार थे उस मन्दिर की माफी में जो जमीन थी इन्होने उसको सिवाय चक की भूमि घोषित कर दी। उस समय उस माफीदार का लड़का नाबालिग था। इन बी. डी. ओ. ने श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री ललिता प्रसाद और श्री कन्हैयालाल इन तीनों आदमियों के नाम वह भूमि अलाट कर दी। यह जमीन तहसील से अलाट नहीं हुई है। तहसील अलाटमेंट कमेटी में बी. डी. ओ. उस क्षेत्र का एम. एल. ए. होता है लेकिन वह अलाटमेंट कमेट द्वारा अलाट नहीं हुई। श्री दामोदरलाल जी व्यास जो उस समय रेवन्यू मिनिस्टर थे उनके आर्डर होते हैं कि इन तीनों शख्सों को चालीस चालीस बीघा जमीन जो इस बीच में माफीदार की थी जिसका लड़का नाबालिग था, उनको दे दी। अब उस लड़के की उम्र 18 साल की हुई है वह बेचारा रोता फिर रहा है। उस माफीदार की जमीन मन्दिर के नीचे की जमीन मुन्नालाल गोयल ने इन तीनों आदमियों के नाम अलाट कर दी। श्री राजेन्द्रप्रसाद की तो ऊलन फेक्टरी है जो श्रीमती सुखाड़िया के धर्म भाई बताये जाते हैं। श्री ललिताप्रसाद मुन्नालाल जी के चाचा हैं और कन्हैयालाल जो राजेन्द्र प्रसाद की फेक्टरी में काम करते हैं। ये भूमिहीन हैं जिनको भूमि दी गई है...

श्री लादूराम सुलानियां : ये ही हरिजन किसान हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन तीन लोगों को जमीन अलाट हुई ये तीनों किसान नहीं, यहां के रहने वाले नहीं, उस गांव के रहने वाले नहीं उस पंचायत के रहने वाले नहीं, न तहसील के रहने वाले हैं, न भूमिहीन किसान हैं लेकिन फिर भी इनको जमीन दे दी गई। वहां एक सरदार को रखा हुआ है उससे हमने पूछा वह कहता है मुझे तो मुन्नालाल जी ने रखा है वे लोग जिनको रखा जाता है वहां पर वे सजायाफ्ता है उनको लाकर वहां रख दिया है। यह मामला मैंने 21-9-60 को असेम्बली में रखा 22-9-66 को उप मंत्री जी ने कहा चाहे इसमें कोई मंत्री हो चाहे मुख्य मंत्री के दामाद हो सही तरीके से जांच की जायगी। उसका क्या हुआ? जांच शुरू होगई सभापति महोदया, उप मंत्री श्री गंगारामजी जांच कर रहे हैं पेशियां पड़ रही है डेढ़ वर्ष से जो माफीदार हैं वह तो अपने वकील को लेकर हर पेशी पर हाजिर हो जाता है लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं वे आजतक एक भी पेशी में नहीं आये हैं। जो नोटिस जारी किये जाते हैं उसमें यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साफ लिखा हुआ होता है हाजिर हो, नहीं तो एक तरफा फैसला कर दिया जायगा। माफीदार वकील के साथ हर पेशी पर जाते हैं लेकिन दूसरी पार्टी आती ही नहीं है। 11-5-67 की पेशी पर आते हैं। 13-1-68 की पेशी पर आते हैं।

(6 म. प.)

13-11-67 को पड़ी यही कह दिया, 30-12-67 को पड़ी यही कह दिया, 5-3 68 को फिर पेशी पड़ी थी और फिर यही कह दिया और अब 16-4-68 को पेशी है : मैं गंगाराम जी से पूछूंगा कि यह क्या हो रहा है? यह जांच है क्या? मेरे पास लेण्ड रेवेन्यू एक्ट है आप बतायें इसमें गवर्नमेन्ट को कौनसी पावर्स थी डाइरेक्ट अलाटमेन्ट करने की? जो भी आप अलाटमेंट करते हैं उसमें तहसील को लैण्ड एलाटमेन्ट कमेटी के जरिये करना पड़ता है दूसरी धारा 102 में गवर्नमेन्ट को पावर्स जरूर हैं लेकिन वह एग्रीकल्चरल परपज के लिए नहीं हैं वह नान-एग्रीकल्चरल परपजेज के लिए है। धारा 102 में यह कहा है:

"Power of government to allot land for purposes othert han agriculture as well as other special terms--Notwithstanding any thing hereinfore contained, the State Government shall have power to allot land for the purpose of an industry or for any purpose of public utility on snch conditions as it deems fit."

तो गवर्नमेन्ट को इस 102 धारा के तहत पावर्स हैं तो देखा है कि या तो इन्डस्ट्री के लिए या किसी दूसरे पब्लिक परपज के लिए जो कि एग्रीकल्चरल नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो वहां कौन सा पब्लिक परपज था? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लियर कट इल्लीगल तरीके का एलाटमेन्ट है, क्लियर कट फेवरेटिज्म का केस है। यह मैं नहीं कहता कि यह सब सुखाड़िया जी के कहने से हुआ लेकिन यह साफ है कि सुखाड़ियाजी के रिश्तेदार ने उनकी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है वर्ना आप बता दें कि इस तरीके के एलाटमेन्ट और दूसरे नान-एग्रीकल्चरिस्ट को कैसे अलाट हो जाती? मैं निवेदन करूंगा कि 1½ वर्ष गुजर गया है आपको कैसिल कितने ही पहले कर देना चाहिए था और उनके खिलाफ जिन्होंने सारी जालसाजी की है उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जाने चाहिए थे। आज भी मैं मांग करूंगा कि आपसे इसकी इन्क्वायरी नहीं हो सकती, आप उनके दबेल हैं, आज आप उनकी वजह से मिनिस्ट्री में हैं इसलिए आपसे इन्क्वायरी कराना फिजूल है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी इसकी इन्क्वायरी नहीं कर सकते। मैं मांग करूंगा कि अगर आप ईमानदारी से इन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन से करायें। इसके अन्दर चीफ मिनिस्टर साहब इन्वाल्व्ड हैं, उनके दामाद इन्वाल्व्ड हैं और उनके रिश्तेदार इन्वाल्व्ड हैं और क्लियर कट करप्शन का केस है, क्लियर कट फेवरेटिज्म का केस है, इल्लीगेलिटी का केस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और इस तरीके से इसको सी. बी. आई. को रेफर करना चाहिए। इस तरह के कई केसेज रेफर हुए हैं। उड़ीसा में रेफर हुआ। और भी मामले रेफर हुए, केरल का मामला रेफर हुआ। आपको देख लिया 1।। वर्ष। हम समझते थे कि आप कुछ करोगे लेकिन आपकी फाइल बताती है कि आप कर नहीं सकते ईमानदारी से। मैं आपको दोष भी नहीं देता आपकी क्या चलेगी? आप तो छोटे खम्भे हैं जब और बड़े खम्भे थे उन्हीं के बस का नहीं है। आप उस माफीदार के वकील के पैसे क्यों खर्च कराते हैं? या आप इस इन्तजार मे हैं कि किसी दिन वह नहीं आये और आप खारिज कर दें, किसी दिन वह बीमार हो जाये और नहीं आ सके और आप एक्सपार्टी करके खारिज कर दें?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी

मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा सभापति महोदया।

मिलिट्री वालों की बात माननीय श्री मदनसिंह जी कह रहे थे। मैं निवेदन करूं कि हमारे इसी तरह से श्री पृथ्वीसिंह जी हैं जोकि पाकिस्तान हिन्दुस्तान की लड़ाई में सन् 65 में जब वह बढ़ रहे थे बोर्डर पर बहादुरी से मुकाबला करने के लिए उन पर बम गिरा और उनका एक हाथ बिल्कुल उड़ गया और बायां अंग बिलकुल खराब हो गया। उसको 25 बीघा जमीन का एलाटमेन्ट हुआ उसी गांव भुनगड़ा ठेठर में जो कि हमारे भूतपूर्व उप-मंत्री श्री घासीलाल जी यादव का गांव है। उसमें दो मिलिट्री मैनों को एलाट हुई। लेकिन यह बराबर बहरोड़ के हैं। इनको 25 बीघा अलाट हुई और वहां सरपंच से दरख्वास्त दिला दी कि यहां तो ढ़ोर चरेंगे और उसकी जमीन कैंसिल कर दी गई और कैंसिल कर देने के बाद 15 दिन बाद और दूसरे लोगों को एलाट कर दी गई और ऐसे लोगों को एलाट कर दी गई है जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, बोहरगत करते हैं और उनको जमीन एलाट कर दी और उस पृथ्वीसिंह को जो कि अंगविहीन है जिसने देश के लिए कुर्बानी की उसकी ऐसी जमीन एलाट की जो कि मुकदमे बाजी की है और आज उसको अदालतों में जाना पड़ता है और इस तरीके से आज वह पृथ्वीसिंह बरबाद फिर रहा है और दूसरे मजे कर रहे हैं। किस तरह से प्रेरणा मिलेगी लोगों को देशभक्ति की? मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया इसलिए कि आज गंभीरता से इस बात को हमें और आपके सोचने की जरूरत है कि आपने छोटो भूमि और जो अलाभकारी जोत वाले हैं उनके ऊपर वापिस लगान लगा दिया है। अभी श्री नाथूराम जी कह रहे थे कि हरिजन और आदिवासी लोग और छोटी छोटी भूमि में काश्त करने वाले लोग आप कह रहे थे कि वह खुद चाहते हैं आप कहते हैं कि वह लगान देना चाहते हैं मैं कहता हूं कि आप रेफरेन्डम करा लें, जनमत करा लें, अगर आप दावा करते हैं कि किसान खुद चाहते हैं, आपने देखा होगा परसों यहां राजस्थान भर के किसान भाई आये थे। उन्होंने पब्लिक में घोषणा की सारे शहर में घोषणा की, एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कहता था कि हम लगान देना चाहते हैं। मैं तो यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया कि यह रास्ता आपसे कहने का नहीं है। हम यह जानते हैं कि सदन को फैसला करने का है और आपके साथ जो लोग चल रहे हैं ईमानदारी से डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और सोशियेलिज्म में विश्वास रखते है इस सदन के माननीय सदस्य जो कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आन्दोलन को अपनी शिखा मानकर इस देश को बढ़ाना चाहते हैं चाहे इधर बैठे हुए या उधर बैठे हुए उन सब के सोचने का सवाल है कि हम शिखा को-चाहे हम बंट गये है लेकिन वह शिखा जो कि 1886 में जगाई थी जब कि हिन्दुस्तान ने मुख्तलिफ झण्डे पकड़े हम एक आजादी के लिए एक सोशियेलिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हिन्दुस्तान के अन्दर उठे थे आया मजबूती से आप उस झण्ड को पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं या उस आजादी डेमोक्रेसी और सोशियेलिज्म के डर से उनकी पूंछ से बंधकर उनके पीछे जाना चाहते हैं? मैं मंत्री महोदय से उम्मीद नहीं करता। मैं समझता हूं कि उनका एक दिन भी इस गद्दी पर बैठे रहना इस प्रान्त की बदकिस्मती है और इससे जरा भी आगे बढ़ नहीं सकते। जितने दिन, जितने मिनट, जितने घन्टे और जितने समय यह मंत्री मण्डल कायम रहेगा हमारे प्रान्त की जनता की छाती पर अभिशाप है। जितनी जल्दी इसको हटाया जा सके उतना अच्छा है। यह हम सब के सोचने की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसी दृष्टिकोण से मैं अपने तमाम कटमोशन्स मूव करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप (श्री बृजसुन्दर शर्मा) स्थगन प्रस्तावों का जवाब दें।

श्री लादूराम सुलानियां : (फागी): माननीय सभापति महोदया...

श्रीमती सभानेत्री : मुझे क्षमा करें। मैं कई बार कह चुकी हूं।

श्री लादूराम सुलानियां : आसन की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जितने लोग बैठे हैं उनकी लिस्ट आपके पास हो। हमारे दल का समय सुरक्षित है आप मिलान कर लीजिए और समय दीजिए।

श्रीमती सभानेत्री : आपके समय के लिए आप पूछते हैं तो 45 मिनिट का समय आपको दिया गया था और 56 मिनट आपके सदस्य बोल चुके हैं।

श्री विजयसिंह रावत : दूसरे दलों का कितना था ?

श्रीमती सभानेत्री : सभी अधिक बोल चुके हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उसके बाद में टाइम भी तो बढ़ा दिया गया था।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभापति महोदया, मैं आसन के द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के समय से आज तक हम लोगों को इसका विश्वास था कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ है और सारे देश में हमारे राजस्थान के लोगों को आजादी मिली और उसके

(श्री लादूराम मुलानियां)

8-9 साल बाद पंचायती राज आया। उस समय हमें खुशी थी कि हमारे देश में बसने वाले नागरिक जो कि वोट देने का अधिकार रखते हैं, वह चुनाव लड़ने का भी अधिकार रखते हैं और उनको अपनी आजादी का हिस्सा जो मिलना चाहिए वह मिला। इस आशा को लेकर पंचायती राज हमारे देश में कायम हुआ और उस पंचायती राज के कायम होने के बाद माननीय सभापति महोदया, यह विश्वास हुआ कि हमारे देश में जो वोट का हिस्सा हैं उसके हिसाब से हमें भी पदों का हिस्सा मिलेगा। राजस्थान में 50 प्रतिशत लोग पिछड़ी हुई जाति के हैं जिनको कि हरिजन कहकर पुकारते हैं, आदिवासी कहकर पुकारते हैं और भी दूसरे नामों से पुकारते हैं। मैं आपके द्वारा ....

उस प्रतिशत के हिसाब से जो चुनाव में आने चाहिये, पंचायत में जो उनको अधिकार है 50 प्रतिशत हिस्से के हिसाब से हर पंचायत में 10 और 15 वार्डों के अनुमान के हिसाब से पंचायतें बनाई गई। किसी किसी पंचायत में 20-20 वार्ड है और इसी प्रकार नगरपालिकायें भी है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा उस गांव में जिसमें 10 या 12 वार्ड हो वहां एक वार्ड से कोई परिगणित जाति का सदस्य आ जाय तो मान लो उस गांव में बजर का गोला पड़ गया हो। जिसके अन्दर 12 वार्ड हो और 10 वार्ड में से कोई नहीं आया तो एक परिगणित जाति का सदस्य लेने का प्रावधान है। मैं इसका बहुत अदब से और नम्रता से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 50 प्रतिशत लोगों की, जो हरिजन निवास करते हैं क्या आपने उनके अधिकारो की हत्या नहीं की? क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं किया। मैं सभापति महोदया, आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा उन वार्डों के अन्दर एक मेम्बर आ गया। इसी प्रकार पंचायत समिति में प्रावधान रखा है कि पूरी पंचायत क्षेत्र में एक भी पंचायत में सरपंच आ गया, पंचायत समिति का सदस्य बन गया तो फिर सवर्ण सदस्य नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है उसमें 15 प्रतिशत सीटें रिजर्व है लेकिन पंचायत में मैं आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिशत भी सीटें नहीं आती हैं और पंचायत में दो प्रतिशत भी नहीं आती हैं। इस प्रकार पंचायत राज में जो अधिकार मिलने चाहिये, उन जातियों को वर्गों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये वह मिल नहीं रहा है। इसलिये इस पंचायत एक्ट में जो धारा है, इस प्रकार जो चुनाव की पद्धति इनके अन्दर है जो अधिकार है वह बराबर मिलने चाहिये। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा-आजादी से लेकर आज 20 वर्ष के समय में कांग्रेस के राज्य में मैं इस बात का ढ़ोल पीटते हैं। समाज कल्याण विभाग को आप करोड़ों रूपया देते हैं कि गांवों में जाकर ड़ोल पीटे कि कांग्रेस देश का उद्धार कर रही है। मैं माननीय सभापति महोदया आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि पंचायत राज का ढ़ोल पीटना, हरिजनों का ढ़ोल पीटकर आगे लाने का नमूना बताना, यह सब इस प्रकार के ढ़ोल पीटते हैं। 20 वर्षों से लेकर आज तक

(श्री लादूराम सुलानियां)

हमारे राजस्थान के मंत्री मण्डल में शियूड्ल कास्ट और शिड्यूल ट्राईब्स के कितने लोग वह आपके सामने है। हमारे दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने खरीद रखा है और यहां के 50 लाख हरिजनों की जो समस्या हो रही है, उस पर आंख पर पट्टी बान्ध रखी है। इनके जमीनों के अधिकार को ले लीजिये, इनके भू-राजस्व की समस्या को ले लीजिये, इन सारे विभागों के ऊपर नजर डालकर देखा जाय तो जो अधिकार परिगणित जाति को मिलने चाहिये वह नाम मात्र के भी नहीं मिले हैं और अगर कोई मिला भी है तो केवल नाममात्र का ही होगा। आप भू-राजस्व के बारे में विचार कर लीजिये। इन्सान का यह एक ही धन्धा है कि वह रोजी करके रोटी कमा सकता है, वह भी आज नहीं है। आज राजस्थान के हरिजनों को 10 बर्षों में जमीन एलॉट की गई है, इन सारी जमीनों को अगर किसी उच्च अधिकारी से उच्च अधिकारी का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार कोई अपना अधिकारी डेपूट कर दें। विधान सभा के सदस्यों की एक हाई कमेटी बना दी जाय और इसके अन्दर इस बात की जांच कराई जाय कि उनको किस प्रकार की जमीने दी गई हैं। खारी और बिना उपज की जो जमीने हैं, वह उनको अलॉट की गई हैं। जिन अधिकारों को प्राप्त करने के लिये उनको पिंजरे में बान्ध कर बिल्ली की तरह पालते रहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं माननीय सभापति महोदया, आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार का व्यवहार हरिजनों के प्रति बहुत ही गलत है और अन्यायपूर्ण रहा है पंचायत राज होने के बावजूद, उनको चुने हुए अधिकार नहीं मिले। जमीनों का हिसाब अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि खोजी और हरिजनों के नाम केन्सिल नोटिस तहसीलदार निकालते हैं। हम जब जाते हैं एक दिन पहले सूचना मिलती है कि मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं तो सभापति महोदया, केवल दो मिनट और बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आपके 5 मिनट हो चुके हैं।

(लगातार घंटी)

माननीय सदस्य आपके 5 मिनट कभी के समाप्त हो चुके है।

श्री लादूराम सुलानिया : अच्छा तो मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि जो जमीनें आपने सहकारी समिति बनाकर दी हैं, उनकी यही हालत हैं। उदाहरण के लिये बस्सी में गिरधरपुरा गांव हैं उसमें पिछले साल अलॉटलमेन्ट हुआ और उससे पहले 20 साल से उस पर हरिजन काश्त करते थे। वह जमीन अलाट हुई हिन्द होटल की धर्म पत्नी के नाम हुई। कलेक्टर ने नोटिस निकाल दिया लेकिन धर्म पत्नी हिन्द होटल की हाजिर हो जाय तो उसकी इज्जत खराब हो जाय। कलेक्टर महोदय, जब तक नहीं आये फैसला न हो तो उन 40 कसेज . . .

श्री श्रवणलाल : होटल की धर्म-पत्नी . . .

श्री लादूराम सुलानिया : होटल के मालिक की धर्मपत्नी है तो मैं समझता हूं कि होटल की ही धर्मपत्नी है। सभापति महोदया मैं यह कहना चाहूंगा कि हजारों केसेज हैं-1-2 नहीं और मैं यह भी निवेदन कर दूं माननीय सदस्य रामानन्द जी ने भी काफी कुछ कहा है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी महीने एक कमेटी का गठन कर दें जो हरिजनों की भूमि अलाट की गई है, जो उनको जमीने दी गई हैं वह अच्छी दी गई हैं या कैसी दी गई है, इस बारे में जांच करें और पंचायत मंत्री जी को भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे अगर परिगणित जाति एवं जन जाति . .

(लगातार घंटी)

को जिनको सही प्रतिशत नहीं मिल रहा है, वह भी उनको मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवेन्द्र-कुमार।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा दुर्भाग्य है क्या, मैं जब बोलता हूं तो घंटी बज जाती है और यह घंटी दूसरों के नहीं लगती। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आपने 5 मिनट का समय मांगा था। आपको 10 मिनट हो गये हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री लादूराम सुलानिया : पंचायत समिति बस्सी, फागी व चाकसू की बात कह दूं। बस्सी के पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी के सम्बन्धों की जानकारी माननीय मन्त्री महोदय को होगी उन्होंने पिस्तौलें निकाली केस थाने में दर्ज हो गया ऐसी प्रेस्टीज बना रखी है प्रधान के प्रति, विकास अधिकारी ने स्टेटमेंट बनाकर नहीं दिया। इस बाबत उनमें खिंचाव हो गया। माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि विकास अधिकारी को हटाकर तहसीलदार कर दिया जाय। इस प्रकार पंचायत समिति के सेक्रेटरी तहसीलदार होने चाहिये जिस प्रकार जिला परिषदों में सेक्रेटरी होते हैं उसी प्रकार पंचायत समितियों में सेक्रेटरी के स्थान पर तहसील-दार होने चाहिये।

(लगातार घंटी)

पंचायतों में इस प्रकार की अनियमि-ततायें चल रही हैं.......

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सु): सभापति महोदया आज हमारे देश में आपने देखा होगा उदयपुर डिवीजन में बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। इसके बाद में पहाड़ के बीच बीच में थोड़े थोड़े टुकड़े निकाले। तह-सीलदार साहब की ओर से व्यवस्था हुई। अलाटमेंट कमेटी ने अलाटमेंट किया। इसके बाद जब पटवारियों के पास मामला आया तो काफी अरसे से उन्होंने अलाटमेंट रोके रक्खा। इसका कारण क्या है, भगवान जाने।

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी आदेश निकालें कि छोटी जोत वालों को तकलीफ न हो। आपने कुछ समय पहले आदेश निकाला उसमें तीस परसेन्ट पेनल्टी लगाने की बात है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के पास जमीन बहुत कम है और जो जमीन अलाट हो गई जिनको दी गई उन पर अब पेनेल्टी लगाते हैं तो आप अन्दाज लगावें उनकी क्या हालत होगी। ऐसे एरिया में उन लोगों पर पेनल्टी न लगाकर हासिल का पैसा लेकर खतम कर दिया जावे।

पहले वाले सदस्य बोल रहे थे कि आदिवासी हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया इस सरकार ने। जो आदमी घर में खाता है उसी का नाम लगाता है। वे आज राजा राणा करोड़पतियों की गोद में जाकर बैठ गये और आज कांग्रेस के लिये कहते हैं गरीबों के लिये क्या काम किया है। वह उनकी नजर में नहीं आया।

श्री लादूराम सुलानिया : आपका बीस साल का परदा फाश किया है। जिस वक्त हमारे पास शासन आवेगा तो आदि-वासियों और हरिजनों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आप जैसी आज शिकायत कर रहे हैं वैसी शिकायत का मौका नहीं रहेगा। मैं भी जानता हूं चौपड़ पर हमारे हरिजनों के साथ क्या अत्याचार किया है। म्यूनिसिपेलिटी ने क्या किया है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री लादूराम सुलानिया : और आप लोग हैं जो बिके हुए लोगों का साथ देते हैं।

(हीयर हीयर की आवाज)

आप कांग्रेस के लोग हरिजनों को खरीद कर ले गये हैं और अपनी सरकार बनाई है। हरिजन अगर आपके साथ न बिकते तो आपकी यह सरकार नहीं रह सकती। अगर आज भी हरिजन आदिवासी इस गलत रास्ते को छोड़ दें तो एक दिन आप नहीं रह सकते।

श्री नाथूराम बागोडोरा : हम भी बोलना जानते है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर आर्डर।

(लगातार शोरगुल, अश्रव्य)

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूं कि आप बोल रहे थे तो उन्होंने व्यवधान नहीं डाला। वे बोलते हैं जो आप भी व्यवधान न डालें। जब उनको पांच मिनिट का समय दिया गया है तो उनको बोलने दें।

श्री लादूराम सुलानिया : मैंने कभी भी असेम्बली में व्यक्तिगत आक्षेप करते हुए कुछ नहीं कहा। पर जब ये कहते हैं तो मैं भी उनको जवाब देना जानता हूं। आज ये कांग्रेस वाले अपने में से राजा और रंक दोनों को निकाल दें। कांग्रेस का नाम नहीं रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये भी निकाल देगें, आप भी निकालो।

श्री लादूराम सुलानिया : नवाब साहब निकल जावेगे तो आप भी लटक जावोगे।

मालूम है राजा हरिश्चन्द्रजी के आते ही आप लटक गये थे।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बोलिये छोटी जोत के बारे में आप बोल रहे थे।

श्री लादूराम सुलानिया : आज हमारे धीरसिंहजी आ जावें तब भी फिर लटक जाओगे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : जब आप बोलोगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : जरूर

(शोरगुल: अश्रव्य)

सारा सबेना, मिट्टी खा गये। और हमें कहते हैं। हम गड़बड़ी करते हैं? करो जितना करना चाहो करो।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : छोटी जोत के बारे में सरकार ने निर्णय दिया था। इसके लिये कहना नहीं चाहता हूं। पर सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि एक छोटे से किसान . .

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आप स्टेटमेंट दीजिये मैं निवेदन करती हूं, बीच में व्यवधान न करें। अब तक जिस तरह किया, वह शोभनीय नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको बोलने दीजिये पांच मिनिट तो।

श्रीमती सभानेत्री : आप बोलने दें तब तो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनको बोलने दिया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : मैं उनको समय देना चाहती हूं। पर आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि व्यवधान डालकर फिर उनको रोकें नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको बोलने दीजिये। कोई व्यवधान नहीं डालेगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, बीच में शोरगुल फिर क्यों करते हैं।

श्री मदनसिंह : खेतसिंहजी, उनको बोलने दीजिये, देवेन्द्रकुमार जी को।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : दुख इस बात का है। छोटी जोत के लिये माफी की थी। पर वापिस सरकार ने उनसे हासिल लेने का निर्णय किया। ठीक है। किसान तो देता रहेगा। पर सबसे पहले यह जानना

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

चाहता हूं कि आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो प्रिवीपर्स के बारे में छोटे किसानों के बारे में . . .

श्री नत्थीसिंह : हिम्मत नहीं है इस सरकार में।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : बड़े बड़े जागीरदार है, राजा महाराजा हैं उन पर यह कानून जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिये। ज्यादा टाइम नहीं लेकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लादूराम सुलानियां : बहुत अच्छा थैन्क्यू वेरी मच।

श्रीगिरधारीलाल व्यास : थैन्क्यू वेरी मच भी कहते हैं और बोलने भी नहीं देते।

श्रीलादूराम सुलानियां : हमारी उनकी भाषा तो एक है। इनमें हममें तो आपने भेद भाव डाल रक्खा है।

श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज लि० कोटा के श्रमिकों की हड़ताल पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री वृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कोटा में दिनांक 12-3-68 से हड़ताल चल रही है। दिनांक 13-3-68 को चार श्रमिकों ने छुट्टी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नियोजक द्वारा छुट्टी जाने के पूर्व उचित कारण न बताने पर छुट्टी मंजूर नहीं की जिसके फलस्वरूप ये श्रमिक कारखाने से बाहर चले गये। इनके साथ तीन अन्य श्रमिक जो कार्य कर रहे थे निकल कर बाहर चले गये।

तारीख 11 की रात्रि को इन श्रमिकों ने कुछ अन्य श्रमिकों के साथ मिल के फाटक में घुसने का प्रयत्न किया। चौकीदार द्वारा रोकने पर ये फाटक तोड़कर विभागों में घुस गये और श्रमिकों को काम रोकने तथा हड़ताल के लिये मजबूर किया।

जिस समय ये श्रमिक हड़ताल पर थे समझौता अधिकारी कोटा के समक्ष समझौता वार्ता में लेखा वर्ष 1966-67 का विवाद चल रहा था। मालिक कारखाना ने इस वर्ष का बोनस चार प्रतिशत के हिसाब से बांटने का नोटिस लगाया था परन्तु श्री गोपाल मिल मजदूर संघ इन्टक की मांग थी कि बोनस 16 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाय तथा गोपाल इन्डस्ट्रीज मजदूर यूनियन (इन्टक) की मांग थी कि बोनस 20 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाय।

समझौता वार्ता सफल न होने के कारण समझौता अधिकारी ने दिनांक 14-3-68 को सरकार को प्रतिवेदन भिजवाया सरकार ने दिनांक 16-3-68 को दोनों यूनियनों की मांगों पर, विवाद को औद्योगिक न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ सुपुर्द कर दिया।

समझौता अधिकारी की सूचना पर कि विवाद को न्यायालय रेफर करने के पश्चात् भी श्रमिक काम पर नहीं लौटे हैं, जबकि न्यायालय को विवाद को रेफर करने की

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

विज्ञप्ति की प्रति उन्हें प्राप्त हो चुकी है सरकार ने दिनांक 18-5-68 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत हड़ताल को अविलम्ब समाप्त करने के संबंध में निषेध आज्ञा जारी की।

हड़ताल उक्त आज्ञा के जारी करने के पश्चात् भी चल रही है। यह हड़ताल अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत गैर कानूनी है।

ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि हड़ताल के दौरान श्रमिकों ने मालिक प्रतिनिधियों को कारखाने में जाने से रोका तथा उनकी कार को मिल में नहीं जाने दिया। मालिक कारखाना से दिनांक 11-3-68 को मिल का दरवाजा तोड कर जबरन कारखाने में प्रवेश करने तथा उनकी कार को रोकने आदि के सम्बन्ध में अदालत में मुकदमा चलाया। चालान 21 व्यक्तियों के सम्बन्ध में है जिनमें से 18 श्रमिक कारखाने के हैं तथा 3 बाहर के व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 141 तथा 341 के अन्तर्गत चालान पेश हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने भी धारा 107 के अन्तर्गत इन लोगों के चालान पेश किये हैं। अभी तक 21 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की जमानत अदालत द्वारा स्वीकार की गई है शेष 18 व्यक्तियों को जूडीशियल लाक अप में रख सकता है, चूंकि उनकी जमानते अदालत के समक्ष नहीं पेश हुई हैं।

हड़ताल से पूर्व श्री बाबूलाल नामक व्यक्ति ने भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी। इन्हें दिनांक 17-3-68 को प्रातः पुलिस द्वारा हटा दिया गया। इसके पश्चात् 17-3-68 को शाम से 2 श्रमिक सर्व श्री ग्यारसीलाल एवं किस्तूर चन्द हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल अभी भी चल रही है। जिन तीन व्यक्तियों की जमानत अदालत ने मन्जूर की हैं इनमें ये दो व्यक्ति हैं जो भूख हड़ताल पर हैं।

ज्ञात हुआ है मालिक कारखाना ने दिनांक 20-3-68 को 18 व्यक्तियो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में चार्ज शीट जारी की है। ये 18 व्यक्ति इन 21 व्यक्तियों में सम्मिलित हैं जिनके विरुद्ध अदालत में चालान पेश हुए हैं।

स्थिति पूर्ववत् है हड़ताल चल रही है। जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है हड़ताल गैर कानूनी है जो विवाद बोनस के बारे में उठाया गया था उस सम्बन्ध में सरकार ने न्यायालय को इसे सुपुर्द कर मांगों के निराकरण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की है।

चूंकि मामला सब जूडिस है इसलिये मैंने जो वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत किया है उससे ज्यादा मैं और कमिट नहीं कर सकता।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर लेवर डिपार्टमेंट टाइमली इन्टरवीन करता तथा 12 तारीख से डिमान्ड के रूप में रेफर कर देते तो न तो हड़ताल होती और लॉ एन्ड आर्डर का प्रश्न पैदा होता। मगर टाइमली इन्टरवीन नहीं किया इसलिए

(श्री केदारनाथ)

हड़ताल हुई और रेफरेन्स के बाद एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि मजदूर काम पर आ जायं और मालिक को आप हिदायत नहीं देते हैं कि वह स्टेटस को मैन्टेन करे और किसी आदमी का विक्टीमाइजेशन न करें, और जितने केसेज पुलिस के द्वारा बनाये गये हैं उन केसेज को वापिस कर लेते तो मान लेते। आपकी तरफ से एक आश्वासन हो जाता और मजदूरों के केस वापस हो जाते और किसी भी तरह की कन्ट्रोवर्सी में न पड़ते हुए कि स्ट्राइक के दौरान और रेफरेन्स के पहले और बाद में किसी भी आदमी का विक्टीमाइजेशन नहीं होना चाहिए। यह आपको करना चाहिए। आप लेबर लीडर भी हैं इसलिए स्टेटस को मैन्टेंन करने के लिऐ यह आदेश आपकी तरफ से हो जाने चाहिए कि कोई भी एम्प्लायर किसी भी वर्क मैन को विक्टमाइज न करे और आप उनके केसेज को वापिस ले लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभानेत्री जी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है कि एक तरफ तो धारा 10(3) के तहत राज्य सरकार ने निषेधाज्ञा जारी की और निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद वर्कर्स काम पर नहीं आये। अब एक तरफ रेफरेन्स किया हुआ है और दूसरी तरफ ला एण्ड आर्डर की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मुकदमों के चालान पेश किये हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक कोई गैरकानूनी तरीके से विक्टेमाइजेशन हुआ तो मैं इस बात में समर्थ हो सकता हूं कि उनको किसी प्रकार से विक्टेमाइज गैर-कानूनी तरीके से नहीं किया जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): कानूनी तरीके से होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): गोपाल इन्डस्ट्रीज में अभी तक कोई विक्टेमाइजेशन की सूचना नहीं है। मैं यह सूचना जानना चाहूंगा कि क्या गोपाल इन्डस्ट्रीज के कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाला है। चार्ज शीट के बारे में बात नहीं है। मैं स्पेसिफीकली जानना चाहता हूं कि क्या गोपाल इन्डस्ट्रीज के कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाला है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि वहां पर किसी को नौकरी से अलग किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि गोकुल, बजरंगलाल और बाबूलाल ये तीनों व्यक्ति आइटक यूनियन के किसी न किसी समय अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, इन तीनों को नौकरी से निकाल दिया है।

दूसरी बात, क्या यह सही है कि वहां पर एक यूनियन जो आइटक से सम्बन्धित है और दूसरा मजदूर संघ है वह इन्टक से सम्बन्धित है। जो मजदूर संघ है वह 4 पर्सेन्ट पर मालिक से फैसला करना चाहता था जिसका दूसरी यूनियन के मजदूरों ने विरोध किया और उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 4 पर्सेन्ट पर जो इन्टक के सम्बन्धित यूनियन थी वह समझौता न कर सकी। इस तरह से वह हड़ताल शुरू हुई।

आप इन्टक के लीडर हैं। आपकी घोषित नीति यह बनी हुई है कि आप

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोशिश करते हैं कि आप अपने पद से हर जगह जहां पर दूसरी यूनियन है वहां इन्टक यूनियन से सम्बन्धित यूनियन कायम कर दें। तो वास्तविकता यह है कि जिस चार परसेन्ट के फैसले को आपकी यूनियन मन्जूर कर रही थी और जिसको मजदूर मानते नहीं थे तो उसके ऊपर मजदूरों में विरोध हुआ तो आप मिल मालिकों से मिलकर मजदूरों को कुचलना चाहते हैं। और सारे का सारा जो आपने उत्तर दिया है, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट जो उत्तर देता तो वह इससे ज्यादा बढ़िया अपने पक्ष में कोई बात नहीं कह सकता था। तो में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन्टक के मेम्बर होंगे, आप इन्टक के लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन इन्टक भी आखिर मजदूरों का सगठन है। मालिकों के पक्ष में इस हद तक नीति नहीं अपनानी चाहिए थी कि आप उनके हाथों में खेल गये और पूरी तरह से मजदूरों का दमन करना आपने शुरू कर दिया। मैं आपसे यह कहूंगा कि आप अगर जैसा कि माननीय सदस्य केदारनाथ जी ने कहा कि पहले ही ट्रिब्यूनल को रेफर कर देते तो मामला आगे बढ़ता ही नहीं। आप चार परसेन्ट पर फैसला करना चाहते थे यह तो आप भी मानते है कि आगे आपकी यूनियन 16 परसेन्ट पर आई पहले चार परसेन्ट पर कर रहे थे। वह बात आपने बताई नहीं जितना छिपाना चाहते थे आप छिपा गये। लेकिन इस वजह से कि जिन मजदूरों ने 20 परसेन्ट मांगा होगा जैसा कि आपने कहा तो वे मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे थे, तो यह कानून है कि हर ट्रेड यूनियनिस्ट ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है। यह कलेक्टिव बार्गेनिंग है। इसमें जितना मिल सके मजदूर लेने कि कोशिश करता है। दूसरे जो भी विक्टेमाइजेशन हुआ है उसको खत्म किया जाय और उनके खिलाफ केसेज को वापिस लिया जाय ताकि काम चले और स्टेटसको मैन्टेन करें जैसा कि पहले था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभानेत्रीजी यह बिल्कुल गलत चीज है। जहां तक मेरी सूचना है इन्टक ने 16 पर्सेन्ट की मांग की और इंटक यूनियन ने 20 पर्सेन्ट की मांग की थी। जब समझौता वार्ता फैल हुई और हमें सूचना हुई तो यह मामला रेफर किया गया। जब तर्क फैल न हो तो उस वक्त तक केस रेफर नहीं किया जा सकता है और हड़ताल चल रही थी तो पहले रेफरेन्स का सवाल नहीं होता है। यह माननीय सदस्य की आदत है और शायद वे यह मानते हैं कि सारी इन्टक यूनियन्स को मैं ही चला रहा हूँ। जब तक मैं मंत्री हूँ मैं समझता हूँ कि कानूनी कार्यवाही कर रहा हूँ और करूंगा। इसके सिवाय दोनों ही यूनियन्स को रेफर किया गया है और समन्स दिये गये हैं कि इस मामले में हड़ताल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे माननीय मित्र के जो साथी लोग हैं वे शायद इसी बात में विश्वास करते हैं कि तोड़–फोड़ करें, हड़ताल चलाई जाय, समझौता नहीं किया जाय चाहे कितना ही करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हम इस बात में विश्वास नहीं करते। कानूनी तरीके से जब विवाद को रेफर कर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लाने की जिम्मेदारी भी उन मजदूर नेताओं की हैं जिन्होंने गैर कानूनी हड़ताल को प्रोत्साहन दिया है।

Page No.214

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं श्रम मंत्री से जानना चाहूंगा कि गोपाल इंडस्ट्रीज ने 27 फरवरी को 4 प्रतिशत बोनस देने के बारे में नोटिस दे दिया था और इससे पहले जो इंटक यूनियन है, वह नेगोसिएशन्स कर रही थी। क्या यह सही है कि 27 तारीख को नोटिस बोर्ड पर 4 प्रतिशत को देने के पश्चात् नेगोसिएशन्स इंटक ने बंद कर दिए थे और कन्सीड कर दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास 11-3-68 के बाद सूचना है उससे पहले की सूचना नहीं हैं।

श्री केदारनाथ : विक्टीमाईजेशन के लिए क्या ग्राश्वासन देते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गैर कानूनी हड़ताल के बाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें विक्टीमाइजेशन का ताल्लुक है, तो अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है ला एण्ड ग्रार्डर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कोशिश करूंगा कि किसी का बगैर बात के विक्टीमाइजेशन नहीं किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : एक स्थगन प्रस्ताव है खनिज के बारे में। मंत्री महोदय जवाब दें।

जोधपुर डिवीजन के फिदूसर आदि क्षेत्रों में खान मजदूरों की हड़ताल पर खनिज मंत्री का व्यक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी : (खनिज मंत्री) : कुछ माननीय सदस्यों ने जोधपुर की फिदूसर आदि क्षेत्रों में वहां के पत्थर के ठेकेदारों द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है और उन्होंने यह कहा है कि वहां के माइनिंग इंजीनियर खान वालों के साथ ज्यादती कर रहे है, सख्ती कर रहे हैं और वहां काफी भ्रष्टाचार है। इसलिए वे इस विषय में कार्यवाही को स्थगित कराकर चर्चा करना चाहते थे। यह हड़ताल मजदूरों की नहीं है बल्कि खान वाले ठेकेदारों की थी और यह सवाल मेरे सामने दो तीन बार आया था, मुख्यमंत्री को भी वहां के ठेकेदारों ने इस सबंध में कहा। जब मैं जोधपुर गया था तो मैंने ठेकेदारों को सुना था और मैंने कहा था कि आपकी जो वाजिब शिकायतें हैं उनको दूर किया जायगा और आप अगर माइनिंग इंजीनियर के बारे में कोई स्पेसीफिक बात मुझसे कहते हैं तो चाहे वह विजीलेन्स कमीशन हो चाहे एन्टी-करप्शन हो, उनसे उनकी जांच करवाकर और उनको जो सजा हो सकती है देने के लिए मैं तैयार हूं किन्तु उन ठेकेदारों ने इस चीज को नहीं माना और निरंतर मांग करते रहे कि माइनिंग इंजीनियर को यहां से हटाया जाय। सबसे पहले उनकी शिकायत है कि कानून के अनुसार जो मुटान है बाऊंडरी पिलर्स लगाए जाने चाहिए, वह उसके लगाने से इनकार करते हैं मायने एक खान जिसका एरिया 50:50 है या 100:50 इस तरह से जो कुछ भी है, उसके चारों तरफ बाऊंडरी पिलर्स लगाए जाने चाहिए वे इससे इन्कार करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, उसको समझने की जरूरत है। एक आदमी को एरिया दिया गया है 100:50 मगर वह 100:50 से ज्यादा काट लेता है और ज्यादा काट कर सरकारी चोरी करता है। आखिर जब तक पिलर्स

(श्री हरिदेव जोशी)

न हो कैसे देखा जाय ? माइनिग इंजीनियर कानून के अनुसार चाहता है। एक एरिया के अन्दर 600 खानें हैं उसमें वह चाहता है कि इस प्रकार से हरेक बाऊंडरी पिलर हो ताकि पता लगे कि कौनसी खान किसकी है, कौन प्रापरली काम करता है और कौन नहीं कर रहा है इसको देखा जाय।

कानून के अनुसार मलवा स्पेसीफिक एरिया में डालना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार ने, आज से दो साल पहले मैं फिदूसर और काली डेरी एरिया में गया था जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था। 60 हजार रु० सरकार ने खर्च करके उस मलवे को हटाकर एक डम्पिंग एरिया कायम किया। उसके अंदर लगवाये। अब पोजीशन यह हो रही है कि एक आदमी को वहां से हटाया जाय और दूसरे सरकारी क्षेत्र में फेंका जाय। इसका मतलब उसको साफ करने के लिए दूसरे आदमी को बहुत सा खर्च करना पड़े अथवा सरकार को करना पड़े और इस प्रकार नीचे का एरिया अनएक्सप्लाईटेड बना रहता है, इनसे वे इन्कार करते हैं।

तीसरी उनकी मांग है कि जो खान का किराया बढ़ाया गया है, वह नही बढ़ाना चाहिए। 1956 से लेकर और जोधपुर एरिया के अन्दर 200:100 का किराया 48 रुपया था उसके बाद में वह 72) रु. किया गया और अब 108) किया गया बल्कि भीलवाड़ा इलाके में मांडलगढ़ में 100:50 का 120) किराया है और कोटा में उससे भी ज्यादा है। तो ये जो तीन अच्छे क्षेत्र हैं, पट्टियां हैं। उनके अन्दर कम्पेरेटिवली सबसे कम किराया यहां पर है इस लिए उसका बढ़ाया गया। लास्ट ईयर वहां के जितने ठेकेदार थे, उन बातों को मान लिया किन्तु कुछ लोग इस प्रकार हैं जो इन बातों को नहीं मानना चाहते हैं। मेरे पास में बारबार आए, उनको तीन आदमियों के खिलाफ शिकायतें थीं एक माइन्स फोरमैन था, एक चौकीदार टाइप का आदमी था तीसरा माइनिंग इंजीनियर। दो के बारे में तो स्पेसिफिक आरोप उन्होंने दिए कि इन्होंने सख्ती की, उनको तुरंत ट्रांसफर करवा दिया। मगर जहां तक इस अधिकारी का सवाल था किसी आदमी ने कोई स्पेसीफिक आरोप नहीं लगाया और उचित नहीं होता था कि केवल इसलिए कि एक अधिकारी कानून का पालन करवाना चाहता है और ठेकेदार कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाय, मैंने यह बिल्कुल उचित नहीं समझा। इस लिए मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका तरीका सही नहीं है। इस पर कई लोग इधर उधर की बातें करने लगे तो हड़ताल हुई। मैं समझता हूं कि उन ठेकेदारों का तरीका ठीक नहीं है और उन्होंने जिस प्रकार का रुख अख्तयार किया, वह प्रशासन के लिए उचित नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया एक साइक्लो-स्टाइल्ड पैम्फलेट माइनिंग इन्जीनियर और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ निकाला। मैंने तुरंत उसके दो दिन बाद ज्वाईंट डाइरेक्टर को ऐन्क्वायरी के लिए भेजा। उन्होंने 100 आदमियों के बयान दर्ज किए और उन लोगों से पूछा, कोई भी स्पेसीफिक एलीगेशन उनके विरुद्ध साबित नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो बाऊंडरी पिलर्स लगाने की बात

(श्री हरिदेव जोशी)

थी, सारे केसेज को एक्जामिन किया और लगभग 200 के करीब इर्रेग्यूलर खानें जो चल रही थी उनको रिजेक्ट किया उसके अंदर कई दूसरे लोग जो आज आंदोलन को चला रहे हैं, वे सम्मिलित हैं। उस एरिया के अंदर पहले 16 लाख की आमदनी थी, इस साल वह 22 लाख की आमदनी है, मायने रायल्टी और आमदनी करने वालों को जो पकड़े तो उस अधिकारी का तबादला करें। इस प्रकार आंदोलन वे लोग करें तो सोचने की बात पैदा हो जाती है कि इस चीज को किया जाय अथवा उसको। इसलिए मैं समझता हूं कि ठेकेदारों के अगर कोई ग्रीवान्सेज हैं, तो कॉन्सटीट्यूशनल वे में सरकार के सामने रखने चाहिए, कुछ लोगों ने अपने ग्रीवान्सेज रखे हैं, उनको रिलीफ भी मिला है। मगर जो लोग केवल एजीटेशन का रास्ता अख्तयार करें, तो मैं समझता हूँ कि यह उचित है कि उनकी मदद न की जाय। मैं इसमें कोई गवर्नमेंट प्रेस्टीज या ऐसी बात हो वह नहीं कहता लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि केवल कानून का पालन करने में 6 लाख रुपयों का फायदा होता है, रॉयल्टी की लीकेज रुकती है वहां मैं समझता हूँ सदन सहमत होगा कि जब तक उसके खिलाफ स्पेसिफिक एलीगेशन नहीं हो, जो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक समझता हो उस आदमी को पेनेलाइज नहीं करना चाहिये। मैं इसकी विगत में नहीं जाकर कहूँगा कि इसमें मजदूरों का सवाल नहीं है, कांट्रेक्टर्स की बात है, इल्लीगल एक्टिविटीज में लगे हुए थे वे लोग इसको किये हुए हैं। मेरे पास आज भी टेलिफोन आया था। मैंने उससे कहा कि हड़ताल तोड़ कर सरकार के सामने अपनी ग्रिवान्सेज रखने चाहियें।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): सभापति महोदय, जो मंत्री महोदय ने बात कही, पहले तो मैं यह कहूँगा कि आप प्रशासनिक कारणों से एक साल में एक ही आदमी का दस दस बार ट्रान्सफर कर देते हैं, 20 बार कर देते हैं लेकिन जब जनता का सवाल आता है तो आप इस तरह की बात करते हैं। जहां इतने लोग एजिटेट होते हों, जहां मजदूर लोग स्ट्राइक करते हों तो आपको इस पर विचार करना चाहिये मजदूर लोग स्ट्राइक करते हैं तो क्या सरकार को उसके नुकसान नहीं होता? क्या सरकार को फायदा होता है? मैं कहूँगा कि यह ठीक है कि कांट्रेक्टर्स की मांग अनुचित है अन्याय है। लेकिन मैं कहूँगा कि क्या आपने रातानाडा में परमिट सिस्टम शुरू कर दिया है? वहां पर 400 खानें पड़ी हैं क्या आप उसके लिये परमिट देते हैं? क्या आपको एक ही ईमानदार ऑफिसर मिला है? मैं खुद एक डिपार्टमेन्ट में रहा हूँ और जानता हूँ कि आप लोग इतना इन्टरफियरेन्स करते हैं कि जब चाहें तब लोगों के तबादले कर देते हैं। आपके एम. एल. ए. या सफेद टोपी वाले या सरपंच के कहने पर लोगों के तबादले कर देते हो। मैं आपसे दुखी हूँ आप कहते हो कि वह तो ईमानदार हैं और ठेकेदार ईमानदार नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि आपका वह ऑफिसर ईमानदार नहीं है आप बताओ कि किसी ठेकेदार की तरफ से 20 सालों में किसी आफिसर के खिलाफ कोई चीज आपके सामने आई है क्या? मुझे कहते हुए शर्म आता है....

श्री लादूराम सुलानिया : कह दो।

श्री ओमदत्त भाटी : पहली बात तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने रातानाडा में परमिट क्यों नहीं लागू किया ? मरजी आवे जैसे कहीं चला देते हैं। कहीं 6 चला देते कहीं 5 चला देते हैं। आप कहते हैं कि ठेकेदार लोग हैं जो खान चलाते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि खान-धणी जो हड़ताल चलाते हैं वे सेठ, साहूकार नहीं हैं वे मजदूर लोग ही हैं। जो 70 पर्सेन्ट मजदूर वहां पर काम करते, हैं वे ही खान-धणी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़े अफसरों को रिकमन्ड करते हैं कि वे ईमानदार हैं, राज्य की आमदनी कर रहे हैं। आमदनी तो कई तरह से हो सकती है, दबाव डाल कर भी आमदनी की जा सकती है। जहां तक मुटाम का सवाल है क्यों कहते हो कि मुटाम लगाओ ? गलती कोई करता है तो मुटाम लगाओ।

मैं इस बात में ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहूँगा कि आप उसका ट्रान्सफर करके इन्क्वायरी कराओ। इन्क्वायरी में यदि वह ठीक मालूम हो तो उसको पीछा वहीं पर रख लेना। मैं यह कहूंगा कि इस अफसर ने लोगों को बहुत तंग किया है। आपको सोचना चाहिये कि आपने वहां पर लोगों को क्या सहायता दी है? वहां पर कोई पानी का इन्तजाम नहीं है, कोई मेडिकल फेसिलिटी का बन्दोबस्त नहीं है। वहां के लोगों ने पहले कभी एजिटेट नहीं किया, लेकिन आज वे तंग आये हुए आपसे कहते हैं। मैं कहूँगा कि आप इस पर विचार करें, उस ऑफिसर का ट्रान्सफर करें और इम्पाशियल एन्क्वायरी करें। अगर वह सच्चा मालूम हो तो भले ही उसको वापिस वहीं पर लगा देना।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदया, जैसा कि मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया और सदन को इस प्रकार का इम्पेक्ट देने की कोशिश की केवल 25-30 खान ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने 25.30 नहीं कहा, कुछ ठेकेदार कहा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: कुछ ठेकेदार जो इल्लीगल काम करते पकड़े गये यह सारा धंधा उनका किया हुआ है। मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहूँगा कि क्या जोधपुर क्षेत्र में केवल 25-30 खानें ही बंद हैं ? सभानेत्री महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फिदूसर में 1000, कालाबेरी में 500, देवलिया में 400, नगरिया घाटे में 200, मंडोर में 2000 लोग काम करते हैं ये सारे के सारे बंद हैं। खानों पर काम करने वाले 10 हजार मजदूर बेरोजगार पड़े हैं। आप का कहना कि केवल कुछ लोगों के द्वारा ही कार्यवाही की गई है मेरी समझ में नहीं आता कि खान के ठेकेदारों ने गड़बड़ी की और वह इंजीनियर भ्रष्टाचारी नहीं था तो इतने बाकी लोगों को हड़ताल में जाने की क्या आवश्यकता थी ? 10 हजार मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। केवल मजदूर ही बेरोजगार बैठे हों ऐसा नहीं है। उन खानों में जोधपुर क्षेत्र में रहने वाले छोटे छोटे मजदूर, गाड़ियां चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, सारे के सारों का धंधा चौपट पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि लगभग 3 हजार खच्चर काम करते हैं,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

2000 ऊंट काम करते हैं, 200 बैलगाड़ियों काम करती हैं, 700 ट्रक काम करते। हैं वे सब बेकार पड़े हैं। सारे ट्रक का धंधा करने वाले, बैलगाड़ी चलाने वाले जो रोजाना कमाते हैं और रोज खाते हैं वे बेरोजगार हैं। क्या इतने हजार आदमी हड़ताल करके बैठे हुए हैं और हम केवल आपके वक्तव्य पर शान्ति कर लें और यह तसल्ली करलें कि आप जो कहते हैं वह ठीक है। आप एक इंजीनियर को ईमानदार मानते हैं और क्या 10 हजार आदमी आपके इस प्रकार के वक्तव्य को संतोषजनक मान सकते हैं? मैं केवल यह कहूंगा कि किसी एक का प्रश्न नहीं है। किसी एक या दो व्यक्तियों के कारण हड़ताल नहीं हुई है। उसमें निश्चित रूप से आपके इस इंजीनियर का कसूर हैं। उसने जिसको चाहा उसका कैंसिल कर दिया, जिसका चाहा उसका एक्सटेन्शन कर दिया, जिसकी चाही उसकी रेट बढ़ा दी। उसके द्वारा मनमानी करने के कारण ही यह नतीजा आया है। मैं कहूंगा कि आपका यह कहना कि किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ स्पेस्फिक एलीगेशन नहीं लगाया है, यह गलत है। जांच के बीच में लोगों ने हल्फनामे दिये हैं, मजिस्ट्रेट से तस्दीक कराकर हल्फनामे दिये हैं जिसमें यह कहा है कि इंजीनियर ने रिश्वत मांगी है। सर्टिफाइड हल्फनामा मौजूद है जिसमें उसने कहा कि इंजीनियर महोदय ने रिश्वत मांगी है। इससे अधिक आप क्या सबूत चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये, सभापति महोदया आपके माध्यम से मंत्रीजी को हल्फनामा पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है:—

"मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि जब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, पत्थर काट कर बराबर सप्लाई कर रहे हैं, माइनिंग इंजीनियर गैर कानूनी पैसा कमा रहे हैं तो मैं माइनिंग इंजीनियर से मिला और उनसे निवेदन कियाकि रॉयल्टी का नुकसान क्यों कर रहे हो, यह लीज मुझे दे दो तो उन्होंने 3 हजार रुपये मेरे से बतौर रिश्वत के मांगे और कहा कि तीन हजार रुपये दोगे तो तुम को खान की लीज मिल जायगी। क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, इतनी रिश्वत नहीं दे सकता इसलिये यह लीज औरों को मिल गई।

ये जयकिशन नामके व्यक्ति हैं जिनका हल्फनामा है। यह ऐसा नहीं कि पर्सनल्ली किसी ठेकेदार की खान हो। यहां पर सहकारी आधार पर हजारों व्यक्ति रोजी कमाते हैं। आपका केवल यह कहना कि इंजीनियर बहुत ईमामदार है, बेईमान लोगों को पकड़ता है हड़ताल इस कारण हुई है, मैं सोचता हूं आपका गलत वक्तव्य है। निश्चित रूप से हजारो लोग पेट पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, निश्चित रूप से इंजीनियर की कार्यवाही के कारण असंतोष बढ़ा है।

(7 म. प.)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): सभापति महोदया, एक बात मैं भी कह दूं उसका भी साथ ही साथ स्पष्टीकरण हो जाय।

खानों के जो ठेकेदार हैं, पत्थर की खानों के, उन खानों के ठेकेदारों को अगर सरकार ने किसी भी दबाव से यह छूट दे दी कि वह चाहे जिस जगह पर मलवा

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

डालें तो वह मलवा, जहां पट्टियों का भंडार है, वहां डाल दिया गया तो जो राष्ट्रीय धन है पट्टियों का वह यों ही रह जायगा। कई जगह पर इस तरह मलवा डाला है, जहां पर पट्टियों की खान है वहां डाला है। गजनेर, जोधपुर और मांडलगढ़-इन तीनों जगहों पर चाहे ठेकेदार बड़े हों, छोटे हों-उनको राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुँचाने देना चाहिए। इसलिए जो प्लाट देते हैं उसका डिमार्केशन होना चाहिए और मलवा है वह दूर उनसे डलवाना चाहिए ताकि पट्टियों की खान दबी नहीं रह जाय। और जो इस आदेश की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और जो इंजीनियर इस आदेश की अवहेलना कराते हैं उनको सख्त सजा दी जाय, क्योंकि मलवा ऐसी जगह डालेंगे तो जो पट्टियों का भंडार है वह दबा हुआ नीचे रह जायगा और मलवा ऊपर रहेगा, इस तरह वह पट्टियां जिन्दगी भर उसके नीचे दबी रहेंगी।

श्री श्रवणलाल : माननीय सदस्य ने जो फर्माया है तो उन्होंने जाकर, सभापति महोदया...

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण !

श्री मनोहर सिंह मेहता : उन्होंने ठीक कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): सभापति महोदया, मुझे भी फिदूसर की खानों के बारे में जानकारी मिली है और मैंने सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहा था। माननीय मंत्री जी का वक्त आया उसके बाद में स्थिति दूसरे तरीके की सामने आई। मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ऐसा है कि फिदूसर, जोधपुर के आस पास सात माईल के क्षेत्र में चार हजार क्वेरीज हैं और वह पचास साल से वहीं चल रही हैं, और 90 प्रतिशत जो खानें हैं वह गरीब आदमियों के पास हैं, और उसमें से 60 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों के पास में हैं। उन खानों के पास में कालीडेरी और चेबड़िया की खान हैं, उनमें से 90 प्रतिशत गरीब आदमियों के पास हैं। मुझे जानकारी दी गई है वह इस प्रकार है कि वहां इस प्रकार की सौ इन्टू दो सौ की खान है और उनका रकबा अब बढ़ा कर 108 का कर दिया गया है....

श्रीमती सभानेत्री : जो पहले वाले सदस्य कह चुके हैं उनके अलावा कुछ कहना हो तो कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके अलावा ही कह रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : वही रिपीट कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : 90 प्रतिशत की बातें में ही बता रहा हूं और उसमें 60 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की हैं यह किसी ने नहीं कहा, मैं ही बता रहा हूं। अब 10 पर्सेन्ट आदमी हैं जो प्राइवेट आदमी हैं और पैसे वाले हो सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन नहीं करना चाहता कि ठेकेदारों के दबाव में आकर

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसी ईमानदार ऑफिसर को आप अपमानित करें और उसे वहां से हटायें, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां करीब तीस हजार आदमी उन खानों की हड़ताल से प्रभावित हैं और इतने आदमी एक साथ मिल कर, जिनमें गरीब भी हैं और दस पर्सेन्ट पैसे वाले भी हैं, एक सामूहिक रूप से हड़ताल चलायें तो वह मामला विचारणीय हो जाता है। मैं चाहूंगा सरकार से कि इसकी जांच करवाले और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ईमानदार है तो निश्चित रूप से उसका साथ देते हुए उसको ईमानदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक मिनिट।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनिट में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूर की हड़ताल की स्थिति है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं एक मिनिट में निवेदन कर दूं कि मैंने एक हल्फनामे के लिये कहा था, इस समय जो हल्फनामे हैं, जो तस्दीक हैं, वह केवल एक नहीं है पांच है, एक श्री जय किशन, श्री ताराचन्द, श्री रामू वल्द बिजाराम जी बलाई, श्री लालचन्द, श्री बिजाराम-इन पांच आदमियों के हल्फनामे हैं, जो अटेस्टेड हैं और उन्होंने इन्जीनियर के खिलाफ आरोप लगाये हैं हलफ पर कि हमसे रिश्वत मांगी है। मैं इन्हें सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हल्फनामे से कुछ नहीं होता। क्रॉस एक्जामिनेशन से होता है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मैं उनके बारे में केवल यह निवेदन कर देना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं प्राइमा फेसी यह बात कह कर नहीं चलता कि माइनिंग इन्जीनियर जो है उसको मैं तब्दील नहीं करना चाहता। मैं ओपन माइन्ड से सारी चीजें सदन के सामने रख देना चाहता हूं। इसको कभी पालिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपके सफेद टोपी वाले सिफारिश कर देते हैं तो आप तुरन्त तब्दीली कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसके अन्दर कांग्रेसी ज्यादा हैं या विरोधी दल के लोग ज्यादा हैं?

श्री ओमदत्त भाटी : वहां कांग्रेसमैन ज्यादा है।

श्री हरिदेव जोशी : तो फिर? और आपको मालूम है कि डेपूटेशनिस्ट जो हैं वह कांग्रेसमैन हैं और वह यहां आये थे और आपको मालूम है, वहां ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े लोग हैं वह कांग्रेसमैन ज्यादा हैं। मगर मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पाईन्ट ऑफ व्यू से सारी चीजों को लें। अगर यह मेरी गलती है तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। अगर आप यह समझते हैं कि केस मेरिट के ऊपर देखा जाना

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिए तो पोजीशन यह है सभानेत्री महोदया, के वहां के लोगों ने जब एक प्रकार से कानून को नहीं मान कर इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि मलवा मलवे की जगह पर नहीं डालना....

श्री भैरोंसिह : (किशनपोल, जयपुर): गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने स्वयं ने देखा है, मैंने स्वयं मौके पर जाकर देखा है। जो वहां डम्पिंग की जगह बनाई है, जिस पर आठ हजार रुपया खर्च हुआ है, उस जगह पर मलवा नहीं डाला जा रहा है...

श्री भैरोंसिह : आप गये होंगे पिछली साल, मैं दो महीने पहले ही होकर आया हूं...

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिह : आप जिन ठेकेदारों की कह रहे हैं वह स्वयं ऐसी जगह, डम्पिंग ग्राउंड पर मलवा डालते हैं अधिकांश लोग वहीं डालते हैं। लेकिन जो नहीं डालते हैं ऐसे ठेकेदारों को माइनिंग इन्जीनियर प्रोटेक्शन देता है कि वह वहां नहीं डाल कर कहीं डालें।

श्री हरिदेव जोशी : जो किसी और जगह डाल रहे हैं उनको वहां नहीं डालना चाहिए, और इसके लिए मैं मानता हूं कि उनको सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा हड़ताल वालों ने यह लिख कर दिया है कि हम मुटाम नहीं लगायेंगे, बोर्डर पिलर्स नहीं डालेंगे, मलवा मलवे की जगह नहीं डालेंगे। उनकी दो मांगे हैं कि मलवा मलवे की जगह पर नहीं डालेंगे और मुटाम नहीं बनायेंगे,। यह दो कारण हैं। अब तीसरी चीज यह है कि इस माइनिंग इन्जीनियर को हटा देना चाहिये। इस माइनिंग इन्जीनियर की जब शिकायत आई तो मैंने सबसे पहले जॉइन्ट डाइरेक्टर को भेजा। वह वहां गया और एक दिन रह कर चला आया तो मैंने इसे सफीशियेन्ट नहीं समझा और डाइरेक्टर, माइनिंग एण्ड ज्योलोजी को वहां भेजा। उन्होंने सारी चीजों की जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजी। उसके अन्दर से मैं आपको सुना दूं कि वहां पर दिनांक 22-2-68 को श्री रामनारायण सिंह और चार पांच आदमी मुझसे मिले। डाइरेक्टर माइनिंग एण्ड ज्योलोजी वहां पर पहले सूचना देकर, वेल इन एडवान्स इत्तला देकर गये। वहां उनसे डेपुटेशन मिला। उसने राय जाहिर करते हुए यह आरोप पेश किया कि माइनिंग इन्जीनियर दरख्वास्त आमंत्रित करते हैं, और चार सौ दरख्वास्त आने पर-उसने राय जाहिर की है कि किस तरह दरख्वास्त का चुनाव किया जाय। यद्यपि बहुत सारी दरख्वास्तें एक स्थान के लिए खनिज अभियन्ता जोधपुर के पास आई थीं, मायने इतनी दरख्वास्तें आती हैं तो उनमें से चुनाव करने का तरीका नीलामी का ही हो सकता है। वह नीलामी से होता है यह प्रश्न रेज हुआ तो रामनारायणसिंह और एक व्यक्ति ने बताया कि इससे पूंजीपति व्यक्ति इनका ठेका ले लेंगे और मजदूरों को आने का अवसर नहीं मिलेगा,। इस कारण से कि बोली नहीं लगा सकते, मायने बोली लगाने का प्रश्न पहले है, अगर हम चाहे कि

(श्री हरिदेव जोशी)

माइनिंग इन्जीनियर अपने डिस्क्रीशन को यूज नहीं कर सके तो नीलामी के अलावा दूसरा चारा डिपार्टमेंट की निगाह में नहीं आता। अब वह कहते हैं नीलामी के बारे में, शिकायतों के बारे में बातचीत की, परन्तु वह साफ नहीं बता सके। लेकिन उन्होंने बताया कि शायद जांच की जावे तो बातें सामने आ सकेंगी, मायने फरदर इन्क्वायरी करें। अब जो एफीडेविट की बात कही है। उसके ऊपर मैंने कलेक्टर को कहा है कि प्राइमा फेसी इन्क्वायरी शुरू कर दें। अब कलेक्टर ने इन्क्वायरी शुरू कर दी है एफिडेविट की बिना पर।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या हुआ? उस माइनिंग इन्जीनियर के खिलाफ लोग हल्फनामे दे रहे हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि कलेक्टर जांच कर रहा है तो उसको हटाने में जिद्द का सवाल क्यों है? आज दस हजार कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों का एक आदमी के पीछे नुकसान क्यों हो? उसको वहां से ट्रान्सफर क्यों नहीं कर देते?

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि प्राइमा फेसी केस दूसरे ढंग का है, दो सौ लोग अनाथोराइज्ड वर्क करके पैसा सरकार को लम्बे अर्से तक पे नहीं करें और उसका छः लाख रुपया अब वसूल हुआ उससे ऐसी स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि वह इस प्रकार के दबाव में नहीं आवे। मैं इस बात को साफ कर दूं।

इसमें कोई जिद्द का सवाल नहीं है। अगर इस माइनिंग इन्जीनियर के खिलाफ साबित होता है कि करप्शन के चार्जेज में आता है तो कोई उसे प्रोटेक्ट करने का सवाल नहीं, उसे सजा दी जायगी। आप जो एलीगेशन्स उसके खिलाफ देते हैं, मैं अभी एन्टी करप्शन को देता हूं, विजिलेंस कमिशन को दे देता हूं कलेक्टर जांच कर रहा है, उसको दे दें। पर सवाल यह आता है कि कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानते हैं इसलिए उसका वहां से ट्रान्सफर किया जाय तो इस तरह से तो कोई ऑफिसर कहीं नहीं टिक सकेगा।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें हमें कोई जिद्द नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स काम करेंगे तो लेबरर्स तो उन पर आश्रित हैं ही, मजदूर तो कॉन्ट्रैक्टर्स के दिये पर निर्भर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर उन्हें यदि पैदल दौडावेगा तो वे मजदूर पैदल दौड़ेंगे और ट्रकों में दौड़ावेगा तो ट्रकों में दौड़ेंगे, इसलिये कॉन्ट्रैक्टर्स मजदूरों को ट्रकों में दौड़ा रहा है तो दौड़ेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी उनके साथ जुड़ी हुई है। पर हमें यह समझना है कि सही चीज क्या है? वाजिब चीज क्या है? इस बारे में मुझे कहीं कोई जिद्द नहीं है, जो चीज आपको लगती है कि यहां गड़बड़ है तो उसको आप सजेस्ट कीजिये गवर्नमेंट उस सम्बन्ध में एक्शन लेगी।

मैं समझता हूं इसमें फर्दर और कहने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : समापति महोदया, मंत्रीजी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है उन्होंने ने एक ही चीज को आधार बनाया है कि स्ट्राइक कॉन्ट्रैक्टर्स की हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं, खानों की चोरी करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, माइनिंग इन्जीनियर, उनको ऐसा करने से रोकता है इसलिये यह हड़ताल हो रही है। माननीय सभापति महोदया, जो माननीय सदस्य झुंझनू से आये हैं उन्होंने थोड़ा इस इस बात को स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स कितने हैं और मजदूर कितने हैं। मैं एक बात मंत्री महोदय को और बताना चाहूंगा कि इन कॉन्टेक्टर्स के साथ साथ लेबरर्स की कोआपरेटिव सोसायटीज भी हैं। इन सोसायटियो में कितने लेबरर्स होंगे और कितने मालिक होंगे, इस बात का भेद नहीं किया जा सकता, सभी मालिक हैं और सभी लेबरर्स हैं बाकी खाने अधिकांश लेबरर्स की हैं। यह बात भी सही है कि शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग खानों में काम करते है। तो आप अपने मस्तिष्क से इस भ्रम को तो निकाल दीजिये कि यह सारा काम, यह सारी हड़ताल कॉन्ट्रैक्टर्स की ही हुई हैं। इन्जीनियर साहब की आपने तारीफ की और साथ ही साथ आपने यह भी कहा कि 200 खानों पर अनधिकृत रूप से काम हो रहा है, । फिदूसर और काली बेरी की एक भी माइन ऐसी नहीं है जिस पर अनधिकृत काम होता तो यह उसकी बड़ी एफिशियेन्सी होती पर उस माईनिंग इन्जीनियर की इनएफिशियेन्सी को आपने स्वय ने स्वीकार किया है कि 200 खानों पर इस प्रकार का अनधिकृत काम चल रहा है।

जहां तक पिलर्स लगाने का सवाल है, जोधपुर में बहुत वर्षों से लोग खानों में काम करते हैं, पिलर्स लगाने की बात अभी आपके सामने आई है, यह बात वाजिब भी हो सकती है पर कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ-साथ जो आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नही किया है, अब आप यह एक्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर जिन माइन्स पर 15 हजार मजदूर काम करते हैं, वहां मजदूरों के ठहरने की कोई व्यवस्था आपकी तरफ से नहीं की जाती, उनके लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं उन मजदूरों के लिये शफाखाने की कोई व्यवस्था आप नहीं करते, और इसके लिये वे मजदूर माइनिंग इन्जीनियर को कहते है तो वह माईनिंग इन्जीनियर कोई व्यवस्था नही सुनता। वह माईनिंग इन्जीनियर कान्ट्रैक्टस का रिन्यूअल करता है तो क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की है कि किन किन का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट का हक था, किन का हक नहीं था? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेशन्स दी है, उनको इग्नोर कर दिया और दूसरों को लीजेज दे दिये। इन माइनिंग लीजेज के सम्बन्ध में इतना भयंकर करप्शन चल रहा है कि जो माइनिंग इन्जीनियर को खुश कर लेता है, उसको लीज मिल जाता है माइनिंग इन्जीनियर को खुश नहीं कर सकता, उसको माइनिग लीज नहीं मिलता।

मन्त्री महोदय कहते हैं कि 6 हजार का ज्यादा मुनाफा हुआ। यह भी कहा कि स्लम्प क्लीयरेंस के लिये दो स्थान नियुक्त किये वहां डाल रहे हैं। पर मैंने स्वयं वहां देखा है कि जो स्थान नियुक्त हैं, उन स्थानों पर नहीं डाल कर दूसरी जगह मलबा डालते हैं। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि खान का

(श्री भैरोंसिंह)

मलबा जिस स्थान पर गिराना चाहिये, उसी स्थान पर हाथों हाथ गिराने की कोशिश करते हों।

मैं मन्त्री महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मूल झगड़ा इस बात का है कि माइनिंग इन्जीनियर माइनिंग लीजेज देने में, और लीजेज के रिन्यूअल में, जिससे वह खुश होता है, उनको देता है और जिनसे नाराज होता है उनको नही देता है। आप अगर इसकी जांच कराना चाहें तो मैं स्पेसिफिक एलीगेशन लगाता हूं। एक पर्टीक्यूलर स्पॉट के लिये 20 आदमी दर्खास्त देते हैं। इन्कम का बेसिस हो तो इन्कम के आधार पर जिससे ज्यादा इन्कम हो उसको लीज दी जा सकती है पर इसका रॉयल्टी ही आधार है। मैं स्पेसिफिक एलीगेशन लगाता हूं कि आपके इस माइनिंग इन्जीनियर ने लीजेज देने में डिस्क्रिमिनेशन किया है। जिन लोगों ने उसको खुश कर दिया उनको माइनिंग इन्जीनियर ने लीज दे कर खुश कर दिया। आप इसकी किसी से जांच करा लें, यह निश्चित रूप से सिद्ध होगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि क्लेक्टर से एंन्क्वायरी करा लेंगे। मुख्य मंत्रीजी वहां गये तो मुख्य मंत्रीजी के पास डेपुटेशन गया। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इस माइनिंग इन्जीनियर को हटा दिया जाय, तो क्या आप यह समझते हैं कि मुख्य मंत्रीजी को आप जितना प्रशासन का ज्ञान नहीं है? उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जायेगा तो माइनिंग का सारा काम ठप्प हो जायगा, इसका ज्ञान सुखाड़ियाजी को नहीं था? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस के कुछ ठेकेदारों का प्रोटेक्शन कर माइनिंग इन्जीनियर करता है, वे उस माइनिंग इन्जीनियर को नहीं बदलवाना चाहते, इसलिये मंत्र महोदय कहते हैं कि इस माइनिंग इन्जीनियर का ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता। एक सब–इन्स्पेक्टर के ट्रान्सफर का सवाल आता है तो सदन के माननीय सदस्य खड़े हो कर कहते हैं कि उस सब-इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर करो और फिर एन्क्वायरी करवाओ, नहीं तो वह सही गवाहों को दबा देगा, उस सब-इन्स्पेक्टर के वहां रहते हुए सही जांच हो नहीं सकती। पर इस मामले में आज स्थिति यह है कि जहां हजारों आदमियों की रोजी का सवाल है, मौत और जिंदगी का सवाल है, जब चाहा जिसने उस माइनिंग ईन्जीनियर को खुश किया उसका लीज रिन्यू कर दिया जिसका नहीं चाहा उसका रिन्यू नहीं किया, स्लम्प क्लीयरेंस के नाम जब चाहा, जिस सर चाहा जुर्माना ठोक दें, इस प्रकार का अधिकारी जिनकी छाती पर खड़ा है उसके खिलाफ शिकायत कर के कौन अपनी आफत मोल लेगा? जो भी शिकायत करेगा, स्लम्प क्लीयरेंस के नाम पर, मलबे के नाम पर उसको हैरान किया जायगा। जो शिकायत करेगा उसके लीज के रिन्यूअल को रोक दिया जायगा, तो ऐसी आफत कौन मोल लेगा?

आप जांच करवाना चाहते हैं, 10,000 आदमी वहां काम करने वाले कहते हैं कि इस अधिकारी को बदल दो, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उस माइनिंग इन्जीनियर के अलावा आपको माइनिंग

(श्री भैरोंसिंह)

डिपार्टमेंट में दूसरा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है जिसको कि वहां नियुक्त कर दिया जाय ? इससे आपकी भी प्रॉब्लम हल होगी और शिकायत करने वालों को भी संतोष होगा कि सरकार हमारी शिकायत को सुनती है। इस प्रकार के अधिकारी को वहीं रखें जिसके खिलाफ की आप एन्क्वायरी कर रहे हैं, उसी के सामने लोगों के बयान लें और कहें कि इसके खिलाफ बयान दो तो आज के युग में कोई व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह झगड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स का नहीं लेबरर्स का झगड़ा है, लेबरर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी मिल गये। मजदूरों के साथ मिले हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के आधार पर अगर कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकार के बीच संघर्ष है यह मान कर सरकार चलती है तो यह सही नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि मजदूर कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, इसलिये कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ नहीं जा सकते पर आज के युग में आप यह भूलते हैं कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स के हितों पर कुठाराघात करता है तो लेबरर्स उसे घेराव में लेकर बन्द कर देते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

साहब थोड़ी शान्ति तो रखिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत बोले पर कोई अपील नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : आपमें सुनने की क्षमता होती तो ट्रेजेरी बैंचेज पर बैठते। जो समझे नहीं वे बीच में बोलते हैं।

इस तरह से मैं कहता हूँ कि यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, मोटा सवाल है, सामूहिक रूप से काम करने वाला वर्ग कहता है, माइनिंग इन्जीनियर की शिकायत करता है तो 10 हजार आदमियों के हितों को ध्यान में रख कर उनकी बात सुननी चाहिये, यह स्थिति तो आनी ही चाहिये। जहां तक कन्ट्रैक्टर्स का सवाल है, वे अगर किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लें, हमें कोई इन्ट्रैस्ट नहीं, स्लम्प क्लोयरेंस के बारे में एक्शन लें और किसी प्रकार कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें, इसमें हमें एतराज नहीं। आपकी बकाया है तो सख्ती से वसूल करें उसमें हमें इन्ट्रैस्ट नहीं। इसमें सोसाइटीज का इन्ट्रैस्ट इन्वॉल्वड है इन्डिवीज्युअल लेबर भी हड़ताल पर बैठा हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस हड़ताल को शान्त कराइये, इसकी जांच सही तरीके से कराइये इसको जांच के बाद भले ही वहीं पर भिजवा दें मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, मैं समझता हूं जैसी स्थिति है माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया इतनी बड़ी हड़ताल जिसमें दस हजार लोग शामिल है, मंत्री महोदय के कहने के मुताबिक जो अधिकारी वहां पर है उनकी निष्पक्षता में इनको विश्वास है हमें उससे कोई गुरेज नहीं। सरकार जनता की प्रतिनिधि सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है उससे एन्क्वायरी की मांग है वह अवश्य होनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिये। और एन्क्वायरी निष्पक्ष तभी हो सकती है जब कि वह अधिकारी वहां पर न रहे। एन्क्वायरी के बाद उसके खिलाफ शिकायत साबित न हो उसको वही ला दें इसमें कोई प्रेस्टीज खत्म नहीं होगी। जनता की प्रेस्टीज, जनता के हित में सबसे बड़ी है। एक आदमी की जिद्द के लिये हठ-धर्मी अपनाना प्रजातंत्र का उसूल नहीं है। अधिकारी पर आपको इतना विश्वास है तो उसका विक्टिमाइजेशन कुछ नहीं। सांच को आंच क्या? एन्क्वायरी में उसके खिलाफ कोई चीज नहीं है तो आप उसे वापिस ला सकते हैं लेकिन कम से कम माइनिंग इन्जीनियर पी. डब्लू. डी इन्जीनियर ये दूध के धोये हैं यह जानकर आप कतई मत चलिये। हो सकता है पर्सेन्ट वाला जो फ़ार्मूला हैं उससे तो शायद ही कोई बचकर चलपाता हो। आप इतनी ज्यादा इन्टीग्रिटी की गारन्टी देंगे तो मुसीबत आप पर आजायगी। आजकी इस व्यवस्था के अन्दर कौन किसकी गारन्टी दे जहां आज सब कुछ चल रहा है।

इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की मांग है जिसको आप गौर नहीं कर रहे यह उचित रवैया नहीं है। एन्क्वायरी की मांग बहुत जायज मांग है। एन्क्वायरी आपको करनी चाहिये और वह निष्पक्ष तौर से तभी हो सकती है जब आप उसको दूसरी जगह भिजवा दें।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापति महोदया, इस सिलसिले में मुझे भी निवेदन करना है मैं जिसे क्षेत्र से आता हूं वहां पर पत्थर की खानें हैं। मैं भी इस राय का हू कि मलवा वहां से हटना चाहिये। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वे ईमानदार इन्जीनियर हैं वह सही हो सकती है हमें इस बात की खुशी है कि एक तो इतने अच्छे अफसर हैं। सीता माता का क्या हुआ? वे परीक्षा में गुजरीं और ज्यादा तेज होकर प्रगट हुई। अगर वे इतने वास्तव में ईमानदार है तो उनको जांच होने में एतराज नहीं होना चाहिये। उससे तो उनकी ज्यादा चमक प्रकट होगी। एक दफा तो उनको वहां से हटाइये निश्चित रूप से अगर वहां रहते हैं तो जांच पर असर पड़ेगा इस लिये जो यह मांग है उचित है उसको मन्जूर करना चाहिये और जगह उसके लिये खराब नहीं होनी चाहिये। एन्क्वायरी कराने से उनकी और हमारी सबकी इज्जत बढ़ेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): जो प्रश्न सदन के सामने है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दस हजार मजदूरों की रोजी-रोटी का सवाल है। एक अधिकारी एक तरफ है दस हजार आदमी एक तरफ है। ठेकेदार यदि कानून कायदा नहीं मानते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये इसमें किसी को गिला नहीं होगी। लेकिन ठेकेदार की गलती या इन्जीनियर की गलती या उसके अनुचित व्यवहार या कार्य की वजह से दस हजार मजदूर बेरोजगार हो तो उसको हटाने में आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आप उधर मजदूर की हालत पर तरस खाइये। उनको रोजगार मिले हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो और इन्जीनियर की एन्क्वायरी जब तक उसको वहां से हटा नहीं सकते होगी नहीं। उसका स्थानान्तर

(श्री दौलतराम सारण)

होना चाहिये। अगर उसके खिलाफ शिकायतें सही नहीं हैं तो वह अधिक प्रामाणिक बनकर निकलेंगे अगर ज्यादा भले मिलेंगे तो ज्यादा अच्छे निखरेंगे। अगर वाकई उन लोगों के कहे अनुसार है तो आपको भी उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा। आप महरबानी करके खुले दिमाग से इसका स्थानान्तर करें और हड़ताल तुड़वाने में मदद करें यही मेरा निवेदन है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदया, सरकार की ओर से उत्तर दिया उसके संबंध में मेरी कुछ हदतक सहानुभूति है। लेकिन मैं इस बात में विश्वास रखने वाला हूं कि जिस इन्जीनियर के लिये सरकार की ओर से कहा गया कि ईमानदार हैं, सिन्सियर है लॉयल भी हैं लेकिन मैं इस को बात को नहीं मानता कि जहां दस हजार लेबरर्स का सवाल है वहां उनको तरजीह दी जाय और मजदूरों के बारे में कुछ न किया जाय। इसके अलावा इनके कनेक्टेड हैं गाडी, बैल, ऊंट खच्चर हैं। इनके कारण वे भी बेकार हैं। ऐसी हालत में शासन को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि आप निष्पक्षता से उसको देखें। यह आपका पुनीत कर्तव्य हो जाता है। ऐसे अधिकारी जिसके खिलाफ आरोप हैं उसको वहां से हटाया जाना आवश्यक है। उसको हटाकर जांच करवाई जाय तो सही निष्कर्ष सामने आ सकता है। जिसके खिलाफ मजदूर एजीटेशन कर रहे हैं वैसी सूरत में यह आवश्यक हो जाता है कि उस अधिकारी को वहां से हटाया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये। गहराई से सोचकर फौर दी टाइमबींग उस अधिकारी का स्थानान्तर कर दे। उसकी जांच होने के बाद जो भी निर्णय हो आपको प्रशासन चलाना है गवर्नमेन्ट चलानी है वैसी हालत में सबों का खयाल रख कर आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाये और उसका ट्रान्सफर कर दें ताकि वहां जो स्थिति बिगड़ रही है वह काबू में आ सके।

(कई सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : इस पर वाद-विवाद नहीं हो रहा है।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : सभापति महोदया, इसकी जांच होनी चाहिये जो हल्फनामा दिया गया है उसके देने का मतलब यह है कि उसको वहां से तबादला कर उसकी जांच की जाय। मेरी मांग तो यह है कि उसको ससपेन्ड करके उसकी जांच करवाई जाय इसमें हड़ताल में साठ प्रतिशत से अधिक परिगणत जाति के लोग हैं यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं।

श्री शिवनाथसिंह : (गुढ़ा) सभापति महोदया, स्थगन प्रस्ताव पर जो वक्तव्य मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उस पर माननीय सदस्यों ने इन्जीनियर की ट्रान्सफर के बारे में ज्यादा जोर दिया है। मैं अपोजीशन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें वास्तविक समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज वहां पर दस

(श्री शिवनाथसिंह)

हजार मजदूर रोजी रोटी में महरुम हैं। आपको इन्जीनियर इमानदार लगते है उनसे काम लीजिये लेकिन जो मजदूर बेकार हो गये है उनको भी तो काम दीजिये। आपके स्टेटमेन्ट से यह जाहिर नही होता है कि आपने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। मजदूरों की हड़ताल टूटे इसके लिये आपने क्या किया ? ठेकेदार वे ही हैं। मजदूर बेचारे दूसरी दूसरी जगह के है। उन मजदूरो को काम दीजिये। इन्जीनियर अच्छा है तो रहने दीजिये। मजदूर वहां के काम चाहते हैं।। आपके कथन से उनको सन्तोष नहीं है। आप इस प्रकार का स्टेटमेन्ट देंगे जिससे वहां के मजदूर काम पर लग जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) :सभापति महोदया, यहां दो प्रश्न है एक तो वहां के अधिकारी की सच्चाई का। जब तक उसके बारे में जांच न होजाय उसके पहले ही कह देना ईमानदार है या बेईमान है यह उचित नहीं है।

मैं साथ ही यह निवेदन करूं कि जहां 10 हजार मजदूरों का सवाल है, वहां मंत्री महोदय यदि उनको बुलाकर, जो वहां अधिकारी है, उनसे कहे कि आपकी वजह से 10 हजार मजदूर बेकार बैठे हैं और आपकी ईमानदारी इसमें है कि एन्क्वायरी में वह सही निकले। इसलिये वह सही निकले। इसलिए वह स्वतः ही हट जायं। या तो आप कुछ न बोले, मैं जोधपुर जाता हूँ तीन दिन में वह इंजनीयर वहां से खुद आ जायगा। अगर आपके पास हल नहीं है तो वह भी तरीका है। जहां 10 हजार मजदूर एक साथ हैं वहां उस इंजीनीयर को मजबूर करेंगे कि वह आकर यहां जयपुर में बैठे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों ने जो पहले बातें कहीं, हैं उनको दोहराना नही चाहता। जन-संघ के नेता ने जो बातें कहीं, उनसे इन्फरेन्स निकलता है कि मुटाम नहीं लगना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट करूं कि ठेके की शर्त है कि मुटाम लगाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या खनिज विभाग की ओर से टेन्डर्स मांगे गए थे मुटाम लगाने के लिए ?

श्री हरिदेव जोशी : मुटाम होना चाहिए और....

श्री भैरोंसिंह : यह विभाग लगाता है, ठेकेदार नहीं लगाते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने कहा कि दो महीने पहले आप वहां गए थे और सड़कों और कई जगह मलबा पड़ा हुआ था। तो निश्चित् रूप से मैं जो कह रहा हूँ, वही सिद्ध होता है ठेकेदारों की उस बात को कि वे सरकार के नियमों को नहीं मानते।

श्री भैरोंसिंह : ठेकेदार तैयार हैं मलबा उठाने को, आप इतना तो सोचें...

श्री हरिदेव जोशी: आप मेरी बात को पूरा कहने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : यह समस्या 10 हजार की है, वह तो इस तरह से हल होगी...

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए कोई जिद्द की बात नहीं मैं स्पष्ट निवेदन करता हूँ कि इसमें अलग अलग राजनैतिक दलों

(श्री हरिदेव जोशी)

के माननीय सदस्य खड़े हुए, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टे आप पोलिटिक्स बनाना चाहते हैं, मैं फिर आपसे...

श्री भैरोंसिंह व श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई पोलिटिक्स नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं स्पष्ट कर दूं कि हड़ताल करने वालों में वे कांग्रेसी भी हैं जिन्होंने खूब कांग्रेस के लिए किया है, तो वैसे लोग भी हैं, इसलिए यह समझकर...

श्री दौलतराम सारण : हम इसे राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं।

श्री मदनसिंह : वी आर सर्पोटिंग कांग्रेस।

श्री हरिदेव जोशी : वहां ला-लेसनेस थी। मैं आपको रिपोर्ट्स बता दूं कलेक्टर और डी. एम. जी की। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पहले जो खनिज अभियंता वहां थे वह इतने सख्त नहीं थे, कानून का पालन नहीं करवाते थे, उसके परिणामस्वरूप स्लैकनेस आई और डी. एम. जी. अपनी रिपोर्ट में कहते हैं :

"... परंतु शिकायतों के बारे में बातचीत की, परंतु वे साफ नहीं बता सके, लेकिन उन्होने बताया है....शायद जांच की जाय तो बात सामने आएगी। परन्तु मेरे खयाल से सरदार....जो पहले खनिज अभियंता जोधपुर में थे उन्होने ढिलाई बरती। श्री राम गुप्ता ने उस ढिलाई को कम करने की कोशिश की है...."

मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं खनिज अभियंता से कहा था कि वहां लीकेज आफ रेवेन्यू ज्यादा है। जब मैं वहां पर गया तो मुझे कई तरह से मालूम हुआ कि लीकेज आफ रेवेन्यू है, उस लीकेज को रोकना चाहिए। मुझे आप क्षमा करें जिस तरह से आप इसचीज को ले रहें हैं, मैं बिल्कुल डिफरेन्ट वे में ले रहा हूँ। मेरे मित्रों ने भी कहा कि इस प्रकार की चीज है, यह झगडा क्यों हो रहा है, मुख्यमंत्रीजी से भी कहा, फाइल पर है। मैंने अपने नोट में स्पष्ट कहा था :

"जब मैं पिछली बार जोधपुर गया था, मेरे समक्ष शिकायत आई थी, मेरे जाने से पहले ही जब लिखित शिकायतें कई बार आई तो जोइंट डाइरेक्टर को जांच के लिए भेजा था। जो लोग मेरे समक्ष शिकायत करने आए थे, उनमें से कईयों से मैं बाद में अकेले में . . .

जब मैं दूसरी बार जोधपुर गया तो श्री गुप्ता रायल्टी की चोरी रोकने तथा आमदनी बढ़ाने में भी हिचकिचाते थे। कुछ असरदेह लोग जो इसमें ईन्वाल्वड हैं... मैंने उनको उनकी चिंता न करने को कहा। उसके बाद कई नाजायज कब्जों को हटाया गया है ..."

तो खनिज अभियंता को एक्शन लेने से पहले ही डर था कि असरदेह लोग इसके अंदर इन्वाल्व्ड हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि लीकेज आफ रेवेन्यू को आप रोकने की बात कहते हैं, यह तब तक नहीं रुक सकता है जब तक असरदेह लोग नहीं बीच में आयेंगे।

(श्री हरिदेव जोशी)

मेरा यह नोट फाइल पर आज नहीं बल्कि लगभग दिसम्बर-जनवरी के महीने का है। पोजीशन यह है कि उनको पहले ही डर था कि असरदेह लोग ऐसा करेंगे। स्थिति बहुत स्पष्ट है, जिसको समझने की जरूरत है। पुराने माइनिंग इंजीनियर जिस प्रकार से काम करते थे उस तरह व उसको कन्टीन्यू नहीं कराना चाहते थे। सरकार रूल्स को एन्फोर्स कराना चाहती है। आपने एफीडे विट्स दिए हैं। मैं कलक्टर को फिर भेजता हूं। कलेक्टर ने लिखा है कि वह अरलीएस्ट पॉसीबुल एन्क्वायरी करेंगे और अगर मुझे एक प्रतिशत भी प्राइमा फैसी केस मिल गया तो आई विल सस्पेंड हिम, आई टेल यू। मगर सवाल यह है कि आप कहते हैं उनके वहां बैठे हुए एन्कवायरी नहीं हो सकती। दस हजार आदमियों का जलूस निकल सकता है उसके जोधपुर में बैठे हुए, उनके खिलाफ हलफनामे दिए जा सकते हैं, उनके खिलाफ हड़ताल की जा सकती है, धरना दिया जाता है, मगर उसके खिलाफ बयान नहीं दिला सकते। हड़ताल चल सकती है, सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं समझता हूं कि जब इतना सब कुछ हो सकता है। अगर प्राइमाफैसी भी केस बनता है तो आई विल सैक दी मैन।

श्री भैरोंसिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय, 10 हजार आदमियों की आवाज को किस प्रकार कुचलने की चेष्टा कर रहे हैं। एक खनिज अभियंता जिसके लिए कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने बात कही हैं, विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने कहा लेकिन उसके बाद भी अभियंता का वहां न रखने में सरकार की किस प्रकार प्रतिष्ठा खतम होगी? यह सारी बात है, जिस आदमी के हाथ में खान को छीनने, जुर्माना करने का अधिकार है और फिर यदि उस आदमी के खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा है और सरकार ने जांच को खुला रखा और उस अधिकारी को वहां से नहीं हटाये तो कौन कितनी भी हड़ताल करे, मगर सरकार जिद्द पर बैठी रहे ऐसी हालत में आप उम्मीद करते है कि जिनकी कुछ माइन्स वहां हैं, जिनका इन्ट्रेस्ट है, वे सुरक्षित रहेंगे? हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार का यह रुख और मंत्री महोदय की गलत बयानी इस हद तक कि सबसे पहले आपने प्रश्न उठाया मुटान का। ये टेन्डर्स इन्वाइट करके विभाग की तरफ से लगाते हैं। फिर मलबा उठाने की बात कहीं, उसमें सारे ठेकेदार इन्टरेस्टेड हैं, तो मैं मंत्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि 10 हजार हड़ताली लोगों की मांग की उपेक्षा नहीं की जाय, जिद्द का सवाल नहीं बनाया यह राजनीति नहीं है, खनिज अभियंता को हटाकर उसकी जांच कराई जाय। यदि आप जांच नहीं कराते तो इसका मतलब आप 10 हजार आदमियों की उपेक्षा करके एक इन्जीनियर को बचाना चाहते हैं। इतने दिन हड़ताल चले, कितने मजदूरों का नुकसान हुआ, कितना राज्य सरकार का नुकसान हुआ, एक एक दिन में राज्य सरकार और मजदूरों का नुकसान होता है, उसकी शिकायत मंत्री महोदय को की जाय, उसकी जांच नहीं। वहां गाड़ियों से लदान होता है, लोगों के काम चलते थे, जोधपुर पट्टियां जाती थीं...

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी हालत में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माइनिंग इन्जीनियर को हटाकर जांच कराई जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदया

श्रीमती सभानेत्री : आप दुबारा तिबारा दो-दो, तीन-तीन बार बोल चुके हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने अभी माननीय सदस्यों मे बात की है । मुटान की खास बात है । इस बात पर निगोशियेट करें । आप जो कह रहे हैं वह नहीं करते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप जवाब देना है तो दे दें अन्यथा खास मुद्दे का जवाब दे दें ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सारी चीज को पढ़ नहीं सकता ।

'I solved the matters in consultation with Shri Gupta. However the main demand is that Shri Gupta should be transferred.

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक ही डिमान्ड है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने तो यह बात नहीं कही । अगर उसके खिलाफ चार्ज वापिस प्रूफ न हो-यह आप तीन बरस देखिये, चार बरस देखिये But it is only for a month....

मुटान की बात केवल प्रेस्टीज की रहती है ।

श्री हरिदेव जोशी : सभानेत्री महोदया, मैं नहीं समझता कि बार बार कहने की क्या जरूरत रहती है । मैंने गवंनमेंट का व्यू स्पष्ट कर दिया है कि कान्ट्रेक्टर्स को गवर्नमेंट के जो कानून हैं, जो आदेश हैं, उनका पालन करना चाहिये । उससे अगर कोई एतराज है तो वे अपील कर सकते हैं, मेरे पास में आ सकते है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास आ सकते हैं । आखिर गवर्नमेंट है उसका निश्चित रूप से सेटिसफेक्टरी हल निकालेंगे । यह कहकर कि हम तबतक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जबतक माईनिंग इंजीनियर नहीं जाता है, यह गलत स्थिति है । मैं स्वयं जोधपुर जाऊंगा और कोई हल निकालने की चेष्टा करूंगा । कान्ट्रेक्टर्स आज जो उनको पैसा दे रहे हैं, ट्रकों में घूम रहे हैं, यह बात कोई हमेशा नहीं चल सकती है । गवर्नमेंट का भी यह इन्टरेस्ट है कि जो इतना बड़ा उद्योग है वह सफर नहीं करें । कान्ट्रेक्टर्स को अपनी हटधर्मी को छोड़ देना चाहिये । जो भी स्थिति आयेगी, उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक जांच का सवाल है, जांच शुरू हो चुकी है।

(शोर गुल, अश्रव्य)

मैंने कहा जांच कलेक्टर ने शुरू कर दी है। आदेशों की अनुपालना का सवाल है। खनिज विभाग के नियम हैं, अपने कानून हैं उसको मानना ही चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : जांच के लिये हम शत प्रतिशत तैयार है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है कि उन ठेकेदारों ने नियमों का पालन नहीं करवाया। उनकी आदत पड़ी हुई है– मुफ्त का माल खाने की। वे आज इसकी पालना नहीं करवा सकते हैं। आज्ञा पालन करवाने के लिये जबरदस्ती की जाय इसलिये जो स्थिति पैदा हुई है उसको खुले दिल और दिमाग से देखिये। और माईनिंग इंजीनियर को हटाकर बा–इज्जत जांच कराई जाय लेकिन 10 हजार की रोजी रोटी का सवाल है। मेहरबानी करके जिद मत करिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य इस पर बहस बहुत हो चुकी है।

श्री दौलतराम सारण : दस हजार आदमियों के रोजी रोटी का सवाल है,

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(लगातार घंटी)

श्री श्रवण लाल : सभापति महोदया, बहुत गम्भीर मामला है। इसका हल होना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री - इस पर वाद–विवाद हो चुका हैं। सभी बातें कही जा चुकी हैं।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

समय समाप्ति सूचक लम्बी घंटी)

श्री श्रवणलाल : दस हजार आदमियों को रोटी नहीं मिले और वे भूख से तड़फते रहें...

श्रीमती सभानेत्री : आपकी सहानुभूति है। सदन को पता चल गया। इस पर विचार हो गया।

एक माननीय सदस्य : इसका हल क्या हुआ।

(लगातार घंटी)

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदया, 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। भूख से मर रहे हैं। उनके खाने की कोई सुविधा नहीं...

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : एक प्रेस्टीज का सवाल बनाकर दस हजार आदमियों की रोजी–रोटी पर लात मार रहे हैं....

(श्री श्रवणलाल)

(घंटी)

यह मोनोपोलिस्टिक सिस्टम चला रखा है । इस प्रकार के सिस्टम को खतम करिये ।

(लगातार लम्बी घंटी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, इसे रिकोर्ड नहीं किया जाय ।

श्रीमती सभानेत्री : बहुत कुछ कह चुके हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानियां : हल क्या है ?

श्री भैरोंसिह : सभानेत्री महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने किस प्रकार की जिद्द की है । कई बार अपोजिशन के सहयोग की मांग करते हैं कि हमें इस मामले में अपोजीशन का सहयोग मिलना चाहिये । सरकार का इसमें कोई इन्टरेस्ट खतम नहीं होता है । अपोजीशन का मामला हैं तो सरकार जिद पर डटी हुई है । जोशीजी आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका यह रुख भारी पड़ेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदया, मैंने शुरू में ही यह कहा था कि इसे आपको पोलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहिये । मुझे तो इस बात का शरू में ही भय था । आपने अब कहा है यह पहले ही कह देते कि अपोजीशन की बात माननी चाहिये । आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के सदस्यों ने यह कहा हैं, मगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है ।

श्री भैरोंसिह : कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण नहीं है । दुनियां भर के ट्रान्सफर होते हैं . . .

(शोर गुल अश्रव्य)

श्री विजयसिंह (मकराना) : इनके तो हर बात में जिद्द है । त्रिया हट होती है, उसी प्रकार की इनकी हट है ।

श्रीमती सभानेत्री : पंचायत मंत्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत एवं अकाल सहायता मंत्री चेयरमैन महोदया, मांग संख्या 28 के संबंध में 13 माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में रखे हैं...

(बीच में माननीय सदस्य द्वारा व्यवधान)

13 माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में रखे हैं जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं भारत में राजस्थान ही एक मात्र ऐसा राज्य है जो दूसरे राज्यों की तुलना में जहां अकाल की छाया हमेशा पड़ती रहती है । यह आज से नहीं पिछले 15-20 वर्षों से नहीं, लेकिन छपन्या काल 62 का अकाल और वह इसलिये पड़ते रहते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हीं ऐसी है । इस राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की वजह से अनिश्चित वर्षा होती है और अनिश्चित वर्षा होने की वजह से खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके को दुर्भिक्ष का सामना हर दूसरे और तीसरे साल करना पड़ता है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

पिछले तीन चार साल राजस्थान में दुर्भिक्ष के मामले में कठिन थे। यही नहीं अपितु देश भर में दुर्भिक्ष की छाया थी। लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले में राजस्थान में 2020 में 6,442 गांव अभावग्रस्त थे, 2021 के अन्दर 8,215 थे, 22 में 11,126 गांव अभावग्रस्त थे जहां 23 में 9,205 गांव अभावग्रस्त थे उसके मुकाबले में इस साल केवल 2,365 गांव अभावग्रस्त हैं जिनमें 15 लाख 26 हजार जनता इस अकाल के प्रकोप में है। 12 गांवों की 41 तहसीलों में यह अकाल की स्थिति है। इसमें से अभी तक जो राहत कार्य खोले गये हैं वे चार ही जिलों में हैं। और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी तक दूसरी जगह काम नहीं खोलने का मुख्य कारण यह था कि जिलाधीशों के पास से हमारे पास इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि राहत कार्य शुरू करने की अभी आवश्यकता नहीं है। कुछ जिलों में उन्होंने इस सम्बन्धी कागज नहीं भेजे, वे मंगाये हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग इस बारे में कल ही थी और उस मीटिंग में और उससे पहले 18,19 और 20 तारीखों की मीटिंगों में राजस्थान सरकार ने उन गांवों में जहां पर कि पिछले तीन साल से लगातार अकाल है उसके मामले में हमने अभी तक जो राज्य सरकार से आज्ञा प्रसारित की उसमें कुछ ढिलाई दी है। हमने यह निर्णय लिया है कि जहां तीन साल से ऊपर से लगातार अकाल है उन गांवों के अन्दर दस मील से कम की परिधि में सहायता कार्य खोले जावेंगे। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है......

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि कब खोलेंगे ये काम आप सितम्बर में अकाल मान लिया और अभी तक वहां काम खोले नहीं हैं। जिस तरह हरिदेवजी झांसा देकर गये उसी तरह से आप भी भाग जाना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप भी भागेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप भी चले जावेंगे। आप क्यों घमण्ड करते हैं। आपको भी चले जाना पड़ेगा क्योंकि आप परिस्थिति ऐसी पैदा कर रहे हैं। कहतसाली को चार पांच महीने हो गये और काम खोलने की कहते हैं तो आप फरमाते हैं आप भी जाइये। आपको भी जाना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : निकल जावेंगे तो चले जावेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कारों में से उतार कर लोग तुम्हें पेड़ों से बान्ध देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश वहां के लिये कुछ भी सिफारिश करते हों हम राहत कार्य सेंक्शन करने के समय पर डिसीजन लेंगे। नोहर से आने वाले भी बीच में कह रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास में जिलाधीश की सिफारिश आई है। जिलाधीश ने यह कहा है कि गंगानगर जिले में मार्च के अन्त तक राहत कार्य खोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिलाधीश को क्या पड़ी है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(शोरगुल-अश्रव्य)

भंयकर काल वहां पड़ा हुआ है । जिलाधीश का क्या होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : गंगानगर में मजदूरी का दस रुपया तक दिया जाता हैं । इस साल गंगानगर जिले में खाद्यान्न का उत्पादन में रिकार्ड उत्पादन हुआ है और इसकी वजह से मजदूरी करना जो चाहें तो उनको 5 रुपये से दस रुपये तक मजदूरी मिलती है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौन से गांव में है । बताइये ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : जहां दुर्भिक्ष की काली छाया पड़ी हैं और जहां मजदूरी देना सरकार उचित समझेगी, जरूर देगी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको पैसा मिलता है न, तो उनको भी दस रुपया देने की बात करते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और एक और माननीय सदस्य ने कहा कि अकाल के इस अभिशाप को हमेशा के लिए कम करने के लिये कोई स्थायी योजना लागू करनी चाहिये । इसके लिये मैं निवेदन कर दूं कि पिछले साल से जब से सेन्ट्रल स्टडी टीम यहां आई हैं और उस पर राज्य सरकार ने प्रायोरिटी निश्चित की है उसमें हमेशा डवलपमेन्ट वर्कस को प्रायोरिटी दी है ।

इसकी वजह से खडीन, सिंचाई के काम अफोरेस्टेशन, साइल कन्जर्वेशन के काम साथ ही पानी की समस्या को हल करने के लिये भी पिछले अकाल में पाइप लाइनों पर 80 लाख रुपया पिछले एक फाइनेन्सियल ईयर में खर्च किया गया था और यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के यह विचाराधीन हैं कि इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिये सीनियर अफसर की नियुक्ति की जानी चाहिये जो कि इसका परमानेन्ट इस फेमीन मीनेस को मीट करने के लिए आगे योजनायें बना कर पूर्व में तैयार रखें । ताकि जब कभी अकाल आये तो नियोजित रूप में योजना को चला सकें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बीस सालों में अपने शासनकाल में एक गांव में पानी नहीं दे सके । अब योजना की सोच रहे हैं । बीस साल बैठे सोते रहे, एक गांव को आप पानी नहीं दे सके । अब भी योजना के नाम पर झांसा देना चाहते हैं भोले भाले लोगों को। हजारों पशु मर जाते हैं पानी के अभाव में और आप अब प्लान की सोच रहे हैं । अब सोच रहे हैं । जैसे पहले सोचते आये वैसे ही अब सोच रहे हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं नोहर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि बीच में व्यवधान न करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये गलत बातें कहते जावें, हम बोलें भी नहीं । हम चले जावें । आप यह भी कर दीजिये ।

Page No.236

श्री परसराम मदेरणा : पानी की समस्या राजस्थान में विकट है तो वित्तीय साधनों को देखते हुए जितनी धनराशि इसके लिए उपलब्ध करा सकते हैं इस समस्या के हल के लिए उपलब्ध कराकर इसे हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पर यह कहना कि हमने बीस सालों के अन्दर इस पानी की समस्या को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं समझता हूं, कि यह कहना उनकी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। सदन में इतनी निर्भीकता के साथ में कहना।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप एक गॉव बता दें हमारी तहसील में। सौ गांव ऐसे हैं जिनमें एक में पानी की व्यवस्था आपने की हो तो। हजारों पशु पानी के अभाव में मर जाते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : 136 गांवों के आसपास राजस्थान में सरकार ने पानी का प्रबन्ध किया है। यह राजस्थान कांग्रेस की देन है कि उसके इन प्रयत्नों का यह फल है कि आज वहां पर सिंचाई भी होती है। राजस्थान नहर लाई गई है। उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बीस साल इसके लिए आपका समर्थन करते हुए हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान नहर आगे बढ़ती जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पचास मील दूर है, कैसे पी लेगा कोई ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी इसके लिए सदन में कह रहे थे कि हम लिफ्ट इरिगेशन की योजना भी हाथ में ले सकेंगे जिससे कि पीने के पानी की समस्या भी हल कर सकें।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह बात सही है कि पानी की गांव गांव में किल्लत है और जहां ज्यादा किल्लत है उनमें कुओं के पम्प के लिए पैसा दिया है ताकि गांव वालों को कठिनाई नहीं भुगतनी पड़े। कई जगहों पर आज रेलवे टैंकों से पानी देने जा रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : बीच में ही पैसा खा गये। आपके सरपंच 1500 रुपया खा गये शिकायत की तो आपने इसकी इन्क्वायरी नहीं की। अभी तक जांच नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बार बार खड़े होते हैं, ओब्जेक्शन करते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य से कई बार निवेदन कर चुकी हूं। मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहती हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : नायब तहसीलदार रुपया खा गया। इन्क्वायरी के लिए लिखा कोई इन्क्वायरी नहीं हुई।

(8 म. प.)

श्रीमती सभानेत्री : मैं बार बार कह रही हूँ माननीय सदस्य (श्री रामचन्द्र आर्य)

(श्रीमती समानेत्री)

आप बारबार बीच में न बोलें। आप कुछ ठीक ढंग से व्यवहार कीजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : श्री हंसराज जी को कह दीजिए कि वह पानी की बाल्टी माननीय सदस्य को पहुंचा दें।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात जो अकाल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कही कि जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करवाया जाना चाहिए। यह बात सही है कि अकाल की जिस समय सीवियेरिटी होती है तो बहुत से काम शुरू करने पड़ते हैं और कामों के अलावा निश्चित अवधि के अन्दर उसको करना होता है और जब अकाल समाप्त हो जाता है तो वह काम बन्द कर दिए जाते हैं। जब बरसात हो जाती है, काश्तकार लोग अपने खेतों के काम में लग जाते हैं और रिलीफ वर्क्स के ऊपर मजदूरों की तादाद कम हो जाती है और जब राज्य सरकार को भरोसा हो जाता है कि अब काम चलाने की आवश्यकता नहीं है तो उस समय वह काम बन्द हो जाते हैं और जिस दिन रिलीफ वर्क्स बन्द हो जाते हैं तो जो काम उस समय कम्पलीट नहीं होते वह अधूरे रह जाते हैं। राज्य सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हैं और फेमिन डिपार्टमेंट की तरफ से भी यह आदेश हैं कि जब कोई कभी दुबारा अकाल पड़े तो उन कामों को निश्चित तरीके से फिर शुरू करना चाहिए। आज योजना के जो काम है और जो काम हाथ में लिए हुए हैं कन्सर्निंग डिपार्टमेंट का आदेश है कि जब कभी अपने मद में और डिपार्टमेंट के बजट में कोइ प्रोवीजन हो तो उन कामों को पूरा किया जाना चाहिए लेकिन जब तक यह नहीं होता है तो फेमिन डिपार्टमेंट कोई परमानेन्ट डिपार्टमेंट तो है नहीं क्योंकि पी. डब्लू. डी. इरीगेशन और दूसरे डिपार्टमेंटस की तरह से कि बारहों ही महीनों में काम चलता रहे और उनको कम्पलीट कराते रहें इसलिये यह डिफिकल्टी हैं। उसके बाद में अलसीसर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो टांकों के सम्बन्ध में एक बात कही कि टांके अधूरे पड़े हैं। अभी भी वहां फेमिन है मुझे जानकारी मिली है कि वास्तव में दोनों टांके अधूरे रह गये हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह दोनों टांके इस साल फेमिन है और उनको पूरा करा दिया जायेगा।

यहां पर बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य चले गये उन्होंने बात कही थी कि इनकम्पीलट रह गये हैं और मैं समझता हूं कि जो काम इनकम्पलीट रह गये हैं उन्हें अकाल के अन्दर ही काम जब होते हैं और जब गांवों को गजट में नोटीफाई करते है तब ही उनको पूरा करा सकते हैं अन्यथा नहीं।

ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने नाड़ियों के बारे में कहा कि कुछ गांवों के अन्दर और डेजर्ट के अन्दर कुछ एसी नाड़ियां हैं जिनमें पानी 5-6 महीने से ज्यादा रहता है और पानी की किल्लत होने की वजह से नाड़ियों को खुदवाया जाना चाहिए। अब तक राज्य सरकार की इस तरह की आज्ञा थी कि

(श्री परसराम मदेरणा)

फेमिन में काम को देखते हुए नाड़ियों में इतने मजदूर नहीं लग सके पहले नाड़ियों का काम हर जगह शुरू कर दिया गया और उससे जितना रिलीफ हम दे सकते हैं उतना नहीं मिल सका। लेकिन बाड़मेर डिस्ट्रीक्ट में और दूसरी जगह हमने इस बात का निर्णय लिया है कि रेगिस्तानी इलाके में ऐसी नाड़ियों जिन नाड़ियां में पानी लम्बे अर्से तक रहता है वहां पर उनकी खुदाई का काम फेमिन डिपार्टमेंट के जरिये किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार ने प्रसारित कर दिये हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल अकाल की ऐसी स्थिति नहीं है और फोडर की कमी जिन जिलों में अधिक है जैसे बीकानेर और जैसलमेर में सब जगह हमने रिलीफ दी है और जो लोग इंफेक्टेड हैं उनको रिलीफ मिल सके ऐसा प्रावधान किया है और जो स्टेप्स राज्य-सरकार ने लिये हैं फेमिन के सम्बन्ध में और रिलीफ कार्यों को शुरू करके वह मैं समझता हूँ कि काफी हैं और आगे आने वाले समय में जैसी परिस्थितियां आती रहेंगी हम इन कामों को आगे खोलते रहेंगे।

यहां पर खास तौर से कहा गया और फेमिन के काम में फर्जी हाजरियां होती हैं और दूसरी तरह की अनियमिततायें होती हैं, तो कुछ जिलों में जहां ज्यादा शिकायतें थीं जैसे सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सब जगह सब शिकायतें हमने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को दे दी हैं और यह एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट जांच करके जो उचित कार्यवाही होगी वह करेगा जहां तक अकाल के संबंध में चेयरमैन महोदया, यह बात है कि जिस समय पी. डब्लू. डी. के मार्फत किसी कान्ट्रेक्टर से काम कराया जाता है तो उसका खर्चा कम आता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि फेमिन के वर्क्स में खर्च ज्यादा आता है और इसके भी कारण हैं। फेमिन जहां ज्यादा है वहां पर हजारों लोग एक एक काम पर काम करने आते हैं और उस काम करने वालों में आज बूढ़े, औरतें, बच्चे हर तरह के लोग उसमें रहते हैं और इसलिए उस काम के प्रोग्रेस और उसके रिजल्ट्स या रिटर्न्स इतने नहीं हो सकते या उस काम का कम्पलीशन इतना जल्दी नहीं हो सकता जितना कि प्राईवेट एजेन्सी के जरिये करवाया जाता है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि पिछली साल बाड़मेर की सड़क पर 18 हजार मजदूर काम कर रहे थे और वे काम कर रहे थे तब 8-8 मील लम्बे तक मजदूरों की कतार लगी रहती थी। उन सड़को के ऊपर पानी की ऐसी भीषण प्राबलम्स थी कि पी. डब्लू. डी. को 11-11 मील से पखालें लानी पड़ती थीं। आज जो पानी का वहां खर्चा होता है कान्ट्रेक्टर के जरिये काम कराते हैं तो वह नहीं होता है क्योंकि पानी का प्रबंध फिर कान्ट्रेक्टर को अपने आप करना होता है। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा कि मुड़म हमारे पास अवेलेबल होती नहीं है और एक मील के ऊपर मुड़म डालने में 5000 गाड़ियां डाले तो एक मील के अन्दर 6 इंच पर मुड़म बिछाई जा सकती है लेकिन डेजर्ट में गर्मियों में जब कि आंधियों की इन्टेन्सिटी ज्यादा होती है तो हवा की वैलोसिटी इतनी तेज

(श्री परसराम मदेरणा)

होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक तरफ तो मानवीय दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ जब अकाल खत्म हो जाता है.....

श्री रामचन्द्र आय : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि एक आदमी जब आज 5 रुपये रोज में पेट नहीं भर सकता तो मजदूर को आप 14 आना देते हैं गरीब को...

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए फेमिन में इस बात का प्रावधान रखा है कि 13 साल के ऊपर के बच्चे और दूसरे स्त्रियां फेमिन में रखे जाते हैं कि एक फेमिली में 4–4 और 5–5 आदमी काम करलें और अपना गुजर कर सकें और यह होते हुए भी जहां फेमिन ज्यादा गांवों में है और लम्बे एरिया में होता है तो पिछली साल चाहे हम जो भी उनको मजदूरी दे रहे थे इसके होते हुए भी राज्य सरकार ने 19 करोड़ के आसपास फेमिन वर्क्स के ऊपर खर्चा किया है। इसलिए सिविल साधनों को देखते हुए और मिनिमम वेजेज लागू नही होती और जो काम हमने उनको दे रखा था वह पी. डब्लू. डी. के वर्कर के मुकाबले में फेमिन के लेबर के पास काम कम है। यों तो कम है लेकिन काम हमने बहुत थोड़ा दिया है। 10 फुट बाई 10 फुट की एक चोकड़ी में रेत निकालनी पड़ती है और कोई मजदूर 3 घन्टे में यदि वहां से रेत को निकाल देता है तो फेमिन कोड में प्रावधान है कि उसको एक दिन के लिए इतना ही काम दिया जायेगा उससे ज्यादा नहीं दिया जायेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस मामले को लेकर चूंकि आज मिनिमम वेजेज एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं है जैसी कि पहले सदन में चर्चा हुई है इस पर और आज हम अकाल राहत कार्य खोलते हैं तो इस मजदूरी के ऊपर भी हजारों लोग काम पर आते हैं और काम पर आने का नतीजा यह है कि पिछले ज़माने में जब कभी अकाल पड़े है पिछली शताब्दी के अन्दर तो आदमी आदमी को खा गया। मेरे गांव आसोद के नजदीक एक बूढ़ा आदमी जिन्दा है 95 साल का वह कहता था कि जब छपन्या का अकाल पड़ा तो मेरे गांव के पास शहर में एक आदमी अपने बच्चे को खा रहा था, लेकिन इतना भयंकर अकाल होने के बाद भी एक भी आदमी नहीं मरा है और अकाल का हमने मुकम्मल इन्तज़ाम किया है।

चेयरमैन महोदया, अकाल के सम्बन्ध में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : सभानेत्रीजी, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। आपने यह जो मजदूरी तय कर रखी है इस मजदूरी के बारे में हमें ज्यादा नहीं कहने का है। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाओं के बारे में मैंने सवाल रखा था कि क्या होता है कि मजदूरी राज्य-सरकार 14 आना स्त्री को और आदमी को 1 रु. 2 आना देती है। ईसाई मिशीनरी वालों के द्वारा एक आदमी को साढ़े तीन किलो और औरत को ढ़ाई किलो

(श्री विजयसिंह रावत)

दिया जाता है, और काम के बाद में गेहूँ बांटा जाता है गिरजाघरों में। वहां पर सरकार के खिलाफ यह भावना पैदा की जाती है कि तुम्हारी सरकार 14 आना और एक रुपया दो आना देती है लेकिन हम ढ़ाई और साढ़े तीन किलो के हिसाब से देते हैं तो मेरा सुझाव है कि डूंगरपुर, बांसवाडा खेरवाड़ा और अजमेर के अन्दर जहां इनका ज्यादा प्रचार है तो जितना इनके पास पैसा आता है तो डिस्ट्रिक्ट फैमीन एडवाइजरी कमेटी जिसका कि कलेक्टर चैमरमैन होता है, इनका वितरण भी उस कमेटी के द्वारा किया जाय। और जो रेश्यो हमको मिले तो गवर्नमेंट की जो रेट है उसके मुताबिक हो सके।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सुझाव बहुत सुन्दर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक और सुझाव मेरा है कि आन्ध्र गवर्नमेंट ने आज ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि इस प्रकार की प्राइवेट मिशनरीज कोई रिलीफ के सम्बन्ध में मदद देती है उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से बंटवायेंगी। इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय। हमारी राज्य सरकार भी इस तरह का प्रबन्ध करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेन्ट्रल पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठा था और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एश्योरेन्स दिया है कि इनको खुला नहीं छोड़ेंगे गवर्नमेंट एजेन्सी के जरिये ही इसको करवायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : चैयरमैन महोदया, ये जो ईसाई मिशीनरीज फूड फार वर्क के नाम से आटा, तेल और दूसरी चीजें जो वितरण मुफ्त में करती हैं। यह मामला मंत्रि-मण्डल के सामने भी कुछ रोज पहले आया था, और राज्य सरकार भी इस बात के ऊपर जागरूक है कि मिशनरीज को इस प्रकार की छूट नहीं देना चाहिए कि वे अपनी एक इन्स्टीट्यूशन के जरिये आज जो कुछ भी मुफ्त में वितरण करते हैं उसका वे दुरुपयोग करके लोगों के रिलीजन को कन्वर्ट करें या दूसरे प्रकार की फिलासफी का प्रचार करें चाहे वह धर्म की हो या राजनीति की हो। इस पर डिसकशन करने के बाद जिन जिलों के अन्दर मिशनरीज हैं उन जिलों के कलेक्टर्स को यह कहा गया है कि जो कुछ भी सामान वितरण करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो काम पहले राज्य सरकार की सेन्क्शन के बिना तो शुरू हो नहीं सकता है। (कांग्रेस पक्ष की ओर से हियर, हियर) दूसरा उनके लिए यह भी कहा है कि कमेटी के अन्दर हमारे आदमी डालना चाहते हैं उस पर इन लोगों का क्या रिएक्शन है, और जब उनके रिएक्शन के बारे में प्रमुख को खास तौर से उस कमेटी के अन्दर डालें या वहां का जो प्रधान हो उसको भी उस कमेटी के अन्दर सदस्य रखना चाहते हैं। इस प्रकार का एक सुझाव राज्य सरकार की तरफ से कलेक्टर को दिया गया है। और अगर वे मिशनरीज इस बात को एग्री नहीं होती हैं तो पहले तो यह चल रहा था कि सभी रिलीजन के लोगों को इस कमेटी का सदस्य बनाया जाय, लेकिन सब रिलीजनों के लोग एक जगह मिलें। मिशीनरी अलग अलग

(श्री परसराम मदेरणा)

गांव में बना रखी है जैसी कि आपके अजमेर के इलाके में बना रखी हैं। मैं एक मिशनरीज मे गया था जहां कि मीलो का आटा बांटा जा रहा था। उस पर सरकार यह समझती हैं कि अगर मिशीनरीज एग्री नहीं करती हैं कि उनकी वितरण कमेटी में सरकार के नामजद सदस्य रखें तो उसके बाद में कलेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद में कानूनी किस तरह से इस मामले को लागू किया जा सकता है, उस पर राज्य सरकार डिसीजन लेगी।

श्री विजयसिंह रावत : इसके अन्दर यह सुझाव है कि इनके बारे में एक रिजोल्यूशन भी पास किया है फेमीन रिलीफ एडवाइजरी कमेटी, अजमेर ने कि इन ईसाई मिशनरीज की संस्था के जो रिप्रेजेन्टेटिव्ज है उनको डिस्ट्रिक्ट फेमीन रिलीफ एडवाइजरी कमेटी में ले लें। इससे फेमीन एडवाइजरी कमेटी में इनका रिप्रेजेन्टेशन हो जायगा ताकि जितना सामान हो वितरण करने का उसके लिए कलेक्टर सार्टिफिकेट देता है। अगर कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे तो उनको ऐड नहीं मिलेगी। आखिर रेवेन्यू आफिसर से सर्टिफिकेट मिलता है तब वह आती है। फेमीन एडवाइजरी कमेटी में दो एक ईसाई मिशनरीज को डाल दें ताकि तकलीफ नहीं होगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फेमीन का स्थाई रूप से हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनाने के बारे में क्या सोच रहे हैं?

श्री दौलतराम सारण : सभानेत्रीजी, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि मैने एक खास तौर से यह बात कही थी और मेरा कटमोशन भी था कि राजनैतिक आधार पर अभावग्रस्त गांवों के होते हुए भी उनको अभावग्रस्त घोषित नहीं किया जाता। पंचायत समितियां, जिला परिषद् और पंचायतें इस प्रकार से प्रस्ताव भेजती हैं, मैंने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार से लिख दिया कि जांच कर ली गई और शिकायत करने वालों से कोई जानकारी नहीं की गई। उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि अभावग्रस्त लास्ट ईयर भी थे चूरू के कुछ गांव और इस वर्ष भी हैं, लेकिन वहां पर कोई काम लास्ट ईअर भी चालू नहीं किया गया और अभी तक भी चालू नहीं किये गये हैं।

तीसरा सवाल यह है कि मैंने यह मुद्दा उठाया था कि अकाल के स्थाई हल के लिए राज्य-सरकार की कोई नीति नहीं है। एक बोर्ड बना है रेगिस्तान को रोकने के लिए उस पर प्रकाश नहीं डाला गया।

इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 66-67 के अकाल में कुए चलते थे, अकाल सहायता के अन्तर्गत। उनको पैसा नहीं मिला। जिन लोगों ने अनाज की ढुलाई की थी उनको पैसा नहीं मिला। मैंने सदन में प्रश्न भी पूछा था और विभाग के माननीय मंत्रीजी और उप मंत्रीजी को चिट्ठी भी लिखी थी। 67 हजार बकाया उनका निकलता है। अगर नहीं देना चाहते हों तो न दें। पहले का पेमेन्ट आज तक नहीं हुआ है। अभावग्रस्त स्थिति में काम

(श्री दौलतराम सारण)

करने वाले लोगों को जिनमें सहकारी समितियां भी हैं जैसे कि सरदारशहर मार्केटिंग सोसाइटी उसका 10 हजार रुपया बाकी है, तथा और भी प्रारम्भिक सोसाइटियां है जिनसे काम कराया गया है उनके पैसे का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ। इस तरह से कई समस्याएं अकाल के बारे में है, उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : चैयरमैन महोदया, मैंने इनके दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया था।

जहां तक अकाल राहत कार्य शुरू करने का प्रश्न है मैने यह कह दिया कि जल्दी हो हफ्ते भर में काम शुरू नहीं हो तो भी 31 मार्चसे पहले शुरू हो जायगा स्थाई योजना के ऊपर मैं कह चुका हूं कि राजस्थान में एक आदमी अपाइंट करना चाहते है सीनियर आफिसर ताकि वह इस तरह का प्रिप्लान अकाल के मिनेस को फेस करने के लिए बना सके। उसके अलावा तो सब कुछ प्रकृति के प्रकोप पर निर्भर है। हम बहुत ही चाहते हैं कि मृत्यु को बन्द कर दें लेकिन वह सम्भव नहीं है। उसको मीट आउट करने के लिए जितने भी ट्यूब वैल्स खोले गये हैं या दूसरी चीजों के बारे में प्लान किया जाता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। वह उस योजना की तरफ बढ़ने का द्योतक है।

राजनैतिक आधार पर आपने कहा कि अभावग्रस्त होते हुए भी कुछ गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। पंचायत समितियों के प्रस्ताव आये ये कलेक्टर के पास में, और कुछ शिकायतें राज्य सरकार के पास में आई थी चूरू डिस्ट्रिक्ट की। उसके अन्दर जांच करवाई गई और जांच करने के बाद में राजस्व अधिकारियों ने हमको यह रिपोर्ट भेजी है कि जिन गांवों को अभावग्रस्त होने के लिए लिखा गया है उन गांवों में क्राप्स का डेमेज 50 पर्सेन्ट से कम है इसलिए वे घोषित नहीं हो सके। मेरा निवेदन यह कि गिरदावरी के अन्दर 50 पर्सेन्ट से ऊपर जिसमें खराबी हो वहां एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जिसको अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया हो। लेकिन जहां पचास फीसदी से नीचा खराबा है तो वहां रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज कर दिया जायगा और वहां अकाल घोषित नहीं होगा। आखिर हमारा माध्यम भी रेवेन्यू ऐजेन्सी हैं। पिछले सत्र में भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी। मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इतना कह सकता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से आज्ञा प्रसारित की गई है उसमें यह साफ बताया गया है कि जहां पचास फीसदी से ऊपर खराबा होगा वहां अकाल घोषित हो सकता है अगर रेवेन्यू अधिकारी के रिकार्ड में हो तो।

श्री दौलतराम सारण : गांव के लोग पंचायतें जिला परिषदें, एम० एल० ए० जो इस बारे में शिकायत करते हैं उनको जांच के मौके पर पूछा तक नहीं जाता जांच कहां हुई कैसे होगई पता तक नहीं चलता। आपको जिन्होने शिकायत पेश की है उनको क्यों नहीं पूछा गया। गांव के लोग पंच, सरपंच प्रधान, पंचायत समिति, जिला

(श्री दौलतराम सारण)

परिषद सदस्यों के बिना पूछे जांच कैसे हो गई। अगर उनको पूछ कर जांच होती है तो ठीक है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (केलायत) : सभापति महोदया, कट मोशन पर माननीय सदस्यों को पूरा बोलने का मौका मिला माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बहुत ही सुन्दर विस्तृत जवाब दिया इससे अच्छा जवाब और नहीं दिया जा सकता। यह जो बार बार हस्तक्षेप किया जाता है यह रूल्स के खिलाफ है।

श्री विजयसिंह रावत : माननीय सदस्या किस रूल के तहत आपत्ति उठा रही है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आप रूल्स देख लीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदया, हमने जितने कटमोशन दिये हैं और जो आरोप लगाये हैं उनका जवाब मिलना चाहिये। क्योंकि सब को बोलने का मौका नहीं मिला। अकाल सहायता मंत्री सही तरीके से उन सब का जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमेन महोदया, माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि रेवेन्यू में पटवारी है जो गिरदावरी करता है उसके बाद में तहसीलदार एस. डी. ओ. इनको इस बात की हिदायत है कि वे समय समय पर जाकर चेक करे कि गिरदावरी सही हो रही है या नहीं। गिरदावरी का वक्त होता है अक्टूबर के अन्त तक या नवम्बर की मिडिल तक गिरदावरी कम्पलीट हो जाती है।

श्री दौलतराम सारण : पंचायतों को पता तक नहीं चलता।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूँ यह नहीं हो सकता आखिर हमें कोई क्राईटेरिया लेकर चलना होगा वह यह है कि गिरदावरी के आधार पर अकाल घोषित कर देते हैं . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : पटवारी को राजी कर दे

श्री रामचन्द्र आर्य : तो फिर आपके और राजाओं के राज में क्या विशेषता रही। खाली प्रजातन्त्र का नाम लेते हो इसकी मखौल करते हो जब आप पंचायतों को पूछते नहीं, सरपंच को पूछते नहीं गांव वालों को पूछते नहीं जैसा पटवारी के मन में आया कर दिया। क्या यह प्रजातंत्र है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हर बात में माननीय सदस्य चिल्लाते रहते हैं कोई सदन का कायदा नहीं जानते।

श्री परसराम मदेरणा : अब मैं फेमीन के वक्त की जो बकाया है उसके में कहना चाहता हूँ। कुछ के पेमेंट नहीं हुये हैं ऐसा कहा गया अभी आपका दूसरा प्रश्न नहीं आया है इसलिये जवाब आपको दिया नहीं गया होगा। लेकिन मैं इस बारे में इतना निवेदन कर दूं यह जो बकाया है उसमें निश्चित तौर से डिले हुई है तो मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्सनली इसको देखूंगा कि किन-किन तहसील के किन-किन गांवों के पेमेन्ट है वह जल्दी से जल्दी होने चाहिये। यह राज्य सरकार का फर्ज है कि उनकी पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाएं।

मांग संख्या 22 पर कुल 19 सदस्यों ने भाग लिया। पंचायती राज कम्युनिटी डेवल पमेन्ट के बारे में दोनों प्रकार की विचार धारायें पेश की गई। मेरा खुद का मानना है कि राज्य सरकार जन तन्त्र की स्थापना होने के बाद संविधान के अन्दर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में इस बात का उल्लेख किया गया हैं पंचायतों के कायम करने का। इस डाईरेक्टिव प्रिन्सिपल के सिद्धान्त के अनुसार राजस्थान ही एक राज्य ऐसा था जिसने सब से पहले डेमोक्रेटिक डिसेण्ट्रलाइजेशन की शुरूआत की बीसवीं शताब्दी के इतिहास में सब से बड़े गौरव की बात यह है कि भारत में जनतन्त्र की स्थापना हुई आजादी के बाद इस जनतन्त्र को ठेट नीचे तक पहुंचाने में राजस्थान ने देश से अगवानी की और डिसेन्ट्रालइजेशन की यहां शुरूआत हुई। इसको कैसे इन्कार किया जा सकता है। स्वतन्त्रता के बाद जो थ्री टायर सिस्टम लागू किया उसके कारण लोकल लेवल पर लीडर शिप का उदय हुआ है। यहां पर बैठे हुए कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंचायत राज की अन्त्येष्टि भी इसी राजस्थान से होगी। राजस्थान में और कुछ हो सकता है लेकिन जब तक डेमोक्रेसी रहेगी तब तक डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजशेन इस राजस्थान में रहेगा...

एक माननीय सदस्य : चाहे मंत्रि मंडल न रहें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने यह कहा था कि जहां पचायतें पास करके भेजती हैं कि शराब बन्दी होनी चाहिये लेकिन वह न होकर और ज्यादा बढ़ रही है तो जब आप उनकी बात नहीं मानते तो फिर इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्राइजशेन से क्या फायदा? इससे तो आप इसकी अन्त्येष्टि कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेजन के बारे में मैं यह नहीं कहता कि इसमें खामियां नहीं है। पिछले आठ वर्ष में जब से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की शुरूआत हुई है कई प्रकार की परिस्थितियां समय जमय पर पंचायत-राज कहे सकसेस के बारे में राज्य-सरकार के सामने आई है। और जैसी परिस्थिति आती गई है हमेशा उसके समाधान के लिए राज्य-सरकार ने कदम उठाया है। डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलाइजेशन की वजह से आज जनता के रिप्रजेन्टेटिव पंचायत और पंचायत समिति के लेवल पर बैठते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि सरपंचों ने पैसे का दुरूपयोग किया है। यह मैं नहीं मानता हूँ कि दुरूपयोग नहीं किया है और इसलिये जब कभी कोई मामला राज्य-सरकार के सामने आया है, राज्य सरकार ने जैसा आरोप था उसकी गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया है और डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में ऐसी अनियमितताओं के बारे में और जिन्होंने पावर को एक्सीड किया है, या जिन्होंने पंचायत समिति के धन का दुरूपयोग किया है उसको लेकर हमने राजस्थान में 1

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रधान और 60 सरपंचों और उप सरपंचों को हटाया है . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री जो बेई मानी करते हैं उनको क्यों नहीं हटाते ? सरपंच और पंच गरीब हैं उनको तो अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर हटा दिया लेकिन जो मंत्री बेईमानी करके धन कमाते हैं उनको क्यों नहीं हटाते ?

एक मानीय सदस्य : उनको जनता हटायेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ एक्शन लेने और इन्क्वायरी करने के पावर्स इस सदन ने राज्य-सरकार में निहित किये हैं उनके अनुसार हम कार्यवाही कर रहे हैं । यह कोई आरबिट्रेरी एक्शन नहीं है । एक बात मैं कह दूं आप में से कइयों ने मिनिस्टरों के बारे में कहा, और फतहपुर के माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं...

श्री आलम अली : मैं बैठा हूँ, आपको दिख नहीं रहा हूँ ।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने ऐसी बात कही थी कि मिनिस्टर करोड़ों रुपयों का घोटाला कर देते हैं । जो सार्वजनिक जीवन में काम करता होगा वह घोटाला करता होगा या रिश्वत लेता होगा ऐसी बात नहीं है । आपने यह भी चार्ज लगाया कि मिनिस्टर कुछ नहीं करते । यह बात नहीं है कि जो भी व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं वे सब सच्चे ही होते हैं । मैं एक बात आपसे कह दूं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में इन्टेग्रिटी का माप दंड रहा है मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब तक व्यक्तिगत रूप से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ तब तक करप्शन के मामले में, पक्षपात के मामले में, पैसे के मामले में अपने आपको ऊपर रखूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और जहां तक पंचायत राज्य का प्रश्न है...

एक माननीय सदस्य : मेरी बात का जवाब नहीं दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : इस ओर बैठनेवाले और उस ओर बैठनेवाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी सरपंच का प्रश्न है, और एक्शन लेने की बात कहते है तो मेरे ऊपर भी परमात्मा है, मैं गैर इन्साफ करने वाला नहीं हूँ....

श्री केसरीसिंह हाडा : मैंने जो नाम बताये स्पेसिफिकली, क्या कृपया उनकी जांच करायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायत राज्य इन्स्टिट्यूशन के अन्दर थ्री-टायर सिस्टम है उसके बारे में कुछ लोग तो कहते हैं कि वे ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, वैसी बात राज्य सरकार के भी ध्यान में है कि पंचायत राज्य की क्या शेप होनी चाहिये । सादिकअली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिला परिषद को स्ट्रेन्थन करना चाहिये, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पंचायतों को स्ट्रेन्थन करना

(पंचायत मंत्री, श्री परसराम मदेरणा)

चाहिये। पचायत राज्य के सम्बन्ध में, पोलिसी के सम्बन्ध में उसकी सफलताओं और असफलताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक पोलिसी स्टेटमेन्ट का मसविदा राज्य-सरकारों को भेजा है। राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और डेवेलपमेन्ट मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेन्स मद्रास में होने वाली थी लेकिन भाषाई दंगों के कारण नहीं हुई और इस बारे में विचार नहीं हो सका। थोड़े दिन पहले कम्युनिटि डेवेलपमेन्ट योजना के जो मिनिस्टर हैं सेन्टर में उनसे बात हुई थी तब उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में इसकी मीटिंग दिल्ली में बुलाने वाले हैं। सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेना इसलिये स्थगित कर दिया कि भारत सरकार की पोलिसी के संदर्भ में तमाम देश में पंचायती-राज को मजबूत बनाने के लिये किस तरह का निर्णय लिया जाता है उस निर्णय के बाद राजस्थान सरकार सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट करना चाहती है।

अब चैयरमैन महोदया, कुछ मुद्दे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर उठाये हैं उनमें से कुछ अभी यहां पर मौजूद हैं कुछ मौजुद नहीं हैं। जो यहां पर इस समय मौजूद हैं और खास तौर से जिन्होंने मुद्दे उठाये हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ।

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने चुनाव प्रणाली के बारे में कहा कि खर्चीली है इसलिये इसके स्वरूप में और प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये क्योंकि प्रधान के चुनाव के लिये इलेक्टोरल कालेज है वह बहुत बड़ा है इसलिये खर्चा ज्यादा होता है लेकिन जो कुछ चुनाव के सम्बन्ध में हमने निर्णय लिया और पहले वाली प्रणाली में परिबर्तन किया था वह सादिकअली स्टडी टीम के रिकमन्डेशन के आधार पर था और सदन में चर्चा होने के बाद अख्त्यार किया था। यह मैं भी मानता हूँ कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। चुनाव से पहले इस पर पुनर्विचार करेंगे और माननीय सदस्य के जो विचार हैं उन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायगा।

बहरौड़ के माननीय सदस्य ने यह कहा कि पंचायतों को जो भूमि एलॉट होती है वह भूमि एलॉट नहीं हुई इसलिये उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई। इस प्रकार के आदेश विकास विभाग और राजस्व बिभाग के सब से नीचे के अधिकारियों ने दिये हैं, कई जगह भूमि एलॉट हुई है कई जगह नहीं हो पाई है और मेरे साथी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं वे इस ओर भविष्य में ज्यादा ध्यान देकर यह देखेंगे कि जहां जमीन उपलब्ध हो उस जगह पंचायतों को जमीन अलॉट करनी चाहिये।

चोहटन से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सरपंच जनता के रिप्रेजेन्टेटिव हैं और यही एक प्रशासन में ओहदा है जिसमें हिसाब किताब खुद को रखना पड़ता हैं और सभी सरपंच पढ़े लिखे नहीं होते इसलिये अनियमितताएं हो जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि ऑडिट ओब्जेक्शन्स का ज्यादा सामना करना पड़ता है। हमने इस साल 65 पंचायतों में उप सचिव लगाने की योजना चालू की है, 726 पंचायतों में सेक्रेटरीज लगाये

(पंचायत मन्त्री, श्री परसराम मदेरणा)

है 2176 पंचायतों में से। साल भर तक इसको हम देखना चाहते हैं कि यह स्कीम कहां तक कामयाब रहती है। यदि यह स्कीम कामयाब रहती है तो दूसरी पंचायतों को भी यह सुविधा देने के बारे में विचार किया जायगा।...

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : यह स्कीम रेगिस्तानी इलाके में जहां के सरपंच कम पढ़े लिखे हैं वहां पर सबसे पहले लागू करनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : बूंदी से आनेवाले सदस्य ...

श्री केशरीसिंह हाडा : बूंदी नहीं हिन्डोली। बूंदी से तो राजस्व मंत्री जी आये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बूंदी नहीं हिन्डोली से आनेवाले माननीय सदस्य श्री केशरीसिंह जी ने और दो और माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि प्राथमिक शिक्षा, और नसीराबाद के माननीय सदस्य ने भी एक बात कही।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने सेक्रेटरीज के बारे में भी कहा था, जरा कान खोल कर सुना करो।

श्री परसराम मदेरणा : कान खोल कर सुनने की क्या बात कहते हो, आखिर आपको संयम रखना चाहिये बोलने का। मैंने जो सचिव के बारे में जवाब दिया वही बात आपके प्रश्न का उत्तर भी है। आप यह चाहते हैं कि मैं निश्चित रूप से नाम लेकर संबोधित करता ? मैंने गवर्नमेंट का व्यू पोइन्ट आपको बता दिया।

श्री विजयसिंह रावत : आप उन सदस्यों का नाम ले रहे हैं मेरे नामसे नफरत है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो बात कही गई मैं उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ (करतल ध्वनि) कि पंचायत राज की स्थापना के बाद प्राथमिक शिक्षा के स्तर में डिटेरियोरेशन हुआ है। सादिकअली स्टडी टीम ने भी यह बात कही है। स्तर के मामले में, टीचर्स की अटेन्डेन्स के सम्बन्ध में, लड़कों की संख्या के सम्बन्ध में और फिर सुपरविजन और कंट्रोल रखने के मामले में यह जो प्राइमरी स्कूलें पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की गई है उसके बाद निश्चित तौर से सुधार हुआ है।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

यहां पर ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विकास अधिकारी ए. ई. ओ. को बनाया है उसके लिए कहा कि वह काम को ठीक तरह से नहीं देख सकेंगे। भारत सरकार ने मुखर्जी कमेटी की स्थापना की थी। अलग अलग पंचायत समितियों के अन्दर अन्दर अलग तरह के विकास की पासिबिलिटीज हैं, किसी पंचायत समिति में पशु पालन की पासिबिलिटी है, तो किसी में एग्रीकलचर डेवेलपमेन्ट की पासिबिलिटीज हैं, इसलिए उस कमेटी का सुझाव था-वह सारे देश भर के लिए रहता है सिर्फ राज-

(पंचायत मंत्री, श्री परसराम मदेरणा)

स्थान के लिए ही नहीं है-उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन पंचायत समितियों का वर्गीकरण होना चाहिये। जब पंचायत समितियों का वर्गीकरण करने का फैसला राज्य सरकार ने किया तो दूसरा प्रश्न यह आया कि उस जगह पर तकनीकी आदमी हैं उनको विकास अधिकारी बनाया जाय या कि आर. ए. एस. को विकास अधिकारी के पद पर रखा जाय। तो उसमें राज्य सरकार का यह फैसला था कि जिन पंचायत समितियों में एग्रीकल्चर के डेवेलपमेंट की पासिबिलिटीज हैं वहां पर ए.ई.ओ. को विकास अधिकारी रखना चाहिए ताकि वहां एग्रीकल्चर का विकास आगे बढ़ सके। जिन पंचायत समितियों में पशुपालन की पोटेंसियलिटी है वहां पर ए. एच. ओ. को विकास अधिकारी के पद पर लगाना चाहिए।

यहां परडूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रधानों का जो कन्ट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पर उसके सम्बन्ध में बात कही। उन्होंने यह कहा कि प्रधान आज विकास अधिकारी की सी. आर. नहीं लिखते हैं इस लिए उनका उसके ऊपर कन्ट्रोल नहीं रहता। पंचायत समिति के जो प्रधान हैं उनकी विकास अधिकारी के बारे में क्या राय है वह उनसे रिटन में मांगते हैं। इन दिनों में मेरे सामने राय प्रधानों की आ रही है। मुझे आप माफ करेंगे, विकास अधिकारियों के सलेक्शन के रूल्स बन गये हैं और अभी थोड़े दिनों के अन्दर सलेक्शन का काम पी. एस. सी. के मैम्बर की चेयरमैनशिप के अन्दर शुरु हो जायगा। उसमें जिन विकास अधिकारी के लिए कलेक्टर ने लिखा है कि यह आदमी बिल्कुल बेकार है, विकास के काम में रुकावट डालने वाला है, इसका कंट्रोल खराब रहा है इस आदमी की इन्टेग्रिटी खराब है, उस आदमी ने प्रधान से, जहां थोड़ी भी यह बातें रहीं, मेनुपुलेशन करके यह लिखाया कि इस जैसा बढ़िया आदमी हिन्दुस्तान में नहीं है। इसी सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि आज मिनिस्टर भी हैं लेकिन मिनिस्टर आज किसी ऑफिसर की सी.आर. नहीं लिखता है. . .

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : प्रधानों में सबका शब्द क्यों काम में लेते हैं। बहुत से प्रधान हैं उनमें से ऐसे एक दो हों उनके नाम आप बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : तीन विकास अधिकारियों की बात थी उनमें से दो के बारे में इस प्रकार की राय लिख कर भेजी है। इसलिए आप चाहते हैं कि प्रधान विकास अधिकारी की सी. आर. लिखेंगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल ज्यादा होगा-वह बात नहीं है। सवाल यह है कि दूसरे से सम्बन्ध किस तरह के हैं। कई जगह इस बात पर यह निर्भर रहता है कि पंचायत राज का काम किस तरह से चल रहा है, कितनी योग्यता लीडरशिप में है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें और दूसरे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनमें कर्त्तव्यपरायणता और कुशलता कितनी है-और इन दोनों में संबंध कैसा है, यह सब बातें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफर करती हैं इसलिए कई जगह पर दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं और दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं तो उनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार कोशिश करती है।

(पंचायत मंत्री श्री परसराम मदेरणा)

डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के लिए बात कही। मैं मानता हूं और राज्य सरकार भी मानती है कि बहुत सी जगह यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के अभाव का कारण है कि वहां पर तकनीकी आदमी मौके पर नहीं गये हैं और इस अभाव में आज जो शिड्यूल्ड रेट्स हैं पी. डब्ल्यू. डी. की वह बहुत पुरानी हैं और उस रेट से उस इलाके में काम नहीं हो सकता है। यह डिफीकल्टी है। इसके लिए आदेश दे दिया है कि इस शिड्यूल्ड रेट को इन्जीनियर्स से मिल कर रिवाइज कराके इनके सर्टीफिकेट जल्दी से जल्दी दिये जाने चाहिए। अगले वर्ष जब यह डिमाण्ड इस सदन में आएगी और इस विकास का काम यदि मेरे पास रहा, तो मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के बारे में खास तौर से एक ड्राइव चलायेगी और पंचायत समिति और सब अधिकारियों को पाबन्द किया जायगा कि निश्चित समय के अन्दर यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो काम पूरे हो गये हैं उनके दिये जाने चाहिये ताकि आगे किश्त दी जा सके. . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब तो जरूर डिपार्टमेंट आपके पाससे चला जायगा।

श्री विजयसिंह : तब तो जरूर चला जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कोशिश की तो डिपार्टमेंट आपके पास से चला जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात माननीय सदस्य ने कही कि पंचायत समितियों में फंड्स बहुत कम हैं इसलिए विकास के काम आगे नहीं चल सकते। यह बात सही है। नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस के जितने भी काम हैं, वह अलग अलग स्टेजेज में होने वाले हैं, फर्स्ट स्टेज, सैकिंड स्टेज और पोस्ट सैकिंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अन्दर विकास कार्यों का प्रावधान था वह 12 लाख का था, सैकिंड स्टेज पर विकास कार्यों का प्रावधान आ गया पांच लाख पर और पास्ट सैकिंड स्टेज में आया तो वह कमेन्डेड एक्सपेन्डीचर रह गया, लाख-डेढ़ लाख के पास। फर्स्ट स्टेज में जैसा बतलाया, 272 पंचायत समितियों में से 73 हैं, सैकिंड में 63 हैं और थर्ड के अन्दर 91 ब्लाक चले गये हैं। इस लिए आप लोगों को इस बात की कठिनाई महसूस होती है और विकास के काम में आज कमी आई है। लेकिन सोचा यह गया था कि पंचायत समितियां इस कम्युनिटी डेवेलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करने के बाद पीपुल्स पार्टीसिपेशन के जरिये, लोगों के एक्टिव पार्टीसिपेशन को लेकर रिसोसेज रेज करेंगे और रिसोर्सेज को रेज करने का प्रावधान अव्वल नम्बर पर तो पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम में रखा, लेकिन कुछ पंचायत समितियों ने टैक्सेज लगाये रिसोर्सेज को डेवेलप करने के लिए वह कम हैं, पूरे राजस्थान में आमदनी पंचायत समितियों के अपने टेक्स की होती है वह 42 लाख के आस पास है। इसलिए बजट जो उनका था वह कम होता गया, ज्यों ज्यों स्टेजेज पार होती गईं, दूसरे अपने साधन जो उनको जुटाने चाहिये वह उन्होंने नहीं जुटाये इसलिये आज पंचायत समितियों

(पंचायत मंत्री श्री परसराम मदेरणा)

के अन्दर विकास के मामले को लेकर एन्थुजियाज्म था उसमें कमी आई है।

यहां पर ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के एकीकरण के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पृथक् इनको किया गया तो राज्य सरकार के सामने सिद्धान्त था कि जो पंचायतें आज गांवों में एक जगह बैठ कर काम करती हैं अपने कुछ के क्षेत्र में और लोकल काम करती हैं उसके अलावा एक बड़ी न्याय पंचायत होगी उसमें एक एक पंचायत का एक एक प्रतिनिधि जायगा तो न्याय ठीक ढंग से मिल सकेगा और किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। उसके बाद सादिक अली कमेटी ने सिफारिश की कि न्याय-पंचायत को अलग करना चाहिये। राज्य सरकार यह मानती है कि अब वह बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम उस डिसीजन में कोई तरमीम करें और आज जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ही लागू रहेगी।

यहां पर एक दो माननीय सदस्यों ने हरिजनों के एडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कही, आज हरिजनों का रिजर्वेशन वहां पर होता है जहां कोई सदस्य चुन कर नहीं आता है। यहां कोई मनाही नहीं है। अगर ग्राम पंचायत में पन्द्रह वार्ड हैं और वहां हरिजन इतना पोपुलर है कि वह जीत सके तो वह आये। अगर नहीं आता है तो उसका कुछ जगह प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ सिर्फ एडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं आने की वजह से ट्राइबल ब्लाक की स्थापना करके आज चौदह ब्लाक चल रहे हैं। उनके बजट के अलावा लाखों रुपया हर उस एरिया में पिछड़े हुए लोगों पर खर्च करके उनको सक्षम बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने डेमोक्रेसी की यहां पर काफी व्याख्या की और एक बात कही कि यहां पूंजीवादी डेमोक्रेसी है इस देश में। इस देश के अन्दर पूंजीवादी डेमोक्रेसी है या दूसरी है—इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इस देश में एडल्ट फ्रेन्चाइज है, इसमें जिन लोगों को जनता प्रतिनिधि बना कर भेजती है वह बालिग मताधिकार के आधार पर भेजती है और डेमोक्रेसी में उनको स्वीकार करना पड़ता है. . ,

आपने यह भी बात कही कि आज डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस के अन्दर इस देश में ऐसी स्टेज आ गई है कि कांग्रेस क्रास फ्लोर पर आ गई है। डेमोक्रेसी में इस प्रकार की स्टेज हो और उस स्टेज में कांग्रेस को किस तरफ जाना है तो इसके लिये मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की मंजिल समाजवाद है, उसी दिशा में कांग्रेस जायगी, उसी दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और किसी दिशा में नहीं बढ़ेगी।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

बस यही मुझे निवेदन करना है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : मुझे मिनिस्टर साहब से एक प्रश्न करना है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, इनका स्कूलिंग करवाइये।

Page No.251

श्री मदनसिंह : मुझे एक प्रश्न करना है....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाया है ।

श्री मदनसिंह : कोई पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं उठाया साहब ।

मिनिस्टर महोदय के व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे ग्रच्छी तरह मालूम है ग्रौर जहां तक मुझे मालूम है, उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई ऐसा लांछन नहीं है, इसलिए स्पष्ट कह सकते हैं पर जहां ईश्वर को ऊपर रखा, जरा हृदय में रखते तो ड़ीडवाना का प्रधान जिस पर एन्टी-करप्शन की तरफ से 900 रुपये खाने का केस है, उसको दबाये बैठे हैं, उस पर 80 हजार का ग्रारोप लगाया, उसको दबाये बैठे हैं, उन केसेज को दबाये नहीं बैठते । सरपंच को उड़ा सकते हैं पर जब जाति का ग्रादमी ग्राता है तो दब जाते हैं । मैं ग्रगर साबित कर दूं एन्टी-करप्शन की फाइल को मंगा कर, तो क्या ग्राप उसी दिन उसको खत्म कर सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : चेग्ररमैन महोदया, मैंने यह बात नहीं कही, मैंने यह कहा कि मुझे शिकायत करेंगे, सरपंच की या प्रधान की उसे रिमूव कर दिया जाय तो मैंने कहा कि मैं किसी के कहने से, किसी के दबाव में ग्राकर किसी ग्रादमी को सजा देने वाला नहीं हूं, चाहे मेरे पास कितनी ही पावर सदन ने क्यों न दे रखी हो ।

दूसरा मामला है, मैं नहीं कह सकता कि उसकी क्या पोजिशन है । जाति का कोई सवाल नहीं है । जाति की बात कहते हैं तो मेरे मन्त्री बनने के बाद में सबसे ज्यादा ग्रादमियों को ग्रारोपों से बरी किया है तो राजपूतों को किया है, ग्रौर किसी को नहीं किया है ।

श्री मदनसिंह : यह ठीक है, पर एन्टी-करप्शन से इस पर्टीक्यूलर ग्रादमी की फाइल ग्राई है, उसे ग्राप दबाये बैठे हैं ।....

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में क्वेश्चन पूछा गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्वेश्चन ग्रायगा तो जवाब दूंगा । एन्टी-करप्शन से कोई फाइल नहीं ग्राई है सरकार के पास । ला-डिपार्टमेंट की यह ग्रोपिनियन है कि जिस वक्त ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहते हैं तो एन्टी-करप्शन के कहने से, प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन देना चाहते हों तो कोई ग्रोथेरिटी हो उसे ग्रपना माइन्ड एप्लाई करना चाहिये । मैंने ग्रपना माइन्ड एप्लाई करने के लिए एन्टी-करप्शन से रिपोर्ट मंगवाई है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद में मैं ग्रपना माइन्ड एप्लाई करूंगा ग्रौर उसके बाद जो उचित होगा वह एक्शन लूंगा ।

श्री ग्रालमग्रली (फतेहपुर) : सभापति महोदया, मैं जिका बात कहीं बीं को बिलकुल उलटो ग्ररथ लगायो है ईं वासते मैं स्पष्टीकरण करूंगो ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, मंत्री महोदय उत्तर देने खड़े हो गये हैं।

श्री आलमअली : मेरी बात को उल्टो अरथ लियो है तो स्पष्टीकरण मैं करूंगो ही। मैं आ बात कही ही के चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो चाहे कोई चुणियोड़ो मेम्बर होवो, सगलां का सगलां की एन्क्वायरी कराओ पण प्रजातान्त्रिक देश में आ बात ठीक है के कि एक सरपंच की तो एन्क्वायरी करवावो और एक मिनिस्टर की एन्क्वायरी नहीं करा सको ? ओ कठा तांई न्याय है ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदया, राजस्व की मांग को ले कर इस सदन में 150 से अधिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं उन सबको 15-20 केटेगरीज में बांट कर हर एक मुद्दे पर...

श्रीमती सभानेत्री : सदन संक्षेप की अपेक्षा करता है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : जो सदन के काम की बातें हैं, वही मैं बताऊंगा सभापति महोदया, पहला जो नीति सम्बन्धी मुद्दे यहां उठाये गये हैं, उनका जवाब दूंगा और उन्हीं के सम्बन्ध में जो व्यक्तिगत मामले उठाये गये हैं, उन पर जितना मुझे मालूम है, प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अनार्थिक जोतों के बारे में सवाल उठाया कि राजस्थान सरकार ने पहले अनार्थिक जोतों पर लगान बन्द कर दिया और उसके बाद वापिस लेना शुरू कर दिया। सभापति महोदया, यह सदन इस विषय पर अपने विचार कई बार प्रकट कर चुका है और राज्य सरकार का यह मानना है कि गत वर्ष जो ऐलान किया था, उसका लगान वापिस लौटाया जायगा, यदि कोई पंचायत समिति या जिला परिषद अपने प्रस्ताव के जरिये उस पैसे को अच्छे काम में जनहित के कार्यों में खर्च करना चाहें तो वह रकम पंचायत समिति या जिला परिषद की मार्फत खर्च की जायगी....

श्री दौलतराम सारण : यह बीच में क्या बीमारी आ गई ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : जहां वापिस लेना चाहेंगे वहां वापिस लौटाया जायगा। जहां वापिस नहीं लौटाना चाहेंगे वहां नहीं लौटाया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह व्यक्तियों की इच्छा पर होगा या पंचायत समितियों की इच्छा पर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह व्यक्ति लेना चाहेंगे तो वापिस लौटायेंगे।

श्री नाथूराम (वागीडोरा) : किसानों को वापिस लौटाना चाहिये सेक्रेटेरियेट का आर्डर है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : जिस किसी से इस बात की मांग आयेगी, सब लोगों को सलाह होगी वैसा काम किया जायगा।

दूसरी मुद्दे की बात उठाई गई सीलिंग के बारे में। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार अपने निश्चय पर दृढ़ हैं और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह सीलिंग से

(राजस्वमंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तीन गुना भूमि है, उसको पहले अपने अधिकार में लेगी। जिस प्रकार जागीर पुनर्ग्रहण के बारे में स्टेजेज में जागीरों का अधिग्रहण किया गया था उसी प्रकार सीलिंग में भी 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की तीन गुना जमीनें हैं उन पर सरकार अपना दखल अभी करेगी . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि स्टे-आर्डर हुआ है वहां आप कुछ नहीं कर सकते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक स्टे-आर्डर है, वह पेनल एक्शन नहीं लेने के बारे में है और जहां लोगों ने रिट फाइल कर रखी है, उनके खिलाफ पेनल एक्शन की बात आयेगी तो यह सवाल उठेगा। दूसरा मुद्दा . . .

श्री शंकरलाल (जैतारण) : कब किया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आदेश निकाले जायेंगे डेफीनेट तारीख तो नहीं बता सकता, मुख्यमंत्री ने बता दिया है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, नियमन सम्बन्धी मामला है। मैं इस बात पर तवज्जुह देता हूँ कि आज तक इन मामलों के नियमन नहीं हुए। जहां राज्य सरकार को लगान वसूली नहीं हुई है वहां खराबियां भी आई हैं। इसलिए कुछ और निर्णय उस आज्ञा के बाद में लिए गए हैं। जो आज्ञाओं की पुस्तिका मैंने सदन में वितरित कराई है उस समय मैंने निवेदन किया था कि कुछ खामियां और कमियां हैं तो दूर की जा सकती हैं। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये आज्ञायें जो प्रकाशित होती हैं वास्तव में किसानों के पास नहीं पहुंचती हैं और इससे जो लाभ उनको मिल सकता है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। जो आज्ञा 11 मार्च को प्रकाशित हुई है, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अवश्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचा दें। पहली आज्ञा में तरमीम की गई है। यह संदेह उठाया गया था कि 15 गुना जो पेनल्टी ली जा रही है, वह हरेक साल की ट्रेसपासर्स से ली जा रही है और कई जगह तहसीलदारों ने गलती की। जब सरकार के ध्यान में यह बात आई तो निश्चय किया गया कि सन् 1963 के बाद चाहे जितने साल का कब्जा हो, पेनल्टी केवल एक ही बार ली जायगी, हर साल के लिए पेनल्टी वसूल नहीं की जायगी।

एक माननीय सदस्य : जो पहले ही ले ली हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी उस पर आता हूं। दूसरे जो 20 गुना नजराना की बात थी उस बारे में भी कई भ्रांतियां थीं इसलिए जिस व्यक्ति ने जमीन को अपने हाथ से खोद कर गैरमुमकिन पहाड़ी से निकालकर काश्त किया है तो उससे कोई नजराना नहीं लिया जायगा।

तीसरी बात, कुल मिलाकर किसी भी वक्त 20 गुना नजराना पहाड़ियों को छोड़कर और 15 गुना पेनल्टी देकर, पहले वाली आज्ञा में था कि उनको गैरखातेदारी मिलेगी लेकिन बाद में विचार करके निर्णय लिया गया है कि 20 गुना नजराना लेने के बाद उस व्यक्ति को जिसने अतिक्रमण किया है, उसको खातेदारी अधिकार दिए जायेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : पैलन्टी लगानें के बाद नजराना...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 20 गुना नजराना और 15 गुना पेनल्टी, उस समय खातेदारी के बारे में...

श्री रामानंद अग्रवाल : और एलॉट-मेंट्स के बारे में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह नियम के बारे में है । एलाटमेंट के जरिए जो जमीन लेना चाहेंगे गैरखातेदारी हक मिलेंगे ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : आपने कहा 20 गुना नजराना लिया जाय...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन लोगों के ऊपर पेतल्टी और नजराना है उन लोगों से बकाया लगान वसूली नहीं की जायगी । एक चीज और है कि पहले वाली आज्ञा अगस्त में जारी हुई थी । इस बीच में अगर 35 गुने से ज्यादा किसी पर पेनल्टी या नजराना लगा है तो वापस उसको लगान के एवज में एडजस्ट कर दिया जायगा ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : जो 20 गुना नजराना लिया गया है किसानों से नजराना जमा हो जाने के बाद मालिकाना हक नहीं मिले . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनको खाते-दारी हक दिए जायेंगे ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : नहीं दिए जा रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जो आज्ञा प्रकाशित हुई है वह 18 मार्च को हुई है जिसको 3-4 दिन हुए हैं और तहसीलों में अब पहुंच गई है और नहीं पहुंची है तो अब अखबारों के जरिए प्रकाशित हो जायगी और आप सभी माननीय सदस्य अपनी 2 कान्स्टीट्यूएन्सीज में भी पहुंचा देंगे ।

श्री महेन्द्रसिंह : आपने जब आज्ञा निकाली उससे पहले केसेज तहसीलदारों ने तय कर दिए, उनका क्या होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन 5 महीनों के अन्दर अन्दर यदि किसी से ज्यादा रकम वसूल की गई है तो एडजस्ट कर ली जायगी ।

कुंवर श्री महेन्दरसिंह : रकम वसूल करके जमीन छीन ली है ।

श्री बृजसुन्द्र शर्मा : जो जमीनें दी गई हैं और 5 महीनों के अंदर अंदर नजराना लिया गया है तो खातेदारी अधि-कार उसी तारीख से मिलेंगे जिस दिन उसका फसला हुआ ।

श्री विजयसिंह रावत : अजमेर जिले में यह चीज लागू नहीं है । वहां खोद-खोद कर जमीन निकाली है तो आपके आदेश वहां लागू नहीं होते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन जगहों पर खोद कर किसी ने जमीन को काश्त में लिए हैं तो वहां नजराना नहीं लिया जायगा ।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : हमारे इलाके में अनरेकार्डेड ट्रेसपासर्स का क्या कर रहे हैं ?

श्रीबृजसुन्दर शर्मा : एक प्रश्न और उपस्थित किया गया है और वास्तव में वह उचित प्रश्न है। वह यह कि कई जगह पर तो ट्रेसपासर्स रेकार्डेड हैं और कई जगह पटवारियों ने जहां रेकार्ड नहीं किया वे पटवारी लोग डरते हैं कि अगर रेकार्ड कर लिया तो शायद पकड़े जायेंगे। मैंने इस संबध में तहसीलदारों से हिदायतें दी हैं कि पहले रेकार्डेड ट्रेसपासर्स के केसेज से वे निबटलें और जो अनरेकार्डेड ट्रेसपासर्स हैं और जिनको सहादत लानी पड़ेगी, उसके लिए पहले भी आदेश है कि जहां इस प्रकार के केसेज हैं, तो उसी पंचायत हेडक्वार्टर पर जाकर इस बात का निर्णय करेंगे और वे पूछकर इस नतीजे पर पहुंचेंगे आया सन् दिसम्बर 1966 से पहले कबजे चले आते हैं और उन्होंने ट्रेसपास किया है चाहे रेकार्डेड या अनेरेकार्डेड अगर ओरल एवीडेन्स इस किस्म की आती है तो इस काम के लिए हमने 30 पद सेंक्शन किए हैं वे तहसीलदार अधिक लेंगे और वे उस काम को करेंगे और जो एग्जिसटिंग तहसीलदार हैं वे उनकी मदद करेंगे और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सबसे पहला अटैक उन लोगों पर है जो अनरेकार्डेड हैं, यह मानकर उनको 1967 की कल्टीवेशन से बे-दखल कर रहे हैं या तो उनको 6 महीने तक एप्लाई करने का मौका दे दें बे-दखलियों के मामलों में माननीय सदस्य कहते हैं कि फसलें नीलाम हो रही हैं, सब इस कारण हो रहा है उनको अनरेकार्डेड ट्रेसपासर मानकर उनको बे-दखल किया जा रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस संबंध में पूरी तरह से जागरुक हूं और इस संबंध में जो आदेश जारी करने होंगे वे एक दो दिन में मैं जारी करूंगा कि इस प्रकार के पुराने अनरेकार्डेड ट्रेसपासर्स हैं उनको वहां गांव में जब तक लोगों से न पूछा जाय तब तक उनको बदस्तूर काबिज रहने दिया जाय और उनकी फसलों को बरबाद न करने दिया जाय।

श्री कुंवर महेन्द्रसिंह : ट्रेसपासर्स पहले दो तीन महीने के अन्दर फिर से दुबारा...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जितना जल्दी इस मामले को सुलझाया जा सकता है प्रयत्न किया जायगा। कहीं कहीं 9–9, 10–10 तो कहीं 19 हजार केसेज भी हैं। उनमें अगर रेकार्डेड ट्रेसपासर्स पहले इन्तजाम करते हैं और फिर बाद में ऐवीडेन्स की बात करते हैं लेकिन निश्चित रूप से जिन लोगों के पास जमीन कब्जे में है, उनमें सिवा चरागाह और गोचर के, उनको कब्जे में रहने देंगे और जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक वे काबिज रहेंगे।

केवल भूमिहीनों के लिए यह सर्क्यूलर जारी किया है कि जिनके पास 15 बीघा जमीन से ज्यादा है उनको निकाल दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने 1963 के बाद में यह जो प्रावधान किया है कि 20 गुना प्रीमियम खातेदारी अधिकारों के एवज ले रहे हैं तो आप उनको आप्शन देंगे कि जो खातेदारी अधिकार नहीं लेना चाहते हैं ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वे गैरखातेदार रहेंगे।

श्रीरामानन्द अग्रवाल : आप घोषणा करें कि जो खातेदारी नहीं लेना चाहते हैं....

श्री वृजसुन्दर शर्मा : जो नजराना नहीं देना चाहते हैं, गैरखातेदारी टेनेन्सी पर पैनल्टी देकर वहां रह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लीयर नहीं है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : इसके अलावा कुछ मुद्दे आवंटन को लेकर उठाए गए हैं। आवंटन के जो नियम आज तक बने हुए हैं, उसमें हम तरमीम करना चाहते हैं और उसमें जिस प्रकार की खामियां हैं वे ऐसी खामियां हैं कि जिनसे किसी को भूमि एलाट हो जाती है, उसको कब्जा नहीं मिलता हैं, कब्जा लेने के लिए बार बार चक्कर खाता रहता है

अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मीटिंग की इतला नहीं मिलती-

श्री विजयसिंह रावत : ऐसे हजारों मसले हैं, जिनको जमीन अलॉट हो गई है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : आप सुनते तो जावो। इसके अलावा इन नियमों में ऐसा भी प्रावधान है कि जिसमें जैसे जयपुर शहर से किसी भी म्यूनिसिपेलिटि-3 मील के फासले पर और 12 मील के फासले पर कल इस सम्बन्ध में मीटिंग होने के बाद ऑबंटन के मामले को फाइनल करना चाहता हूं। अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहेंगे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें आवश्यक तरमीम कर दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : क्या कर दी जायगी ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : तरमीम।

श्री मदनसिंह : यह मीटिंग कब होने वाली है ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : कल होने वाली है।

श्री मदनसिंह : हम आ सकते हैं क्या ? कितने बजे होगी ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : कल दो बजे का समय रखा है। आप आ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा।

श्री मदनसिंह : कल रविवार है, इस लिये मैंने पूछा है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा: कल का मतलब परसों से है।

श्री मदनसिंह : एक बात और पूछना चाहता हूं कि इन नियमों में आपको कौन कौन से नियम तो वाकई खतरनाक लगते हैं।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : बहुत बड़ी चर्चा हो जायगी।

श्री विजयसिंह रावत : आप तो खतम करिये।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, कुछ ऑबंटन को लेकर मुद्दे उठाये गये हैं और यह कहा गया है, जिम्मेदार लोग भी फौजंरी करते हैं। एक माननीय सदस्य का नाम भी लिया गया था जो बस्सी से आते

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

हूं। मैंने उस आवंटन की पत्रावली को मंगाया और उस पत्रावली के आधार पर तहसीदार के जो रिमार्क्स हैं उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह दरख्वास्त पेश हुई है श्री रेखा देवी जी की तरफ से-कोई माननीय सदस्य की रिश्तेदार हैं - और उसमें यह लिखा है तहसीलदार की तरफ से कि रेखा देवी की निशानी फर्जी तौर पर श्री कन्हैया लाल एम. एल. ए. के कहने पर की। फार्म अभी भरा है इसलिये खारिज की। इस प्रकार की बात आती है तो बहुत तकलीफ होती है।

श्री मदनसिंह : कौन हैं ये ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : श्री कन्हैयालाल एम. एल. ए.। स्वतन्त्र पार्टी के है।

श्री मदनसिंह : मोरीजा के बारे में मैंने कहा, उसके बारे में आपने क्या फरमाया ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : वह तो सरपंच है। मैं तो अभी एम. एल. ए. की जिक्र कर रहा हूँ।

श्री मदनसिंह : मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। आपने इसे हंसी में टाल दिया है यह कहकर कि सरपंच का मामला है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : आप उसको देख लीजिये। उसकी पत्रावली है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ।

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय से मुझे एक जानकारी चाहिये कि श्री कन्हैयालाल जो नाम लिया है यह रेखा देवी उनकी धर्मपत्नी लगती है क्या ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : पत्रावली में केवल यह लिखा है कि रेखा देवी की निशानी बर वक्त अलाटमेंट कमेटी के फार्म भर कर लगाई। इसलिये खारिज किया जाता है।

श्री विजयसिंह रावत : यह गलत निशानी है। एम.एल.ए. का कोई दोष नहीं है। यह बिलकुल गलत है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास....

(शोरगुल-व्यवधान, अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : औरत के नाम से करवाई है।

श्री विजयसिंह रावत : इस सदन में यह कहा गया था कि किसी एम.एल.ए. की धर्मपत्नी के नाम है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : यह एम.एल.ए. साहब की माताजी हैं।

श्रीमती सभानेत्री : यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : यह सदन के माननीय सदस्य पर आरोप है। विवाद का विषय कैसे नहीं है ? हम लोग चुप बैठे हुये थे कि न जाने वास्तविकता क्या है ? उस रोज सदन में यह कहा गया था कि एम.एल.

(श्री विजयसिंह रावत)

ए. की धर्मपत्नी है। यह धर्मपत्नी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माताजी हैं।

श्री विजयसिंह रावत : इस तरह माननीय सदस्यों पर गलत आरोप लगाये जबकि वे यहां पर सदन में मौजूद नहीं है, उस समय आरोप लगाते हैं। यह निराधार है, असत्य है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, मैं उनका....

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा जो मुदे यहां पर खड़े किये गये हैं मैं तो उनकी मालूमात करके इस सदन में रखना चाहता हूँ। चाहे कोई सुनने वाला हो या कोई सुनने वाला न हो। प्रश्न उठाया गया है, इसलिये जवाब दिया है। इसकी जो कुछ एन्क्वायरी है वह कलेक्टर कर रहे है और जो नतीजा होगा वह बाद में पायगा। कुछ आवटन को लेकर हमारे हिन्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है मैं तो नाम भी नहीं जानता जिनका गलत तरीके से आबंटन हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य तो हर जगह मेरी छाया को देखते हैं और मेरा नाम ले लेते है। उनको तो यह है जो भी बूंदी में बात होती है वह मैं ही करवाता हूँ।

श्री केशरीसिंह : माननीय मंत्री महोदय, छीतर के लिए मैंने स्पष्ट कहा है। मैंने आपको लेटर बताया है, तारीख भी बताई है। जो पत्र छीतर का है, वह भेजा है। उसका कोई जवाब नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने वह कलेक्टर के पास भेजा है। मैं छीतर को जानता भी नहीं हूं। कौन है, क्या है?

श्री केशरीसिंह : उसने तो पट्टा भी ले लिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने नोट कर लिया है। अब सभापति महोदया, मैं कुछ मुद्दे बन्दोबस्त के बारे में उठाये गये हैं, आवंटन के बारे में देवलिया को लेकर भी सवाल उठाया गया है। सभापति महोदया, इस सवाल को कई बार उठा चुके हैं और स्थिति यह है कि देवलिया जयपुर शहर से 12 मील के अन्दर है और इसलिये अलॉटमेंट कमेटी के जरिये या किसी एस. डी. ओ. को किसी जमीन का अलॉटमेंट करने का हक नहीं है। 12 मील के अन्दर कोई जमीन अलॉट हो सकती है तो वह राज्य सरकार कर सकती है। और जहां तक गंगारामजी के पास चलने का प्रश्न है धारा 83, लेंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिवीजन फाइल किया गया और अभी तक फरीक सानियान को इत्तला नहीं हुई। इसलिए पेशी आगे बढ़ रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी पार्टी को इत्तला नहीं हुई इसलिये नहीं आ रही है। जिन लोगों के स्पेसिफिक नाम पते कारखाने चलते हैं और उनको इत्तला न हो।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : नहीं करती है पार्टी तो नहीं करती है।

इसी तरह माननीय सदस्य ने जहां तक पृथ्वी सिंहजी का ताल्लुक है, एक सैनिक है, विकलांग है, उनको जमीन दी गई बाद में कैंसिल की गई । इस विषय में निवेदन करना है मेरी सूचना के ग्राधार पर कि श्री पृथ्वीसिंह ने जो जमीन पसन्द की ग्रौर जो उनको ग्रलॉट की गई वह इवेक्यू प्रोपरटी थी ग्रौर इवेक्यू प्रोपरटी को राज सरकार ग्रलॉट नहीं कर सकती थी। उनकी प्रोपरटी हर साल काश्त पर दी जाती है ग्रौर उसी दम जिस दम ग्रलॉटमेंट हुग्रा यह इत्तला कर दी गई थी कि यह ग्रलॉटमेंट गलत हुग्रा है ग्रौर इसलिये पृथ्वीसिंह जी को दूसरी जगह जमीन दी जावे । दूसरी जगह दी गई ग्रौर वह भूमि जो हर साल ग्रलॉट होती है वह हर साल दूसरे व्यक्तियों को इवेक्यू प्रोपरटी के तहत में रिहैबिलिटेशन की तरफ से ग्रलॉट की जाती है।

दांता रामगढ़ से ग्राने वाले ने भी......

श्री मदनसिंह : मैं सूचना के लिये बता दूं कि चारगाह की जमीन कहकर वह ग्रलाटमेंन्ट केंसिल किया गया था। इवेक्यू की प्रोपरटी बता कर नहीं। फिर मालूम करें ग्राप।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : इवेक्यू प्रोपरटी निकलने पर ग्रलॉटमेंट कॅंसिल हुग्रा है ग्रौर बाद में इवेक्यू प्रोपरटी मानकर हर साल काश्त पर दी जाती है।

जहां तक मोरीजा के ग्रावंटन का प्रश्न है मेरी जानकारी में यह ग्राज ग्राया है ग्रौर मैंने माननीय सदस्य को निवेदन किया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्री-जी ग्राप संक्षेप में होने की कृपा करिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारा ग्रपोजी-शन सेटिसफाइड है। मतदान मांगों पर करा दिया जावे।

श्री मदनसिंह : यह तमाशा थोड़े ही है। ग्रापने वादा किया है मेरे सारे सवालो का जवाब देने का।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : मुझे तो कोई ग्रापत्ति नहीं है। लेकिन सदन के सदस्य....

श्री मदनसिंह : मुझे मालूम है ग्रापको तकलीफ है। ग्रापको किसी ने रिप्लेस नहीं किया है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : माननीय सभा-पति महोदया यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब इतना समय लगा तो मैं कहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : इस बारे में एक शेर लिखकर भेजा है।

भूख से प्यास से तड़पते मुंह देखो,

खुदा के बास्ते वजीरे माल को हुक्म दो।

तकरीरें खतम हों हम निजात पाएं,

ऐसी तकबीर करो।

ग्राप देख लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मेरी खुश किस्मती है लेकिन एक तरफ माननीय सदस्य जवाब लेना चाहते हैं। दूसरे यह कहते हैं।

श्री मदनसिंह : दूसरे माननीय सदस्य इस असेम्बली को सिनेमा हाउस बनाना चाहते हैं। You should be serious when you speak.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सभानेत्री महोदया, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि जिस प्रकार से बताया गया कोई स्पेसिफिक तारीख पर भूमि आंवटन फौजियों को होने वाली थी उसके लिये की गई और शहर के लोगों को जमीन आंवटित कर दी गई और चूंकि यह अभी का केस है मैं माननीय सदस्य का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सदन में इस बात को रखा। मै कहता हूँ कि आपसे इसकी डिटेल मालूम करके सारी कार्यवाही को अपने पास मंगवाऊंगा और देखकर जो मुनासिब कार्यवाही होगी करूंगा।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय क्या इस बात का भी आश्वासन देंगे दांता में 13 हजार की आबादी में हरिजन सात आठ हजार हैं और वे भूमिहीन हैं। क्या आप आदेश देंगे कि जब भी भूमि आंवटन हेतु निकले पहले हरिजनों को दी जाय बाद में जैसा मैंने बताया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रायोरिटी में जैसा मैंने बताया नये नियम आ रहे हैं। उसमें आपके फायदे के लिये बताना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : सारे हो गये। ए और है। बेगमा साहब का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह आंवटन नहीं आती बेगमा साहब।

प्रायरिटी में जो सोचा है, केबिनेट जाने पर पता नहीं क्या होगा पर पह मेरा सोचना यह है कि प्रायरिटी में ज तक भूमिहीन हरिजन हैं और अनुसूचि जन-जातियों के साथ साथ उस प्रायरिट में यह कुछ परसेन्टेज मुकर्रर करें एक सोल्जर्स का भी।

श्री मदनसिंह : मैं भी धन्यवाद देत हूँ। और चरावास वाले जागीरदार क जमीन का 700 रुपये की जागीर का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस जागीर दार का जिक्र किया कोई रूपकवर के बा में। मैंने फाइल देखी है। मेरे पास सूचन आई कोर्ट आफ वार्ड्स के जमाने जिन काश्तकारों को इस जमीन को जोत दिया गया उनके खातेदारी हकूक जमीन प हो गये क्योंकि वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं।

श्री मदनसिंह : यह सही बात नह है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो मैं सूचना आपको दे रहा हूँ अभी तो जबानी रहा हूँ। फाइल महीने भर पहले देखी है।

श्री मदनसिंह : फाइल देख ले वाजिब होगा सो करेंगे इतना ही क दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपके मामले में जो वाजिब होगा करने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : 58 से 63 के बीच में बाविज काश्त जमीन जो हैं अजमेर जिले में उनकी विशेष समस्या हो गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: ऐसा है आफ हैण्ड तो कुछ नहीं कह सकता। आप मुझे से डिटेल में बात कर लें बैठकर। किसी वक्त निपट लेंगे।

श्री मदनसिंह : जैसा आप सदन में कहते हैं वैसे मकान पर कहते नहीं हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा दरवाजा तो खुला रहता है सबके लिये।

श्री मदनसिंह : पूंजीपतियों के लिये रहता है, गरीब हरिजनों के लिये नहीं रहता, मासूम बच्चे जिनके हैं उनके लिये नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सबके लिये है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) **:** मैं निवेदन करूंगा एक केस है, बादला क्षेत्र में किसानों से वहां लाखों रुपया वसूल किया है। उनके पास रसीदें मौजूद हैं। एक महीने में पचास-साठ हजार की वसूली की। पर अब फिर दुबारा-तिबारा नोटिस जारी कर रहे हैं और दुबारा रुपया मांगा जा रहा है। रुपया वे जमा करा चुके। इसका समाधान होना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : और जहां जहां भू-प्रबंध हो रहा है वहां पर तो यह व्यवस्था की गई है कि जब सैटलमेन्ट का डिक्लेरेशन हो और आब्जेक्शन्स तय हो जायें उसके तुरन्त बाद ही पास बुक उनको दे दी जाये। जहां पर सैटलमेन्ट अब बाद में होगा और उसके लिए वह पास बुक जो अभी ही तैयार हुई है मैंने उसको देखा हैं, मैं उसको अभी तक ठीक नहीं मान रहा हूं क्योंकि उसमें लोन के लिए कोई खाना नहीं है और भी कुछ कमियां है और इसलिए थोड़े ही दिनों में मैं उसको पूरी तरह से करेक्ट करके जिस तरह की पास बुक उसके कर्जे की जरूरत के लिए और टाइटल बताने के लिए जितने भी उसमें समायोजन हो सकते होंगे उसको करके नये सिरे से करेंगे।

एक माननीय सदस्य : उसमें बैटरमेन्ट का खाना नहीं है उसको भी कर दिया जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : विधान सभा के समाप्त होते ही उसको बैठकर तैयार करूंगा और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट्स में उसका वितरण होगा उतना समय लगेगा।

श्रीमती सभानेत्री : आपका उत्तर समाप्त हो गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तो बहुत बाकी है।

एक सवाल यहां पर उठाया गया कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है और जनरल बजट के ऊपर भी बहस हो रही थी उस समय भी यह प्रश्न

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उठाया गया था। शेखावत जी यहां पर नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : शेखावत साहब हैं। शेखावतजी का मतलब तो औरत हो जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे पता नहीं है ठाकुरों में शेखावतजी औरत को कहते हैं।

उस संबंध में मैंने कुछ मामलों में जानकारी प्राप्त की है। जो 3 मामले हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से है उपरोक्त 3 बेगमें नवाब टौंक की बहनें हैं।

कुछ माननीय सदस्य : यह आ गये श्री भैरोंसिंह !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब आ गये शेखावत जी।

यह जागीरें वहां के नवाब इब्राहीम अली खां हुए हैं जुलाई 1923 में इनको अता की गई थीं जिनके ऊपर इनका कब्जा सन् 1931 तक रहा। उसके बाद नवाब इस्माइल अली खां टौंक के आदेश नं. 96 दिनांक 25-3-48 द्वारा उक्त 3 जागीरों का रेस्टोरेशन कर दिया गया। मगर इस आदेश की पालना में जागीरों का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद होकर इन पर कब्जा ताबेदारों को नहीं दिया गया। नवाब टौंक की सनद 25-3-48 के आधार पर उपरोक्त जागीरदारों ने अपने मुआवजे के दावे जागीर कमिश्नर कार्यालय में दिनांक 3-9-63 को पेश किये जिस पर जागीर कमिश्नर ने अपना निर्णय दिनांक 3-9-64 द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट, 1952 की धारा 37 के तहत तीनों बेगमों को अलग अलग जागीरदार मानते हुए उनको तस्दीक करने हेतु एस. डी. ओ. टौंक को आदेश दिये। जागीर कमिश्नर के उक्त आदेश दिनांक 3-9-64 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से राजस्व मण्डल में अपील दायर कर दी गई। तारीख 1-7-66 को राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में जागीर कमिश्नर के निर्णय को बहाल रखा। उसके बाद इन जागीरदारों को अन्तरकालीन मुआवजे की 3 किश्तें दी गई और सवाल यह उठा कि कौनसी तारीख से इन जागीरों को जप्त माना जाये। चूंकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य सरकार ही आय समूल के आधार पर जागीर के पुनर्ग्रहण की तिथि निर्धारित करती है तो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के नियम 21 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जागीर का चार्ज लेते हैं और नियम 21 (4) के अनुसार 1000 रुपये से अधिक आय वालों की जागीरों की पुनर्ग्रहण हो जाने की तिथि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। यह कार्यवाही इस जागीर के लिए नहीं हुई क्योंकि जिस पट्टे के द्वारा जागीरें अता की गई थीं उसकी अमल दरामद ही नहीं हुई तो फिर इस तारीख के निश्चय करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इस स्टेज के ऊपर यह मामला है। एक तरफ राजस्व मण्डल का निर्णय है और दूसरी तरफ जागीर पुनर्ग्रहण की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती, तीसरे यह है कि जब

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जागीर ही नहीं थी, काबिज ही नहीं थी तो रिजम्पशन का सवाल किस प्रकार से पैदा होता है। जब से यह मामला उठाया गया मेरे दिमाग में इसकी बराबर चिन्ता है और मैंने गवर्नमेन्ट के एडवोकेट से भी इस बारे में राय ली है और मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़े एडवोकेट से इस बारे मे सलाह की जाये और कानूनी जो भी सलाह हो उसके मुताबिक इस बारे में कार्यवाही की जाये...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दामोदर जी की सलाह लेना।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो आकाये आलम दूसरे हैं जिनके जमाने का मामला है और आज जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं वह हैं जनता पार्टी के नेता।

श्री दौलतराम सारण : जनता पार्टी के नेता का क्या है इसके अन्दर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो इन्कवायरी होगी और फैक्ट्स आयेंगे तब मालूम पड़ेगा। मैं तो अभी तारीफ ही बता सकता हूं। तो इस स्थिति में यह 3 मामले संदेहास्पद हैं और मैं इस बारे में सदन को यही कहना चाहता हूँ कि जैसी भी इसके बारे में कानूनी सलाह होगी चाहे रिट फाइल करने की हो या और तरह से कुछ करने की हो उसमें अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिह : इसमें एक बात बता दें कि क्या आपने इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं कि जो 15 हजार रुपये की एक किश्त दी गई है उसको वापिस वसूल किया जाये ? एक बात। दूसरी यह है कि क्या इनको अब तक मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता रहा है ? तीसरी बात यह है कि क्या यह सही है कि डिप्टी कलेक्टर जागीर जो उस समय टौंक में तैनात थे और जिनके सामने सबसे पहले टाइटल का मामला गया उनके सामने जब यह कागजात रखे गये तो सब कागजात को फोर्ज्ड मानकर उनके टाइटल के बारे में क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूँगा कि जहां तक इनके मेन्टीनेन्स का प्रश्न है 150 रुपया फी के हिसाब से इनका मेन्टीनेन्स जो चलता आ रहा था उसको बन्द करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिह : वह तो आदेश अभी दिये हैं। कम्पन्सेशन और मेन्टीनेन्स दोनों लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह फैक्ट है कम्पन्सेशन और मेन्टीनेन्स दोनों लेते रहे थे। अब मेन्टीनेन्स बन्द कर दिया गया है और मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आइन्दा किश्तों के देने का प्रश्न है वह भी मैं आदेश जारी कर दूंगा कि आइन्दा किश्तें जब तक इस बारे में निर्णय नहीं हो जाये वह नहीं दी जायें।

श्री भैरोंसिह: आज दे दें उनकी रिकवरी के आर्डर्स।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्व मंडल का निर्णय है और उनका केस जागीर

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

रिजम्शन का है तो उसमें उनको फाइनल ग्राथोरिटी मानकर चलते है, और जब तक...

श्री मदनसिंह: यह बन्द क्यों किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेन्टीनेन्स तो कतई बन्द कर सकते हैं। जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है क्योंकि राजस्व मंडल का वह अभी निर्णय है उसको ही मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन जागीर कौनसी तारीख को रिज्यूम मानी जाय, कितना कम्पेन्सेशन बनता है-इसका निर्णय अभी नहीं हो सका है। इसलिए फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। आयन्दा कम्पेन्सेशन देना या नहीं-यह हमारे अधिकार की बात है।

श्री भैरोंसिंह : फोर्ज्ड रेकार्ड की बात ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक यह प्रश्न है मैं अभी नहीं कह सकता। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था कि जो सनद जारी की गई है वह सनद आथेन्टिक है या नहीं, क्योंकि कोई भी रेकार्ड इस प्रकार का सिवाय सनद के ऐसा नहीं है। तो यह जो वहां पर एतराज उठाया गया था....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूँगा कि प्रश्न यह है कि जब यह प्रश्न कलेक्टर, जागीर के सामने आया तो उसने यह होल्ड किया है कि जितने भी कागजात हैं वे फर्जी हैं और इस आधार पर उनको रिजेक्ट किया है, और दुबारा रिट पिटीशन कमिश्नर जागीर के सामने पेश की गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सही है कि डिप्टी कलेक्टर, जागीर, टोंक के पास जब यह कार्यवाही गई तो उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि यह क्लेम साबित नहीं है, यह टाइटल साबित नहीं है। उसके बाद डिप्टी जागीर कमिश्नर, सवाई माधोपुर के पास मामला गया और डिप्टी जागीर कमिश्नर को क्लेम देने का अधिकार है उन्होंने इसको एन्टरटेन किया और उन्होंने निर्णय दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि टोंक जिले के बारे में और भी शिकायतें आपके पास में आई हैं कि फोर्ज्ड डाक्युमेन्ट्स बनाये गये हैं जिनके बेसिस पर कम्पेन्सेशन और क्लेम्स लिये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरे पास एक मामला आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक क्वेश्चन भी भेजा है जिसमें पूछा गया है कि ऐसे क्रेडिटर्स भी बनाये गये हैं जो कि क्रेडिटर्स नहीं थे और पुरानी मोहरें वगैरह हैं और पुराने कागजात हैं जिन पर प्रोनोट लिखे गये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी क्वेश्चन नहीं आया है जब भी क्वेश्चन आयेगा तो उसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उत्तर होगा दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और बता दें।

Page No.265

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खाना खाकर आये मालूम होते है और बैठने के लिए तैयार होकर आये हैं। बाकी हम लोग तो सबेरे से बैठे हैं।

श्री मदनसिंह : जोधपुर का जब सवाल आता है तो मंत्री महोदय आप सुनना नहीं चाहते है।

श्री भैरोंसिंह : मैं खाना खाकर नहीं आया हूँ आप तसल्ली रखें।

मैं एक मामूली सी जानकारी चाहता हूं कि जिस समय जागीर कमिश्नर के पास यह जजमेंट आया और जागीर कमिश्नर इसके टाइटल के केस को डिसाइड कर रहे थे तो यह फाइल सेक्रेटेरियेट में मांगी गई और उस समय के रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इस फाइल पर कुछ नोट किया और जजमेंट के बाद में इन्होंने अपील करने को लिखा और जब रेवेन्यू बोर्ड के वे चैयरमैन स्वयं बन गये तो उन्होंने जागीर कमिश्नर के फैसले को बहाल रखा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें नहीं है। लॉ डिपार्टमैंट को फाइल गई और उनके द्वारा यह एडवाइस दी गई कि इसकी अपील फाइल कर दी जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि...

श्री खेतसिंह : काफी कर दिया निवेदन आपने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक गैर-मुमकिन जमीन के बारे में भी....

श्री रघुनाथ विश्नोई : (श्री भैरोंसिंह आदि की ओर मुखापेक्ष होकर) इस बारे में और भी कोई शंका हो तो सवाल कर लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो किश्त दी, तीन बेगमों को 15-15 हजार रुपयों की दी तो इन तीन बहनों के लिए कुल मुआवजा कितना तय किया गया था जिसके अगेन्स्ट में ये किश्तें दी गई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अभी कोई मुआवजा तय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह इनको कितना मिला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इनको यह जो मिला है वह कोई विशेष नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रकम जिसकी भुगतान की है वह इस प्रकार से है।

(1) श्रीमती नसिद्दुल्ला 17, 129 रु०

एक माननीय सदस्य : नवाब साहब को दे दें। वे पढ़कर सुना देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : श्रीमती नसिबुन्निसा बेगम 18,228 रु०।

श्रीमती मनिबुनिसा बेगम 20,874 रु०

श्री भैरोंसिंह : यह इन्टेरिम कम्पेन्सेशन है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कुल कितना होता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा :टोटल 56,241रु.।

श्री भैरोंसिंह : यह तो जो किश्तों दी हैं, वह हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो अभी तक चुकाया है।

श्री भैरोंसिह : सवाल यह नहीं है कि कितना अभी तक चुकाया है वह दे दिया, लेकिन जागीर रिज्यूम होने के बाद इनका कम्पेन्सेशन कितने रुपये का अनुमानित था ?

श्री विजयसिंह रावत : फतेहपुर से जो सदस्य आये हैं उन्होंने यह आरोप लगाया था कि जमीनों के एलॉटमेंट में घोटाले किये गये हैं। तहसीलदार पर आरोप लगाये थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आलम अलीजी ने यह आरोप लगाये थे, उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं राजस्व मंत्रीजी से यह जानना चाहूँगा कि राजस्थान में बारानी क्षेत्र का लगान बरसात होने के बाद में नवम्बर तक वसूल होता है। इसके लिए मेरा कटौती प्रस्ताव भी है तो आप इस बरसात के टाइम में और खेती के टाइम में वसूली करते हैं तो उसको बन्द करना चाहिए। उसके बारे में क्या राय है ?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि 15 बीघा तक नहीं मिला है जिन पंचायतों को नहीं मिला है, उन पंचायतों को 15 बीघा तक देना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पाइन्ट बहस में नहीं आया है जो कि आप फर्मा रहे हैं वह तो I am not bound to reply अगर यह कटौती प्रस्ताव में आया है तो बोलते वक्त किसी भी माननीय सदस्य ने यह सवाल नहीं उठाया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बोलने का सवाल ही नहीं है जब समय ही नहीं मिलता है तो ...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका जवाब आप दे दें तो अच्छा हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अस्थाई निश्चय मे मुआवजा अथवा पुनर्संस्थापन अनुदान में रकमें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं :—

(1) एक को 73,456 रु.

(2) दूसरी को 81,369 रु.

(3) और तीसरी को 89,469 रु.

कुल 2,44,295 रु.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मेरे पाइन्ट का उत्तर दे दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिल्कुल इसी पर आ रहा हूँ ...

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदया, आप काफी देर से आसन पर बिराजमान हैं बड़ी परेशान हो रही है। माननीय मन्त्री महोदय को दया ही नहीं आती।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सभानेत्रीजी, इसके अलावा बहुत सारे सवालात उठाये गये हैं उनमें से बहुत सारे तो कई दफा पहले भी उठाये जा चुके हैं। और कुर्की के मामले और और मामले उठाये गये हैं कि यह बेजा बात है। मैं समझता हूँ कि कोइ 62 की आज बात करे और 62 से 67 के बाद 6 वर्ष पहले की चीज को

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

दोहराये तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अगर 62 से किसी के साथ में अन्याय चला आ रहा है, 62 में किसी ने जुर्म कर लिया और उसको आज पकड़ लिया तो क्या उसको सजा नहीं होगी ? 62 से आज तक बराबर केस चल रहा है, फाइल चालू है, कार्यवाही चालू है, फाइनल निर्णय नहीं करते हैं, उनका मालखाने में माल पड़ा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि जहां तक किसानों की कुर्की के मामले हैं तो काश्तकारी की जो चीजें हैं, जमीन है, हल और बैल हैं जहां तक कुर्की का सवाल है उसके पास रहा ही क्या ? इम्मूवेबल प्रोपर्टी तो उसके पास जमीन है और मूवेबल बैल कुर्क नहीं हो सकते तो कुर्की में थाली आयगी, लौटा आयगा, किवाड़ आयगा या खटिया आयगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अश्रव्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मूवेबल प्रोपर्टी काश्तकार के पास होती है तो भी मजबूरन वह देता नहीं है और डिमान्ड खत्म नहीं करवाता है या माफ नहीं करवाता है तो तहसीलदार के पास और कोई चारा नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह उत्तर आपका गलत है। यदि आप फाइल देखें तो स्पष्ट पता चलेगा कि तहसीलदार ने न तो नोटिस दिया न और कुछ किया। गैर कानूनी रूप से सामान कुर्क कर लिया जो आज भी मालखाने में पड़ा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कानून में प्रावधान है कि गलत चीज हुई है तो उसकी अपील कर सकता है। जो कुछ कर्यवाही की गई है वह धारा 91 में की गई है। मैं समझता हूं जब तक सेटिस्फाई नहीं किया जाता है कार्यवाही चालू रहती है। समापति महोदया...

श्री दौलतराम सारण : पटवारी और तहसीलदार की शिकायत की है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पटवारी और तहसीलदार की शिकायत नहीं आई है। हो सकता है एस. डी. ओ. या कलेक्टर के पास चल रही होगी। यदि मेरे पास आयगी तो मैं देखूंगा।

श्री आलमअली : मैंने मंत्री जी से कहा था कि अनाज में 46,000) रु. का गबन हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जबानी गबन मेरे ध्यान में नहीं है। जबानी बातें चलती रहती हैं। मैं एक बात और निवेदन करूंगा। बाड़मेर के माननीय सदस्य ने पटवारियों की ज्यादती के बारे में शिकायत की है, मुझे उन्होंने पहले भी कहा था। हमारे उप मंत्री श्री गंगाराम जी बाड़मेर जा रहे हैं वे आन दि स्पोट बात करके यदि तहसीलदार के आदेश के खिलाफ कुर्की की है तो मैं उनसे कहता हूं कि उस पटवारी को वहीं पर सस्पेन्ड करके आवें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। आप और हम अच्छी तरह से जानते है कि पटवारी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गांव का खुदा ही होता है। अभी आपने लेख पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है कि पटवारी गांव का खुदा है। मैं यह नहीं कहता कि सारे पटवारी खराब हैं या सारे अच्छे हैं लेकिन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रतिबिम्ब गांवों में है वह अच्छा नजर आवे। और भी एक बात है जो पटवारियों को अधिकार दिये हैं वे जन सम्पर्क में काम आते है। उन लोगों को पटवारी के पास जाना आना कम पड़े। खतौनी की नकलों से काश्तकारों को मालूम हो जाय कि हमारे खाते में इतनी जमीन है, इतना लगान है—इस बारे में भी निर्णय किये गये हैं वह इसी वजह से किये गये हैं और कोशिश करेंगे कि काश्तकारों को तकलीफ न हो। मैं इस सदन का आभारी हूं कि मुझे मौका दिया बोलने का।

श्री रामचन्द्र आर्य : संवत् 2008 से इस वर्ष तक . . .

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं प्रश्न करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : उत्तर नही दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उत्तर देना चाहिये, यह जरूरी है।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं नहीं करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में तावान लगाया गया....

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग सख्या 22, मुख्य शीर्षक37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं....

(शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : यदि यही तरीका आप अख्तियार करेंगी तो एक भी डिमान्ड पास नहीं करने देंगे, आपको भी नहीं बोलने देंगे। यह तरीका है क्या आपका ? बस एक दम कोई सदस्य बोला और उसके पीछे हूं हां करने लगे।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,88,74,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने जो छोटी जोतों पर लगान लगाया है उसका उत्तर चाहते हैं उसकी माफी की घोषणा चाहते हैं, बिना इसके मांगें नहीं पास करने देंगे।

Page No.269

श्रीमती सभानेत्री : आप नहीं चाहते तो डिविजन मांग लें।

श्री दौलतराम सारण : आप अपना रवैया ठीक करिये।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,00,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री दौलतराम सारण और अन्य विपक्षी सदस्य एक साथ बोलते रहे-विश्वासघाती सरकार ! मुर्दाबाद !! विश्वासघाती सरकार ! मुर्दाबाद !!)

जो पक्ष में हैं वे हां कहें।...

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : विश्वासघाती सरकार ! मुर्दाबाद !! विश्वासघाती सरकार ! मुर्दाबाद !!।

श्रीमती सभानेत्री :

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : विश्वासघाती सरकार ! मुर्दाबाद !!

श्री सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9, भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 27,67, 000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी विश्वासघाती सरकार को राजस्व में से एक पैसा भी नहीं देना चाहिये। इसने विश्वासघात किया है।

श्रीमती सभानेत्री : जो पक्ष में हैं वे हां कहें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही परसों सोमवार दिनांक 25-3-68 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बजे, सोमवार दिनांक 25-3-68 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या 774 की सूची)

सूची "अ"

वर्ष 1966-67 में तहसील कोटड़ा व गोगून्दा में हुए सड़कों तथा तालाबों के अकाल सहायता कार्यों की सूची ।

नाम कार्य		तहसील	व्यय
1-सड़क निर्माण कार्य	मांडवा से सूलाव	कोटडा	43,878
2- ,,	कोटड़ा से बूड़ा	,,	31,814
3- ,,	बैंकरिया से माडांस	,,	23,745
4- ,,	पीपलखेड़ा से सुमेरपुर	,,	43,705
5- ,,	ओगणा से पानरवा	,,	10,355
6- ,,	कोटड़ा से ओगना	,,	1,201
7- ,,	ओगना से मानपुर	,,	1,245
8- ,,	ओगना से जेतावर	,,	15,114
9- ,,	ओगना से बालदीघाटा	गोगून्दा	19,126
10- ,,	गोगून्दा से छाली	,,	83,312
11- ,,	गोगून्दा से नाल	,,	24,135
12- ,,	मांडवा का रास्ता	,,	64,168
13- ,,	बगड़मानपुरा वाया डैगान	,,	15,626
14- ,,	उदयपुर से गोगून्दा	,,	9,772

तालाब कार्य

1- तालाब निर्माण कार्य	कोटड़ा	कोटड़ा	1,339
2- ,,	गड़पीपला	,,	11,254
3- ,,	उपलावास	,,	7,804

4-	तालाब निर्माण कार्य कोदरमाल	कोटड़ा	18,973
5-	नगर निर्माण कार्य माटा का पानी	,,	6,242
6-	तालाब निर्माण झंड	,,	20,236
7-	,, बकमा	,,	4,462
8-	निर्माण साई पिकअप वियर	,,	1,711
9-	तालाब निर्माण करोड़ीबाग	गोगून्दा	4,984
10-	,, नादेशमा	,,	276
11-	तालाब नागो का अम्बा	,,	106
12-	,, राजेराव	,,	6,016
13-	,, गुनावल	,,	552
14-	हवारिया इनीकट	,,	2,961
15-	वावल एनीकट	,,	852
16-	तालाब निर्माण मालरिया	,,	15,254
17-	,, रावलिया	,,	2,900
18-	,, बगडून्दा	,,	7,071
19-	,, सेम	,,	10,518

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 784 की सूची)

Extract copy of the order No. AR / PA / Approved List/2/66/755 dated 20th July, 8th Aug. 1966 from the Dy. I. G. of Police, Ajmer Range Jaipur to this office.

In continuation to this office order No. AR/PA/Approved List/2/66/573, dated 22nd June, 1966, results of the remaining distt. having been received are hereby declared.

2. The conditions laid down in previous order dated 22nd June and that issued earlier dated 21/28.4.66, will equally apply to the individuals mentioned in these lists. It may however be seen that those who are senior, get first chance.

DISTT. SAWAI-MADHOPUR.

(CIVIL POLICE)

1. Shri Gulab Chand No. 251
2. Shri Bishambar Dayal No. 514
3. Shri Hazari Lal No. 230
4. Habib Ahamed No. 577
5. Permanand 483
6. Chiranji Lal No. 215
7. Gopal Singh No. 358
8. Shri Raghunath Pd. No. 558
9. Shri Kailash Chand No. 560.
10. Shri Parshchand No. 252
11. Shri Ram Awatar No. 423
12. Shri Madan Singh No. 252
13. Shri Faiz Mohd. No. 239
14. Shri Dwarka Pd. No. 517
15. Shri Amirul Hussain No. 477

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न सख्या 797 की सूची)

सूची तहसीलवाईज सैनिकों को ग्रामवाइज भूमि आंवटन कृषि हेतु व आवास गृह हेतु आंवटन की गई एवं कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई व कितनी शेष रहीं, जिला कोटा.

क्रम सं.	नाम तहसील	तादाद प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुये	तादाद प्रार्थना पत्र जो कैंसल हुये	शेषप्रार्थना पत्र	नाम ग्राम जहां भूमि आंवटन की गई — कृषि हेतु	आवास हेतु
1	2	3	4	5	6	7
1.	लाडपुरा	43	20	23	(1) खन्जारपुरा	
					(2) बगणूत	
					(3) आमली	
					(4) जामपुरा	
2.	रामगंजमंडी	62	60	2	(1) नूरपूरा	
					(2) पीपल्दा	
					(3) खेड़ा रुड़या	
					(4) देवीपुरा	
					(5) सीमच	
					(6) मन्डा	
					(7) गोवन्दा	
					(8) चेचट	
					(9) बक्सपुरा	
					(10) सांडपुर	
					(11) हाथिया खेड़ी	
3.	सांगोद	40	8	32	(1) खजूरना	

1	2	3	4	5	6	7
4.	बारां	9	7	2	(1) बाठेडा (2) कोयला (3) सेडली (4) बटावदा (5) मन्डोला (6) इकलेरा	
5.	किशनगंज	37	9	28	(1) खन्डेला (2) सहर विबा (3) पट्टी (4) पणनिया (5) यखरायदा	
6.	दीगोद	×	×	×	×	
7.	ग्रटरू	3	3	×	(1) खंडली मध्यान (2) छूर खड़। (3) मोरडी	
8.	पीपल्दा	×	×	×	कमान्डेड क्षेत्र है	
9.	शाहबाद	10	2	8	(1) माटई (2) माजव	
10.	ग्रन्ता	×	×	×	कमान्डेड क्षेत्र है	
11.	मांगरोल	4	2	2	(1) बावड़ी खेड़ा (2) गोरा मंडी	
12.	छीपाबड़ोद	17	5	12	नाव ग्रंकित नहीं किया है	
	योग	225	116	109	24 ग्राम	

जिला झालावाड़

जिला झालावाड़ में 30 ग्रामों में से 42 (8 भूतपूर्व सैनिकों एवं 34 सेवारत सैनिकों) को कृषि भूमि आवंटन की जा चुकी है।

प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र	113
फैसले हुए	101
शेष रहे	12

---

1 **तहसील: झालरा पाटन:**- 1 बालाखेडी, 2 वासनढी, 3 उन्डल, 4 डोडा, 5 बूंढमंडावर 6 किशनपुरा, 7 रीडवा, 8 डलबाडिया, 9 मंडावर, 10 भवरिया।

2 **तहसील ; खानपुर** – धालूनी 2 मिफ्लाज 3 बन्या 4 करनवास 5 भोजपुर 6 डोवडा 7 कोडकिया 8 डारनांद।

3 **तहसील पचपहाड ;** बारेलेडी 2 गुल्याखेडी 3 भीलवाडी 4 कन्नपुरा 5 भवानी नडेल 6 बोरहेडी।

4 **तहसील पीड़ावा** – 1 मोडी 2 चन्द्रपुरा 3 मालपुरा 4 काली खेडा।

5 **तहसील अकलेरा** - 1 अकलेरा 2 अमेठा।

Page No.276

परिशिष्ट ८

मार्केटिंग एवं रूरल गोदामों के लिए सहकारी समितियों को दिए गए ऋण के बकाया मार्टगेज डीड की सूची

क्रम संख्या	नाम समिति	जिला	वर्ष	ऋण की राशि	अनुदान की राशि
1-	रूपवास वृ. पा. कृषि ऋण-दात्री सं० स० लि०	पाली	58-59	9000	3000
1-	अजमेर को ग्रा० मार्केट० सो० लि०	अजमेर	59-60	30000	10000
3-	मण्डोर ,, ,,	जोधपुर	,,	18750	6250
4-	पाली क्रय विक्रय स० स० लि	पाली	50-61	18750	6250
5-	मेड़ता सिटी को० ग्रा० म० सोसा० लि	नागौर	,,	4500	1500
6-	चाकसू क्रय विक्रय स० स० लि	जयपुर	,,	18750	6250
7-	मच्छीपुरा को० मा० सोसा० लि	नागौर	,,	18740	6250
8-	भीनामाल ,, ,,	जालौर	,,	4500	1500
9-	जालौर ,, ,,	जालौर	,,	18750	6250
10-	उदयपुर क्रय विक्रय स9 स०	उदयपुर	,,	18750	6250
11-	बीकानेर तहसील ,,	बीकानेर	,,	18650	6250
12-	निवाई ,, ,,	टोंक	,,	13750	6250
13-	कुल्हान ग्राम सेवा स० स० लि	पाली	61-62	7500	6230
14-	कुशलपुरा ,, ,,	,,	,,	7500	6250
15-	मांडेवास ,, ,,	,,	,,	7500	2500
16-	मण्डोर कृषि सेवा स० स० लि	जोधपुर	59-60	4500	2500

Page No.277

17-	गिरीमालीयान ,,	पाली	61-62	7500	2500
18-	नेमर ग्राम सेवा स० स० लि०	पाली	,,	7500	2500
19-	पाली किसान ,,	पाली	,,	7500	2500
20-	सत्यनारायण ,,	,,	,,	7500	2500
21-	लम्बियां ,,	,,	62-63	7500	2500
22-	माडियां ,,	,,	63-64	3750	2500
			62-63	3750	2500
			63-64	3750	2500
23-	बसावा बहु० स० स० लि० उदयपुर वाटी	झुन्झुनू	63-64	7400	2500
25-	मनिया ग्राम सेवा स० स० लि० भरतपुर	भरतपुर	64-65	3750	2500
25-	जीतावाल ,, ,,	जयपुर	66-67	3750	2500
26-	खण्डेलावास ,,	जयपुर	64-65	3750	2500
17-			66-67	3750	2500

———

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्न संख्या-114 की सूची)

परिशिष्ट (क)

प्रश्न के भाग 4 में वर्णित अतिक्रमणकारियों की सूची :-

नं. शु./नाम अतिक्रमणकारी	खसरा नं.	रकबा	कैफीयत
1. श्री फूलसिंह वल्द अरजुनसिंह राजपूत	3	20।)	
2. ,, भीखसिंह पुत्र अजीतसिंह राज. सा, देह	3	56।।।)3	
3. ,, धोकलसिंह पुत्र रावतसिंह	3	5)2	
4. ,, धूलसिंह मगासिंह पी. पहाड़सिंह हरीसिंह पुत्र लालसिंह राज.	3	56)4	
5. ,, मोहब्बतसिंह पुत्र समरथसिंह राज०	3	84।।।)4	
6. ,, भीमा पुत्र खीमा रबारी सा. देह	3	10।।)	
7. ,, मोपालसिंह पुत्र जवारसिंह	3	36)3	
8. ,, भैरूसिंह पुत्र रावतसिंह	3	7।।।)1	
9. ,, दौलतसिंह पुत्र रावतसिंह राज.	3	6।।)2	
10. ,, कानसिंह पुत्र रावतसिंह राज.	3	5।।)	
11. ,, किशोरसिंह पुत्र रावतसिंह	3	5।।।)2	
12. ,, मंगलसिंह प्रेमसिंह पिता तेजसिंह राज.	3	24।।)2	
13. ,, जसा पुत्र जोधा डोली सा. देह	3	1।।।)3	
14. ,, मगना पुत्र पूरा मेणा सा. देह	3	5।।।)	
15. ,, भुजिया पुत्र रूपा भांमी सा. देह	3	4।।।)3	
16. ,, कन्ना पुत्र करमा भांमी	3	5।।।)4	
17. ,, कस्तूरा पुत्र गोमा भांमी	3	3।।।)2	
18. ,, मगा पुत्र भस्का मीणा सा. देह	3	5।।)	
19. ,, मोतीसिंह पुत्र रावतसिंह राज.	3	26।।)4	
20. ,, चतरा पुत्र लाल भांमी सा. देह	3	4।।।)2	
21. ,, बेला पुत्र रूपा भांमी सा. देह	3	8)4	
22. ,, जेठा पुत्र रूपा भांमी सा. देह	3	6)2	
23. ,, रूपा वल्द मोती दरोगा सा. देह	3	4।)1	

24. ,, वक्ता वल्द दूला रेबारी सा. देह	3	5।।।)
25. ,, धुकलसिंह पुत्र रावतसिंह राज.	3	5।।)2
26. ,, कानसिंह पुत्र रावतसिंह राज. सा. देह	3	4।।।)2
27. ,, मैरूसिंह रावतसिंह राज.	3	5।।)4
28. , धोकलसिंह पुत्र रावतसिंह राज. सा. देह	3	6।।)2
29. ,, सरूपा पुत्र गोमा मीणा सा. देह	3	2।।)
30. ,, अमिया पुत्र पेमा मीणा सा. देह	3	2।।।)2
31. ,, मीमा पुत्र भोमा मीणा	3	4।)4
32. ,, निम्बा पुत्र डूंडा मीणा सा. देह	3	2)2
33. ,, रामा वल्द भग्गा मीणा	3	4।)3
34. ,, सांकलिया पुत्र चतरा मीणा	3	4)2
35. ,, पाता वल्द करमा मीणा	3	4)
36. ,, मेरा पुत्र भग्गा मीणा	3	4)
37. ,, जेठा करमा मीणा	3	4)2
38. ,, पुलाराम दरगा राम मीणा	3	4।।)
39. ,, दौलतसिंह पुत्र रावतसिंह	3	6।)1
40. ,, जोरा पुत्र जीवा मीणा सा. देह	3	9)4
41. ,, खंडारा पुत्र धीसा मीणा	3	9।।)4
42. ,, दाना पुत्र उमा मीणा	3	7।।)4
43. ,, किसा पुत्र प्रेमा मीणा	3	3।।)3
44. ; वदा वल्द जीवा मीणा	3	4।।।)
45. ,, चमना पुत्र चतरा मीणा	3	3।।।)4
46. ,, ममता पुत्र चतरा मीणा	3	4)2
47. ,, मोती पुत्र माना मीणा	3	4।।।)2
48. ,, पीता पुत्र दोसा मीणा	3	4)2
49. ,, कस्तुरा पुत्र दोला ढ़ोली	3	2)2
50. ,, किशोरसिंह पुत्र रावतसिंह राज.	3	6।।)2

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 801 की सूची)

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयन किये गये प्रत्याशी अध्यापकों की संख्या।

क्र० सं०	वर्ष	प्रशिक्षण में भेजे गये प्रत्याशियों की संख्या	प्रशिक्षण में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या	नियुक्ति किये गये प्रत्याशियों की संख्या व दिनांक	
1.	64-65	150	77	77	6-10-65
2.	65-66	106	53	16	15-5-67
3.	66-67	97	कोई नियुक्त नहीं किया।	37	28-10-67
4.	67-68	5	(अभी प्रशिक्षण में हैं।)		

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची)

सूची—क

जिला कोटा

1357 व्यक्तियों की फसल चराई गई

1283 व्यक्तियों की फसल नष्ट की गई

5971 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया

ट्रेस पासर्स के विरूद्ध यह कार्यवाही लगभग 50 प्रतिशत रही।

जिला झालावाड़

1315 व्यक्तियों की फसल चराई गई

10315 व्यक्तियों की फसल जब्त की गई

8146 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया

ट्रेस पासर्स के विरूद्ध यह कार्यवाही लगभग 81 प्रतिशत रही।

सूची—ख

तहसील खानपुर के ग्रामों में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गई उसका ब्यौरा निम्नांकित है।

नाम तहसील	नाम ग्राम	ट्रेस पासर्स संख्या	रकबा	तावान रु० पैसे	फसल ज़ब्त की जाकर कीमत कायम की गई रु० न०पै०
खानपुर	मिवाडा	24	72)2	410-15	2671-00
खानपुर	सूमर	51	100।)2	889-00	1278-00
खानपुर	जरगा	32	43।।।)1	660-00	884-00
खानपुर	बुखारी	6	25)3	130-00	182-00
	योग:—	113	241।)3	2089-15	5015-00

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 386 की सूची)

पंचायत समिति उनियारा द्वारा खरीदे गये सांडों का विवरण

क्र०सं0	विवरण सांड (बछड़ा)	कीमत
1.	रंग सफेद मुंडा पूंछ काली	550)
2.	,, ,, ,, ,, ,,	415)
3.	रंग सफेद सींग एक अंगुल	365)
4.	एक नीला, एक सफेद मुंडा	850)
5.	नीला मुंडा	535)
6.	सफेद मुंडा	435)
7.	नीला मुंडा	575)
8.	सफेद मुंडा	600)
9.	नीला खेरा मुंडा	500)

———

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 390 की सूची)

अनुसूची (ग)

गोचर भूमि ग्राम रोहट की लिस्ट

क्र० सं०	नम्बर खसरा	रकबा
1.	79	150॥)1
2.	98	36)4
3.	104	300।)3
4.	140	91)1
5.	150	51:)2
6.	152	570॥।)3
7.	222	424॥।)
8.	372	14)
9.	373	164)
10.	344	5)
11.	377	2)
12.	378	15)
13.	381	18)
14.	382	8)
15.	383	16॥)
16:	386	64)
17.	387	71)
18.	388	10)
19.	389	23)
20.	390	123॥)
21.	392	11)

22.	573	22।।।)4
23.	698	39।।)4
24.	759	2)
25.	794	62)।।।)2
26.	948	154।।)3
26	26	2452।)3

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 397 की सूची)

वर्ष 1967 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाये गये मलेरिया केसेज की जिलेवार सूची

क्रम सं.	जिला का नाम	मलेरिया केसों की संख्या
1.	अजमेर	902
2.	अलवर	564
3.	बांसवाड़ा	1418
4.	बाड़मेर	485
5.	भरतपुर	1202
6.	भीलवाड़ा	2180
7.	बीकानेर	116
8.	बूंदी	794
9.	चित्तौड़गढ़	1434
10	चुरू	84
11	डूंगरपुर	4236
12	गंगानगर	347
13	जयपुर	324
14	जालौर	348
15	झालावाड़	647
16	झुन्झुनु	18
17	जोधपुर	1220
18	जैसलमेर	3
19	कोटा	2729

20	नागौर	250
21	पाली	1849
22	सवाई माधोपुर	1099
23	सीकर	35
24	सिरोही	145
25	टोंक	365
26	उदयपुर	1987
	राजस्थान (कुल योग)	24711

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 400 की सूची)

LIST OF THE HEAD CONSTABIES AND CONSTABLES WHO ARE POSTED AT THE OUT POSTS OF PSs. CHHABRA, CHHIPABAROD, HARNAWDA AND BAPCHA.

P.S. CHHABRA	
1. O. P. Town	1. Shri Banwari lal HC No. 242.
	2. Shri Girwar Singh FC.
	3. Shri Abdul Wahid FC 314
	4. Shri Nand Kishore FC. 243
	5. Shri Ram dayal FC 578
	6. Shri Karn Singh FC 556
	7. Shri Gokul Singh FC 688
2. O. P. Chanchora	1. Shri Bhim Singh HC 124
	2. Shri Nisar Ahmad FC 755
	3. Shri Moti Lal FC 291
	4. Shri Ramchandra FC 668
	5. Shri Roop Singh FC 468
3. O. P. Dilod	1. Shri Prabhu Lal HC 1131
	2. Shri Madho Lal FC 1289
	3. Shri Abdul Hafiz FC 1434
	4. Shri Hafizullah Khan FC 751
	5. Shri Sahaj Ram FC 961
P. S. Jepla	1. Shri Ram Narain HC 701
1. O. P. Kariyahat	2. Shri Sadulla Khan FC 32
	3. Shri Sobaram Singh FC 204
	4. Shri Ram Narain FC 6
	5. Shri Puri Lal FC 274

P. S. Chhipabarod	1. Shri Jagannath Pd. HC 877
1. O. P. Banori Ghata	2. Shri Govind Lal 153
	3. Shri Karan Singh FC 145
	4. Shri Bahadur Singh FC 271
	5. Shri Govind Singh FC 1346
2. O. P. Amli	1. Shri Mehmood Ali HC 564
	2. Shri Noor Khan FC 375
	3. Shri Kalyan FC 336
	4. Shri Janak Singh FC 867
	5. Shri Bheru Lal FC 1002
3. O. P. Bilendi	1. Shri Dhanna Lal HC 207
	2. Shri Bhawani Singh FC 407
	3. Shri Ali Mohd. FC 978
	4. Dalpat Singh FC 170
	5. Shri Gopal FC 1052
P. S. Harnawda	1. Shri Kedar Lal HC 931
1. O. P. Sarthal	2. Shri Shankar Lal FC
	3. Shri Gokul Pd. FC 348
	4. Shri Devilal FC 696
	5. Shri Kanhiya Lal FC 666
2. O. P. Kotra	1. Shri Kesri Lal HC 86
	2. Shri Sangram Singh FC 159
	3. Shri Shamshurrehman FC 1287
	4. Shri Abdul Razak FC 1456
	5. Shri Alanoor FC 873

Sd/

Superintendent of Police

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची)

बाड़मेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	केन्द्रों के नाम	उप केन्द्रों के नाम	कर्मचारी जो कार्य कर रहे
1.	समदड़ी	खण्डप	एम. एन. एम. । दाई
		रामनेरा	ए. एच. डब्लू । दाई
		पोडरू	—
2	गूंगा	गडरा रोड़	—
		भीनमाल	ए. एन. एम. । दाई
		हासम	ए. एन. एम. । दाई
3.	रामसर	सीहाम	—
		रामसीन	—
		सनवर	—
4.	गुढ़ा मालानी	धारीम्रम्बा	ए. एन. एम. । दाई
		मुनिया	ए. एन. एम. । दाई
		वामरेला	—
5.	मंडलाई	कनाना	ए. एन. एम. । दाई
		कल्याण पुरा	ए. एन. एम. । दाई
		पटोदी	—
6.	बायतू	गिडा	—
		बतादू	—
		कवास	—
7.	सींधारी	पायला कला	ए. एन. एम. । दाई
8.	चौहट्टन	बाकासर	ए. एच. डब्लू
		देदूसर	ए. एच. डब्लू
		सेदवा	ए. एच. डब्लू

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 413 की सूची)

पंचायत समिति निवाई में शिक्षा कर से हुई आय का विवरण (सूची 1)

वर्ष	आय	बकाया
1962-63	21728) रु.	1272) रु.
1963-64	17204) रु.	5796) रु.
1964-65	16110)49 पैसे	6889) रु.
1965-66	2758)55 पैसे	20241)45 पैसे
1966-67	15601))67 पैसे	7398)33 पैसे

शुद्धि – पत्र

(शनिवार दिनांक 23 मार्च, 1968)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	6	श्री ती सुमित्रा	श्रीमती सुमित्रा
3	7	प्रदन	प्रदान
16	17	उपमत्री	उपमंत्री
17	16,22	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
,, अंतिमसे	3	अगल	अलग
18 ,,	6	नम	नाम
20	11	की	कि
21	2	एवीडन्ट	एक्सीडेन्ट
22	16	ममले	मामले
25 अंतिम से	8	श्री विजयसिह	785. श्री विजयसिह
27	5	पउमन्त्री	उप मन्त्री
,,	6	(श्री माधोकसिह)	(श्री माधोसिह)
28 अंतिम से	11	(सार्वजनिज	(सार्वजनिक
29	1	786	788
30	4	न हरी	नहरी
37 अंतिम से	1	की	के
38	4	66	68
39	1	काननी	कानूनी
40	14	श्री दामोदरलाल व्यास	(श्री दामोदरलाल व्यास)
40	17	इन्सटीट्यूटेड	कांस्टीट्यूटेड
41	7	नीलम	नीलाम
41 अंतिम से	12	मनीय	माननीय
44	13	अन्तगत	अन्तर्गत
,,	17	बहार	बाहर
,, अंतिम से	8	दिलयेंगे	दिलायेंगे

1	2	3	4
55	12	बनावा	बनवा
57	6	टन	टर्न
,,	9	(अनुवस्थित	(अनुपस्थित
65	15	में जिन	जिन
67	1	श्री दौलतराम चौधरी	श्री दौलतराम सारण
,,	17	जति के छत्रों से	जाति के छात्रों से
68	3	सब धेत	संबन्धित
		निवई	निवाई
,,	17	अनुसूचिष जामि	अनुसूचित जाति
69	1	श्री डूगांराम	श्री डूंगाराम
69 अंतिम से	8	किन किन किन प्रकार	किन किन प्रकार की
,, अन्तिम से	5	के स्वरूप	के फल स्वरूप
70	5	साढ़े बाहर	साढ़े बारह
71	शीर्ष	(उपमंत्री भू-सैनिक)	(श्री खेतसिंह)
72	19	शंशका	शंका
73 से 87	शीर्षक	अ. स.	अनुपस्थित सदस्यों
89 से 127	शीर्षक	अ. स. 23 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित –23 मार्च, 1968 प्रश्नोत्तर
74	5	एक्सटेन्स	एक्सटेन्शन
,,	9	अनुमध	अनुभव
,,	7	लगामा	लगाया
,, अंतिम से	8	य	यह
79	16	श्री क्ष्मीनारायण	श्री लक्ष्मीनारायण
81 अन्तिम		परिशिष्ट 6	परिशिष्ट 5
82	10	चलो को स्वी ति	चलने की स्वीकृति
83	2	स्थन	स्थान
84	2	छत्रों	छात्रों
,,	9	अयोग	आयोग
,, अंतिम से	1	का विचार है	का क्या विचार है
,,	11	परिशिष्ट 7	परिशिष्ट 6
85 ,,	5	पार्सस	ट्रेस पासर्स

1	2	3	4
86 ,,	11	त्रालरापाटन	झालरापाटन
88	13	....	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	16	छगाणी	छंगाणी
,,	12	परिशिष्ट 8	परिशिष्ट 7
91	14	वीनी	चीनी
91	13	परिशिष्ट 9	परिशिष्ट 8
91 अंतिम से	8	किस मिस	किस किस
93	13	संस्कार	संस्करण
94	14	निनांक	दिनांक
95 अंतिम से	11	पटवारी	पटवारी को
96	8	आवामी	आगामी
97	14	परिशिष्ट 10	परिशिष्ट 9
101	7	1396	396
103	18	परिशिष्ट 11	परिशिष्ट 10
106	अन्तिम	,, 12	,, 11
109	,,	,, 13	,, 12
113	शीर्ष	(श्री कृष्णकुमार गोयल)	(श्री राम किशन)
114	1	नी	दी
,,	16	रर	पर
115	1	क्रमश	क्रमश:
,,	11	क्षीरामास्वरूप	श्री रामस्वरूप
116 अंतिम से	4	आंबड़े	आंकड़े
117	16	क्वार्ट	क्वार्टर
,,	8	परिशिष्ट 14	परिशिष्ट 13
119	8	करगे	करेंगे
122	10	उक्प	उक्त
124	5	अधिकरियों	अधिकारियों
125 अंतिम से	8	नाइज	वाइज
126	9	जहां लहां	जहां जहां
,,	13	सम्मद	संभव
127	4	तवा	तथा
128	5	बैठों	बैठों की

1	2	3	4
,,	11	अर्न्गत	अन्तर्गत
128 अंतिम से	7	अवलम्बनीय	अविलम्बनीय
130 अन्तिम से	10	तीन	दिन
132	9	बाले	बोलें
,,	14	बारे मैंने	बारे में मैंने
134	2-3	प्रश्नोत्तर काल लिया जाय	ली जाय
135	1	श्री लाभचन्द जैन	श्री लाभचन्द वैद
142	3	का भेदभाव	भेदभाव
143	1	पर 100 ग्रोस	100 ग्रोस पर
155	16	सेना	सेवा
155	17	काय	कार्य
158 अन्तिम से	11	नुख्य	मुख्य
161	शीर्ष	(श्री दौलतराम सारण)	(श्री रामनारायण)
177	शीर्ष	(श्री जगन्नाथ)	(श्री रामानंद अग्रवाल)
181	शीर्ष	(श्री गिरधारी लाल इन्दालिया)	(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)
181 अन्तिम से	4	f ये	लिये
182 ,,	8	ग	मांग
185	8	रिपोर्ट	रिपोर्ट को
185	9	द्वारा को	द्वारा
185	17	असली	अमली
192	7	भ्रटाचार	भ्रष्टाचार
197	8	समुदायिक	सामुदायिक
197	13	अर्ि यनितताओं	अनियमितताओं
197	20	सबंध	सम्बन्ध
199	7	वढापे	बढ़ाये
200	1	जय	जाय
200 अन्तिम से	3	तालाध	तालाब
201	11	श्री हसराज	श्री हंसराज
202	6	यंचायत	पंचायत
202	16	सामुदायित	सामुदायिक
202 अन्तिम से	2	चर्चा	चर्चा के

1		2	3	4
208		3	वले	वाले
208	अन्तिम से	9	कार्यो-से	कार्यों में
209	शीर्ष		–	श्री देवीदत्त गाड़िया
209		6	मारो	भारी
209	अन्तिम से	7	परियोजनाएॅ	परियोजनाएं
209	,,	3	पंचायत	(पचायत
210		10, 19	परियोजनाएॅ	परियोजनाएं
210	अन्तिम से	6	,,	,,
211	शीर्ष		(श्री देवीलाल गाड़िया)	(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
212	अन्तिम		परियोजनाएॅ	परियोजनाएं
213	शीर्ष		श्री यंगासहाय	श्री गंगासहाय
214		1	मांग सख्या	मांग संख्या 28
214		12	367.	(267)
215		8	शीर्पक	शीर्षक
216		5	दिना	दिया
217	अन्तिम से	3	मुख्या	मुख्य
218	,,	10	सांग	मांग
219	शीर्ष		–	(श्री मेघराज)
,,		8	नुख्य	मुख्य
221	शीर्ष		(श्री हरजीराम बुरड़क)	(श्री मेघराज)
221		5	में से	में से 100) रु०
221	अन्तिम		प्रयाप्त	पर्याप्त
222		10	बरडक	बुरड़क
223	शीर्ष		(श्री मेघराज)	(श्री हरजीराम बुरड़क
223	अन्तिम से	2	घोटालों	घोटालों
224		1	यांग	मांग
224	अन्तिम से	8	मै	में
224	अन्तिम से	4	राष्ड्रीय	राष्ट्रीय
225	शीर्ष		(श्री मेघराज)	(श्री हरजीराम बुरड़क)
225	अंतिम से	5	तहहील	तहसील
225	अन्तिम से	2	जाने से	जाने के
226		4	के ग्राम	ग्राम

1	2	3	4
226 अन्तिम से	7	लाडनु	लाडनूं
227 शीर्ष		(श्री मेघराज)	(श्री हरजीराम बुरड़क)
228	14	घोटालों	घोटालों
228 अन्तिम से	2	कपने	करने
229 शीर्ष		....	(श्री रामचन्द्र आर्य)
229	9	दिय	दिया
230	4	काश्कारों	काश्तकारों
230	11	भूमि	भूमि
230	17	लिऐ	लिए
230	19	काम	कम
231	1	नोहन	नोहर
231	7	काश्कारों	काश्तकारों
234	17	मांग	मांग को
235	11	के लिये	लिये
235	17	दोलतराम	दौलतराम
236	4	श्री लक्ष्मणसिंह	महा. श्री लक्ष्मणसिंह
236	10	) अकलेरा)	(अकलेरा)
237	4	कर जाय	कर दिया जाय
238	5	मात्रा	मात्रा में
238	8	धनराशि की	धनराशि के
238	14	थह	यह
238	18	लिजा	लिया
238	20	मनसे	उनसे
238 अन्तिम		सकत्ती	सकती
239	2	नहों	नहीं
239	14	कहीं	नहीं
239	20	गिवेदन	निवेदन
239	21	सनितियों	समितियों
239	22	उनने	उनके
240 अन्तिम से	13	बरसा	वर्षा
240 अन्तिम से	10	सहीं	नहीं
241	7	किए	किया

1	2	3	4
241 ग्रन्तिम से	6	को	की
241 ग्रन्तिम से	3	जनीन	जमीन
242	4	लइन	लाइन
242	15	संख्या	संख्या
242 ग्रन्तिम से	9	हे	है
242 ग्रन्तिम से	2	दिवा	दिया
243	1	को	—
243 ग्रन्तिम से	9	खरोदा	खरीदा
243 ग्रन्तिम से	8	ग्रोर	ग्रौर
245	2	कम है	कम
249	8	मेहन्द्रसिंह	श्री महेन्द्रसिंह
250	9	तहसीदार	तहसीलदार
255	11	झून्झूनूं	झुन्झुनूं
256	8	मानीय	माननीय
258 ग्रन्तिम से	15	समय–	(समय–
258 ग्रन्तिम से	15	घंटी	घंटो
258 ग्रन्तिम से	5	धिचार	विचार
259 ग्रन्तिम से	6	के	—
262	3	ाय	जाय
262	4	ग्रोर	ग्रोर
262	6	बड़े में	बड़े हैं
262	7	उनके	उनमें
262	18	रोक	रोज
263	16	रुपना	रुपया
264 ग्रन्तिम से	2	बढ़ाई	बढ़ाया
271	18	समितियों	समितियों को
279	15	गृजारिश	गुजारिश
280	10	मुसकिन	मुमकिन
280	19	सो	सौ
280	19	ग्रोर	ग्रौर
280 ग्रन्तिम से	7	ग्रोर	ग्रोर
281	17	कायवाही	कार्यवाही

1	2	3	4
301	17	पर	पर
301	22	श्रौर	श्रोर
302	10	प्रसाशन	प्रशासन
303	शीर्ष	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
303	16	यापिस	वापिस
305 अन्तिम से	10	प्रकाक	प्रकार
307 अन्तिम से	7	तो हम बना देंगे	—
309	1	सर्टीफिकेट	सर्टीफिकेट
309	4	श्रम्तिम	अन्तिम
310	8	व्हिम्स	व्हिप्स
311 शीर्ष		—	(श्री दौलतराम सारण)
311	3	रुपझा	रुपया
311 अन्तिम से	8	हा	हो
312	11	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
312 अन्तिम से	4	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
313	1	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
313	16	नहीं	नहीं
314	2	मूमि	भूमि
314	अन्तिम से 2	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
315	2	खानापूरो	खानापुरी
315	4	धन्टी	घन्टी
315	11	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
316	9	मैरा	मेरा
318	3	है	—
318	8	दो-दा हजार रुपया	—
320	17	सेर की	सेर का
321	1	जांच	जां
321	8	के शिकायतें ।	की शिकायतों
322	3	काल	अकाल
322	9	हीती	होती
322	अन्तिम से 10	काल	अकाल
324	12	पंचायन	पंचायत

1	2	3	4
326	9	जिक्षा	शिक्षा
327	3	दिलचस्ती	दिलचस्पी
327	14	बनावा	बनाना
327	19	हन	हम
327	23	समाप्न	समाप्त
327	अन्तिम	क्षंत्र	क्षेत्र
328	13	प्रधान;	प्रधान
328	अन्तिम से 9	माननीत्र	माननीय
328	,, 8	यहू	यही
329	शीर्ष	श्री रासनारायण	श्री रामनारायण
330	11	में	मैं
331	अन्तिम से 2	वालेट	वाले
333	,, 9	गंवों	गांवों
334	3	ग्रोर	ग्रौर
336	अन्तिम से 14	कास	कार्य
336	,, 8	विभाय	विभाग
343	9	सयाप्ति	समाप्ति
343	11	नष्ठ	नष्ट
343	12	चब	जब
343	12	बदुत	बहुत
343	अन्तिम से 13	को	कोई
345	7	इसलिने	इसलिये
349	अन्तिम से 2	घंटी	घंटी)
350	8	बद	बाद
351	अन्तिम से 6	कोई	कोई
353	4	गहुत	बहुत
354	5	कमी	कभी
358	2	मुसखमान	मुसलमान
359	अन्तिम से 6	गहीं	नहीं
366	3	चलेगुी	चलेगी
376	अन्तिम से 3	इस	[illegible]
378	6	वेते	देते

1	2	3	4
378	9	श्री समानेत्री	श्रीमती समानेत्री
378	अन्तिम से 9	हरियाणा	हरियाणा में
388	17	मैं	मैंने
389	8	बीघा	बीघा
391	9	पानी	पानी
391	17	तालाब	तालाब पर
391	अन्तिम से 8	जमीन न	जमीन
391	,, 2	50 में	50
394	,, 11	कायाम	कायम
394	,, 7	बातों स	बातों से
397	अन्तिम से 2	ससक्त	सशक्त
400	19	तरह ले	तरह से
400	अन्तिम से 8	जाने बाद	जाने के बाद
403	12	पूछगा	पूछूंगा
405	17	घंटी	घंटी)
406	19	अज	आज
406	—	बत	बात
406	22	उनक	उनके
407	17	झण्ड	झण्डे
407	अन्तिम से 10	अगे	आगे
409	,, 3	वाड	वार्ड
410	,, 9	मैं	—
412	,, 7	हुई	हुई
413	शीर्षक	मर्च	मार्च
416	अन्तिम से 11	जो	तो
419	,, 9	व्क्तव्य	वक्तव्य
420	8	धुसने	घुसने
420	14	वष	वर्ष
422	11	अनुशासनात्पक	अनुशासनात्मक
423	18	विक्टमाइज	विक्टीमाइज
427	अन्तिम से 6	व्क्तव्य	वक्तव्य
429	8	म्लवा	मलबा

Page No.302

1	2	3	4
429	अन्तिम से 8	एरिया	एरिया
430	2	बार्तो	बातों
431	6	अदर	अन्दर
431	14	कॉन्सटीट्यूशनल	कॉन्सटीट्यूशनल
432	13	उसके	उससे
432	14	होत	होता
432	अन्तिम	आता	आती
435	11	अपके	आपके
435	22	कह ा	कहना
437	स्तम्भ	337	437
438	अन्तिम से 7	बातें में	बातें में
439	अन्तिम से 8	ि वेदन	निवेदन
443	अन्तिम से 5	ऐरी	ऐसी
445	6	इस	—
446	1	मी	भी
446	अन्तिम से 9	न हीं	नहीं
447	12	पर्टीक्यूलर	पर्टीक्यूलर
448	5	मंत्र	मंत्री
451	16	फर्मूला हैं	फार्मूला है
451	अन्तिम से 2	जिसे	जिस
451	अन्तिम से 2	आत	आता
452	अन्तिम से 7	हो ती	होती
453	4	निखरगे	निखरेंगे
453	7	खले	खुले
453	अन्तिम से 10	वारण	कारण
454	अन्तिम से 11	परिगाणत	परिगणित
455	1	में	से
455	अन्तिम से 3	इंजनीयर	इंजिनियर
457 से 536	शीर्षक	मांग सं. 22, 28 व 1 पर विचार विमर्श	जोधपुर डि० के खान मजदूरों की हड़ताल के सं. में वक्तव्य
457	अन्तिम से 6	उन्होने	उन्होंने

1	2	3	4
458	15	शिकायतों	शिकायतें
458	अन्तिम से 5	इन्वालब्द	इन्वालब्ड
460	1	अमियंता	अभियंता
462	14	ती	तो
462	16	चे पास	के पास
462	अन्तिम से 10	कान्टेक्टर्स	कान्ट्रेक्टर्स
462	अन्तिम से 3	निकालेंये	निकालेंगे
463	8	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
463	12	नर्ही	नहीं
463	15	करवामे	करवाने
464	8	समय	(समय
465	8	सभांनेत्री	सभानेत्री
465	अन्तिम से 4	शरू	शुरू
466	12	पंचायेत	(पंचायत
466	13	मंत्री	मंत्री)
466	17	सदस्यों	सदस्यों
467	18	रिपोर्ठे	रिपोर्ट
467	19	करते	करने
468	अन्तिम से 5	लिजाधीश	जिलाधीश
468	अन्तिम से 3	आवश्यकबा	आवश्यकता
472	16	आय	आयें
472	22	वरते	करते
474	19	इनकम्पीलट	इनकम्पलीट
474	अन्तिम से 5	एसी	ऐसी
477	5	आय	आयें
477	8	जजदूर	मजदूर
478	अन्तिम से 11	वात	बात
479	13	ज:य	जाय
482	17	चाल	चालू
485	4	केलायत	कोलायत
486	अन्तिम से 7	उसके	उसके बारे
487	अन्तिम से 12	इकार	इन्कार

Page No.304

1	2	3	4
488	14	जमय	समय
488	15	कहे	के
508	अन्तिम से 11	फरला	फैसला
517	अन्तिम से 9	केसिल	कैंसिल
519	अन्तिम से 15	वो	को
545	1	परिशिष्ट 8	परिशिष्ट 4
545	2	—	(तारांकित प्रश्न संख्या 788 की सूची)
546	अन्तिम से 4	25	24
546	अन्तिम से 1	17	27
547	1	परिशिष्ट 6	परिशिष्ट 5
547	2	114	798
549	1	परिशिष्ट 7	परिशिष्ट 6
550	1	परिशिष्ट 8	परिशिष्ट 7
552	1	परिशिष्ट 9	परिशिष्ट 8
553	1	परिशिस्ट 10	परिशिष्ट 9
555	1	परिशिष्ट 11	परिशिष्ट 10
557	1	परिशिष्ट 12	परिशिष्ट 11
559	1	परिशिष्ट 13	परिशिष्ट 12
560	1	परिशिप्ट 14	परिशिष्ट 13